राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पैंतालीसवां दिवस [संख्या : 23

गुरुवार,

10 मई, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रतन लाल ताम्बी।

ग्राम पंचायत रामपुरा जामौली (जहाजपुर) में कुई निर्माण में अनियमितता की जांच

523. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या सहायता एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष ग्राम पंचायत रामपुरा–जामौली तहसील के जहाजपुर में अकाल राहत कार्य में प्रेयजल कुई की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कब, तथा उक्त कार्य कब प्रारम्भ हुआ और उक्त पर कितना भुगतान हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कुई पर एक भी दिन कार्य नहीं हुआ और फर्जी मस्टररोल भर कर दिये गये ? क्या उक्त बाबत शिकायत की जांच हुई ? क्या सरकार इसकी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से पुनः जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) गत वर्ष अकाल राहत कार्य सम्वत् 2056 में ग्राम पंचायत जामौली क्षेत्र के रामपुरा ग्राम में (1) सार्वजनिक कुई रामपुरा बालाजी (2) सार्वजनिक कुई स्कूल के पास नाम से दो कुइयों को गहरी कराने के कार्य स्वीकृत किये गये। इन दोनों पर माह जून, 2000 में कार्य प्रारम्भ कराया गया तथा निम्नानुसार राशि व्यय हुई :

	श्रम	सामग्री	योग
1. सार्वजनिक कुई रामपुरा बालाजी	9648	3960	13608
2. सार्वजनिक कुई स्कूल के पास	10491	3825	14316

(2) उक्त दोनों कार्य निरन्तर चालू रहे तथा इन पर फर्जी मस्टररोल भरने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन दोनों कुइयों पर स्वीकृति होने के बाद जो दूसरे नम्बर की कुई है सार्वजनिक स्कूल के पास, इससे पानी इंजन से एक दिन तोड़ते ही गांव वालों ने विरोध किया। उसके बाद कभी काम ही नहीं हुआ। इसका बिल वाउचर जब गांव वालों को मालूम पड़ा, बहुत बाद में जब मास्टर रोल भरकर दिये तब उन्होंने शिकायत की थी। कितना काम पहले था, कितना कब हुआ, गांव वालों को किसी को मालूम नहीं। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, इन दोनों कुइयों के निर्माण की पूरी जांच करवा दें। इसमें दूसरे नम्बर की कुई पर तो काम ही नहीं हुआ और पहली पर भी बहुत कम काम हुआ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्न के संबंध में मैंने जिलाधीश से विस्तार से बात की थी और उनके द्वारा मुझे आज ही फैक्स द्वारा सूचना भेजी गयी है। दोनों कुइयों के बारे में जो सूचना भेजी है वह यह है कि सार्वजनिक कुई रामपुरा स्कूल के पास वाली पूर्व की खुदाई 28 फीट थी और इसमें खुदाई के बाद 34 फीट गहरी हो गयी है। इसका पानी पम्प द्वारा निकाला गया जिसका माप पुस्तिका में दर्ज है। सार्वजनिक कुई बालाजी रामपुरा पूर्व कुई की गहराई 38.2 इंच थी। ब्लास्टिंग की आवश्यकता थी। पहले पखवाड़े में कुई को गहरा करवाया गया। मलबा हटवाया गया। द्वितीय पखवाड़े में ब्लास्टिंग कर खुदाई की गयी। तत्पश्चात् कुई की गहराई 41 फीट हुई है। माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 43–87 पर दर्ज है। इसी आधार पर भुगतान किया गया है। यह जांच जिलाधीश ने ए.डी.एम., भीलवाड़ा शहर से एस.डी.ओ. और तहसीलदार से करवा कर मेरे पास रिपोर्ट भेजी है। अगर इस जांच से माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं अन्य अधिकारी से जांच करवाने को तैयार हूं।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह चाहूंगा कि गांव वालों के सामने इसकी इंक्वायरी करवा दी जाए। जो भी अधिकारी गये हैं, उनका गांव वालों को मालूम नहीं है। दोनों कुईयों पर जो काम हुआ है, न तो पहले मेजरमैंट लिये गये और न बाद में मेजरमैंट लिये गये। केवल बैठ कर यह बनाया गया है सारा। मैं यह चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. से भी इसकी जांच कराएं तो और अच्छा होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुबारा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जांच अधिकारी गये हैं। जिन मजदूरों ने काम किया है उनके नाम भी उन्होंने अंकित किये हैं, उनके बयान भी लिये हैं। माप पुस्तिका को भी चैक किया है। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं दुबारा जांच करा लूंगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : जिन मजदूरों

(श्री रतन लाल ताम्बी)

के नाम लिखे गये थे फर्जी थे, अगर उन्हीं के बयान लेंगे तो वह यह कहेंगे कि वास्तव में हमने काम किया है। गांव वाले कहते हैं कि काम नहीं हुआ। दो–तीन दफे उस समय जाकर भी देख गया था। एक कुई पर काम करने ही नहीं दिया। गांव वालों ने लिखित में ही कह दिया कि पानी तोड़कर इसको खोदोगे तो पानी खारा निकलने की संभावना है, इसलिये इसमें काम करना उचित नहीं है। गांव वालों ने काम ही नहीं करने दिया था।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, आपके अकाल राहत कार्य बहुत अच्छे चल रहे हैं सारे जिलों में। हमने भी छुट्टी के दिन दौरा किया है। आशा है कि आगे के काम भी अच्छे होंगे। आपने कुछ मजदूरी बढ़ाई है, उसके लिए भी धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

जिला नागौर में लाइम स्टोन का अवैध खनन

524. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में लाइम स्टोन का अवैध खनन हो रहा है ? यदि हां, तो किस–किस गांव में, कौन–कौन से मामले कब–कब ध्यान में आये और उस पर क्या–क्या कार्यवाही किसके द्वारा कब–कब की गयी ? गत तीन वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकार की अवैध खनन की जानकारी के बाद अतिक्रमणियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या–क्या तथा किसके द्वारा ? उक्त संबंध में बनाये गये नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संबंध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्ट है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो सरकार ने क्या कदम उठाये और अब क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) जी हां। जिला नागौर में गत तीन वर्षों में खान विभाग/राजस्व विभाग के ध्यान में अवैध खनन के मामले आये। खनिज लाइम स्टौन के अवैध खनन के मामलों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) अवैध खनन के मामले प्रकाश में आने के बाद खान विभाग/राजस्व विभाग के अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारियों को अतिक्रमिकों को बेदखल करने, अवैध खनन एवं परिवहन के पंचनामे बनाने, खनिज एवं औजार जब्त करने, खनिज की दस गुना रायल्टी/कीमत वसूलने, जब्त खनिज की कीमत नीलामी द्वारा वसूल करने, न्यायालय में मुकद्मा दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। संबंधित अधिनियम/नियम अर्थात् खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम,

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

1957 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के संबंधित प्रावधानों की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। अवैध खनन के विरुद्ध उपरोक्त नियमों के तहत विभाग द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है।

(सूची एवं प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने जो तीन साल से आंकड़े पेश किये हैं, पहली साल में आपने 55 मामले पकड़े, दूसरे में 74 और तीसरे में 153 और वही चार–पांच गांव हैं जिनमें इनके मामले पकड़े। पहले तो आप यह बताइये कि मामले ज्यादा पकड़ने को आप अपनी प्रगति मान रहे हैं या अवैध खनन ज्यादा होना मान रहे हैं ? दूसरा, आप यह बताइये कि ये जो अवैध खनन के मामले हैं, जहां आपने परमिट दे रखा है, परमिशन दे रखी है वहां के हैं या आपके निर्धारित परमिट के बिना ही लोग इन पांच–छह–सात–दस गांवों में अवैध खनन कर रहे हैं। आप बराबर तीन साल से देख रहे हैं, जितने भी मामले पकड़े, ट्राली का वह टैक्स ले लिया, इसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरा, मैंने पूरे नागौर जिले का पूछा है। मकराना के बारे में आपने कोई जिक्र तक नहीं किया है जबकि आपको मालूम है कि मकराने में अवैध खनन के दो मामलों में एण्टी करप्शन ने जांच की और करोड़ों रुपयों का घोटाला उसमें पाया। जहां खान अलाट थी उसके बजाय दूसरी जगह जहां अच्छा मार्बल था, वहां उन्होंने खनन कर लिया। उदाहरण के तौर पर मैं एक–दो नाम आपको बताना चाहता हूं कि एक आदमी को पट्टा मिला 171 खसरा नम्बर में, लेकिन वहां पर पत्थर अच्छा नहीं था। उन्होंने खनन किया 153 खसरे में। वह लम्बे समय तक, करीब बीस साल तक खनन करता रहा और आपके विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। जहां तक मेरी जानकारी है मकराने में बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पट्टा आपने कहीं दिया है और वह खनन कार्य कहीं कर रहा है। कई ऐसे भी हैं जिनको जिस एरिये का पट्टा दिया, उसका खनन हो गया और अपनी मर्जी से दूसरी जगह खनन कर रहे हैं। इस प्रकार से करोड़ों रुपये का घोटाला है। छोटे–मोटे मामले–ट्राली पकड़ ली, ट्रक पकड़ लिया, इसके सिवाय आपने इसमें कुछ भी नहीं कहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात की तो यह जानकारी चाही कि मामले ज्यादा पकड़ने पर प्रगति है या अवैध खनन की प्रगति है। सवाल तो इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, कि अवैध खनन तो खनन है, आप उसको प्रगति मानें, क्योंकि विभाग तो कोशिश करता है। जो

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

पकड़े जाते हैं उनका पंचनामा बनाएंगे या अदालत में केस दायर करवाएंगे। उसको विभाग तो अपनी प्रगति मानेगा, क्योंकि हमने तीन साल के अर्से में 5 करोड़ 28 लाख की वसूली की है। 256 मामलों में हमने कार्यवाही की है, पंचनामे बनाये हैं। पंचनामे के अलावा माल जब्त किया है, माल कम्पाउंड करके उसकी वसूली की गयी है। तो ये दोनों मामले प्रगति पर हैं। अवैध खनन का है, अवैध खनन होगा तभी पंचनामे बनेंगे, तभी केस कम्पाउंड होंगे, तभी अदालतों में केस दायर होंगे। तो एक किस्म का मिला–जुलासा है।

जहां तक परमिट क्षेत्र में है, अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक तौर पर मानते हैं कि जब परमिट ही मिल गया किसी को तो वह अपने क्षेत्र में अवैध खनन क्यों करने देगा ? अवैध खनन वहीं होता है जहां किसी जमीन का कोई लीज धारक नहीं है या जमीन सरकार की है।

अध्यक्ष महोदय, 1987 में पूरा नागौर जिला, यह सही है कि इसमें मैं अपनी जांच करूंगा कि यह अधूरा प्रश्न का जवाब क्यों दिया है, नागौर जिले का पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इसकी जांच करूंगा। नागौर जिले का मामला पूछा गया है तो नागौर में मकराना का भी है, नागौर में गोटन भी है और नागौर खुद भी है। ये तीनों स्थान जो हैं हमारे, खास तौर से गोटन और नागौर प्रापर लाइम स्टोन के हैं और मकराना मार्बल का क्षेत्र है। यह तो मैं जांच कर लूंगा।

जहां तक परमिट क्षेत्र में खनिज करने का सवाल है, वहां स्वाभाविक है कि परमिट क्षेत्र पर जो लीज धारक है वह अवैध खनन नहीं करने देगा। अवैध खनन वहीं होता है जहां, कई बार देखा गया है कि विभाग ने लीज खारिज कर दी और वह किसी कोर्ट में या भारत सरकार में रिवीजन में चला गया। भारत सरकार ने उसको उसमें स्टे दे दिया तो बहुत से लोगों को स्टे का मालूम नहीं होता है लेकिन वर्किंग परमिशन जो भारत सरकार दे देती है उसके अन्तर्गत वह काम करते रहते हैं। मोस्टली लोग उसको यह मानते हैं कि खनिज का अवैध खनन हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह ऐसा भी होता है कि जमीन का अलाटमैंट तो कहीं है और अलाटमैंट के बाहर जो एरिया है, परिसर है, उसके बाहर कई बार खदान कर लेता है। उसको समय–समय पर शिकायत आने पर हम नपवाते हैं। मान लीजिये 10,000 मीटर की जगह हमने लीज पर दी या चार वर्ग किलोमीटर का एरिया दे दिया है, उसके बाहर यदि कोई जाता है और शिकायत होती है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जांच करवाते हैं और पैनल्टी भी लगाते हैं। बहुत से मामलों में दस गुना पैनल्टी लगा कर भी केस का चालान किया जाता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जिनको पट्टा दे दिया वह अवैध खनन की परिभाषा में नहीं आता। मैंने स्पेसिफिक आपको कहा है कि मकराना में आपने पट्टा दिया खसरा नम्बर 171 में और वह खनन हो रहा है खसरा नम्बर 153 में, वह क्या है ? अवैध है या नहीं है ?

दूसरी बात आपसे मैंने यह पहले पूछी थी कि जो गांव आपने उस सूची में दिये हैं, करीब 282 मामले हैं, वही चार–पांच गांव हैं, आप हर महीने उन्हीं को पकड़ते हैं। अगर वहां पट्टा नहीं दिया तो आप रोकते क्यों नहीं हैं ? आप उन्हीं गांव के उन्हीं लोगों को एक साल में दस–दस बार पकड़ो और उनका ट्राली का, ट्रक का टैक्स लो। इसके अलावा आपने उसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ? एक बात।

दूसरा, अगर वहां खनिज उपलब्ध है और आपकी जमीन है तो जो खोदने वाले हैं उनको पट्टे क्यों नहीं देते हो ताकि गवर्नमैंट की आय हो और रायल्टी भी बढ़े ?

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक क्वेश्चन कर लूं, इसी में साथ ही जवाब दे दें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि नीमकाथाना में एस.ई. और ए.एम.ई. दोनों के आफिस इन्होंने वहां से हटा दिये लेकिन वहां बराबर अवैध खनन हो रहा है, उसके बारे में आप कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ? क्या वहां एम.ई. और ए.एम.ई. के दफ्तर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि शिकायत पर हम जांच करेंगे...

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर खनन अधिकार दिया गया है उसके अतिरिक्ति कहीं खनन किया जा रहा है तो मंत्री महोदय उसे अवैध खनन मानते हैं अथवा नहीं ? जहां अवैध खनन हो रहा है, उन लोगों के खिलाफ आपका विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है ? इसके बारे में कृपया जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नागौर जिले से सम्बन्ध रखता है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि लाइम स्टोन की खानें हैं...

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दीजिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : मामला लाइम स्टोन का है, आप उत्तर दे रहे हैं मार्बल का।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपने

(श्री अमराराम)

कहा कि जहां से शिकायत मिलती है, लेकिन जहां खनिज है और अवैध खनन हो रहा है वहां जे.ईएन. और ए.ईएन. खनिज विभाग के पोस्टेड हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी इस बात के लिए नहीं है ? जो लीज होल्डर है वह बाहर जाता है तो शिकायत करने की कहां जरूरत है, उनकी भी ड्यूटी है। क्या सूओ मोटो उनकी जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नागौर जिले के सम्बन्ध में है, पूरी इन्फोर्मेशन मंत्रीजी के पास कोई पूरे राजस्थान की तो हो नहीं सकती।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान के बारे में नहीं, मैं तो नागौर के बारे में ही कह रहा हूं। मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि शिकायत मिलने पर हम जांच करते हैं। मेरा यह मानना है, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि खनिज विभाग के इंजीनियर्स पोस्टेड हैं, अलग–अलग एरिया के लिए पोस्टेड हैं अगर वहां अवैध खनन होता हैं तो उनकी जवाबदारी आप फिक्स करेंगे या नहीं करेंगे ? या केवल शिकायत का इन्तजार करेंगे ? यह मुझे पूछना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक चीज की जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैं जांच कराऊंगा कि यह जवाब क्यों दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि यह जवाब आपके यहां से अप्रूव्ल होकर आया है, क्या उस वक्त आपको यह ध्यान में नहीं आया कि यह जवाब अधूरा है ? आब आप जांच कराओगे कि अधूरा जवाब क्यों आया, मंत्री महोदय, उस वक्त आपने क्यों नहीं देखा कि अधूरा जवाब है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने कहा कि नागौर जिले में 282 मामले पकड़े और पांच करोड़ के लगभग आपने रायल्टी वसूल की है, इन मामलों में सक्षम न्यायालय में आपने चालान कितने लोगों का कितने मामलों में किया ? नम्बर एक।

नम्बर दो बात, आपने जो कार्यवाही की वह खान विकास विनियम, 57 के अन्तर्गत की या राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 87 के अन्तर्गत की ? आपके पास दो कानून हैं जिनके अन्तर्गत आप कार्यवाही कर सकते हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट आरोप है कि अवैध खनन वाले लोगों को पकड़ कर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। माननीय सदस्य ने सही कहा है, चन्द गांव है, जिनमें इस तरह का रैकिट बन गया है और उसमें खनिज विभाग के सारे अधिकारी ऊपर तक मिले हुए हैं, लगातार वहां अवैध रूप से खनन हो रहा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। आपने सक्षम न्यायालय में उनका चालान क्यों नहीं किया ?

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी खनन करते आ रहे हैं, मंत्री महोदय, वह आपके यहां आवेदन लगाते हैं, आवेदन लगाने के बाद में क्या प्राथमिकता उन मजदूरों को दी जाएगी या जो खनन का कार्य नहीं करते हैं हाथों से, उनको दी जाएगी ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, एक तो मामला खसरा नम्बर 71 और 73 में काम करने का आया है, माननीय सदस्य ने उठाया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नागौर से सम्बन्धित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नागौर का ही पूछा है। (व्यवधान) नागौर में सक्षम न्यायालय में चालाना कितने किये हैं ? इन्होंने रायल्टी वसूल कर ली, दस गुना पैनल्टी लगा दी, अलग बात है। सक्षम न्यायालय में चालान क्यों नहीं किया ? और किये तो कितने किये ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि लीज धारक के पास जितना एरिया है और उसकी बाउंड्री के बाहर वह कोई भी खनिज निकालता है तो वह अवैध खनन की परिभाषा में आएगा। तो यह 71 और 73 का मामला अवैध खनन की परिभाषा में आता है और इसकी भी मैं जांच करवा लूंगा।

जहां तक, अध्यक्ष महोदय, रोकने का सवाल है, एम.एम.सी.आर. एक्ट में और एम.एम.डी.आर. एक्ट में साफ प्रावधान हैं। जैसा माननीय राठौड़ साहब ने 57 और 86 का जिक्र किया, एम.एम.डी.आर. एक्ट, 57 और एम.एम.सी.आर. एक्ट, 86, इसके अन्तर्गत सरटेन पावर है, उस पावर के अन्तर्गत एस.एम.ई., एम.ई. और ए.एम.ई., सब उसको पकड़ने के अधिकारी हैं और पकड़ते हैं। रोकथाम के लिए खास तौर पर विभाग ने एक विजिलेंस डिपार्टमैंट भी बनाया हुआ है। एम.ई.विजिलेंस, एम.एम.ई.विजलेंस मौके पर जाते हैं और पकड़ते हैं। ये जो मामले पकड़े गये हैं 286, ये सारे मामले विजिलेंस पर ही पकड़े गये हैं और कुछ मामले शिकायत के तौर पर हैं। इसलिए यह कहना वाजिब नहीं है कि विभाग की देख–रेख में यह काम हो रहा है। विभाग की देख–रेख में तो यह काम कैसे होगा जब हमने विजिलेंस डिपार्टमैंट रखा हुआ है ? समय–समय पर जांच करते हैं। इसमें कोई ऐसे मामले नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कोर्ट में चालान नहीं किया, आपने यह तथ्य छिपाया है। वाहन जब्त किये गये, बार–बार एक ही तरह के वाहन हैं जिनको जब्त किया जाकर छोड़ते

(श्री सांवर लाल)

हैं। हमारा आरोप है कि आपके अधिकारी मिले हुए हैं इसलिए आपने नम्बर नहीं दिए। सेम प्रकार के वाहन बराबर अवैध खनन करते हैं कि नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दोनों एक्ट के अन्दर चालान करने का प्रावधान है, इन्होंने चालान क्यों नहीं किया, सक्षम न्यायालय में चालान क्यों नहीं किया ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, दो तरह के अवैध खनन की परिभाषा में आते हैं, पहला तो यह है कि खनन क्षेत्र में खान में काम हो रहा है, एरिया उसका है नहीं और कोई व्यक्ति वहां खनन कर रहा है...

श्री सांवर लाल : इसमें कोई फर्क है क्या, अवैध तो अवैध ही होगा ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : ...यह तो मौके का अवैध खनन हो गया। दूसरा निर्गमन जो रास्ते में ट्रोली जाती है या ट्रक जाते हैं, रास्ते में पकड़ गया, वह दूसरा चालान है। उस चालान में मौके पर, मान लीजिए इंटीरियर में एक ट्रक चला गया, कहीं गांव के अन्दर से, वह वहां पकड़ा गया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंटेड सवाल किया है। मैंने कहा है कि दोनों एक्ट के अन्दर सक्षम न्यायालय में जब चालान करने का अधिकार है तो उसमें चालान क्यों नहीं किया ? आप घुमा रहे हैं, लम्बी–चौड़ी कहानी बता रहे हैं। हम यह कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरे को सीधा बताएं कि नागौर जिले में आपने कितने लोगों का चालान किया अवैध खनन के मामलों में ? सीधी–सीधी बात पर आइये आप। आप चालान करते नहीं हैं, रायल्टी की वसूली पर अवैध काम होता है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : चालान कर देंगे तो निजी आमदनी कैसे होगी ? इसलिए चालान नहीं किये जाते कि निजी आमदनी करनी है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, अधिकारी मिले हुए हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, 258 जो पकड़े गये हैं, केवल विजिलेंस ने पकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि अवैध खनन वहां के खनिज अधिकारियों से मिले वगैर नहीं हो सकता। इनकी जो पोस्टेड फ्लाइंग है उसने 258 में से एक को भी नहीं पकड़ा, तो जिसके क्षेत्र में 258 करीब–करीब एक साथ पकड़े गये हैं, उस अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं कि

(श्री अमराराम)

वह पकड़े ? क्या आगे आप जो अवैध खनन होते हैं उसके सम्बन्ध में उनकी जिम्मेदारी फिक्स करना चाहते हैं ? आपकी फ्लाइंग तो पकड़ती है लेकिन जो पोस्टेड हैं उनसे मिलकर ही अवैध खनन होता है और करोड़ों रुपये का होता है। राजस्थान के खजाने को अरबों रुपये का नुकसान इस अवैध खनन से हुआ है, यह अधिकारियों से मिलकर होता है और उनकी जिम्मेदारी कोई फिक्स नहीं करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सही बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया उसका एक का भी उत्तर नहीं दिया आपने। मामलों की संख्या आपने 200 के करीब तो बता दी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सूची के पेज नम्बर छह पर 16 नम्बर पर आपने एक मामला पकड़ा है। सहायक खनिज अभियन्ता, गोटन द्वारा अवैध खनन का मामला पकड़ा गया है। क्या पकड़ा मौके पर ? मजदूर भाग गये इसलिए पंचनामा नहीं बनाया। मौके पर पकड़े औजार नग तीन जब्त किये। यह मामला पकड़ा, साहब। अब यों करके संख्या तो इतनी बता दी लेकिन वास्तव में कार्यवाही क्या हुई ? वही गांव है, वही आदमी हैं, तीन साल के आंकड़े दे दिए और सालों साल उसको डबल कर रहे हैं। फिर आप उनको रोकते क्यों नहीं ? क्या रोकने का कोई प्रोविजन नहीं है ? चाहे जो कर लो। और मकराना वाले मामले में आपने गोलमाल कर दिया। (व्यवधान) कहां है लाइम स्टोन का ?

श्री रतन लाल ताम्बी : यह है न।

श्री हरजीराम बुरड़क : अवैध खनन का है यह।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, 26 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय से हम इसलिए बचना चाहते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लम्बी है जब हम मौके पर ही केस को कम्पाउण्ड कर देते हैं और उसकी वसूली मौके पर ही कर देते हैं तो वह अच्छा है कि हमारा पैसा करंट आ जाता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दें कि सजा का प्रोविजन नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोंडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, करंट आ रहा है, सरकार के पास करंट पैसा आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अवैध खनन अधिकारियों की शह से हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1957 और 1988 ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी सही कह रहे हैं कि करंट पैसा आ रहा है इनके पास।

श्री सांवर लाल : पूरे राजस्थान में अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राजस्थान में पैसे की जरूरत है, हमको करंट पैसा चाहिए, करंट पैसा आ रहा है। कहां जरूरत है चालान की ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल, बैठिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान) बात तो सुन लीजिए।

श्री मदन दिलावर : क्या विश्वास दिलाओगे ?

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब की परिधि के बाहर जाते हैं। आप हमें बैठने के लिए कहते हैं, हम तुरन्त बैठ जाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जवाब इनको क्या देना है, जवाब की परिधि से कहां जा रहे हैं ? पांच सालों पर जा रहे हैं। हमने पूछा कि आपने कितने चालान किये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : वही तो मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह बताते नहीं हैं।

श्री सांवर लाल : नहीं–नहीं, आप हैडमास्टर हो क्या ? ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, कि आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपके तो करंट आ रहा है पैसों से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, के कहने से बैठ सकते हैं, आप कौन होते हैं। कहते वाले ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम स्टूडेन्ट हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप माननीय मंत्रीजी को कैसे दबा रहे हैं ? हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संवेदनशील सरकार है, जनहितकारी सरकार है, बहुत अच्छे–अच्छे निर्णय ले रही है और पैसा वसूल कर रही है। आपको इसका भी दुःख हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि तीन वर्षों में बीस करोड़ की रायल्टी वैध तरीके से आयी और तीन वर्षों में साढ़े पांच करोड़ की रायल्टी...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब पर्टीकुलर नहीं दिया जा रहा है कि चालान कितनों के हुए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल : और यह जवाब दे

(श्री सांवर लाल)

रहे हैं वह हम नहीं चाहते हैं। हम यह कह रहे हैं कि चालाना केस क्यों नहीं किये गये। सीधा पाइंटेड सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इनकी अवैध खानें हैं वहां पर अवैध खानों को पकड़ा है और पैसा वसूल किया है इसलिए इनको दुःख हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : करोड़ों रुपयों की माइनिंग करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हां, करोड़ों रुपया इन्होंने वसूल किया है। पूछो, कितना पैसा वसूल किया है। आपके टाइम तो दो पैसा भी वसूल नहीं किया गया। एक भी चालान नहीं हुआ आपके समय में। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, तीन सरिये जब्त किये और लिखा दिया कि तीन सरिये जब्त किये हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : हम आपके खिलाफ फिर बोलेंगे तो आप कहोगे कि पर्सनल लाइफ...

श्री रामस्वरूप : आप सरकार के खिलाफ बोलिए। (व्यवधान) दम हो तो सरकार के खिलाफ बोलो। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है राजस्थान के अन्दर। लोकप्रिय सरकार, संवेदनशील सरकार और जनहितकारी सरकार, आप बोलिए दम हो तो। इतना बढ़िया काम हो रहा है राजस्थान में। (व्यवधान) बोलो सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ कोई बोलने का मुद्दा हो तो बोलिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : संवेदनशील सरकार के बारे में हम भली–भांति जानते हैं। (व्यवधान) खेत की दीवार बना ली टोडाभीम से आने वाले एम.एल.ए. ने। भ्रष्टाचार का कोई मामला उठाते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह रायल्टी की बात करते हैं, राजस्थान के अन्दर ढाई साल के राज में 15 करोड़ की वसूली हो गयी।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : इन्होंने करौली रायल्टी का...(व्यवधान) एक लाख इकसठ लाख का ठेका दिया है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस बात से माननीय सदस्यों को संतोष हो जाएगा या आत्म चिन्तन कर लेंगे कि पांच साल के अरसे में, ढाई साल बी.जे.पी. के राज में और ढाई साल कांग्रेस के राज में उक्त पांच साल में 26 करोड़ की इनकम हुई है, यह इनके टाइम का है। और मेरे ढाई तीन साल के अरसे में बीस करोड़ की इनकम हुई और पांच करोड़ अठ्टाईस लाख की रायल्टी मैंने वसूल की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके शासन में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अवैध खनन बढ़ रहा है, यह उपलब्धि है आपकी ?

श्री सांवर लाल : अवैध खनन... (व्यवधान) मंत्रीजी का खुद का जवाब है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लूट मचा दी, श्रीमान्। खनिज सम्पदा के साथ लूट मचा दी है इस सरकार ने। (व्यवधान) और यह सरकार चुपचाप बैठी हुई है।

श्री रामस्वरूप : पांच साल तक ढप्पा बैठा दिया राजस्थान का, अब वे कुछ करने लगे तो विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान को डुबो रहे हैं। (व्यवधान) रायल्टी में हेराफेरी हो रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : निजी रूप से कितना करंट आया आपके ?

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन के कितने मामले दर्ज किये गये ?

श्री अमराराम (धोद) : इस बात का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं कि जिसके क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों से मिलकर करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ उसके एरिया में इतने से ज्यादा अवैध खनन पकड़े जाएंगे तो कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं, हीरालालजी ?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी क्या जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले के अन्दर एक मन्दिर के पास तीन खाने हैं रतन लालजी ताम्बी के लड़कों के नाम अलाटमैंट कर रखी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? वे किसी को नहीं पकड़ते, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? इनके पास अधिकार नहीं हैं ? (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, विधायक के लड़के के नाम पर तीन माइन्स अवैध आबंटित कर रखी हैं। कई लोगों ने वहां पर आवेदन किया, उन लोगों की खारिज कर दी और इनके लड़कों के नाम पर तीन माइन्स भीलवाड़ा जिले के अन्दर नरेन्द्र और इनके दोनों पुत्रों के नाम अलाट की है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : तीन खाने रतन

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

लालजी ताम्बी के लड़कों के नाम अलाट हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए, बिना अनुमति के बोल रहे हैं। मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए। बैठिए।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, रतन लालजी ताम्बी के बेटे के नाम तीन खानें हैं, अवैध तरीके से आबंटित कर दीं देवस्थान विभाग की जमीन है, देवस्थान की जमीन पर तीन खानें आबंटित कर दीं। यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, पिछली सरकार के टाइम से उदयपुर संभाग में आदिवासियों की...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात से भी सन्तुष्ट हो जाएंगे...(व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : खनन कार्य हो रहा है। तीन साल में अवैध खनन कराने वालों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : तीन साल में छब्बीस करोड़ रुपया आया रेवेन्यू...(व्यवधान) आप देख लीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के राज में इल्लीगल खनन ज्यादा हो रहा था या हमारे राज में इल्लीगल खनन ज्याद हो रहा है...(व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार के टाइम में उदयपुर सम्भाग में आदिवासियों की जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा है... (व्यवधान) उस सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है ? अगर वो अवैध खनन की परिभाषा में आता है तो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, सीधा सवाल है। अगर किसी माइनिंग इंजीनियर के क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आप तय करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इतना–सा जवाब दे दीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : क्यों नहीं, जिस माइनिंग इंजीनियर के क्षेत्र में अवैध खनन होगा वह तो जिम्मेदार है ही और कोई केस बताएंगे तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री सांवर लाल : उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे आप ? (व्यवधान) इतना अवैध खनन हो रहा है आप तक किसके खिलाफ कार्यवाही की ? (व्यवधान) यह बता दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जो आपके आंकड़े दिये है साढ़े चार...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इतने अवैध खनन होने के बावजूद आपने किसी माइनिंग

(श्री सांवर लाल)

इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही की हो तो बता दीजिए। (व्यवधान) यह जवाब दे दीजिए आप, मंत्रीजी।

श्री अमराराम (धोद) : सैकड़ों करोड़ों का लाइम स्टोन अवैध खनन करके ले गये और उस माइनिंग अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह मंत्रीजी बता दें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : 286 चालान बनने के बाद क्या कार्यवाही की किसी इंजीनियर के खिलाफ, आप बता दीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने तो ढाई साल में ढाई करोड़ रुपया कमाया है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने तो कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हो, यह बताओ ना। (व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : हमारे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है और उन आदिवासियों से टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में हजारों रुपये वसूल किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब है क्या ?

श्री सांवर लाल : +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने कुछ नहीं किया तो आपने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपने ऐसा क्या किया जो इतना पैसा कमा लिया ? (व्यवधान) अकाल पर रोजगार की व्यवस्था तो कर नहीं सकते। लोग रो रहे हैं। कहां जा रहा है पैसा आपका ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : ढाई साल के अरसे में सवा सौ करोड़ रुपये की रेवेन्यू की गयी है। जिन रेवेन्यू को ये 300 पर छोड़ गये थे 279 पर वह मैंन 370 पर लेकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमेशा तो +++ अध्यक्ष महोदय, खजाना खाली है, खजाना खाली है, क्या कर रहे है ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आठ साल में इनकी रेवेन्यू सौ बढ़ी है तो मेरी ढाई साल में सौ बढ़ी है...(व्यवधान) यह अवैध खनन की बात कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 258 जो अवैध खनन के हैं...(व्यवधान) उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह बताइये। (व्यवधान) 258 जहां पकड़े गये हैं उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, यह बताइये ? (व्यवधान)

श्री सावंर लाल : जो पकड़े गये उनके खिलाफ कार्यवाही की या नहीं ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह वसूली की गयी है ना पांच करोड़ आट्ठाईस लाख।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

श्री सावंर लाल : इंजीनियर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जिनके एरिये में यह सब हुआ ?

श्री अमराराम (धोद) : आपने कहा कि यह मामले केवल 258 फ्लाइंग ने पकड़े हैं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह लीपापोती है, अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : वहां पोस्टेड अधिकारी जो इंजीनियर है उसने एक भी नहीं पकड़ा...(व्यवधान) 258, उसकी मिलीभगत से अवैध खनन कराया गया, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री सांवर लाल : लाखों रुपये का अवैध खनन और कुछ रुपये जुर्माना कर देंगे...

श्री रामस्वरूप : इन्होंने कार्यवाही की और वसूली भी की, इसीलिए आपको कह रहे हैं। कार्यवाही भी की और वसूली भी की है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उन इंजीनियर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम, बैठिये आप। नैक्स्ट।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माइनिंग इंजीनियर के खिलाफ तो कार्यवाही कराओ।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे का समय ले लिया है। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामगोपाल बैरवा।

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भारत विकास परिषद को आबंटित भूमि की शर्तो का उल्लंघन

525. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या नगरीक विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा भारत विकास परिषद्, कोटा को कितनी भूमि कब किस दर से आबंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि का आबंटन किन–किन शर्तो के आधार पर किया गया ? शर्तो की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्था के द्वारा निर्माण कार्य करवाने से पूर्व नगर विकास न्यास, कोटा से कोई नक्शा पास करवाया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृत नक्शें की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त संस्था के द्वारा नियमों व उद्देश्यों का उल्लंघन किया जाकर उसे अन्य कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है ?

(5) क्या उक्त संस्था के द्वारा बिना नक्शे के निर्माण करवा कर व्यापारिक उपयोग

(श्री रामगोपाल बैरवा)

में लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार उक्त संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाने का विचार रखती है ? क्या सरकार उक्त संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री **(श्री शांतिकुमार धारीवाल)** : (1) भारत विकास परिषद् सेवा संस्थान, कोटा को प्रताप नगर, दादाबाड़ी योजना में वर्ष 1955 में योजना की आरक्षित दर रुपये 20/– प्रति वर्ग फीट की पचास प्रतिशत दर पर अर्थात दस रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से कुल 37,475 वर्ग फीट भूमि आबंटित की गयी है। जिसको राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प. 3(78)नविआ/3/95 दिनांक 14/11/1995 द्वारा 37475 वर्ग फीट भूमि के आबंटन पर एक रुपया टोकन राशि पर आबंटन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान कर दी गयी। तत्पश्चात् आबंटन पत्र क्रमांक एफ. 1/सामा/96/659 दिनांक 19.12.1997 द्वारा उक्त भूमि के अतिरिक्त पुनः 15019 वर्ग फीट भूमि योजना की आरक्षित दर रुपये 30/– प्र.व.फीट की दर से रुपये 4,50,570 में आबंटित की गयी, जिसकी राशि संख्या द्वारा जमा करा दी गयी। इस प्रकार कुल 52494 वर्ग फीट भूमि न्यास द्वारा आबंटित की गयी है।

(2) न्यास द्वारा भारत विकास परिषद् सेवा संस्थान, कोटा को प्रथम बार भूमि वाचनालय एवं औषधालय आदि निर्माण के लिए आबंटन की गयी है एवं द्वितीय मर्तबा संस्था को विकलांग पुनर्वास एवं रोगियों की आवास व्यवस्था हेतु भूमि आबंटन की गयी है। (आबंटन पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं)

(3) हां, नगर विकास न्यास द्वारा भारत विकास परिषद् सेवा संस्थान को प्रथम बार आबंटित 37475 वर्ग फीट भूमि पर निर्माण हेतु मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत किये गये हैं (प्रति संलग्न है), द्वितीय मर्तबा आबंटित 15019 वर्ग फीट भूमि पर निर्माण हेतु मानचित्र नगर विकास न्यास कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा मौके पर यह भू–भाग रिक्त है।

(4) भूखण्ड पर भारत विकास परिषद् चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र कार्यरत है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न इकाइयां हैं। संस्था द्वारा प्रस्तुत संघ विधान पत्र में दिये गये संस्था के उद्देश्यों में स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रकल्प की स्थापना किया जाना उल्लेखित है।

(5) हां, स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये गये स्टोरेज एवं कार/स्कूटर गैरेज के स्थान पर 11 दुकानों का निर्माण किया गया है व इन दुकानों में हौमियोपैथिक डिस्पेंसरी व मेडिकल स्टोर चल रहे हैं।

(6) संस्था के द्वारा उद्देश्यों के विपरीत

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

निर्माण कार्य नहीं किया गया है। किन्तु स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कुछ निर्माण पर उल्लंघन किया गया है। उक्त अनियमित निर्माण यदि क्षमन योग्य नहीं है तो नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रामगोपाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत विकास परिषद्, कोटा को करोड़ों रुपये की भूमि जिन उद्देश्यों को लेकर कौड़ियों के भाव दी गयी, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में भी इस बात को कहीं पर स्वीकार किया है कि वहां पर नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किये गये हैं। लेकिन कहीं पर अपनी बात को स्पष्ट नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड तीन में जवाब दिया है, हां, नगर विकास न्यास द्वारा भारत विकास परिषद् सेवा संस्थान को प्रथम बार आबंटित 37,475 वर्ग फीट भूमि पर निर्माण हेतु मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत किये गये हैं। द्वितीय मर्तबा आबंटित 15019 वर्ग फीट भूमि पर निर्माण हेतु मानचित्र नगर विकास न्यास कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये तथा मौके पर यह भू–भाग उपलब्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आपने फर्स्ट जो आन्सर दिया है उसमें निर्माण कार्य नक्शे के अनुसार होना बताया है, लेकिन इसी के खण्ड पांच में आपने उत्तर दिया है जिसमें इस बात को स्वीकार किया है कि हां, स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये गये स्टोरेज एवं कार/स्कूटर गैरेज के स्थान पर ग्यारह दुकानों का भी निर्माण कार्य किया गया है। आपने खण्ड तीन में जो जवाब दिया है कि हमने प्रथम बार यह भूमि आवंटन की गयी थी उसका नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य करवाएं, क्या आपने ग्यारह दुकानें बनाने की भी इजाजत प्रथम नक्शे में दी थी ? या जो यह ग्यारह दुकानों का निर्माण कार्य किया गया है वह सैकण्ड बार जो भूमि आवंटन की गयी उस पर किया गया है, पहला प्रश्न ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, खण्ड पांच में आपने इस बात को स्वीकार किया है कि ग्यारह दुकानों का निर्माण कार्य नियम विरुद्ध किया गया है। जिन उद्देश्यों को, जिन शर्तों को लेकर, अध्यक्ष महोदय, इतनी करोड़ों की भूमि इस संस्था को दी गयी, उन उद्देश्यों और उनकी जो शर्तें थीं उनमें से मैं दो पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

प्रथम बार जो भूमि आबंटन की गयी उसमें मौके पर उक्त आबंटित भूखण्ड किसी व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। अर्थात् जिस कार्य के लिए आवंटन स्वीकृत किया गया है, केवल उसी हेतु उपयोग में लिया जएगा। प्रथम बार जो

(श्री रामगोपाल बैरवा)

भूमि आबंटित की गयी उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। सैकण्ड बार में जो भूमि आबंटित की गयी उसके लिए भी स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था "यह आबंटन इस शर्त की बाध्यता के अधीन किया जाता है कि संस्था संचालन का प्रयोग अव्यावसायिक होगा और इससे किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई व्यावसायिक परिलाभ प्राप्त नहीं होगा और इस भूमि का उपयोग आवासीय व्यवस्था हेतु जो रोगियों के साथ आते हैं, उनके लिए किया गया है।" इस प्रकार से है और लास्ट नियम में जो शर्तें थीं उनमें इस बात का उल्लेख किया गया है "उपरोक्त शर्तें एवं नियमों में किसी एक शर्त के उल्लंघन होने पर, मिथ्या तथ्यों के आधार पर गलत आबंटन कर दिया गया तो आबंटित भूखण्ड, नवनिर्मित भवन यथास्थिति अनुसार न्यास के अधीन कर लिया जाएगा जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल दो बातें माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या जो नक्शे के नियम विरुद्ध व्यावसायिक प्रयोग की 11 दुकानें बनायी गयी हैं, जो तीन–तीन लाख रुपये पगड़ी लेकर के महंगे किराये पर इस संस्था ने दे रखी हैं, उन निर्माण कार्यों को तुड़वाया जाएगा ? खण्ड–6 में आपने अपने उत्तर में इस बात को कहा है कि संस्था के द्वारा उक्त अनियमित निर्माण यदि क्षमा योग्य नहीं है तो नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार... जब खण्ड 5 में माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि 11 दुकानें नियम विरुद्ध बनाई गयी हैं तो फिर नियमानुसार कार्यवाही का प्रश्न ही कहां पैदा होता है ? आप कब तक इन दुकानों को तोड़ देंगे ?

सूचना

श्री ओम प्रकाश चौटाला, मुख्य मंत्री हरियाणा द्वारा सदन की कार्यवाही की अवलोकन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाशजी चौटाला राज्यपाल दीर्घा से सदन की कार्यवाही का अवलोकन कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सावधानी से बोलना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे तो वैसे ही सावधान रहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जितने प्रश्न सप्लीमेन्ट्री में माननीय सदस्य ने पूछे हैं इन सबका जवाब तो पहले ही मैं दे चुका हूं। लेकिन माननीय सदस्य की मंशा क्या है उसको मैं पहचान गया हूं। मैंने अपने जवाब में साफ–साफ कहा है कि इस संस्था को टोकन मनी एक रुपये पर 1995

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

में जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने दी है। यह भूमि करोड़ों की थी, लाखों की थी, मुझे पता नहीं। दूसरी बात, जो आबंटन किया गया था उसमें तत्कालीन सरकार ने इसकी आरक्षित दर पूरी जमा करायी और इस संस्था के द्वारा रकम पूरी जमा कराने के बाद ही कब्जा लियां गया। राज्य सरकार को हक था। राज्य सरकार किसी भी चैरिटेबल संस्थान को टोकन मनी पर जमीन दे सकती थी।

अब सवाल यह आता है कि इन्होंने पहली मर्तबा जो जमीन इनको 37 हजार स्क्वायर फीट दी, उसमें इन्होंने मानचित्र नगर विकास न्यास में पेश किया, मानचित्र पेश हो गया और मानचित्र स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होने का अर्थ यह नहीं होता कि निर्माणकर्त्ता हूबहू जैसा स्वीकृत किया गया है संस्था के द्वारा वैसा ही वह निर्माण करवाए। निश्चित रूप से मैंने अपने जवाब के खण्ड 5 में इस बात के लिए हां किया है कि स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये गये स्टौरेज एवं कार/स्कूटर, गैराज के स्थान पर 11 दुकानों का निर्माण कर लिया गया है। यह जो निर्माण किया गया है यह स्वीकृत लक्ष्यों के विरुद्ध किया गया है। लेकिन उसके साथ—साथ मैंने यह भी कहा कि अगर यह कम्पाउंडेबल होगा तो नियमों को देखने के बाद में कम्पाउंड कर दिया जाएगा और कम्पाउंडेबल नहीं होगा तो निर्माण कार्य तोड़ दिया जाएगा।

डा. के.सी.चौधरी : भारत विकास परिषद् को आप चैरिटेबल संस्था मानते हो ?

श्री संजीव लोढ़ा (सिरोही) : एक रुपये में करोड़ों रुपयों की भूमि आबंटित की गयी तो निश्चित रूप से लोक हित में काम करने के लिए आबंटित की गयी होगी। लेकिन उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जो आबंटन किया गया है वह उसकी शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो फिर आप किस बात की जांच करना चाहते हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब कोई शिकायत दर्ज होती है, वह शिकायत चाहे कोई ले—मैन दे, कोई नागरिक दे, या सदन में कोई माननीय सदस्य सरकार को जानकारी दे, कार्यवाही उसके बाद में ही होती है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एडमिट कर रहे हैं कि नियम विरुद्ध हो रहा है...(व्यवधान) जब आप एडमिट कर रहे हैं कि व्यावसायिक उपयोग हो रहा है...(व्यवधान) और स्वयं इन्होंने बताया है...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, आबंटन की शर्तों में यह उल्लेख किया गया था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम, बैठिये। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : कि इस भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक कार्यों के लिए होगा और इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि वहां 11 दुकानों का निर्माण व्यावसायिक कार्यों के लिए कर लिया गया तो उसको क्या नगर विकास न्यास अधिग्रहित करने की कार्यवाही करेगा, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानाना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार...(व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कोटा शहर का है और कोटा शहर के माननीय शांतिजी धारीवाल, स्वायत्त शासन मंत्री रहने वाले हैं। इनके क्षेत्र में निर्माण कार्य हुआ है इससे साफ जाहिर है कि मंत्री महोदय की भी इसमें मिलीभगत है और मिलीभगत से ही इन दुकानों का निर्माण किया गया है। (व्यवधान) मंत्री महोदय, तोड़ना नहीं चाहते, अवैध निर्माण हुआ है वहां पर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं, पहला तो यह कि इन वर्ग की संस्थाओं को जब रियायती दर पर या टोकन मनी पर भूखण्ड आबंटन किया जाता है तो उसके पहले यह देखा जाता है कि यह जनहित के लिए चैरिटेबल रूप में ले रहे है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें जो औषधालय और चिकित्सालय बना रखे हैं, उसमें ये लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं या पैसे लेकर करते हैं ?

दूसरा सवाल अपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, आपने यह तो स्वीकार किया हैं कि नगर विकास न्यास ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत 11 दुकानें वहां पर बनायी हैं, यू.टी.आई. के किसी अधिकारी की जिम्मेदारी भी होती होगी कि जो मानचित्र स्वीकृत किया है उसके खिलाफ कन्स्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है...(व्यवधान) कौन अधिकारी था जिसने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया ? उसके खिलाफ भी आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती पूनम गोयल।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि 15019 वर्ग फूट भूमि का ना तो नक्शा पास हुआ है और ना ही उस पर निर्माण कराया गया है। ऐसी स्थिति जो कि साधारणतः दो वर्ष की अवधि होती है, किसी भी संस्था को निर्माण कार्य के लिए समय दिया जाता है। लेकिन उसमें अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मंत्रीजी क्या उसका

(श्रीमती पूनम गोयल)

आबंटन निरस्त करने का विचार रखते है ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जब इस संस्था को भूमि का आबंटन किया गया था तो कुछ शर्ते लगायी गयी थीं और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया चार शर्ते थीं–वाचनालय बनाएंगे, औषधालय बनाएंगे, विकलांग पुनर्वास के लिए और रोगियों की आवास व्यवस्था करेंगे। एक अकेले वाचनालय को छोड़ कर बाकी क़रीब–करीब काम वहां पर इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि व्यावसायिक उपयोग में वे नहीं ला सकते थे। मैं माहिर आजाद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि जनू, 2000 तक इस संस्था ने निःशुल्क काम किया है और जून, 2000 से 10 रुपये प्रति माह शुल्क लेना चालू कर दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी राय से हुआ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी राय से काहे को हुआ । अब आप नहीं जानती कि यह भारत विकास परिषद् किसकी है... (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : माननीय मंत्रीजी, आप यह बता दें भारत विकास परिषद् चैरिटेबल संस्था है क्या ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी जवाब क्यों नहीं देते इस पर ? (व्यवधान) आप इसको क्यों नहीं तोड़ते हो ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप इसको तोड़ने का इरादा क्यों नहीं रखते हो ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जानवरी, 2001 से इसने अपको परामई शुल्क 15 रुपये पर दिया।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती पूनम गोयल ने सवाल पूछा है कि 15019 वर्ग फीट जमीन खाली पड़ी है और दो वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पर देना चाहिए था। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि पांच वर्ष की सीमा होती है निर्माण कार्य की। (व्यवधान) पांच भी नहीं हुए, 1997 में वह अलाटमैंट हुआ था जिसको पांच साल पूरे नहीं हुए। अब सवाल यह रहता है जैसा माननीय सदस्य बैरवा साहब ने पूछा कि अव्यावसायिक शर्तों पर इनको आबंटन किया गया था और व्यावसायिक काम में आ रहा है, व्यावसायिक काम में आ रहा है तो मैंने अपने जवाब में साफ–साफ कहा है कि अगर कम्पाउंडेबल होगा तो कम्पाउंड कर देंगे और कम्पाउंडेबल नहीं होगा तो...

श्री रामगोपाल बैरवा : आपने खण्ड पांच में हां कहा है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : ...इस भूमि को निर्माण

(श्री जुगल काबरा)

के साथ अधिग्रहण किया जाएगा कि नहीं ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जब शर्त में नहीं है तो कम्पाउंडेबल कैसे हुआ ? (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, यह कम्पाउंडेबल नहीं है तो तोड़ क्यों नहीं देते ? तोड़ दो इसको। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : आबंटन पत्र में लिखा गया है कि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नगर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, बताएं कि यह कम्पाउंडेबल है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारी सरकार ऐसे गलत काम नहीं कर सकती। तोड़िए इसको।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। बाबूलाल नागरजी।

श्री रामगोपाल बैरवा : शर्तों का उल्लंघन कर दिया। नियमों में इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि आबंटन को ही निरस्त कर दिया जाए। कृपया मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन शर्तो पर इस भूमि का आबंटन किया गया था नगर विकास न्यास के द्वारा उनमें से कुछ न कुछ शर्तो का उल्लंघन तो हुआ है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से...

श्री रामगोपाल बैरवा : या तो आप कार्यवाही करें सीधे। माननीय मंत्री महोदय, तोड़–मरोड़ कर जवाब क्यों देना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अरबों, खरबों रुपयों की सम्पत्ति की चर्चा हो रही है तो रामस्वरूपजी की बाउण्ड्री की भी चर्चा हो।

श्री रामगोपाल बैरवा : तोड़फोड़ करके जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, इस बात को स्पष्ट करें कि आप कब तक अवैध निर्माण कार्य को हटा देंगे ?(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : चोरी तो चोरी होती है चाहे वह एक की हो या लाख की। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इनको क्या चपक लगती है ? पता नहीं इनको क्या तकलीफ हो जाती है। (व्यवधान) आप तोड़ेंगे, क्या नहीं तोड़ेंगे, यह बताइए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे बोल लेने दीजिए। किसी भी संस्था के खिलाफ शर्तों का उल्लंघन, जितने भी आबंटन होते हैं किसी में कहीं न कहीं, थोड़ी बहुत, कहीं ज्यादा कहीं कम, कुछ न कुछ होता है। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन–तीन लाख रुपये की पगड़ी देकर ये दुकानें दी गई हैं।

(श्री जुगल काबरा)

आबंटन पूरे राजस्थान के शहरों में कहां कहां हुए, यह भी सदन को जानकारी माननीय मंत्री महोदय देने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि पूरे राजस्थान में भारत विकास परिषद् को ऐसे आबंटन किन–किन शहरों में हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी सदन को देने की कृपा करें और निदेश प्रदान करें मंत्रीजी को कि भारत विकास परिषद् को पूरे राजस्थान में...(व्यवधान) इसकी जानकारी सदन को देनी चाहिए। इसके खिलाफ माननीय मंत्रीजी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? भूमि आबंटन के समय संस्था ने लिख कर दिया था कि निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी, किन्तु अभी मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि अब इसने शुल्क लेना प्रारम्भ कर दिया है। इसलिए भूमि के बारे में कार्यवाही करने के लिए क्या मंत्री महोदय इरादा रखते है ?

श्रीमती पूनम गोयल : इसका आबंटन निरस्त किया जाए, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

(12.00 बजे)

श्रीमती पूनम गोयल : इसका आबंटन कैसे किया गया ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पहले भी कह चुका, माननीय माहिर आजाद साहब के सवाल का जवाब मैं दे चुका।

श्री मदन दिलावर : पूनमजी गोयल का देवर उसमें कोषाध्यक्ष है। क्या उनको आप बेइमान मानते हो, पूनमजी गोयल ?

श्री शातिकुमार धारीवाल : शुरू में जब इसने काम शुरू किया...(व्यवधान) आरम्भ में जब इस संस्था के द्वारा काम शुरू किया गया तो निःशुल्क किया गया। उसके बाद में परामर्श के लिए 10 रुपया और लेना चालू कर दिया, फिर 15 रुपये लेना चालू कर दिया। मैंने आज जब यह लिस्ट देखी तो वाकई मुझे भी कुछ अचम्भा हुआ कि इसमें एक–एक, दो–दो हजार रुपये जांचों के लिए लिये जा रहे हैं। इन सब बातों का ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, दाल में काला है या पूरी दाल काली है ?

श्री जुगल काबरा : पूरी ही काली है। (व्यवधान) मंत्री महोदय, जब आपको यह विश्वास हो गया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्नकाल समाप्त। मंत्रीजी, बैठिए। (व्यवधान) श्री रतनारामजी, बैठिए। आर्डर। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान हैण्डलूम प्रोसेस हाउस के सहायक कर्मचारी का निलम्बन काल का बकाया भुगतान

893. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हैण्डलूम प्रोसेसर हाउस के किसी सहायक कर्मचारी को दिनांक 17 सितम्बर, 1992 को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किसे व क्यों तथा उक्त कर्मी को कब बहाल किया गया ? निलम्बन काल के समय की उक्त कर्मी की कितनी राशि बकाया रही ? क्या उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि न्यायालय द्वारा उक्त कर्मी के पक्ष में निर्णय दिये जाने की प्रति विभाग को उपलब्ध करवा दी गई ? यदि हां, तो कब एवं उसके अनुसार सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त कर्मी की निलम्बन काल के समय की रोकी गई बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मी ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति भी ले ली है ? यदि हां, तो कब एवं किन शर्तो पर ? क्या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के समय स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु दिये गये आवेदन की प्रति पर तत्कालीन प्रबन्ध संचालन द्वारा न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रोकी गई राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया था ? यदि हां, तो कर्मी के आवेदन पत्र की प्रति, प्रबन्ध संचालक द्वारा दिये गये आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त कर्मी को निलम्बन काल के समय की राशि एवं निलम्बन काल के समय के परिलाभ की राशि लगभग 13,000/– रुपये जो न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रोकी गई थी, का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? अब–तक भुगतान नहीं करने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त कर्मी को बकाया राशि मय ब्याज के दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री नरोत्तम शर्मा, सहायक को न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण 17 सितम्बर, 1992 को निलम्बित किया गया था। श्री शर्मा को 8 मार्च, 1994 को बहाल किया गया। श्री शर्मा के निलम्बन काल की राशि रुपये 13,393.00 बकाया हैं, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। बकाया भुगतान रहने का कारण श्री शर्मा के विरुद्ध

(उद्योग मंत्री)

न्यायालय में लम्बित अपराधिक प्रकरण रहा हैं।

(2) जी हां। न्यायालय के निर्णय की प्रति श्री शर्मा द्वारा निगम को 25.5.2000 को उपलब्ध कराई गई थी। निगम के अपर सैशन न्यायाधीश न्यायालय बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा प्रदान किये गये फैसले बाबत निगम के विधि सलाहकार से कानूनी राय प्राप्त की। विधि सलाहकार द्वारा श्री शर्मा के अपराधिक प्रकरण के न्यायालय निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करने की स्थिति में ही भुगतान कार्यवाही पर विचार करने का सुझाव दिया गया इस सन्दर्भ में अपील न करने का निर्णय लिया गया। इस समय नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। श्री नरोत्तम शर्मा के आवेदन पर निगम ने राजकी उपक्रम ब्यूरो (राज्य सरकार) द्वारा जारी दिशा निर्देशों की शर्तों पर दिनांक 10.7.1999 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति शर्तों की प्रति संलग्न है। जी नहीं।

(4) जी हां। श्री शर्मा के अपराधिक प्रकरण के अपर सैशन न्यायालय बांदीकुई के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने के कारण नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। अब तक भुगतान नहीं करने के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

राजगढ़ (चूरू) के गंदे पानी की निकासी

894. **श्री नन्द लाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कस्बा राजगढ़ में गंदे पानी की निकासी की कोई सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार गंदे पानी की निकासी का कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

(2) अब उक्त कस्बे के गंदे पानी की निकासी हेतु कब तक योजना बनाई जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कस्बे राजगढ़ में गंदे पानी की निकासी के लिए दो पम्प नगरपालिका एवं दो पम्प पी.एच.ई.डी. द्वारा लगा रखे हैं।

(2) नगरपालिका मण्डल, राजगढ़ द्वारा बैठक 23.9.2000 में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज योजना, पी.एच.ई.डी. से तैयार कराने का निर्णय लिया हैं।

वैशाली नगर योजना अजमेर का हस्तान्तरण

895. **श्री ललित भाटी** (अजमेर–पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह

(श्री ललित भाटी)

बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास अजमेर की वैशाली नगर योजना नगर परिषद् अजमेर को हस्तान्तरित कर दी गई थी ? यदि हां, तो कब व किस आदेश के तहत उक्त योजना को हस्तान्तरित किया गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश के अनुसार न्यास के परिषद् को कितने भू–खण्डों पर निर्मित मकान/व्यावसायिक दुकान या परिसर, खाली भू–खण्ड जो न्यास द्वारा बेचे गये तथा कितने भू–खण्ड जो न्यास द्वारा बेचने से रह गए परिषद् को हस्तान्तरित किए ? विक्रय रहित खाली भू–खण्डों तथा विक्रित खाली भू–खण्डों की क्रम संख्या व कुल संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यही है कि वैशाली नगर योजना पुनः नगर सुधार न्यास अजमेर को हस्तान्तरित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब व किस सक्षम स्वीकृति या आदेश द्वारा प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) नगर परिषद अजमेर द्वारा वैशाली नगर योजना के कौन–कौन से भू–खण्डों को बेच दिया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि वैशाली नगर योजना नगर परिषद्, अजमेर को हस्तान्तरित की गई जो न्यास के पत्र क्रमांक/न्यास/पीए/केएसआर/98/1 दिनांक 22.9.1998 के द्वारा की गई। आदेश की प्रति संलग्न है। साथ ही न्यास परिभ्रमण प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 5.10.1998 में निर्णय लिया गया।

(2) उक्त आदेश की पालना में न्यास द्वारा नगर परिषद् को कुल 109 आबंटित भू–खण्डों की पत्रावलियां दिनांक 12.3.1999 को संभला दी गई थी, पत्रावलियां दिये जाने के दौरान कितने भू–खण्ड निर्मित हैं एवं कितने भू–खण्ड खाली हैं, का ऐसा कोई सर्वे न्यास द्वारा नहीं कराया गया था। इस योजना में आवासीय भू–खण्ड 368 है, जिसमें से विक्रिय भू–खण्ड 238 थे तथा विक्रय रहित 130 भू–खण्ड थे। जिसमें से ए., बी., सी. व डी. ब्लॉक की 109 पत्रावलियां ही प्राप्त की गई। तत्पश्चात् न्यास परिभ्रमण प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 28.7.1999 द्वारा पूर्व परिभ्रमण प्रस्ताव संख्या 104 दिनांक 5.10.1998 को निरस्त करते हुए न्यास की वैशाली नगर योजना नगर परषिद्, अजमरे से पुनः प्राप्त कर ली गई। (विक्रीत व विक्रय रहित भू–खण्ड की सूची संलग्न है)

(3) हां। यह सही है कि वैशाली नगर योजना पुनः नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तान्तरित कर दी गई है। न्यास परिभ्रमण प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 28.7.1999 आदेश संख्या 335 दिनांक 5.8.1999 द्वारा नगर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

परिषद् अजमेर से पत्रावलियां प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। आदेश की पालना में नगर परिषद्, अजमेर द्वारा प्राप्त की गई 109 पत्रावलियां दिनांक 16.12.1999 को न्यास द्वारा प्राप्त कर ली गई। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)

(4) नगर परिषद्, अजमेर द्वारा उनके अधीन समयावधि में वैशाली नगर योजना को कोई भू—खण्ड का बेचना नहीं किया गया।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी (जयपुर) में अवैध दुकानों का निर्माण

896. डा. **किरोड़ी लाल** (बामनवास) एवं **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11 पर बस्सी चक पर श्री बाबू लाल पुत्र श्री कल्याण मीणा द्वारा अवैध दुकानों का निर्माण कराया था ? यदि हां, तो अतिक्रमी विरुद्ध जयपुर विकास प्रधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति की विवादित दुकानों के दाएं व बाएं निर्माण हो रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त पर किसका स्वामित्व है व सड़क के मध्य से उक्त निर्माण की दूरी कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त घटना के बाद प्रवर्तन अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्पति की जांच, सेवानिवृत्ति व निलम्बन के निर्णय लिये गये ? यदि हां, तो कुल कितनों में से किस—किस प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को वापस भेजने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो कितने अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर भेजा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमी की पत्नी के मृत्यु प्रकरण की जांच करा ली गई ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बस्सी चक पर श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री कल्याण मीणा द्वारा दुकानों का अवैध निर्माण कराया गया था। ज.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 32 का नोटिस दिया जाकर दिनांक 22.7.2000 को सामूहिक अभियान का आयोजन रखा जाकर दुकानों के निर्माण को ध्वस्त किया गया। इसके पश्चात् इन दुकानों के पुनः

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निर्माण होने पर दिनांक 7.11.2000 को सामूहिक अभियान का आयोजन रखा गया था। उक्त तिथि को अवैध निर्माण के पास पहुंचते ही उसी समय श्री बाबूलाल की पत्नी ने स्वयं के आग लगा ली जिससे जे.डी.ए. दस्ते को बिना कार्यवाही लौटना पड़ा। जे.डी.ए. दस्ते पर पथराव किया गया, जिससे कर्मचारियों के चोटें आई। पुलिस थाना बस्सी में मुकदमा दर्ज कराया गया। धारा 32 के नोटिस की प्रति परिशिष्ट–1 व थाने में दर्ज मुकदमा (एफ.आई.आर.) की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि श्री बाबूलाल पुत्र कल्याण मीणा की विवादित दुकानों के दायीं तरफ करीब 30 फीट जगह छोड़ कर रामसिंह का पुराना पुख्ता मकान "सिंह भवन" के नाम बना हुआ है तथा बायीं तरफ 10 फीट खाली जगह छोड़ कर भोरीलाल मीणा की तीन दुकानें बनी हुई हैं। रामसिंह के मकान की सड़क के मध्य से दूरी 50 फीट है तथा भौरीलाल मीणा के दुकानों की सड़क के मध्य से दूरी 80 फीट है। निर्माण काफी वर्ष पुराना है।

(3) इस घटना के पश्चात् प्राधिकरण में विभिन्न जोनों में पद स्थापित प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक प्रवर्तन को आदेश क्रमांक प–78 (1)जविप्रा/संस्था/94 दिनांक 9.11.2000 के द्वारा इन्हें विभिन्न जोनों से आहरित (विथड्रा) करते हुए मुख्य नियत्रंक प्रवर्तन के नियन्त्रण में कार्य हेतु स्थानान्तरण किया गया था। आदेश प्रति परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। क्रमांकः एफ–1(22)नवि/92/2000 दिनांक 18.11.2000 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारियों, प्रवर्तन निरीक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन विभिन्न न्यासों किये गये थे। प्रति परिशिष्ट–4 पर संलग्न है। जिनकी अनुपालना में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 21.11.2000 के द्वारा इन प्रवर्तन अधिकारियों/प्रवर्तन निरीक्षकों एवं सहायक प्रवर्तन निरीक्षकों को दिनांक 21.11.2000 को मध्यान्ह पश्चात् कार्य मुक्त किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट–5 पर संलग्न है। परन्तु इनके द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 5266/2000 विकास प्राधिकरण कर्मचारी व कामगार परषिद् बनाम स्टेट आफ राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 1.12.2000 निषेधाज्ञा के कारण वर्तमान में प्राधिकरण में ही कार्यरत है। आदेश की प्रति परिशिष्ट–6 पर संलग्न है। प्रवर्तन अधिकारी की सम्पत्ति का जांच सेवा निवृति के प्रति इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं है। निलम्बन के प्रति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–21(34)गृह–1/2000 दिनांक 7.11.2000 के द्वारा श्री नृसिंह लाल मीणा प्रवर्तन अधिकारी जोन–डी प्रतिनियुक्ति पर को निलम्बित किया गया था एवं उन्हे पैत्रिक विभाग में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया

(नगरीय विकास एवं आवसन मंत्री)

गया था। आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट–7 पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री नृसिंह लाल मीणा प्रवर्तन अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर को, उनके पैत्रिक विभाग भेजा गया था प्रति परिशिष्ट–8 पर संलग्न है।

(5) अतिक्रमी की पत्नी के प्रकरण की जांच राजस्थान गृह ग्रुप–5 विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2000 के द्वारा श्री धर्मसिंह सागर, सम्भागीय आयुक्त, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था तथा उनके द्वारा जांच कर ली गयी है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखा गयीं)

ग्राम नांगल सुसावतान (जयपुर) की ''हाथी गांव'' योजना

897. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर (जयपुर) में पर्यटन विभाग के सहयोग से "हाथी गांव" बसाने की योजना का कार्य अभी तक भी शुरू नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त योजना किस–किस खसरा नम्बर व कितनी भूमि पर प्रस्तावित है तथा उक्त योजना का कार्य अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रस्तावित योजना के ब्लूप्रिंट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि ग्राम कुण्डा तहसील आमेर (जयपुर) में पर्यटन विभाग के सहयोग से "हाथी गांव" बसाने की योजना का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। हाथी गांव बसाने की योजना की ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुमोदन हेतु पर्यटन विभाग को भेजी गई है। वहां से अनुमोदन के पश्चात् ही योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) हाथी गांव योजना ग्राम कुण्डा, तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 682, 683, 684, 686, 690, 691, 2505 व 2536 की लगभग 86 बीघा भूमि में से लगभग 20 बीघा भूमि पर "हाथी गांव" बसाने की योजना प्रस्तावित है। योजना का कार्य इस योजना की ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन पर्यटन विभाग से होने तथा इसके लिए वांछित राशि उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।

विद्याधर नगर (जयपुर) के पास अमानीशाह नाले पर अतिक्रमण

898. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भंवरू खान)

(1) क्या जयपुर शहर के विद्याधर नगर के पास स्थित अमानीशाह नाले पर मजार डैम बनाये जाने के निमित भूमि क्रय की गई ? यदि हां, तो किससे कितनी राशि में। उक्त आराजी, खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त क्रय की गई भूमि की क्या स्थिति है तथा यह जयपुर विकास प्राधिकरण को कैसे हस्तान्तरित हुई है और इसके लिए कितना एवार्ड दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त के आस–पास स्थित सरकारी एवं किशनबाग बीड़ की भूमि कितनी है तथा वर्तमान में उक्त पर कौन काबिज है ? आराजी एवं खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार के ध्यान में है कि प्रश्न के भाग (1) व (2) में वर्णित भूमि पर कुछ अतिक्रमणियों ने कब्जा कर रखा है तथा जिसके विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1997 में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गई थी ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या प्रगति हुई ?

(5) क्या सरकार ने उक्त भूमि को जिस तरह विकसित कर स्वर्ण जयन्ती पार्क का निर्माण किया उसी प्रकार विद्याधर नगर ए., बी., सी. व डी. ब्लाक के पार्कों को भी विकसित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मजार डैम बनाने के निमित 418.03 बीघा भूमि सिंचाई विभाग द्वारा राशि 55.32 लाख रुपये में अवाप्ति की गयी थी। आराजी खसरा नम्बर वार विवरण प्रपत्र–I पर संलग्न है। उक्त भूमि में से 17.18 बीघा भूमि (राशि) 2.40 लाख मय ब्याज का स्पष्ट टाइटल न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। मुआवजे की राशि पर 7.12 लाख रुपये का ब्याज भुगतान भी किया गया। इस प्रकार कुल मुआवजा राशि 6.04 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(2) सिंचाई विभाग से जो भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई है पर अधिकांश भूमि नदी नाले होने की वजह से खाली पड़ी है एवं कुछ भाग पर स्वर्ण जयन्ती पार्क विकसित किया गया है। मजार डैम हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अवाप्त की गई भूमि में से जो भूमि भराव क्षमता से अधिक अवाप्त हो गई थी, उस अधिक भूमि को दिनांक 7.5.1992 को सिंचाई विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण किया गया है जो भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित हुई है उसके अवार्ड की राशि का भुगतान प्राधिकरण के द्वारा किया जाना है। (प्रपत्र–II)

(3) मजार डैम के आसपास ग्राम बीड़ सरकारी भूमि नहीं है, मात्र किशनबाग की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

88 बीघा 05 बिस्वा भूमि है जिसकी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में खसरा नम्बरवाइज सूची एनक्चर—III पर उपलब्ध है।

(4) मजार डैम की भूमि में से सिंचाई विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि में से कुछ भूमि 85 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था उन सभी के विरुद्ध वर्ष 1997 में पुलिस थाना विद्याधर नगर में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई थी। तत्कालीन वृताधिकारी द्वारा अनुसंधान में मामला अदमवकू सिविल, नेचर का पाये जाने पर दिनांक 30.10.1997 को एफ. आर लगा दी गई है। नकल एफ.आई.आर एनक्चर—IV पर उपलब्ध है।

(5) विद्याधर नगर के ए.बी.बी. व डी. ब्लाकों के कुल 6 पार्क हैं जिनमें दीवार मय रेलिंग बनी हुई है। इन पार्को को विकसित किया जा रहा है। उक्त पार्को को स्वर्ण जयन्ती पार्क की तरह विकसित करने का फिलहाल विचार नहीं है।

(प्रपत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आवास का कब्जा नहीं लेने पर जमा रकम की वापसी

899. **श्री सोहन नायक** (रायसिंहनगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवास आबंटन लाटरी में निर्मित/अर्द्धनिर्मित आवासों को शामिल किये जाते हैं और लाटरी के बाद इनका कब्जा दे दिया जाता है।

(2) क्या यह भी सही है कि एक ही लाटरी में आबंटित आवास का कब्जा देते समय लागत का निर्धारण अलग—अलग किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त आवासों के निर्माण की लागत का निर्धारण किस तरह से किया जाता है।

(4) क्या यह सही है कि मण्डल के आवास नहीं लेने वाले आवेदकों को भूमि आबंटन किये जाने की घोषणा पूर्व में की गई थी ? यदि हां, तो सरकार क्या ऐसे आवेदकों को निर्मित आवास के बदले भूमि आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) लाटरी में आबंटन के पश्चात् निर्माण की अत्यधिक कीमत के कारण कब्जा नहीं लेने वाले आवेदकों को उनकी जमा सीडमनी सहित राशि लौटाने पर किस राशि पर कितना ब्याज दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि आवास आबंटन लाटरी में निर्मित/अर्द्धनिर्मित आवासों को शामिल किया जाता है। लाटरी के बाद उक्त आवासों के आबंटन पत्र आवेदकों के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

विकल्प के अनुसार क्रमशः किराया क्रय पद्धति एवं नकद भुगतान पद्धति पर जारी किये जाते है। किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आबंटित आवासों के आबंटन पत्र जारी करने की दिनांक से एक माह में आबंटी द्वारा वांछित राशि एवं आवश्यक प्रपत्र जमा कराने पर कब्जा प्राप्त करना होता है एवं नकद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत आबंटित आवासों के आबंटन पत्र जारी करने की दिनांक से तीन माह की अवधि में आबंटन पत्रान्तर्गत मांगी गई राशि एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को आबंटित आवास का कब्जा दे दिया जाता है। जो आवेदक/आबंटी मांग राशि विलम्ब से जमा कराते है उनसे विलम्ब अवधि का ब्याज लिये जाने का प्रावधान है।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल में प्रचलित संशोधित लागत सिद्धान्त (1993) के प्रावधानों के अनुसार एक ही लाटरी में आवंटित समान प्रकार के आवासों की लागत का निर्धारण सामान्यतया एक ही प्रकार से किया जाता है लेकिन निर्मित क्षेत्रफल निर्माण अवधि एवं निर्माण कार्य में काम में लिये गये विभिन्न मापदण्डों में भिन्नता होने के फलस्वरूप एक ही लाटरी में आबंटित आवासों विशेष की लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है।

(3) उक्त आवासों की कीमत का निर्धारण राजस्थान आवासन मण्डल में प्रचलित संशोधित लागत सिद्धान्त (1993) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(4) जी हां। इसके संबंध में मण्डल द्वारा अपनी 161वीं बैठक दिनांक 31.8.1992 में मण्डल में बड़ी संख्या में कई वर्षो से पंजीकृत आवेदकों के प्रतीक्षारत रहने के कारण एवं समुचित मात्रा में आवास निर्मित न हो पाने के कारण ऐसे पंजीकृत आवेदकों को निर्मित आवास के अतिरिक्त कुछ विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था। जो केवल उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' के आवेदकों के लिए ही था। जिसमें आबंटित किये जाने वाले भूखण्डों का आकार, बहुमंजिले आवास (ड्यूप्लेक्स) बनाने के लिए मण्डल में प्रचलित प्लाट साइज के अनुसार तथा केवल नकद भुगतान पर आबंटन एवं भूमि की निर्धारित आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आबंटन किये जाने का प्रावधान था। वर्तमान में उक्त योजना प्रचलन में नहीं है क्योंकि मण्डल के पास विभिन्न स्थानों पर काफी मात्रा में आवास उपलब्ध है एवं जहां उपलब्ध नहीं है वहां आवास निर्मित कर शीघ्र आवास उपलबध कराये जा रहे हैं।

(5) आवेदकों द्वारा लाटरी से आवास आबंटन पश्चात् मकान का कब्जा नहीं लेने पर उनके द्वारा जमा सीडमनी सहित समस्त

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

राशि लौटाये जाने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि आवासन मण्डल विभिन्न ऋणदायी संस्थाओं से ऋण लेकर आवास निर्माण करवाता है और जब आवेदक आबंटित मकान नहीं लेता है तो उक्त आवास के पेटे लिये गये ऋण पर ब्याज का दायित्व मण्डल को भुगतान पड़ता है। फलस्वरूप मण्डल में नियमानुसार आबंटन निरस्त होने की दशा में ब्याज नहीं दिया जाता है।

प्रतापनगर सांगानेर (जयपुर) में मध्यम आय वर्ग हेतु निर्मित आवास

900. **श्री सोहन नायक** (रामसिंहनगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रतापनगर सांगानेर में मध्यम आय वर्ग 'अ' श्रेणी के किस वर्ष कितने कितने आवास निर्मित हुए है ?

(2) उक्त योजना में मध्यम आय वर्ग 'अ' की लाटरी कब–कब निकाली गई एवं लाटरी के समय कितने आवास तैयार थे और उक्त में कितने आवेदकों को शामिल किया गया ?

(3) वर्ष 1994 तक उक्त योजना में मध्यम आर्य वर्ग के कौन–कौन से आवेदकों को वरीयता अनुसार सीडमनी हेतु पत्र कब–कब जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापनगर सांगानेर में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 2408 आवास निर्मित हुए, वर्षवार सूची (परिशिष्ट–अ) संलग्न है।

(2) प्रतापनगर सांगानेर में मध्यम आय वर्ग 'अ' को समय–समय पर निकाली गई लाटरी की तिथि, तैयार आवासों संख्या एवं शामिल किये गये आवेदकों की सूचना परिशिष्ट–'ब' पर संलग्न है।

(3) मध्यम आय वर्ग 'अ' में पंजीकृत आवेदकों को वर्ष 1994 तक किराया क्रय पद्धति में वरीयता क्रमांक 671 वैतनिक व 566 अवैतनिक वर्ग के आवेदकों को नकद भुगतान पद्धति में पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी किये गये। शेष 3595 आवेदकों को नीतिगत निर्णय के तहत नगद भुगतान पद्धति में पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी किये गये थे, इनमें से जिन आवेदकों ने पूर्व ग्रहण राशि को देय किस्त जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवा दी थी, उन्होंने आवास का आबंटन वरीयतानुसार कर दिया गया था। आवासों को निर्माण करने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि व अन्य विवरण हेतु परिशिष्ट–'स' संलग्न है।

(सूचियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-901

(स्थगित)

खनन क्षेत्र के विकास एवं सुधार हेतु प्रयास

902. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1996–97 से 2000–2001 तक सरकार को खनिज क्षेत्र से कितनी आय हुई है ?

(2) उक्त अवधि के मध्य खनिज क्षेत्र के विकास एवं आवागमन तथा अन्य आवश्यक विकास और सुधार हेतु क्या प्रयास किये गये।

(3) क्या सरकार मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) वन विभाग से आने वाली कठिनाइयों से सरकार को कितनी हानि हुई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996–97 से 2000–2001 तक सरकार को खनिज से निम्नप्रकार आय हुई :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राजस्व प्राप्ति (अंक लाखों में)
1.	1996–97	रु.2,71,22.83
2.	1997–98	रु.2,92,78.22
3.	1998–99	रु.3,06,14.66
4.	1999–2000	रु.3,49,43.09
5.	2000–2001	रु.3,69,88.38 अनुमानित

(2) वर्ष 1996–97 से 2000–2001 तक की अवधि में खनिज विकास एवं आवागमन हेतु कुल 17 सड़कों का 121.15 किलोमीटर जिसकी कुल लागत 475.44 लाख का निर्माण कराया गया है।

(3) जी हां। वर्तमान में मार्बल नीति 1994 व ग्रेनाइट नीति 1995 प्रभाव में है। भारत सरकार द्वारा ग्रेनाइट कन्जरवेशन एवं डवलपमेंट रूल्स, 1999 लागू कर दिये जाने के कारण संशोधित ग्रेनाइट नीति वर्तमान में विचाराधीन है। इसी प्रकार मार्बल नीति 1994 में भी आवश्यक संशोधन विचाराधीन है।

(4) वन विभाग से आने वाली कठिनाइयों के कारण खनिज के विकास में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 की पालना में वन क्षेत्र में पड़ने वाले खनन पट्टों में कार्य बन्द कराया गया, तथा राज्य सरकार की नीति के अनुसार ऐसे खनन पट्टों से वार्षिक स्थिर भाटक की वसूली नहीं की जा रही है। जिससे राज्य सरकार को स्थिर भाटक के रूप में दिनांक 31.3.2001 तक लगभग रुपये 10.13 करोड़ की हानि हुई है।

थाना मानटाउन (सवाईमाधोपुर) में दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही

903. **श्री प्रभुलाल** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री प्रभुलाल)

(1) क्या जनवरी, 2001 में थाना मानटाउन सवाईमाधोपुर में श्री प्यारेलाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रामसुमेर शर्मा द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में किस–किस को आरोपी बताया गया था तथा पुलिस ने किस–किस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर क्या–क्या धाराएं लगाई और उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त रिपोर्ट के संबंध में अब तक किस–किस व्यक्ति के बयान लिये गये ? बयानों की प्रति व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रिपोर्ट में फरियादी द्वारा उसको जबरदस्ती पकड़ कर टाटा सूमो में डाल कर ले जाने तथा उसके साथ फार्म हाउस पर किस–किस के द्वारा मारपीट करना बताया गया है ? उनके नाम व पते का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त फार्म हाउस के मालिक का नाम व पता क्या तथा फरियादी को उक्त स्थान पर ले जाकर मारपीट करने का कारण क्या था ?

(5) उक्त प्रकरण में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने अभी गिरफ्तार होने शेष हैं ? अब तक गिरफ्तार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 26.1.2001 को प्रातः 11.00 बजे श्री प्यारेलाल पुत्र श्री रामसुमेर शर्मा निवासी क्वार्टर नं. 73/2000 शाहुनगर सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाईमाधोपुर की लिखित रिपोर्ट जिसमें प्रार्थी को जबरन टाटा सूमो गाड़ी में डाल कर डा. अबरार अहमद के फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ डा. अबरार, श्रीमती यास्मीन अबरार,, हुमायूं, कबीर खान, (थानेदार) असरार अहमद ए.पी.पी., एवं अन्य 6 नामजद व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने एवं जबरन शराब पिलाने आदि के सम्बन्ध में अभियोग सं. 39/2000 धारा 147, 232, 365, 342 भा.द.स. थाना मानटाउन पर पंजीबद्ध किया गया। वर्तमान में यह अभियोग सी.आई.डी. (सीबी) में अनुसंधानाधीन है।

(2) दौराने अनुसंधान अब तक प्रार्थी श्री प्यारेलाल शर्मा व गवाह विनोद शर्मा के बयान लिये गये हैं। बयानों की प्रतियां अनुसंधान का हिस्सा होने के कारण सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में एक सफेद रंग की टाटा सूमो गाड़ी में जबरदस्ती ले जाना बताया है। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में विक्रम गुर्जर, खलील अहमद,

(गृह मंत्री)

डा. अबरार अहमद, श्रीमती यास्मीन अबरार, बृजराज सिंह एडवोकेट, बशीर अहमद, कन्हैया पटेल, कुंज बिहारी द्वारा मारपीट करना बताया है।

(4) फार्म हाउस के मालिक का नाम डा. अबरार अहमद पुत्र श्री मोहम्मद ईशाक, जाति मुसलमान एवं उनकी पत्नी श्रीमती यास्मीन अबरार निवासी सवाईमाधोपुर है।

(5) इस प्रकरण में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

थाना सूरतगढ़ में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दर्ज अपराध

904. **श्री हरचन्द सिंह सिद्धू** (पीलीबंगा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री राजेश बेनीवाल सी.आई. तत्कालीन थाना प्रभारी सूरतगढ़ एवं 6 अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध थाना सूरतगढ़ में अपराध पंजीबद्ध हुआ था ? यदि हां, तो किन–किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ ?

(2) क्या तत्कालीन वृत्त अधिकारी सूरतगढ़ ने उक्त प्रकरण अनुसंधान करके साक्ष्य उपलब्ध करवाये कि मुस्तगीस के विरुद्ध कोई अपराध थाना में जैरकार नहीं था ? यदि हां, तो भी उसे हवालात में बन्द रखा और जहां हवालात में मुस्तगीस ने दीवारों पर हर दिन अपने हस्ताक्षर करके तारीख दर्ज की तथा विवरण हालात मौका में अंकित किया है एवं अपराध को प्रमाणित माना है ? यदि हां, तो चालान अदालत में क्यों नहीं पेश हुआ ?

(3) क्या श्री राजेश व अन्य अभियुक्तों ने उक्त प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक से बदलवा कर पुनः अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, रायसिंहनगर से करवाया ? क्या अनुसंधानकर्त्ता ने साक्ष्य संग्रहण करके इस तथ्य को उजागर किया कि मुस्तगीस जब थाना सूरतगढ़ में बन्द था वहां वायरलैस सन्देश जो बाहर गये व आये वे तमाम् बता दिये ? क्या उक्त को थाना के रिकार्ड से प्रमाणीकरण किया गया और चालान की अनुशंसा की गई ? यदि हां, तो चालान अदालत में पेश नहीं करने का क्या कारण था।

(4) क्या तीसरी बार अनुसंधान तब्दील करके श्री धर्मपाल चौधरी अपर पुलिस अधीक्षक को जांच दी गई ? क्या उसमें तमाम् गवाहान पैरवी के बयान उक्त पुलिस अपर अधीक्षक ने अपनी मर्जी से मुलजिमान को बचाने की नीयत से झूठे लिख कर प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट अदमवकू लगा दी जबकि तमाम् उन गवाहों ने अदालत न्यायिक दण्डनायक प्रथम वर्ग सूरतगढ़ में हल्फनामा देकर श्री धर्मपाल चौधरी द्वारा किये अनुसंधान में की गई अनियमितता को उजागर किया ? यदि हां, तो सरकार उक्त अपर

(श्री हरचन्द सिंह सिद्ध)

पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में उक्त मुलजिमान के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री रूलटू सिंह के द्वारा धारा 156 (3) जा.फो. के अन्तर्गत न्यायालय में इस्तागासा पेश किया जो पुलिस थाना सूरतगढ़ में प्राप्त होने पर अभियोग संख्या 73/97 दिनांक 13.2.1997 अन्तर्गत धारा 365, 367, 323, 325 भा.द.स. व 3(7) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत श्री राजेश बेनीवाल पुलिस निरीक्षक एवं अन्य पुलिस कर्मचारीगण के विरुद्ध धारा सूरतगढ़ पर पंजीबद्ध हुआ है।

(2) उक्त अभियोग का प्रारम्भिक अनुसंधान तत्कालीन वृताधिकारी सूरतगढ़ द्वारा किया गया जिन्होंने अपने अनुसंधान में उक्त अभियोग के मुस्तगीस श्री बलवन्त सिंह के विरुद्ध पूर्व में कोई अभियोग थाना सूरतगढ़ में पंजीबद्ध होना नहीं पाया। अनुसंधान के दौरान बनाये नक्शा मौका एवं हालत मौका का विवरण में अनुसंधानकर्ता ने अंकित किया है कि हवालात की दीवारों पर तथा कथित अंकित शब्द दिखाई नहीं देते। अनुसंधान पूर्ण नहीं होने एवं आरोप प्रमाणित नहीं होने से अभियोग का चालान नहीं किया गया।

(3) यह सही नहीं है कि प्रथम बार उक्त अभियोग का अनुसंधान श्री राजेश बेनीवाल व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने सी.ओ. सूरतगढ़ से बदलवाया। वास्तविकता यह हे कि श्री बलवन्त सिंह मुस्तगीस से प्रार्थना पत्र पर अनुसंधान पुलिस अधीक्षक जिला गंगानगर द्वारा अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक रायसिंहनगर को स्थानान्तरित किया। प्रंश्न में अंकित तथ्य के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंहनगर द्वारा किये गये अनुसंधान से मुस्तगीस द्वारा जो वायरलैस संदेश थाना में आये व थाने से प्रसारित किये गये अनुसंधान से एवं थाने के रिकार्ड से अंकित तथ्य प्रमाणित नहीं पाये। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुस्तगीस के परिवारजन व हितबद्ध साक्ष्यों के आधार पर लाल मोहम्मद उप निरीक्षक पुलिस, बलदेव सिंह, महावीर सिंह, महेन्द्र पाल, गुरुमेल सिंह के विरुद्ध जुर्म धारा 343, 323, 147, 149 भा.द.स. व श्री राजेश बेनीवाल पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध धारा 343 भा.द.स. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित माना है। इस दौराने उक्त अभियोग का अनुसंधान इनसे स्थानान्तरित किये जाने के कारण अभियोग में अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई।

(4) श्री राजेश बेनीवाल के प्रार्थना पत्र पर उक्त अभियोग का अनुसंधान अतिरिक्त

(गृह मंत्री)

पुलिस अधीक्षक रायसिंहनगर, से स्थानान्तरित कर पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गंगानगर के सुपुर्द किया गया। यह सही नहीं है कि उक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी गवाहान के बयान अपनी मर्जी से मुलजिमान को बचाने के लिए झूठे लिखे। अनुसंधान से आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से इस अभियोग में एफ.आर. अदमवक़ू में दी जाकर दिनांक 22.10.1997 को न्यायालय में पेश की गई। मुस्तगीस द्वारा इसमें प्रसंज्ञान लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाने पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के पश्चात् यदि कोई दोषी पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) यह प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही इस प्रकारण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत चित्रावास (उदयपुर) में पुलिस चौकी की स्थापना

905. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को जिला उदयपुर की तहसील गोगुन्दा की पंचायत चित्रावास में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब और पुलिस चौकी कब खोली जायेगी तथा उसमें कौन–कौन से गांव सम्मिलित किये गये हैं ?

(2) क्या सरकार चित्रावास में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में और कहां–कहां से पुलिस चौकी स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार को जिला उदयपुर के तहसील गोगुन्दा की पंचायत चित्रावास में पुलिस चौकी सृजित करने का प्रस्ताव अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस पुनर्गठन एवं तकनीकी सेवाएं राजस्थान, जयपुर के पत्रांक ए–22/पुनर्गठन/एलोकेशन/2000 दिनांक 7.11.2000 से राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है इस चौकी के अन्तर्गत 18 गांव सम्मिलित हैं, गांव के नाम जनसंख्या एवं आपराधिक विवरण सहित परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है। वित्तीय संसाधनों की कमी से उक्त चौकी का सृजन करना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी से सम्भव नहीं है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में चित्रावास के अलावा अन्य कहीं पुलिस

(गृह मंत्री)

चौकी स्थापित करने के प्रस्ताव किसी भी स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के सरकारी टेलीफोन एवं गाड़ी के उपयोग की जांच

906. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 3 नवम्बर, 2000 से 7 नवम्बर, 2000 तक पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ ने पुलिस उप–अधीक्षक नोहर से एवं पुलिस उप–अधीक्षक नोहर के पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ से अपने टेलीफोन से कितनी बार, कब–कब किस–किस समय एवं कितनी–कितनी देर तक बात की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उप–अधीक्षक पुलिस, नोहर ने कब–कब, कहां–कहां अपनी गाड़ी का उपयोग किया है ? लागबुक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 3 नवम्बर, 2000 से 7 नवम्बर, 2000 तक पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा सरकारी टेलीफोन 50003 से पुलिस उप अधीक्षक, नोहर से कुल दो बार वार्ता की गई है। विवरण इस प्रकार है :

क्र स.	दिनांक	वार्ता करने वाला अधिकारी	किस नम्बर पर वार्ता की गई	किस अधि. से वार्ता की गई	कब से कब तक वार्ता की गई	कितने समय वार्ता की गई
1.	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.2000	पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़	20056	सी.ओ.नोहर	11.35	—
2.	4.11.2000	–यथा–	20056	सी.ओ.नोहर	10.35	—

3 नवम्बर, 2000 से 7 नवम्बर, 2000 तक पुलिस उप अधीक्षक सी. ओ. नोहर द्वारा सरकारी टेलीफोन 20056 से पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ से कुल 4 बार वार्ता की गई। विवरण निम्नप्रकार है :

1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.2000	सी.ओ. नोहर	50003	पुलिस अधी. हनुमानगढ़	11.31 से 11.34	3 मिनट

(गृह मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
2.	3.11.2000	सी.ओ. नोहर	50003	पुलिस अधी. हनुमानगढ़	13.34 से 13.35	1 मिनट
3.	4.11.2000	–यथा–	50004	–यथा–	10.15 से 10.20	5 मिनट
4.	7.11.2000	–यथा–	50004	–यथा–	10.10 से 10.11	1 मिनट

(2) उक्त अवधि में उप अधीक्षक पुलिस, सी.ओ. नोहर के द्वारा गाड़ी जिप्सी नं. आर.जे. 31सी 1132 का उपयोग का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स.	दिनांक	जिप्सी का कहां–कहां उपयोग किया गया
1.	3.11.2000	6 ए.एम.पर रवाना होकर मौजा असरजाना से नोहर से भादरा से वापस नोहर 9 पी.एस. पहुंचा। रात्रि में नोहर रहा। वास्ते शांति व्यवस्था ड्यूटी भादरा में पहुंचा व बाद गश्त वापस आया।
2.	4.11.2000	4.30 ए.एम. नोहर से रवाना होकर कस्बा नोहर, भादरा नोहर 11.15 पी.एम. पहुंचा। रात्रि नोहर रहा। वास्ते इन्तजाम ड्यूटी इ.गा. नं. मंत्री बी.डी.कल्ला।
3.	5.11.2000	12.15 पी.एम. नोहर से रवाना होकर थाना नोहर से भादरा, कस्बा भादरा से सरदार गढिया रात्रि रहा। वास्ते करने आकस्मिक निरीक्षण व इन्तजाम ड्यूटी।
4.	6.11.2000	5.30 ए.एम. सरदार गढिया से रवाना होकर नोहर से भादरा से वापस नोहर, रात्रि में नोहर रहा। वास्ते किसानों द्वारा जिला बन्द आन्दोलन में सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी दी।
5.	7.11.2000	7.15 ए.एम. नोहर से रवाना होकर भादरा, रात्रि में भादरा रहा वास्ते देने इन्तजाम ड्यूटी।

लागबुक की प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रखी दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बारां में उप सरपंचों के विरुद्ध दर्ज अभियोगों की जांच

907. **श्री भाणजी** (दानपुर) एवं **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बारां में गत तीन वर्षो में किन–किन उप–सरपंचों के विरुद्ध कौन–कौन सी धाराओं में अभियोग दर्ज किये गये हैं ?

(2) क्या किये गये अभियोगों में जांच पूर्ण कर चालान पेश कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बारां में वर्ष 1998 से 31 मार्च, 2001 तक निम्न उप सरपंचों के विरुद्ध कुल 10 अभियोग पंजीबद्ध किये गये :

1. श्री सत्ये उर्फ गिर्राज पुत्र पृथ्वीराज सिंह निवासी बटावदा के विरुद्ध अभियोग संख्या 317/98 धारा 19/54 एक्साइज एक्ट थाना सदर जिला बारां।
2. श्री सत्ये उर्फ गिर्राज पुत्र पृथ्वी राज सिंह निवासी बटावदा के विरुद्ध अभियोग संख्या 318/98 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर जिला बारां।
3. श्री मुरारी लाल पुत्र शिवनारायण नि. फतेहपुर के विरुद्ध अभियोग संख्या 152/99 धारा 436 भा.द.स. एवं एससी/एसटी एक्ट थाना सदर जिला बारां।
4. श्री रामदयाल पुत्र रामनारायण नि. कडैयावन के विरुद्ध अभियोग संख्या 359/99 धारा 365, 342, 347, 147, 149 भा.द.स. थाना छबड़ा जिला बारां।
5. श्री प्रेमनारायण पुत्र हरनारायण धाकड़ नि. हनुमतखेड़ा, उप सरपंच चांचोड़ा के विरुद्ध अभियोग संख्या 292/99 धारा 147, 148, 149, 341, 324, 504 भा.द.स. थाना छबड़ा जिला बारां।
6. श्री प्रेमनारायण पुत्र हरनारायण धाकड़ नि. हनुमतखेड़ा उप सरपंच चांचोड़ा के विरुद्ध अभियोग संख्या 374/2000 धारा 147, 148, 427, 504, भा.द.स. थाना छबड़ा जिला बारां।
7. श्री कोमल प्रसाद पुत्र नाथूलाल धाकड़ नि. नाहरगढ़ के विरुद्ध अभियोग संख्या 93/2000 धारा 447, 379 भा.द.स. थाना नाहरगढ़ जिला बारां।
8. श्री रामदयाल पुत्र रामनारायण धाकड़ नि. कडईयावन के विरुद्ध अभियोग संख्या 214/98 धारा 447, 427 भा.द.स. थाना छाबड़ा जिला बारां।
9. श्री मो. रफीक पुत्र मो. हनीफ नि. बड़ोरा के विरुद्ध अभियोग संख्या 38/2001 धारा 349 भा.द.स. एवं 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 थाना मोठपुर जिला बारां।

(गृह मंत्री)

10. श्री बन्टी उर्फ विवेक पुत्र भगवान तिवारी नि. खेडलीगंज अटरू के विरुद्ध अभियोग संख्या 408/2000 धारा 147, 149, 332, 353, 379 भा.द.स. थाना अटरू जिला बारां।

(2) कुल दर्ज 10 अभियोगों में से 4 में चार्जशीट दी जा चुकी है, 3 अभियोगों में एफ.आर. दी गई है तथा 3 अभियोगों में अनुसंधान जारी है।

रणथम्भौर बाघ परियोजना में अवैध खनन की जांच

908. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोर एरिया रणथम्भौर बाघ परियोजना से सटी खानों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ब्लास्टिंग एवं खनन कार्य अब तक चालू है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों से दण्डात्मक राशि पैनल्टी की वसूली करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोर एरिया रणथम्भौर बाघ परियोजना से सटे वन क्षेत्र में चल रही खानें दिनांक 12.12.1996 के माननीय उच्चतम न्यायाल के आदेश के अनुसार बन्द करवा दी गई थी। परन्तु उनमें से 8 खानें अधीनस्थ न्यायालयों से अस्थाई/स्थाई स्थगन आदेश दे दिये जाने के कारण खनन कार्य चालू है। इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, और न ही कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(2) मामला न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण फिलहाल दण्डात्मक राशि वसूल करना उचित नहीं है।

वन जीव सलाहकार मण्डल की आयोजित बैठकें

909. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 'राजस्थान वन–जीव सलाहकार' मण्डल गठित किया हुआ है ? यदि हां, तो कब से, इसके सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डल की गत बैठक कब हुई थी ?

(3) क्या यह सही है 'वन–जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन प्रत्येक राज्य में ऐसे सलाहकार मण्डलों का गठन किया

(श्री दिग्विजय सिंह)

हुआ है और अधिनियम के अनुसार वर्ष में कम से कम 'दो' बार बैठक होना अनिवार्य है ?

(4) क्या यह सही है कि 'राज्य वन–जीव सलाहकार मण्डल' की वर्ष 1998 से मार्च, 2001 तक एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान राजस्थान वन्य जीव सलाहकार मण्डल का गठन दिनांक 5.9.1998 को किया गया है। इसके सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान वन्य जीव सलाहकार मण्डल की गठन बैठक दिनांक 6.5.1998 को हुई थी।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। वर्ष 1998 में राज्य वन्य जीव सलाहकार मण्डल की बैठक दिनांक 6.5.1998 को हुई थी। उसके बाद दिनांक 17.11.1999 को मीटिंग रखी जाने बाबत नोटिस जारी किया गया था किन्तु अपरिहार्य कारणों से बैठक नहीं हो सकी। उसके पश्चात् पुनः दिनांक 15.5.2000 एवं दिनांक 22.11.2000 को उक्त मण्डल की बैठक रखे जाने का निर्णय लिया गया था किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यह बैठकें भी आयोजित नहीं की जा सकी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगरपालिका भादरा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

910. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र भादरा के मुख्य मार्गो की सड़क क्षतिग्रस्त है ?

(2) उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत का कार्य नगरपालिका का है अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों का निर्माण करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) अब उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका भादरा के आबादी क्षेत्र में अस्पताल से भादरा–साहवा सड़क व हिसार–पीलीबंगा सड़क दो मुख्य मार्ग है जो पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आंशिक क्षतिग्रस्त है।

(2) उक्त दोनों सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।

(3) व (4) सड़क संधारण योजना के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अन्तर्गत वर्ष 2001–2003 की अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों पर मरम्मत कार्य किया जना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया की सड़कों की मरम्मत

911. **श्री नगराज** (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में ग्राम सड़क व राज मार्ग की कितनी लम्बाई है ?

(2) डामर सड़कों की मरम्मत पर कुल लागत की कितनी प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान होता है ?

(3) गत दो वर्षों में कुल कितनी राशि पेच कार्यो पर व्यय की गई है ?

(4) क्या व्यय की गई राशि अनुपात स्वरूप पूर्ण थी ?

(5) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और इस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 84 कि.मी. व राज्य मार्ग की लम्बाई शून्य है।

(2) डामर सड़कों की मरम्मत के लिए कुल लागत का प्रतिशत का प्रावधान न होकर सड़क नीति के अनुरूप राज्य मार्गो के लिए प्रति कि.मी. रुपये 34,870/– से रुपये 44,240/– प्रति वर्ष एवं अन्य सड़कों के लिए प्रति कि.मी. रुपये 30,150/– प्रतिवर्ष (1993 के मूल्य सूचकांक पर आधारित) व्यय करने का प्रावधान निर्धारित है।

(3) गत दो वर्षो में पेच रिपेयर कार्यो पर वर्ष 1999–2000 से 15.33 लाख रुपये व वर्ष 2000–2001 में 24.09 लाख रुपये व्यय किये गये। इस प्रकार गत दो वर्षो में 39.42 लाख रुपये व्यय किये गये।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। राज्य सरकार की सड़क संधारण नीति के अनुसार दो वर्षों (2001–2002 व 2002–2003) में सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाने का लक्ष्य है, राशि का निर्धारण विचाराधीन है।

पंचायत समिति पीपलखूंट व घाटोल की सड़कों का डामरीकरण

912. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालय पीपलखूंट से दानपुर वाया घोड़ीतेजपुर सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक

(श्री नानालाल नीनामा)

और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) से बांसवाड़ा सड़क मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत डूंगर से बांसलीखेड़ा के अपूर्ण डामरीकरण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2003 की अवधि में क्षतिग्रस्त सड़क पर नवीनीकरण एवं पेच मरम्मत किया जाना विचाराधीन है।

(2) प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) से बांसवाड़ा सड़क मार्ग स्टेट हाईवे नं. 4 पूर्व से ही घोषित है।

(3) ग्राम डूंगर डामर सड़क पर स्थित है तथा ग्राम बांसलोखेड़ा (519/91) ग्राम डूंगर से ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है तथा दूसरी ओर से मेटल से जुड़ा हुआ है। जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डामर सड़क से जोड़ा जाना वर्ष 2007 तक प्रस्तावित है। दोनों ग्रामों को सीधा जोड़ा जाना नीति अनुसार वर्तमान में अपेक्षित नहीं है फिर भी यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी व बाली की प्रस्तावित सड़कें

913. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी व बाली में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत गत वर्ष में किन–किन सड़कों हेतु योजना बनाई गई ? नाम अनुमानित राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में कौनसी सड़कें बनाने का प्रावधान है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी व बाली में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत गत वर्षो में जिन सड़कों की योजना बनाई गई थी उसकी सूची (नाम व स्वीकृत राशि सहित) परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में कुल 8 सड़के नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ.–6 योजना में बनाने का प्रावधान है जिसकी सूची प्रपत्र 'ख' में सलंग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सड़कों की मरम्मत पर व्यय

914. **श्री बाबूलाल सिंगारिया** (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कितनी सड़कें हैं ? उक्त सड़कों की मरम्मत कब–कब की गई व मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में 334.08 कि.मी. लम्बाई की कुल 37 सड़कें हैं। उक्त सड़कों की मरम्मत पर वर्षवार व्यय का विवरण परिशिष्ट–'अ' में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

देवस्थानों हेतु सड़क निर्माण

915. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार देवस्थानों को सड़क से जोड़ने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी. नहीं।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर के सड़क मार्गो का सुदृढ़ीकरण

916. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सड़क मार्गो के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रायपुर के कौन–कौन से सड़क मार्ग प्रस्तावित किये जा रहे है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) झाला की चौकी से कानूजा, बर से गिरी, चण्डावल नगर से खोड़िया, जस्सा खेड़ा से हरीपुर, राजपुर से कुशालपुर, ब्यावर से बलाड़ा सड़क मार्गो का किस–किस वर्ष में निर्माण हुआ ? उक्त सड़क मार्गो में से किस–किस सड़क मार्ग को उक्त योजना में सम्मिलित किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर में राज्य की सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2003 की अवधि में नवीनीकरण हेतु विचाराधीन सड़कों की सूची परिशिष्ट–'क' में संलग्न है।

(2) प्रश्न में वर्णित सड़क मार्गो का निर्माण निम्नानुसार वर्षो में हुआ :

1– झाला की चौकी से	1988–1989
कानूजा से	1991–1992
2– बर से गिरी	1994–1995
3– चण्डावल नगर से खोड़िया	1995–1997
4– जस्सा खेड़ा से हरीपुर (रायपुर से जस्सा खेड़ा)	

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(0/0 किमी. रायपुर पर)
1.किमी 0/0 से 13/0 1988—1989
2.किमी. 13/0 से 29/0 1997—1998
से 2000—2001

5. रायपुर से कुशालपुरा 1987—1988
6. बलाड़ा ब्यावर सड़क 1994—1995
से 2000—2001

उपरोक्त सभी सड़कों के क्षतिग्रस्त भाग को राज्य की सड़क संधारण योजनान्तर्गत वर्ष 2001—2003 में विचाराधीन है। विवरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अकाल राहत में निर्मित अपूर्ण सड़कें

917. **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्मण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अकाल राहत में कितनी सड़कें निर्माणाधीन थीं और उक्त में से कितनी पूर्ण हुई तथा कितनी अपूर्ण हैं ?

(2) क्या सरकार गत वर्ष की अपूर्ण सड़कों को इस वर्ष अकाल राहत में पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि टस्फोला से पावटा बूचारा सड़क अल्प बचत तथा अकाल राहत राशि से गत वर्ष निर्माणाधीन थी और वह अपूर्ण थी ? क्या इस वर्ष उक्त सड़क कार्य को पुनः अकाल राहत एवं अल्प बचत की शेष राशि से पूर्ण कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि द्वारिकापुरा गुलाबगढ़ सड़क गत वर्ष विधायक कोष, अकाल राहत राशि से शुरू की गई थी, वह भी अपूर्ण है और विधायक कोटे की राशि भी शेष है ? उक्त सड़क कब तक पूर्ण करा दी जावेगी ? क्या इस वर्ष भी अकाल राहत से "डोबटेल" किये जाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष सम्वत् 2056 में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अकाल राहत में कुल 49 सड़कें निर्माणाधीन थी जिसमें तीन कार्य पूर्ण एवं 46 कार्य अपूर्ण रहे।

(2) उक्त अपूर्ण सड़कों में से पूर्ण कराने हेतु इस वर्ष 6 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बाकी अपूर्ण कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त अपूर्ण सड़क कार्य को पुनः अकाल राहत एवं अल्प बचत की शेष राशि से पूर्ण करने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(4) जी नहीं। द्वारिकापुरा से जीणगौतू के नाम से गत वर्ष ग्रेवल सड़क की स्वीकृत अकाल राहत में सम्वत् 2056 में प्राप्त हुई

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

थी जो गत वर्ष अपूर्ण रही एवं इस वर्ष पुनः स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसका कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

918. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर एवं कोटड़ी में कितनी कितनी सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की है ? गत दस वर्षों में उक्त सड़कों पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 में उक्त सड़कों की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की जावेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र की तहसील जहाज़पुर में 15 सड़कें एवं कोटड़ी तहसील में 11 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की हैं जिन पर गत दस वर्षों में क्रमशः 252.99 लाख एवं 69.98 लाख की राशि व्यय की गई है। विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों में से कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिन्हें राज्य सड़क संधारण योजना के तहत वर्ष 2001–2003 की अवधि में साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य की राशि का निर्धारण विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

लोक अभियोजक, करौली के विरुद्ध जांच

919. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली में पदस्थापित लोक अभियोजक के विरुद्ध शिकायत पर जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना करौली में प्रकरण संख्या 267/98 दर्ज है जिसमें उक्त व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मी के विरुद्ध कोर्ट आफ कण्डक्ट का मामला अपील संख्या 30/97 में बार काउंसिल आफ इण्डिया में विचाराधीन है ?

(4) क्या सरकार ऐसे संदिग्ध प्रकृति वाले लोक अभियोजक को अपने पद से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला मजिस्ट्रेट ने अपने पत्र में यह अंकित किया है कि श्री नगेन्द्र व्यास, लोक अभियोजक, करौली की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक निदेशक, अभियोजन करौली से जांच करायी गई तथा जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता मगन सिंह की शिकायत निराधार है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) जांच रिपोर्ट के अनुसार यह सही है कि पुलिस थाना करौली में मु.नं. 267/98 श्री नगेन्द्र व्यास के विरुद्ध दर्ज कराया गया। किन्तु जांच रिपोर्ट के अनुसार इसमें पुलिस ने जांच के बाद अंतिम सूचना न्यायालय में पेश कर दी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) उक्त कर्मी के विरुद्ध कोड आफ कण्डक्ट का मामला बार काउंसिल आफ राजस्थान से रिजेक्ट होने पर बार काउंसिल आफ इण्डिया में अपील विचाराधीन होना जांच अधिकारी द्वारा बताया गया है। बार काउंसिल आफ इण्डिया से कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

(4) जी नहीं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला श्रीगंगानगर में अपूर्ण ग्रिड सब स्टेशन

920. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में वर्तमान में 110 मेगावाट की मांग के विपरीत मात्र 65 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध करवाई जा रही है ? क्या सरकार उक्त व्यवस्था को सुचारू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर तक 220 के.वी. लाइन एवं कृषि उपज मण्डी समिति श्री गंगानगर में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के लम्बित कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, क्यों ?

(3) क्या सरकार जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर पर कनिष्ठ अभियन्ताओं,तकनीकी स्टाफ के कर्मचारियों की कमी को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में विद्युत की चरम मांग लगभग 100 मेगावाट है। वर्तमान में विद्युत उपलब्धतानुसार आपूर्ति 85—94 मेगावाट तक चल रही है। राज्य में विद्युत संसाधनों की कमी की वजह से विद्युत की कुल उपलब्धता व मांग में अन्तर रहता है।

(ऊर्जा मंत्री)

राज्य के गंगानगर जिले में भी राज्य के अन्य भागों के अनुरूप ही कमी रहती है।

राज्य सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने हेतु सतत् प्रयास कर रही है इसके लिए राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों तथा उत्तरी ग्रिड से महंगी बिजली खरीद कर अधिकतम विद्युत उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये फिर भी मांग अधिक होने से इसके अनुरूप विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाई।

(2) जी हां। सूरतगढ़ से उद्योग विहार (श्रीगंगानगर) तक 220 के.वी. की 60 कि.मी. लम्बी लाइन का निर्माण कियां जा रहा है जिसका कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है एवं 220 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन उद्योग विहार वर्ष 2001–2002 में चालू होने की संभावना है। श्रीगंगानगर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क भूमि देने के आश्वासन पर 33 के.वी. सब स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 1999–2000 में शुरू किया गया था। परन्तु बाद में माह अक्टूबर, 1999 में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा तत्कालीन विद्युत मण्डल से भूमि की कीमत 61 लाख रुपये मांगी गई जिसके भुगतान न करने के कारण उसका कार्य रुकवा दिया गया। यदि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जावे तो उक्त कार्य सामान की उपलब्धतानुसार शीघ्र करवा दिया जावेगा।

(3) श्रीगंगानगर जिले में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद स्थानान्तरण प्रतिबन्ध हटने पर यथासंभव भर दिये जायेंगे। तकनीकी कर्मचारियों के वर्तमान में 74 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष मुख्यालय श्रीगंगानगर में वर्तमान में 140 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत है। अतः तकनीकी कर्मचारियों की कमी नहीं है।

जिला जालौर में रोड लाइट हेतु पोल

921. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला जालौर में इस वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति मौहल्लों में रोड लाइट हेतु विद्युत पोल लगाये हैं ? यदि हां, तो किन–किन गांवों में कितने पोल लगाये ?

(2) क्या उक्त पोल समाज कल्याण विभाग द्वारा आबंटित राशि से विद्युत निगम द्वारा लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त हेतु कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के मौहल्लों में घरेलू कनेक्शन 2 वायर ही खींचे जाते हैं और अन्य मौहल्लों में तीन वायर खींचे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला जालौर के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 में अनुसूचित जाति/जनजाति के

(ऊर्जा मंत्री)

मौहल्लों में कुल 37 पोल लगाये गये हैं जिनका ग्रामवार विवरण निम्नप्रकार है :

क्र. सं.	गांव/शहर का नाम	मौहल्ले का नाम	लगाये गये विद्युत पोल की संख्या
1.	सरदारशहर	भील जोगी बस्ती	6 नग
2.	जालौर	मेघवाल भील बस्ती (राजा प्रताप नगर)	14 नग
3.	सांकरना	मेघवाल बस्ती	12 नग
4.	कलापुरा	मेघवाल बस्ती	5 नग

(2) जी नहीं। यह कार्य जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा किया गया है और इस पर रुपये 1,80,221/–व्यय हुए हैं।

(3) जी नहीं। अनुसूचित जाति/जनजाति मौहल्लों में भी अन्य स्थानों के अनुसार उपभोक्ताओं के विद्युत भार को ध्यान में रखते हुए ही दो, तीन या चार तार खींचे जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर में नये ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना

922. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर के पिपलिया कलां, बर, रायपुर तथा चण्डावल नगर में ग्रिड सब–स्टेशन बने हुए हैं ? क्या उक्त स्टेशनों में विद्युत की छीजत व विद्युत आपूर्ति अनियमित होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के गिरी, रामराकलां, कोट बिराण, सीरमा, बगड़ी, बेलपत, कलालियां तथा आसन जिलेलाव के मध्य गांव बगड़ी में प्रसारण व्यवस्था सुधार के दृष्टिकोण से ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायपुर अन्तर्गत पिपलियां कलां, बर रायपुर व चण्डावल नगर में कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों से की जा रही विद्युत आपूर्ति अनियमित नहीं है। जिन 11 के.वी. लाइनों के वोल्टेज रेग्युलेशन व छीजत अधिक है उनके वी. आर. व छीजत कम करने के लिए एक योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 11 के.वी. की नई लाइन खेंच कर स्थापति लाइनों का भार कम किया जाना प्रस्तावित है। योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। इसके पूर्ण होने पर छीजत में कमी होगी व विद्युत वितरण व्यवस्था में और सुधार होने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

(2) उक्त प्रश्न में वर्णित गांवों के मध्य

(ऊर्जा मंत्री)

स्थित गांव बगड़ी में ग्रिड सब स्टेशन बनाना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं पाया गया है। इस क्षेत्र में जिन 11 के.वी. लाइनों की विद्युत व्यवस्था में सुधार आवश्यक है, उसके लिए अतिक्ति लाइन खेंचने का प्रावधान किया गया है।

सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण के प्रस्तावित कार्य

923. **श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार गत वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी अनुदान पर 3400 या उससे ज्यादा घरों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार छह करोड़ के अनुदान से दस हजार घरों में सौर ऊर्जा से उजाला करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्ष 2001—2002 में कितने संयत्रों के लिए सरकार ने बजट में राशि का प्रावधान किया है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वर्ष 2001—2002 में 1000 सौर घरेलू लाइटिंग सिस्टम स्थापित किये जायेंगे।

(2) जी नहीं। क्योंकि वर्ष 2001—2002 में 1000 सौर घरेलू लाइटिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु ही प्रावधान रखा गया है।

(3) वित्तीय वर्ष 2001—2002 में 1000 सौर घरेलू लाइटिंग सिस्टम के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है।

विधान सभा क्षेत्र नावां में निःशक्तों को पेंशन

924. **श्री हरिशचन्द्र** (नावां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्ष 2000—2001 में निःशक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत की गई है ? उक्त पेंशन राशि के भुगतान के क्या—क्या प्रयत्न किये गये ? क्या निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्ष 2000—2001 में निःशक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत 175 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है जिनमें से 166 व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है तथा 9 स्वीकृतियों का भुगतान संबंधित पेंशनर/व्यक्ति के पेंशन भुगतान प्राप्त करने कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से भुगतान करना शेष है।

विधान सभा क्षेत्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते, आवेदन करने वालों को जो पेंशन स्वीकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है उसके पेंशन भुगतान आदेश जारी कर दिये जाते हैं।

होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जोधपुर में अनियमितताएं

925. **श्री बंशीलाल गहलोत** (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1989–90 में जोधपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार में कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थीं ? यदि हां, तो क्या भर्ती में नियमों की पालना की है ? क्या रोस्टर नियम एवं आयु संबंधी नियमों का उल्लंघन नियुक्तियों में किया है ? यदि हां, तो क्यों और महाप्रबन्धक कौन थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1989–1990 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख है कि भण्डार प्रशासन द्वारा अति आवश्यक सप्लाई खाते अधूरे रखे गये ? यदि हां, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी क्यों नहीं निश्चित की गई ? क्या अधूरे रजिस्टरों के कारण अब तक लाखों की लेनदारी–देनदारी का सही ज्ञान नहीं हो रहा है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1989–1990 की अनियमितताओं के इन्द्राज रिकार्ड में वर्ष 1998–1999 में किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1998–1999 व 1999–2000 में कम्प्यूटर कार्य एवं निर्माण कार्य तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बिना बोर्ड से पुष्टि कराये एवं नियमों के विपरीत करवाये हैं ? क्या उक्त संबंध में सरकार कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त महाप्रबन्धक ने जैसलमेर कोआपरेटिव बैंक में कार्य करते हुए नियुक्तियों से संबंधित पत्रावली के पन्ने गुम किये ? क्या उक्त की रिपोर्ट पुलिस थाना जैसलमेर में दर्ज है ? क्या सकरार ने अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1998–1990 में जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार लि. जोधपुर में कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थीं। भर्ती में नियमों एवं आयु संबंधी नियमों की पालना नहीं करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच आदेश दिनांक 9/15.1.2001 द्वारा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) सहकारी समितियां, राजस्थान से कराई जा रही है। भंडार में रोस्टर आदेश क्रमांक फा. 15(7)सविरा/नियम/पार्ट–स दिनांक 18.9.1989 द्वारा लागू किये गये। उक्त वर्ष में की गई नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया उक्त आदेश लागू होने से

(सहकारिता मंत्री)

पूर्व पूर्ण कर ली गई थी। वर्ष 1989–1990 में भंडार में निम्न महाप्रबन्धक कार्यरत रहे :

1. श्री शांतिलाल वालिया, निरीक्षक (कार्य.) 1.4.1989 से 28.4.1989
2. श्री सुरेश चारण, सहायक रजिस्ट्रार 20.4.89 से 15.1.1990
3. श्री रतन सिंह तवंर निरीक्षक (कार्य.) 15.1.90 से 31.3.1990

(2) जी हां। वर्ष 1989–1990 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख है कि भण्डार प्रशासन द्वारा अति आवश्यक सप्लाई खाते अधूरे रखे गये। इस प्रकरण में प्राप्त शिकायतों की जांच आदेश दिनांक 9/15.1.2001 द्वारा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी, हां। वर्ष 1989–1999 में वर्ष 1989–1990 की लेखा त्रुटियों के समायोजन इन्द्राज आडिट रिपोर्ट वर्ष 1991–92 के सुझावानुसार किये गये हैं।

(4) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच अतिरिक्ति रजिस्ट्रार (प्रथम) से आदेश दिनांक 9/15.1.2001 द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(5) जी नहीं। जैसलमेर सेंट्रल कोओपरेटिव बैंक की स्टापिंग पैटर्न तथा नियुक्ति चयन संबंधी पत्रावली के कुछ पन्ने जिला कलेक्ट्रेट से वापस आते समय तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक एवं उक्त महाप्रबन्धक के हाथ से नीचे गिर जाने पर पत्रावली से निकल गये थे, जिसकी प्राथमिकी बैंक द्वारा पुलिस थाना जैसलमेर में क्रमांक 1437 दिनांक 30.12.1997 को दर्ज करा दी गई थी, जो अन्वेषणाधीन है। उक्त अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकरण में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

क्रय विक्रय सहकारी समिति बहरोड (अलवर) में अनियमितताएं

926. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या बहरोड (अलवर) की क्रय–विक्रय सहकारी समिति में कोई अनियमितता पाई गई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त दोषियों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां। बहरोड क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. में वर्ष 1999–2000 के स्टाक भौतिक सत्यापन के दौरान दिनांक 8.6.2000 को श्री ओम प्रकाश यादव सेल्समैन कम स्टोर कीपर को 358791.50 रुपये मूल्य के खाद–बीज स्टाक अपहरण का दोषी पाये जाने की अनियमितता पाई गई थी। दोषी कर्मचारी श्री यादव से उक्त राशि निम्न प्रकार जमा करावाकर वसूली की कार्यवाही की गई :

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	रसीद क्रमांक.	दिनांक	राशि	रोकड़ पृष्ठ संख्या
1.	1867	10.6.2000	55300/–	20
2.	1870	29.2.2000	49500/–	43
3.	1871	1.8.2000	50500/–	45
4.	1887	12.8.2000	50000/–	52
5.	1888	16.8.2000	40000/–	53
6.	1889	19.8.2000	110000/–	54
7.	1890	17.10.2000	3491.50	79
		योग	358791.50	

भूमि विकास बैंकों में वसूलियों का स्थगन

927. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंकों की वसूलियां का स्थगन सिर्फ टैक्ट्रर ऋण में ही दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लघु सिंचाई योजना में कुओं के ऋण/पम्प सैट ऋण में स्थागन नहीं दिया है ?

(3) क्या सरकार अकाल की स्थिति में कुओं के ऋण एवं पम्प सैट के ऋण में भी स्थगन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नाबार्ड के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वसूली के स्थगन का लाभ ट्रैक्टर के साथ–साथ डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़पालन, थ्रेसर, फल वृक्षारोपण, मछलीपालन, नाली निर्माण, ऊंटगाड़ी व बैलगाड़ी इत्यादि के बकाया ऋणों में भी दिया जाता है।

(2) जी, हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र में लगान माफ नहीं करने से लघु सिंचाई उद्देश्यों हेतु प्रदत्त ऋणों की वसूली स्थगन की नाबार्ड द्वारा अनुमति नहीं प्रदान करने के कारण वसूली नहीं की गई है।

(3) प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति मीठड़ी (लाडनूं) की अनियमितताओं की जांच

928. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति मीठड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर के अध्यक्ष द्वारा विभाग के अधिकारियों व मंत्री महोदय को अनियमितताओं की शिकायतें की गई ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच कब किस के द्वारा की गई और नहीं, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह भी सही है कि बार–बार शिकायतें करने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों तथा अब क्या कार्यवाही किस–किस के विरुद्ध कब तक की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त शिकायतें प्राप्त होने पर नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिनांक 4.1.2001 तथा 11.4.2001 को सहायक अधिशासी अधिकारी, लाडनूं को जांच अधिकारी नियुक्त कर उक्त शिकायतों की जांच करवायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.4.2001 को बैंक को प्रस्तुत किया गया है। जांच रिपोर्ट में शिकायतों को निराधार पाया गया। जांच रिपोर्टों की प्रतियां परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जांच रिपोर्ट में शिकायतों को निराधार पाया गया है, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अकालग्रस्त गांव

929. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र छबड़ा को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में गिरदावरी अन्तर्गत फ़सलों में 50 प्रतिशत से कम खराबा होने के कारण किसी भी ग्राम को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

जिला जयपुर में अकाल राहत समान की चोरी

930. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में पूर्व में चलाये गये अकाल राहत कार्यों में पहाड़ों से मजदूरों द्वारा तोड़ कर एकत्र किया गया पत्थर, रोड़ी मोहरम हजारों टन की मात्रा में अकाल राहत कार्य जल्दी बन्द हो जाने के कारण वहीं की वहीं पड़े रह गये ? यदि हां, तो जयपुर जिले के किस–किस पहाड़ी क्षेत्र या अन्य स्थानों पर उक्त प्रकार की पत्थर, रोड़ियां, मोहरम कितनी–कितनी मात्रा में पड़ी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लोग उक्त पड़े पत्थर, रोड़ी, मोहरम को चोरी करके निजी प्रयोग के लिए ले जा रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया

(श्री कन्हैया लाल)

और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों

(3) उक्त चोरी गई अकाल राहत सामग्री के लिए विभाग के कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि, नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक एवं क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में पूर्व में चलाये गये अकाल राहत कार्यो के बन्द हो जाने के कारण संलग्न सूची अनुसार सामग्री मौके पर पड़ी रही जिसका उपयोग सम्वत् 2057 के अकाल राहत कार्यो में किया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी नहीं। इस प्रकार का कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(3) इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

अकाल राहत कार्यों में लगे श्रमिकों की बढ़ोतरी की सूचना

931. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों में समय–समय पर मजदूरों की बढ़ोतरी सम्बन्धी सूचना जन प्रतिनिधियों को जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त सूचना जन प्रतिनिधियों को देने का विचार रखती है। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों सहित गठित अकाल राहत समीक्षा समिति में जिला प्रशासन द्वारा बढ़ी हुई श्रमिक सीमा रखी जाती है।

(2) जिला राहत समीक्षा समिति में श्रमिक सीमा को मध्य नजर रखते हुए ही राहत कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। अतः सूचना नहीं देने का तो प्रश्न ही नहीं है। जन प्रतिनिधि जिला सहायता समीक्षा समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी प्रेस–नोट के माध्यम से सूचना छपवाई जाती है।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) के आंगनबाड़ी केन्द्र विहीन ग्राम

932. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद के कितने गांव आंगनबाड़ी केन्द्र से वंचित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समितियों के केन्द्र विहीन ग्रामों में कब तक आंगनबाड़ी केन्द्र खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति प्रतापगढ़ के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना में 209 तथा अरनोद पंचायत समिति में संचालित बाल विकास परियोजनान्तर्गत 126 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति, प्रतापगढ़ के 147 ग्राम तथा अरनोद के 75 ग्राम आंगनबाड़ी केन्द्रों से वंचित है सूची परिशिष्टि 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त पंचायत समिति में केन्द्र विहीन ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है एवं निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले ग्रामों के ही प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा जा सकते हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत महिलाओं को मानदेय

933. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिलाओं को मानदेय तथा अन्य सामग्री वितरण की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों, सरपंचों, प्रधान का क्या कितना इनवोलमेंट रहा है ?

(2) क्या उक्त राशि तथा सामग्री के वितरण में सरपंचों या पंचों से भी रोज सत्यापन करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया संबंधी रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिलाओं को मानदेय वितरण में ग्राम पंचायतों/सरपंचों/प्रधानों की कोई भूमिका निर्धारित नहीं की गई है। अपितु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री के भौतिक सत्यापन के अधिकार दिए गए हैं।

(2) जी, नहीं।

आंगनबाड़ी केन्द्र इटावा (कोटा) में पोषाहार वितरण में अनियमितताएं

934. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गत वर्षों में आंगनबाड़ी केन्द्र इटावा जिला कोटा में संचालित केन्द्र पर संचालिका व सहायिका की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो किसकी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस केन्द्र की व प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संचालित केन्द्र पर घटिया स्तर पर पोषाहार वितरित होता है ? क्या पोषाहार बांटने में भी अनियमितता व यथा समय पर नहीं बांटने के संबंध में भी शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1994–95 से संचालित बाल विकास परियोजना इटावा जिला कोटा के ग्राम इटावा में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नही।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के आंगनबाड़ी केन्द्र

935. **श्री रूपलाल** (सलूम्बर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और उक्त में कितने क्यों बन्द हैं ?

(2) क्या उक्त केन्द्रों पर प्रतिमाह पोषाहार दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या–क्या ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अकाल के समय पोषाहार बढ़ाया गया है ? क्या बढ़ाया हुआ पोषाहार नियमित वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना–कितना और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्तमान में 158 केन्द्र है। उक्त 158 केन्द्रों में से सभी केन्द्र संचालित है।

(2) जी हां। संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार दिया जा रहा है। जो निम्नानुसार है :

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

1. इण्डिया मिक्स

2. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 20 अतिरिक्त बच्चों को बेबी मिक्स प्रतिदिन दिया जा रहा है।

(3) जी, हां। अकाल के समय पोषाहार बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं।

जी, नहीं। विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम में 20 अतिरिक्त बच्चों को पोषहार उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था परन्तु विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा अभी तक कोई लिखित सहमति नहीं दिये जाने के कारण वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।

परिचालक का सेवा पृथक् प्रकरण

936. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री उगमाराम पुत्र श्री रूधा राम निवासी लोरड़ी जिला अजमेर ने परिचालक के पद पर अजमेर आगार में वर्ष 1976 में कार्य ग्रहण किया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या बाद में उसका ब्यावर आगार में स्थानान्तरण हुआ ? यदि हां, तो कब तथा कब ब्यावर आगार में कार्य ग्रहण किया था ?

(3) क्या उसे सेवा से पृथक् उक्त आगार में किया गया ? यदि हां, तो कब व किस आदेश द्वारा ?

(4) क्या वर्ष 1978 में उसे पुनः बहाल कर नागौर आगार में लगाया गया ? यदि हां, तो किस आदेश द्वारा व कब कार्यग्रहण किया ?

(5) क्या वर्ष 1982 में उसे पुनः सेवा से पृथक कर दिया ? यदि हां, तो किस आदेश द्वारा ?

(6) क्या न्यायालय आदेश के कारण वर्ष 1990 में उसे पुनः बहाल किया ? यदि हां, तो न्यायालय आदेश व कार्यालय आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(7) क्या वर्ष 1994 में उक्त को कोटा आगार में लगाया गया ? यदि हां, तो उसने कब कार्य ग्रहण किया, क्या वर्ष 1996 में उसे कोटा से बूंदी आगार लगाया गया ? यदि हां, तो उसने कार्यग्रहण कब किया ?

(8) क्या उसे पुनः सेवा से पृथक् कर दिया गया ? यदि हां, तो किस आदेश से ?

(9) क्या उक्त को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(10) क्या उक्त परिचालक के सी.पी.एफ. में राशि जमा है ? यदि हां, तो कितनी कब–कब की व निगम का कितना–कितना योगदान है ?

(11) क्या सरकार उक्त परिचालक को उक्त बकाया राशि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(12) क्या न्यायालय आदेश वर्ष 1982

(श्री सांवर लाल)

के अनुसार प्रार्थी को 1982 से 1990 तक की देय राशि बकाया है ? यदि हां, तो कितनी–कितनी व कब तक देने का विचार है और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 20.5.1976 को यातायात प्रशिक्षणार्थी परिचालक पद पर अजमेर आगार में कार्यभार संभाला था।

(2) जी हां। आदेश क्रमांक 3036 दिनांक 4.11.76 द्वारा ब्यावर आगार में स्थानान्तरण किया गया व दिनांक 17.11.1976 को ब्यावर आगार में कार्यग्रहण किया।

(3) जी हां। ओदश क्रमांक 145 दिनांक 27.1.1977 द्वारा इन्हें सेवा पृथक् किया गया था।

(4) जी हां। इनके द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश क्रमांक 616 दिनांक 9.11.1978 द्वारा बहाल कर इन्हें नागौर आगार में लगाया गया। उक्त आदेशों की पालना में इन्होंने दिनांक 19.11.1978 को कार्यग्रहण किया।

(5) जी हां। आदेश क्रमांक 1661 दिनांक 22.7.1982 द्वारा इन्हें पुनः सेवा पृथक कर दिया गया।

(6) जी हां। न्यायालय आदेश दिनांक 10.9.1990 परिशिष्ट '1' एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 4831 दिनांक 25.9.1990 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनः बहाल किया गया।

(7) जी हां। इन्होंने दिनांक 7.11.1994 को कोटा आगार में कार्यग्रहण किया एवं आदेश क्रमांक 565 दिनांक 19.3.1996 द्वारा अपूर्ण जांच में बहाल करते हुये बून्दी आगार में पदस्थापित किया गया जहां इनके द्वारा दिनांक 23.3.1996 को कार्यग्रहण किया गया।

(8) जी हां। आदेश क्रमांक 46 दिनांक 23.4.1998 द्वारा सेवा पृथक किया गया।

(9) जी नहीं। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 46 दिनांक 23.4.1998 द्वारा इन्हें सेवा पृथक किया गया है जिसे औद्योगिक न्यायालय जयपुर द्वारा अनुमोदित किया गया। अतः नियमानुसार सेवा पृथक किये जाने पर जीवन निर्वाह भता देय नहीं है।

(10) जी नहीं । उक्त परिचालक सी.पी.एफ. का सदस्य नहीं था। परिचालक सामान्य प्रावधायी निधि (जी.पी.एफ.) का सदस्य था, तथा इनको नियमानुसार जी.पी.एफ. की राशि रुपये 11,266/– देय थी।

(11) जी हां। उक्त परिचालक की बकाया जी.पी.एफ राशि की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा कर्मचारी को भुगतान कराने हेतु संबंधित मुख्य प्रबन्धक, बून्दी को बैंक ड्राफ्ट संख्या 204088 दिनांक 5.5.2001 तैयार कराकर भिजवाया जा चुका है।

(12) न्यायालय अपर जिला एवं सैशन

(यातायात मंत्री)

न्यायाधीश क्रम संख्या–5 जयपुर नगर, जयपुर के निर्णय दिनांक 21.4.1998 के विरुद्ध निगम की द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में लम्बित है। इसका निर्णय होने पर वर्ष 1982 से 1990 के बीच की अवधि के भुगतान के बारे में निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कर्मचारी द्वारा भुगतान हेतु कोई इजराय केस लम्बित नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

समूह दुर्घटना सामान्य बीमा योजना में विचाराधीन प्रकरण

937. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य बीमा विभाग के प्रत्येक जिला कार्यालय में समूह दुर्घटना सामान्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में किन–किन मृतक राज्य कर्मचारी से संबंधित प्रकरण विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सामान्य बीमा योजना जब से लागू हुई तब से अब तक किन–किन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध फैसला दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध फैसला देने से प्रत्येक प्रकरण में कितनी–कितनी ब्याज की राशि का भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भुगतान किये गये ब्याज में विभाग ने किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी माना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त प्रकरणों में न्यायालय ने फैसले में किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरदायी/दोषी माना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार भुगतान की गई ब्याज की राशि के लिए उत्तरदायी/दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार दोषी/उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याज की राशि वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य बीमा विभाग में समूह दुर्घना सामान्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में दिनांक 31.3.2001 तक कुल 394 मृतक राज्य कर्मचारियों के प्रकरण विचाराधीन हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) सामान्य बीमा योजना 1 अप्रेल, 1991

(राज्य बीमा राज्य मंत्री)

से लागू हुई है। 1 अप्रैल, 1991 से 31.3.2001 तक कुल 59 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध फैसला दिया गया है। सूची परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' संलग्न है।

(3) न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध फैसला देने से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मोटर पालिसी के अन्तर्गत अन्तरिम ब्याज का भुगतान 13,450/— एवं अंतिम ब्याज का भुगतान 6,69,902/— कुल 6,83,352/— एवं समूह दुर्घटना सामान्य बीमा योजना के अन्तर्गत 5,19,530 रुपये ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है। मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण मोटर पालिसी के अन्तर्गत दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षति का निर्धारण करता है जो कि दावा तय करने की एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रकरण के अन्तर्गत की गई ब्याज की राशि का भुगतान का विवरण संलग्न है। (संलग्न परिशिष्ट 'ब' एवं 'स')

(4) उक्त भुगतान किये गये ब्याज में विभाग ने किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं माना है।

(5) उक्त प्रकरण में न्यायालय के फैसले में इस विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी/उत्तरदायी नहीं माना है।

(6) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया है, अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(7) कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है, अतः ब्याज राशि वसूलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह विशेष उल्लेखनीय है कि विभाग में दावे स्वीकार करना या अस्वीकार करना नियमों के आधार पर सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि कोई दावा अस्वीकार्य होता है और संबंधित व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो न्यायालय अपने हिसाब से उस पर ब्याज का निर्णय देता है जिसमें विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं माना जा सकता है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रावधायी निधि खाते की बकाया राशि का भुगतान

938. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक (पद्धति) रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को पत्र संख्या प. 3(86) पी.एफ./सं./अराज/560—561 दिनांक 11.1.2001 को खाता संख्या 145093 के संबंध में आवश्यक पूर्तियां कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र की पालना में सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि

(श्री हीरालाल सहरिया)

विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मृत कर्मी के आश्रितों को उक्त खाते की राशि का भुगतान अभी तक भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त खाते की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि उप निदेशक, पद्धति (रोजगार सेवा) निदेशालय द्वारा पत्रांक प. 3(86)पी.एफ./सं./अरांज/560—561 दिनांक 11.1.2001 को स्वत्व प्रपत्र खाता संख्या' 145093 के संबंध में आवश्यक पूर्तियां कर इस विभाग के उप निदेशक, जयपुर शहर, जयपुर को भेजा गया था जिसके क्रम में उप निदेशक, जयपुर शहर के पत्रांक 8227 दिनांक 12.2.2001 को पासबुक में आवश्यक पूर्ति हेतु रोजगार अधिकारी को भेजा गया, जो आवश्यक पूर्ति उपरान्त रोजगार अधिकारी के पत्रांक 2915 दिनांक 17.3.2001 द्वारा उप निदेशक, जयपुर शहर को पुनः भेजा गया ।

(2) यह भी सही है कि उक्त मृतक कर्मी के आश्रितों को उक्त खाते की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, चूंकि मृतक खातेदार श्री सांवल राम द्वारा अपने भाई श्री राम किशोर गुर्जर को मनोनीत किया गया था, जबकि मृत्यु स्वत्व प्रपत्र दत्तक पुत्र श्री मलखान सिंह द्वारा भरकर उप निदेशक, जयपुर शहर को भेजे गये है। जी.पी.एफ. नियमानुसार मनोनीत व्यक्ति को ही भुगतान किया जा सकता है एवं मनोनीत विवादास्पद होने पर सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति को ही भुगतान किया जाता है। इसी आशय का एक पत्र जिला रोजगार अधिकारी को क्रमांक 21 दिनांक 12.4.2001 के द्वारा लिख कर प्रतिलिपि श्री मलखान सिंह को भी दी गई है।

(3) उक्त खाते की राशि का भुगतान 'मनोनीत व्यक्ति का फैसला होने पर अथवा उत्ताराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर' जैसी भी स्थिति हो, तत्काल कर दिया जावेगा।

जिला जैसलमेर की प्रस्तावित मण्डियां

939. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में नाचणा व सुथार वाली मण्डी प्रस्तावित है ?

(2) क्या उक्त दोनों मण्डियों हेतु भूमि अवाप्त की गई है ?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(3) क्या भारेवाला तथा सुलताना भी प्रस्तावित मण्डी है ?

(4) क्या यह सही है कि नहरी क्षेत्र में कृषि उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो क्या मण्डी विकास अत्यन्त आवश्यक है ?

(5) क्या नाचणा, सुथारवाला, सुलताना तथा भारेवाला मण्डियों का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नाचणा के विकास हेतु 46.50 बीघा भूमि अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति जैसलमेर द्वारा हस्तान्तरित की गई है। सुथारवाला के लिए लगभग 5 मुरब्बा भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां।

(5) नाचणा में विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सुथारवाला में भूमि प्राप्ति के बाद कार्य प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है। सुलताना एवं भारेवाला मण्डियों के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 अप्रैल, 2001)

राजस्थान फाउण्डेशन के गठन में विलम्ब

383. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में राजस्थान फाउण्डेशन के गठन की घोषणा की थी ?

(2) क्या 'राजस्थान फाउण्डेशन' का गठन पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इसके उद्देश्य, नियम व अन्य संबंधित सूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब उक्त फाउण्डेशन का गठन कब पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। राजस्थान फाउण्डेशन के उद्देश्य, नियम एवं अन्य सम्बन्धित सूचना मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन (MOA) में वर्णित है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(3) उक्त फाउण्डेशन का गठन हो चुका है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 अप्रेल, 2001)

नगर सुधार न्यास, ब्यावर की पुनः स्थापना

388. **डा. के.सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर के सुव्यवस्थित विकास हेतु कभी नगर सुधार न्यास स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक उक्त संस्था अस्तित्व में थी और वर्तमान में उक्त संस्था की क्या स्थिति है ?

(2) क्या सरकार ब्यावर नगर के सुव्यवस्थित विकास हेतु उक्त संस्था (नगर सुधार न्यास) को पुनः स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त संस्था 20.10.1975 से 31.8.1978 तक अस्तित्व में थी। वर्तमान में उक्त संस्था अस्तित्व में नहीं है।

(2) जी, नहीं। फिलहाल नगर विकास न्यास पुनः स्थापित करना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-389

(स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 अप्रेल, 2001)

थाना जमुवारामगढ़ (जयपुर) में दर्ज प्रकरण संख्या 185/97

400. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) थाना जमुवारामगढ़ में दर्ज मुकदमा नं. 185/97 का अनुसंधान कब–कब, किस–किस अधिकारी ने किया तथा किन–किन को दोषी मानते हुए प्रत्येक अधिकारी ने चालान की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमें में कुछ मुलजिमान ऐसे हैं कि उनके नाम पिछले अनुसंधान अधिकारी ने दोषी मानते हुए चालान हेतु प्रेषित किए व बाद के अधिकारी ने उनको निर्दोष मानकर निकाल दिए ? पूर्व अनुसंधान अधिकारी किस स्तर के थे तथा बाद वाले किस स्तर के थे ? उक्त मुलजिमों को अब किस आधार पर निर्दोष माना गया व पूर्व में किस आधार पर दोषी माना गया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मुकदमे के वर्तमान अनुसंधान अधिकारी ने पूर्व में भी उक्त मुकदमे की जांच की थी ? यदि हां, तो उस समय किस–किस को दोषी माना था तथा अब किस–किस को ? क्या उनमें से कुछ नाम हटाए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उक्त दौरान इससे उच्च स्तर के अधिकारी ने भी उक्त मुकदमे की जांच की थी ? यदि हां, तो उक्त में किन–किन को दोषी माना था ?

उत्तर

(1) अभियोग संख्या 185/97 अंतर्गत धारा 147, 365 भा.द.स. थाना जमुवारामगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण में दिनांक 8.7.1997 को पंजीबद्ध हुआ जिसका अनुसंधान जिन अधिकारियों ने किया उसका विवरण निम्न में अंकित है :

क्र. सं.	नाम अनुसंधान अधिकारी	अनुसंधान की अवधि
1	2	3
1.	श्री महेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक थाना जमुवा रामगढ़	8.7.97 को
2.	श्री पन्ना लाल, उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना जमुवारामगढ़	8.7.97 से 14.8.97
3.	श्री बी.सी.बनर्जी, उप अधीक्षक पुलिस सी.आई.डी. (सीबी) रेंज सेल जयपुर	1.9.97 से 22.2.99
4.	श्री गुलाम नबी, पुलिस निरीक्षक सी.आई.डी. (सीबी.) रेंज सेल जयपुर	27.2.99 से 26.3.99
5.	श्री भीष्मराज, पुलिस निरीक्षक सी.आई.डी. (सीबी.) रेंज सेल जयपुर	16.6.99 को
6.	श्री सुल्तान सिंह, (आर.पी.एस.) अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सीबी.) रेंज सेल जयपुर	26.9.99 से 23.7.99
7.	श्री बी.सी.बनर्जी, उप अधीक्षक पुलिस सी.आई.डी.(सीबी.) रेंज सेल जयपुर	5.2.2001 को

पैरा नं. 1 :

अन्वेषण अधिकारी श्री बी.सी. बनर्जी, उप अधीक्षक ने दिनांक 1.9.1997 से 22.2.1999 तक अनुसंधान किया। बयानात 161 भा.द.प्र.स. मौखिक एवं दस्तावेजी सक्ष्यों के आधार पर :

1. मदन पुत्र पांचू, 2. श्रवण पुत्र भगवान सहाय, 3. गुल्ला पुत्र छीतर, 4. रमसी पुत्र छोटू गुर्जर, 5. देवनारायण पुत्र कल्याण गुर्जर, 6. रामफुल पुत्र भोमा गुर्जर, 7. गोपाल पुत्र रामचन्द्र, 8. छीतर पुत्र रामधन, 9. रंगलाल पुत्र जयराम, 10. ईश्वर पुत्र श्योनारायण गुर्जर, 11. देवबक्स पुत्र भौंरी

(गृह मंत्री)

लाल गुर्जर, 12.भगवान सहाय पुत्र महादेव, 13. जयसिंह पुत्र छोटू, 14.मोहर सिंह पुत्र कन्हैया लाल, 15. रामकिशन पुत्र तेजाराम निवासी घाटा के विरुद्ध अपराध धारा 147, 365 भा.द.स. साबित माना तथा कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी को अभियुक्त नहीं माना।

पैरा नं. 2 :

अन्वेषण अधिकारी श्री सुल्तान सिंह (आर.पी.एस.) अति. पुलिस अधीक्षक ने उक्त अभियोग में दिनांक 26.6.99 से 23.7.99 तक अनुसंधान किया जिसमें उन्होंने :

1. श्री रामफुल पुत्र भौमाराम गुर्जर, 2. गोपाल पुत्र रामचन्द्र गुर्जर, 3. देवनारायण पुत्र कल्याण सहाय गुर्जर, 4. श्रवण पुत्र भगवान सहाय, 5. रामसहाय उर्फ रमसी पुत्र छोटू, 6.गुल्ला पुत्र छोटू, 7.मदन उर्फ लछ्या, 8.जयसिंह पुत्र छोटू, 9.मनोहर सिंह पुत्र कन्हैया लाल गुर्जर,10. रंगलाल पुत्र जयराम, 11. देवबक्स पुत्र भौंरी लाल,12.छीतर पुत्र रामधन,13.भगवान सहाय पुत्र महादेव,14. ईश्वर पुत्र श्योनारायण, 15.कन्हैया लाल, विधायक, बस्सी के विरुद्ध अपराध धारा 147, 323,344,345, 365 भा.द.स. साबित माना।

पैरा नं. 3 :

अन्वेषण अधिकारी श्री बी.सी. बनर्जी ने पुनः दिनांक 5.2.2001 को अनुसंधान पूर्ण कर पत्रावली पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सी.बी.) प्रथम राज., जयपुर को प्रस्तुत की जिन्होंने अपने आदेश सं. 9(4)अप/अन्वे/ ज.ग्रा./97/1387–92 दिनांक 22.2.2001 में अभियुक्तगण :

1. श्रवण पुत्र भगवान सहाय गुर्जर, 2.मदन पुत्र पांचूराम, 3.गुल्ला पुत्र छोटू राम, 4. रंगलाल पुत्र जयराम,5.छीतर पुत्र रामधन, 6.रामफुल पुत्र भोमाराम, 7.देवबक्स पुत्र भौंरी लाल, 8.रमसी उर्फ रामसहाय पुत्र छोटू, 9. जयसिंह पुत्र छोटू, 10.मोहर सिंह उर्फ मनोहर पुत्र कन्हैया लाल, 11. गिर्राज पुत्र भौंरी लाल,12. देवबक्स पुत्र हरदेव,13. गोपाल पुत्र रामदेव के विरुद्ध अपराध धारा 147, 323, 344, 345, 365 भा.द.स. का अपराध साबित माना है। कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध धारा 147, 323, 344, 365 भा.द.स. में अपराधी प्रमाणित मानते हुए पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये। अभियुक्त 1– देवबक्स पुत्र हरदेव जाति गुर्जर उम्र 65 साल निवासी

(गृह मंत्री)

बेनाड़ा ढाणी बिसना पटेल की थाना बस्सी, 2– गोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 27 साल नि. खवारानी थाना जमुवारामगढ़ की मृत्यु हो चुकी है। अतः पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण के कार्यालय पत्र क्रमांक 3560 दिनांक 23.2.2001 के द्वारा 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश थानाधिकारी थाना जमुवारामगढ़ को प्रदान किये। अभियुक्तों को तलाश कर तलब किया जाकर गिरफ्तार किया जावेगा एवं चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) जी, हां। उक्त अभियोग में कुछ अभियुक्त ऐसे भी हैं जिनके नाम पिछले अनुसंधान अधिकारी ने निर्दोष मान कर निकाल दिये। जिन अधिकारियों ने इस अभियोग में अनुसंधान किया एवं जिनको निर्दोष माना उसका विवरण इस प्रकार है :

1. अन्वेषण अधिकरी श्री बी.सी. बनर्जी उप अधीक्षक पुलिस सी.आई.डी. (सी.बी.) रेंज सेल जयपुर ने उक्त अभियोग में अन्य साबित माने गये अभियुक्तों में से श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक को निर्दोष माना है।
2. अन्वेषण अधिकारी श्री सुल्तान सिंह (आर.पी.एस.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सी.बी.) रेंज सेल जयपुर ने उक्त अभियोग में श्री कन्हैया लाल मीणा को भी अभियुक्त माना है। परन्तु श्री बी.सी. बनर्जी उप अधीक्षक पुलिस द्वारा साबित माने गये अभियुक्तों में से श्री मोहर सिंह उर्फ मनोहर पुत्र कन्हैया लाल जाति गुर्जर व श्री रामकिशन पुत्र रामफुल गुर्जर को निर्दोष माना है।
3. पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सी.बी.) राज, जयपुर ने उक्त अभियोग में पूर्व में अनुसंधान अधिकारी द्वारा साबित अभियुक्त में से श्री रामकिशन कन्हैया लाल व ईश्वर को निर्दोष नाना है। कन्हैया लाल विधायक व रामकिशन में आपसी रंजिश होना एवं एक दूसरे को झूठा फंसाने की मनसा के कारण को मानते हुए दोषी नहीं माना है।
4. इस अभियोग में पूर्व अनुसंधान अधिकारी सहायक उप निरीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारी थे।
5. अभियोग संख्या 185/97 अन्तर्गत धारा 147, 365 भा.द.स. थाना जमुवा

(गृह मंत्री)

रामगढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट मे श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक का नाम नहीं होने के कारण अनुसंधान अधिकारी श्री बी.सी. बनर्जी उप अधीक्षक पुलिस ने उसको अभियुक्त नहीं माना।

6. अभियोग में अपहृता श्री बद्रीनारायण ने न्यायालय में धारा 164 भा.द.प्र.स. के अन्तर्गत बयानात में श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक के विरुद्ध में कहा है कि विधायक महोदय भी अपहरण में सम्मिलित थे। अतः इसको आधार मानते हुए श्री सुल्तान सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने अनुसंधान में श्री कन्हैया लाल मीणा को अभियुक्त माना है।

7. पुनः श्री बी.सी.बनर्जी ने इसमें अनुसंधान 5.2.2001 को किया एवं पाया कि श्री कन्हैया लाल मीणा विधायक एवं श्री रामकिशन के आपसी रंजिश होने के कारण झूठा फंसाने को आधार मानते हुए अभियोग में श्री कन्हैया लाल, विधायक को अभियुक्त नहीं माना। धारा 161 भा.द.प्र.स. बयानों को भी आधार मानते हुए श्री कन्हैया लाल मीणा को दोषी नहीं माना।

8. इस अभियोग में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट बयानात धारा 161 भा.द.प्र.स. बयानात 164 भा.द.स.प्र. एवं विस्तृत जांच को ही आधार मान कर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित माना हैं।

(3) जी, हां। उप अधीक्षक पुलिस श्री बी.सी. बनर्जी ने इस अभियोग में दिनांक 1.9.97 से दिनांक 22.2.99 तक एवं पुनः दिनांक 5.2.2001 को अनुसंधान सम्पूर्ण कर पत्रावली पुलिस अधीक्षक (प्रथम) सी.आई.डी. (सी.बी.) राज., जयपुर को प्रस्तुत कर दी थी।

2. श्री बी.सी.बनर्जी उप अधीक्षक ने अपने अनुसधांन में :

1. श्री मदन पुत्र पांचूराम,2. श्रवण पुत्र भगवान सहाय गुर्जर,3. गुल्ला पुत्र छोटूराम, 4.रमसी पुत्र छोटू राम गुर्जर, 5.देवनारायण पुत्र कल्याण गुर्जर, 6. रामफुल पुत्र भोमाराम गुर्जर,7.गोपाल पुत्र रामचन्द्र,8. छीतर पुत्र रामधन,9.रंगलाल पुत्र जयराम,10.ईश्वर पुत्र श्योनारायण गुर्जर,11. देवबक्स पुत्र भौरी लाल गुर्जर बेनाड़ा,12. भगवान सहाय पुत्र महादेव, 13.जयसिंह पुत्र छोटू, 14.मोहर सिंह पुत्र कन्हैया लाल, 15. रामकिशन पुत्र तेजाराम निवासी घाटा के विरुद्ध

(गृह मंत्री)

अपराध धारा 147, 365 भा.द.स. का प्रमाणित माना तथा श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी को ना तो पूर्व में ही और ना ही वर्तमान में अभियुक्त माना है।

3. श्री सुल्तान सिंह (आ.पी.एस.) अतिरिक्त पुलिस सी.आई.डी. (सी.बी.) ने अपने अनुसंधान के निष्कर्ष से प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अभियुक्तों में से 1. रामफुल 2. गोपाल 3. देवनारायण 4. श्रवण 5. रमसी 6. गुल्ला को एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अतिरिक्त 7. मदन 8. जयसिंह 9. मनोहर सिंह 10. रंगलाल 11. देवबक्स 12. छीतर 13. भगवान सहाय 14. ईश्वर 15. कन्हैया लाल, विधायक, बस्सी को अभियुक्त माना है तथा उप अधीक्षक श्री बी.सी.बनर्जी द्वारा माने गये अभियुक्तों में से मोहर सिंह, रामकिशन को अभियुक्त नहीं माना है।

4. अन्ततः पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सी.बी.) राज., जयपुर ने उक्त में से रामकिशन, कन्हैया लाल, ईश्वर को अभियुक्त नहीं माना तथा अपने कार्यालय के पत्रांक सं.9(4)अप/अन्वे/ज.ग्रा.97/1387--92 दिनांक 22.2.2001 में 1. श्रवण 2. मदन 3. गुल्ला 4. रंगलाल 5. छीतर 6. रामफुल 7. देवबक्स 8. जयसिंह 9. मोहर सिंह 10. गिर्राज 11. गोपाल 12. रमसी 13. देवबक्स को अभियुक्त साबित मानकर अपराध धारा 147, 323, 344, 345, 365 भा.द.स. के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को प्रदान किये थे परन्तु अभियुक्त 1. देवबक्स 2. गोपाल की मृत्यु हो चुकी है। अतः शेष 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में अपराध धारा 147, 323, 344, 345, 365 भा.द.स. में पेश करने के आदेश पुलिस अधीक्षक (प्रथम) सी.आई.डी. (सी.बी) की पालना में थानाधिकारी जमुवरामगढ़ को दिये गये हैं। अभियुक्तों को तलाश कर गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में पेश किया जावेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

1. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अकाल के बावजूद बछड़ों की बिक्री पर प्रतिबन्ध के संबंध में।
2. श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल बन्द

(श्री अध्यक्ष)

होने के संबंध में।

3. श्री रामप्रताप, सदस्य की ओर से श्री विजयनगर में एक हरिजन महिला के साथ हुए अन्याय के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :

1. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने के नीतिगत निर्णय की पालना नहीं होने के संबंध में।

2. श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अटरू के चिकित्सालयों के पद समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय यह बछड़ों वाला मामला दो साल से विधान सभा में चर्चा में है, इस पर क्या जानकारी सरकार लेना चाह रही है ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत साल से विधान सभा में चल रहा है। आज राजस्थान में लगातार तीसरी साल अकाल पड़ रहा है

(12.03 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और इसके बावजूद जनवरी, 2000 में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा तीन वर्ष के बछड़ों को बाहर ले जाने पर रोक लगी हुई है।

श्री सांवर लाल : बछड़ों को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, अकाल पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, हमारे जिले के सब मेले बर्बाद हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पहले सदन में आश्वासन दें। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राजस्थान में गौधन समाप्त होने की ओर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के गौधन को बचाने के लिए, राजस्थान के

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मेलों को बचाने के लिए, ऊंटों की नस्ल को बचाने के लिए इस कानून में संशोधन करके इस रोक को हटाया जाए और बछड़ों को बाहर ले जाने की इजाजत दी जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान तो अकाल से पीड़ित है... (व्यवधान) किसान को एक नया पैसा नहीं मिलेगा, क्या जानकारी आप प्राप्त करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान बरबाद हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : जानकारी कर ली, सरकार ने आश्वासन दे दिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या जानकारी प्राप्त करेंगे ? किसानों के सामने वायदा किया था...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : किसान बरबाद हो रहा है। हमारे जिले में नागौरी बैल की नस्ल बरबाद हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो खेती की फसल नहीं करें... (व्यवधान) और राज्य सरकार आज मौन बैठी है।

श्री अमराराम (धोद) : वह बात हम हाउस में उठाएंगे। (व्यवधान) आज हाउस में उठाया जा रहा है और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए प्लीज। विराजें प्लीज।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : विराजो ना आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्या विराजो साहब।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : यह गंभीर मामला है। वास्तव में माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, यह गौ का मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अकाल पर कल दिनभर की बहस है, आप माननीय सदस्य जो कुछ प्रश्न उठाएंगे, जो कुछ चर्चा करेंगे उसका सरकार की तरफ से जवाब आएगा।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल से संबंधित कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : और क्या है।

श्री अमराराम (धोद) : पशुधन।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, गौ और पशुओं का मामला है, गौधन और पशुधन का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो।

श्री अमराराम (धोद) : क्या सरकार

(श्री अमराराम)

इस बात के लिए तैयार है ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजो।

श्री रामस्वरूप : गौधन और पशुधन है। गौमाता का मामला है। इसमें तो गंभीरता से विचार किया जाए। गौमाता का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो।

श्री अमराराम (धोद) : इसमें कहां यह आता है ? सरकार जानकारी प्राप्त करें, यह क्या बात हुई ?

श्री रामस्वरूप : इसको गंभीरता से लीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बछड़ों को इस प्रकार से काटने के लिए ले जाया जाए, इससे बुरी और क्या बात होगी ? गौमाता जहां कटे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने मकान एवं बाड़ों को नियमित करने के संबंध में।
2. श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से जिला बारां में बपावरकलां के पास के पुल के डूबने से किसानों एवं यात्रियों को हो रही परेशानी के संबंध में।
3. प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के पूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनियमित पदोन्नति एवं भत्ते प्राप्त करने के संबंध में। (व्यवधान)
4. डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में निश्चेतना विशेषज्ञों की भारी कमी के संबंध में।
5. श्री हेमाराम चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील फलौदी के ग्राम दुर्जनी स्थित खसरा नम्बर 73/424 की भूमि का अवैध बेचाननामा पंजीकृत करवाने के संबंध में।
6. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के 19 माडा ग्रामों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के संबंध में।
7. श्री मदन लाल वर्मा, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डग में डाक्टर्स एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त होने के संबंध में।
8. श्री आदराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के ग्राम मोदूनगर एवं कलाणों की ढाणी की सेम की समस्या के समाधान करने के संबंध में।
9. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा), सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में आवास विकास संस्थान द्वारा निर्मित किये

(श्री उपाध्यक्ष)

कल्याणपुर पुलिस थाना भवन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किये जाने के संबंध में।

10. श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से अटरू (बारां) क्षेत्र में हो रही आपराधिक गतिविधियों के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मांगीलाल गरासिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

गोगुन्दा के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमितीकरण

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन, नियम 1992 के संशोधित नियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यवाही कराने हेतु माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर 1.1.1994 से पूर्व बनाये गये मकान, बाड़ों व दुकानों को निर्धारित राशि वसूल कर नियमित करने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 6(6)/राज–6/92/44 दिनांक 29.8.1998 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधित नियम, 1998 बनाये गये थे। इन नियमों की पालना में उदयपुर जिले की गोगुन्दा एवं कोटड़ा तहसील में किसी भी आदिवासी कृषक का कोई नियमितीकरण नहीं किया गया, न ही इस अधिसूचना का क्षेत्र में कोई प्रचार प्रसार ही हुआ।

इस संबंध में मेरे एक प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि उपरोक्त नियम सरकारी भूमि पर 1.1.1994 के पूर्व के बनाये गये मकान, बाड़ों व दुकानों के नियमन हेतु पर्याप्त हैं। इन नियमों में किसी भी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कृषि भूमि के नियमन संबंधी नियमों में कोई कमी नहीं है और न ही किसी संशोधन की आवश्यकता है। तो उदयपुर जिले में नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है जबकि इस क्षेत्र में काफी आदिवासी कृषक पात्रता रखते हैं एवं तहसीलों द्वारा उन्हीं कृषकों के खिलाफ धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दण्डित किया जा रहा है ?

कृपया ग्रामीण क्षेत्रों की जन समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कृषि भूमि संपरिवर्तन नियमन संबंधी नियम, 1992 के संशोधित नियम 1998 के अन्तर्गत 1.1.1994 के पूर्व बनाये गये

(श्री मांगीलाल गरासिया)

मकान व बाड़ों का नियमन करने हेतु राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कराने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण जी। (अनुपस्थित), श्री सांवर लाल।

बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के पूर्व प्रबन्धक निदेशक द्वारा बरती गयी अनियमितताएं

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर कोआपरेटिव बैंक में समितियों के मार्फत कृषक जनता एवं राज्य सरकार की 6.62 करोड़ की राशि हिस्सों के रूप में लगी हुई है। अकेले राज कोष की राशि 1.82 करोड़ रुपये लगी हुई है।

बैंक के पूर्व तथाकथित प्रबन्धक निदेशक, श्री चम्पालाल ने नियुक्ति के साथ ही कायदे–कानून ताक में रख कर गलत तथ्यों एवं पत्रों के आधार पर पदोन्नतियां एवं अन्य परिलाभ प्राप्त कर 7 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रो. सांवर लालजी, यह आपने 295 दिया है या क्या दिया है ?

श्री सांवर लाल : शार्ट कर दिया, साहब आपके सचिवालय ने कहा कि इसको संक्षिप्त में करिये तो फिर एक पेज पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास नहीं है।

श्री सांवर लाल : आपके पास तो तीन पेज ही होंगे, पर मैं एक पेज ही पढ़ रहा हूं।

नियम विरुद्ध पदोन्नतियों एवं सेवा परिलाभ प्राप्ति का वर्णन वर्ष आडिट वर्ष 1999–2000 पेज 53,54,55 पर एवं बैंक के पत्रांक 13339 दिनांक 25.7.2000 में स्पष्ट किया हुआ है। श्री चम्पालाल ने नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर–भीतर ही तिजोरी से एक हजार रुपये तत्कालीन मैनेजर के सहयोग से कम कर दिये। जांच रिपोर्ट को 10.4.1964 की बैठक में संचालक मण्डल ने स्वीकार किया।

वर्ष 1995–98 तक उदयपुर कोआपरेटिव बैंक में विशेष चयन के अंतर्गत पदस्थापित हुए, इनके कार्यकाल में इनकी घोर लापरवाही के चलते आपसी समझ से मुख्य आरोपी को संरक्षण दिया। विभाग के निर्देश के उपरान्त भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की मांग पर अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। अन्ततः 40 लाख के फर्जी ड्राफ्ट इनके कार्यकाल में जारी हुए और बैंक को भारी हानि उठानी पड़ी। नाबार्ड ने अपने निरीक्षण पत्र अवधि 1995–1998 में लिखा है कि उच्च स्तरीय संरक्षण के कारण बैंक ने अवधिपार ऋणों की झूठी वसूली दिखा कर समायोजन किया। यह राशि 18 करोड़ से अधिक थी। बैंक को

(श्री सांवर लाल)

अवधिपार ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज के रूप में लाखों रुपये की हानि श्री चम्पालाल के कारनामों से हुई। इनके विरुद्ध नामजद पी.ई. 69/2000 एवं पी.ई. 138/2000 क्रमांक के उदयपुर भ्रष्टाचार ब्यूरो की चौकी में प्राथमिक जांच दर्ज हुई। परन्तु राजनैतिक हस्तक्षेप से एक बन्द कर दी गई, दूसरी में बैंक द्वारा रिकार्ड नहीं दिया जा रहा है।

चम्पालाल को दिये गये आरोप पत्रों की जांच में दोषी पाये जाने के उपरान्त भी दिनांक 31.3.2001 को बाड़मेर बैंक के प्रशासन ने सेवानिवृति का परिलाभ दे दिया।

सहकारिता विभाग के आला अधिकारी बाड़मेर बैंक के भ्रष्ट तथाकथित पूर्व प्रबंधक निदेशक श्री चम्पालाल का बचाव कर रहे हैं। सरकारी विवशता जनता को चिंतित कर रही है।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप इसमें कार्यवाही करें।

सरकारी चिकित्सालयों में निश्चेतना विशेषज्ञों की कमी

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी चिकित्सालयों के निश्चेतना विशेषज्ञों की भारी कमी से चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार न आने की स्थिति के बारे में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के द्वारा दिलाना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चेतना विशेषज्ञों की आवश्यकता अस्पताल में आपरेशन के दौरान बेहोश रखने के लिए होती है। रोगी को शल्य क्रिया का दर्द न महसूस हो, इसके लिए प्रदेश के मेडिकल कालेजों से एम.डी. (एनेस्थीसिया) व डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों द्वारा निश्चेतन विशेषज्ञ प्रशिक्षित किये जाते हैं।

राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में इन विशेषज्ञों की भारी कमी है। आज राज्य के 250 से अधिक ऐसे सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र व रैफरल अस्पताल हैं जिनमें सर्जरी, मेडिसन, स्त्री रोग विशेषज्ञ तो उपलब्ध हैं मगर प्रशिक्षित एनेस्थेसिस्ट के न होने से ये विशेषज्ञ अपना कार्य नहीं कर पाते। ये सर्जिकल विशेषज्ञ भी अन्य चिकित्सा अधिकारियों की तरह मात्र परामर्श देते हैं तथा आपरेशन की आवश्यकता वाले रोगियों को जिले व सम्भाग के बड़े अस्पतालों में भेज दिया जाता है। इस कारण प्रदेश के सैकड़ों सर्जन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।

मेडिकल कालेज के अस्पतालों में आपरेशन थियेटर के अलावा आज सभी प्रकार की सघन चिकित्सा इकाइयों

(डा. करण सिंह यादव)

(आई.सी.यू.) का संचालन व देखभाल एनेस्थीसिया के विशेष करते हैं। एस.एम.एस. जैसे अस्पतालों में जहां दुर्घटनाग्रस्त गंभीर रोगी आते हैं वहां तुरन्त जीवनरक्षण के लिए एनेस्थेसिस्ट की आवश्यकता होती है और इनके अलावा पैनक्लिनिक्स भी इन्हीं विशेषज्ञों द्वारा चलाई जाती है।

आज प्रदेश के मेडिकल कालेजों में जितने निश्चेतना विशेषज्ञ प्रति वर्ष प्रशिक्षित होकर निकलते हैं उनमें से आधे से अधिक तो निजी क्षेत्र के अस्पतालों में चले जाते हैं।

मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में आज यदि किन्हीं विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो वह है एनेस्थेसिस्ट। इन प्रशिक्षिणार्थियों की संख्या को प्रति वर्ष दुगना अथवा तिगुना किया जाए जिससे कि राज्य में उपलब्ध एम.डी. (एनेस्थीसिया) व डिप्लोमा एनेस्थीसिया डाक्टर जो छोटी डिस्पेंसरियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित हैं, उनको कम से कम सामुदायिक रैफरल केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी लगाया जा सके ताकि इन केन्द्रों में कार्यरत सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी जोड़ विशेषज्ञों एवं अन्य सर्जिकल विशेषज्ञों का समुचित उपयोग हो सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को शहरों के बड़े अस्पतालों में न आना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराज चौधरी

फलौदी तहसील के ग्राम दुर्जनी स्थित खसरा नं. 73/424 के अवैध बेचाननामे का पंजीकरण

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अधीन माननीय राजस्व मंत्री महोदय के ध्यान में ग्राम दुर्जनी तहसील फलौदी (उप तहसील बाप) जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 73/424 की भूमि के संबंध में अवैध बेचाननामे पंजीकृत करके करोड़ों रुपये की राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा करने संबंधी विषय लाना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम दुर्जनी उप तहसील बाप, तहसील फलौदी में खसरा नम्बर 73/424 की भूमि स्थित है। इस भूमि का रकबा नक्शे में 486 बीघा 1 बिस्वा है। सर्वे एण्ड सैटलमेंट जमाबंदी में दर्ज किया गया था एवं मौके पर भी आज दिन तक 486 बीघा 1 बिस्वा भूमि ही स्थित है। नक्शे के हिसाब से भी इतनी ही भूमि मौके पर होना पाया गया है। इस जमीन के पास खसरा नम्बर 73 गैर–मुमकिन ओरण रकबा 6307 बीघा खसरा नम्बर 74 गैर मुमकिन ओरण रकबा 403 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 81 गैर मुमकिन ओरण रकबा 3875 बीघा दर्ज और मौके पर भूमि इसी प्रकार स्थित है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

सूत्रों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि किसी व्यक्ति द्वारा सैटलमेंट के रिकार्ड में जमाबन्दी इन्द्राज में 486 के आगें शून्य '0' लगाकर खसरा नम्बर 73/424 का रकवा 486 बीघा 1 बिस्वा की जगह 4860 बीघा दर्ज कर दिया गया है जबकि मौके पर ऐसी स्थिति नहीं है। नक्शे के अनुरूप इतनी भूमि इस खसरा की नहीं है। इस प्रकार खसरा नम्बर 73/424 के रकबे में हेरफेर करने की आड़ लेकर कुछ व्यक्तियों ने खसरा नम्बर के पास में स्थित अन्य खसरा नम्बर 73, 74 एवं 81 की गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास शुरू कर दिया जबकि मौके पर खसरा नम्बर 73/424 का रकबा आज भी 486 बीघा 1 बिस्वा है। खसरा नम्बर 73/424 के रकबे में परिवर्तन हो जाने के कारण खसरा नम्बर 73, 74 एवं 81 की भूमि को हड़प करने की नीयत से इस भूमि के रिकार्डेड खातेदारों में से कुछ लोगों ने सन् 1962 में कुछ भूमि का बेचान कुछ व्यक्तियों के नाम जुबानी व फर्जी बेचान के नाम पर नामान्तरण तत्कालीन सरपंच से स्वीकृत करवा लिये और ऐसे क्रेताओं ने मौके पर पड़ोस की भूमि खसरा नम्बर 73, 74 एवं 81 की ओरण भूमि पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद नये क्रेताओं द्वारा सन् 1989 में करीब 125 बीघा जमीन का विक्रय निम्नलिखित व्यक्तियों को कर दिया गया। तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत बारू श्री आनन्द सिंह ने मौके पर जमीन कम होने के कारण नामान्तरण करने से इन्कार कर दिया एवं नामान्तरण को खारिज कर दिया। इसके बाद सन् 1989 में उपरोक्त खसरा नम्बर की 60 बीघा 4 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई एवं इसके बाद इस भूमि में से कुछ भूमि और बेची गई और कीमत पेटे करीब 75 हजार रुपये की राशि प्राप्त करना एवं आवश्यक रिकार्ड में हेराफेरी कर इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करके नामान्तरण संख्या 382 दिनांक 11.3.1996 को नामान्तरण कर श्री घेवर चन्द पटवारी व श्री गुमान सिंह राजपुरोहित, आर.आई. द्वारा उस समय के सरपंच श्री बंशीलाल ग्राम पंचायत देदासरी द्वारा पूर्व के तमाम् तथ्यों को छिपा कर क्रेता के हक में स्वीकृति करवाई। उसके बाद एक बेचान 151 बीघा 19 बिस्वा का 20.9.1997 को किया गया जिसका नामान्तरण सरपंच, बंशीलाल ग्राम पंचायत देदासरी की स्वीकृति से करवाया गया। बंशीलाल पिछड़ी जाति का एक मामूली पढ़ालिखा अक्षर ज्ञान वाला व्यक्ति होने के कारण इस भूमि हड़प घोटाले को समझ नहीं सका।

यह है कि इसके बाद नये तहसीलदार बाप श्री मनमोहन व्यास द्वारा इस बात की जानकारी होते हुए भी कि खसरा नं. 73/424 की मौके पर केवल 486 बीघा जमीन ही है,

(श्री हेमाराम चौधरी)

माह मार्च, 2001 में 6 रजिस्टर्ड बेचाननामों की स्वीकृति 35 हजार से लेकर 80 हजार रुपये तक की रकम दस्तावेजों का पंजीयन भारी रकम लेकर किया गया। उस समय दुर्जनी में कार्यरत पटवारी श्री सत्यनारायण जोशी का तहसीलदार फलौदी पर एस.डी.एम. फलौदी से दबाव डलवाकर श्री सत्यनारायण जोशी की जगह पटवारी रावतराम को लगाकर चार्ज दिलवाया गया ताकि रावतराम कागजात को सही तैयार करवा कर ग्राम पंचायत के सरपंच से नामान्तरण खरीददारों के नाम करवा सकें।

नायब तहसीलदार, बाप की इस हरकत का जब एस.डी.ओ., फलौदी को पता चला तो उन्होंने तहसीलदार, फलौदी श्री सुखराम खोखर को इन बेचान की बाबत जांच करने का आदेश दिया जिस पर तहसीलदार, फलौदी ने मौके पर जाकर जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 9.4.2001 को तैयार करके दिनांक 11.4.2001 को जिला कलक्टर, जोधपुर एवं उप खण्ड अधिकारी, फलौदी को प्रस्तुत कर दी। इसी दौरान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जोधपुर के अधिकारियों द्वारा संबंधित रिकार्ड भी अपने कब्जे में दिनांक 11.4.2001 को ले लिया बताते हैं। यह कार्यवाही होने के बाद भी दोषी अधिकारियों यानि नायब तहसीलदार, बाप श्री मनमोहन व्यास व रेवेन्यू इंस्पेक्टर इन्द्र सिंह राजपुरोहित व पटवारी रावतराम के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये सारे अधिकारी अपने स्थानों पर अभी भी कार्यरत हैं, परन्तु जांच अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार तहसीलदार, फलौदी श्री सुखराम खोखर को फलौदी से हटाकर जिलाधीश कार्यालय, जोधपुर में लगा दिया है। बाकी उपरोक्त सारे कर्मचारी ज्यों के त्यों अपने स्थानों पर कार्यरत हैं ताकि ये अपने द्वारा करोड़ों रुपये की खसरा नं. 73/424 की जमीन के बेचान में किये गये भ्रष्टाचार के आरोपों से बच सकें।

स्थानीय प्रशासन की इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से स्थानीय लोगों में भयंकर असंतोष है। अतः इस संबंध में राजस्व मंत्री से निवेदन है कि शीघ्र ही दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्थानों से हटाकर निष्पक्ष जांच का आदेश देकर कार्यवाही करावें ताकि सार्वजनिक ओरण की हजारों बीघा जमीन को भू–माफिया के शिकंजे से बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन लाल वर्मा।

डग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर्स एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद

श्री मदन लाल वर्मा (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है कि डग

(श्री मदन लाल वर्मा)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डग विधान सभा का मुख्य अस्पताल है एवं डग विधान सभा मुख्यालय है।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्तमान में 2 चिकित्सकों में एक—एक का स्थानान्तरण हो चुका है एवं एक ही चिकित्सक कार्यरत है। डग मुख्यालय होने के कारण 40 ग्राम पंचायतों का मुख्य केन्द्र है। उक्त चिकित्सालय में लगभग सभी पद रिक्त चल रहे हैं। इसके कारण क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर कुछ दुर्घटनाएं दिनांक 13.12.1999, 29.10.1999 व 6.5.2001 को हुई एवं उक्त दुर्घटनाओं के समय डाक्टर अनुपस्थित होने के कारण जनता में आक्रोश भड़का। अभी 6.5.2001 की दुर्घटना में भी मृतक का पोस्टमार्टम 60 किलोमीटर दूर भवानीमण्डी में कराया गया। ऐसी सूरत में जनता के आक्रोश का सामना मुझे करना पड़ा। दिनांक 7.5.2001 को कलक्टर महोदय द्वारा कराये गये आकस्मिक निरीक्षण में भी कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं था।

महोदय, क्षेत्र में अकाल की स्थिति में पेयजल की स्थिति गम्भीर होने के कारण बीमारी फैल सकती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सालय में चिकित्सकों का नहीं होना जनता में असंतोष फैल रहा है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है।

अतः श्रीमान् के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डग की स्थिति की अविलम्ब जांच करवाई जाकर रिक्त पदों की पूर्ति करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आदराम मेघवाल।

टिब्बी के ग्राम मोदूनगर एवं कलाणों की ढाणी में सेम की समस्या

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी (हनुमानगढ़) के ग्राम मोदूनगर एवं कलाणों की ढाणी के बीच में 50 की बुर्जी पुल से नहर (जी.डी.बी.) पर दो पम्प सैट तथा दो पम्प इन्दिरा गांधी नहर पर लगे हैं जो सेम का पानी उठा कर नहर में डालने के लिए है। लेकिन इन दोनों पम्प सैटों को चलाने के लिए सी.ए.डी. डीजल नहीं दे रही है जिसके अभाव में नहर में सेम का पानी उठा कर नहीं डाला जा रहा है। इसकी वजह से इस क्षेत्र में बुवाई नहीं हो पाई है। इससे काश्तकारों को फसल नहीं बोने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे करोड़ों रुपये का नुकसान किसानों का होगा।

ऐसी स्थिति में किसानों में आक्रोश व्याप्त है। यदि समय रहते डीजल की व्यवस्था करके इन पम्प सैटों से सेम के पानी को नहर में नहीं डाला गया तो काश्तकारों को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी।

(श्री आदराम मेघवाल)

अतः मेरे क्षेत्र की जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि इस सेम की समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

आवास विकास संस्थान द्वारा निर्मित कल्याणपुर पुलिस थाने की इमारत में निम्न निर्माण सामग्री का उपयोग

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आवास विकास संस्थान द्वारा कल्याणपुर पुलिस थाने की घटिया इमारत का निर्माण करने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं :

1. यह कि पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बाड़मेर के भवन का निर्माण आवास विकास संस्थान द्वारा करवाया गया। इस संस्थान ने इतना घटिया सीमेन्ट इमारत निर्माण में लिया जिसके कारण भंवर में प्रवेश होने से पूर्व जगह–जगह से फट गया, दीवारों में दरारें पड़ गई। इस नये थाना भवन का निर्माण कर आवास विकास संस्थान ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया।

2. इस भवन में कोई पुलिस कर्मचारी नहीं बैठता क्योंकि पुलिस ने इस भवन को खराब निर्माण के कारण कब्जे में नहीं लिया है। इस संस्था ने जिन गम्भीर लोगों से बजरी व पानी मंगाया उन लोगों को करीब तीन साल होने जा रहे हैं और एक रुपया भी नहीं दिया है जबकि उनके एक लाख रुपये के करीब बजरी व पानी के बकाया हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र आवास विकास संस्थान के सहायक अभियन्ता व अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही कर भवन का सही पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

अटरू (बारां) क्षेत्र में हो रही आपराधिक गतिविधियां

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय अटरू (बारां) क्षेत्र आतंक के साये में जी रहा है। क्षेत्र का बच्चा बच्चा दहशत में है। न लोग मजदूरी करने जा पा रहे हैं और न ही अन्यत्र अपना काम करने हेतु खेत–खलिहान में जा पा रहे हैं। दिनांक 7.5.2001 को सोमवार को सायंकाल 7.30 बजे के लगभग 10 लुटेरों ने अटरू तहसील के कवाई कस्बे में तिराहे पर श्री ओम प्रकाश नागर जो वैभव एजेंसी, प्रदीप कुमार गर्ग अटरू के मुनीम हैं, जो क्षेत्र से वसूली

(श्री मदन दिलावर)

करके आ रहे थे, उनको लुटेरों ने अकस्मात चाकुओं के वार कर घायल कर दिया जिससे उनके शरीर क नाजुक हिस्सों पर आठ गम्भीर चोटें आई हैं और वह अस्पताल में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। उसको घायल करने के बाद लुटेरे उसके पास से 1.50 लाख रुपये लूट कर ले गये। ताज्जुब इस बात का है कि लुटेरे पैदल थे और पैदल ही भाग निकले और कवाई में ही पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आये। यही नहीं, लुटेरे वहां से भागने के बाद ल्यासी नदी की पुलिया के पास हनुमानजी के मंदिर पर निवास कर रहे पुजारी पर चाकुओं से हमला करके उसको भी घायल कर गये। यही नहीं, बनवारी लाल जो भगवान मंगल के ट्यूब वैल पर मजदूरी करता था उसे भी घायल कर दिया तथा स्वर्गीय रफीक ठेकेदार का रिश्तेदार जो उनके खेत पर था, उस पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया।

दूसरे दिन 8.5.2001 को तीन अध्यापक हंसराज, भंवर लाल, सहित जब अटरू से जा रहे थे तो लुटेरों ने उनको रोक कर हथियारों से हमला कर उनको बुरी तरह से घायल कर दिया। आज वे भी अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी कोई भी लुटेरा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इसके विरोध में कवाई कस्बा पूर्णतः बन्द रहा। गांव वालों को वहां बाहर से जाकर एक दो महीने से समूह बना कर रह रहे लागों पर शंका हुई। जब गांव के लोग उनकी तलाशी लेने गये तो जीप में अपने हथियारों सहित भाग गये। तीन व्यक्ति जो जीप में नहीं चढ़ पाये उन्हें पकड़ा तो उनके पास हथियार निकले, परन्तु पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर आम जनता को परेशान कर रही है। इस सारी घटना से पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ है, जनता आन्दोलित है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत गृह मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र राठौड़। श्री राठौड़, पर्ची पर बोलो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरा 295 का है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो, बोलो।

बामनवास के माडा ग्रामों की पेयजल समस्या

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के करीब 19 माडा ग्रामों कोयला, सारंगपुरा, जीवद, शफीपुरा, मीना ठीकरी, नारौली चौड़, ठीकरिया, भानड़, सुन्दरी, सरसाली, राधे

(डा. किरोड़ी लाल)

की, बंधावल, सराय, गीटोली, राधोपुरा, अभयपुरा, जाहिरा, कोहली प्रेमपुरा तथा पंचायत समिति बौंली के छह माडा ग्रामों मानोली, गाढोता, बहनोली, पीपलवाड़ा मांगरोल एवं मामडोला में पेयजल की गुणवत्ता विभागीय मापदण्डों के अनुकूल नहीं है। इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की माकूल व्यवस्था अभी तक विभाग ने नहीं की है। इन गांवों में कुछ हैण्ड पम्प लगाये गये हैं जिनमें पानी खारा है और लोगों को पानी के लिए दूर–दराज तक भटकना पड़ रहा है।

बानौर शफीपुरा जल प्रदाय योजना (पंचायत समिति बामनवास) से करीब 17 गांवों को जोड़ रखा है, किन्तु मात्र बामनवास पट्टी कलां एवं खुर्द को छोड़ कर शेष गांवों में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके करण रानीला, बड़ीला, टुंडीला, मीना ठीकरी, राधे की, रामसिंहपुरा, शफीपुरा, राधोपुरा, अभयपुरा, बंधावल, सराय, झाडौली, नागतलाई, भौताई, सारंगपुरा आदि गांवों को कई वर्षों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये सभी गांव खारे पानी वाले हैं तथा अधिकतम माडा ग्राम है। मेरा आग्रह है कि इन गांवों के पानी की समस्या का स्थाई समाधान करने की दृष्टि से मोरासागर बांध (डूंगरवाड़ा) जो कि बामनवास पंचायत समिति में है, स्रोत विकसित कर पेयजल योजना बनाई जाकर स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेयजल संकट के कारण समूचा माडा क्षेत्र खाली हो जाएगा।

पंचायत समिति बामनवास के ग्राम डूंगरपट्टी, अमावरा, जिसकी करीब एक दर्जन ढाणियां पहाड़ पर बसी हुई हैं, को पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। योजना की राशि स्वीकृत हुए दो वर्ष बीत गये, किन्तु यह गांव अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाया है। ग्राम बैराड़ा को मांदल गांव से अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ा जाना गम्भीर चिंता का विषय है।

इसी प्रकार पंचायत समिति बौंली के ग्राम बहनौली जो क्षेत्रीय जल योजना पीपलवाड़ा से जुड़ा हुआ है, की वर्ष 1981 की बाढ़ में पाइप लाइन बह गई थी, उसे आज तक नहीं डाला जाना चिंताजनक है। मेरा आग्रह है कि पीपलवाड़ा से बहनौली पाइप लाइन को शीघ्र स्वीकृत कर डलवाया जाए।

कस्बा बौंली में भी पेयजल की भारी किल्लत है। ढील नदी जामडोली में अभी तक विभाग द्वारा प्रस्तावित ट्यूबवैल को स्थापित नहीं किया गया है, जिसके कारण कस्बे में पयेजल की त्राहि–त्राहि मची हुई है।

अतः उपरोक्त ग्रामों की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु शीघ्र कार्यवाही कराने का निर्देश प्रदान करें। विभागीय अधिकारी इस मामले में लीपापोती कर रहे हैं तथा उनकी गम्भीर लापरवाही से आम जनता

(डा. किरोड़ी लाल)

त्रस्त है। अतः इसमें अविलम्ब कार्यवाही कराई जाए।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप।

राजस्थान की महिला जन प्रतिनिधियों के लिए राजस्थान बीकानेर हाउस में आवास की व्यवस्था का प्रकरण

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंस्टीट्यूट आफ सोशल साईसेज, नई दिल्ली द्वारा महिला सशक्तीकरण दिवस दिनांक 24/25 अप्रैल, 2001 को कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में मनाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्थान से 10 महिला जन प्रतिनिधियों को चुना गया और राजस्थान सरकार ने इनको चिट्ठियां लिखीं कि आपके आने–जाने का किराया वगैरह का खर्चा तो आपका कार्यालय वहन करेगा लेकिन वहां पर रहने की व्यवस्था आपके लिए बीकानेर हाउस में की गई है, 23 से लेकर 26 तारीख तक। उपाध्यक्ष महोदय, 23 तारीख की शाम को 5 बजे के करीब जब ये महिला जन प्रतिनिधि वहां पहुंची बीकानेर हाउस में और वहां बातचीत की तो उन्हें अवगत कराया गया कि आपके लिए यहां पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपके पास पत्र होगा लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है, आप राजस्थान हाउस जाएं। वहां से सारी की सारी इकट्ठा होकर राजस्थान हाउस में आई। वहां पर भी उन्हें यही जवाब मिला कि आपके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, रात के समय में वे किसी होटल में रुकीं। अगले दिन जब वे मीटिंग में गई उससे पहले उन्होंने सोचा कि शायद राज्य सरकार से कोई सूचना आ गई होगी। पता किया गया तो पता करने पर पता चला कि हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त आवास आयुक्त श्री विमल शर्मा से जब वे मिलीं और उन्होंने जब वह चिट्ठी दिखाई तब उन्होंने जयपुर बात की। जयपुर बात टेलीफोन पर क्या हुई, इसका तो पता नहीं लेकिन श्री विमल शर्मा ने जो इनका पत्र था उसके ऊपर लिखा, वह मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।

"As directed the rooms may be provided in the Rajasthan House/Bikaner House as on concessional rates. As per the orders of the Secretary, G.A.D., a formal order will be sent to your office from the Deputy Secretary, G.A.D.,"

यह लिखने के बाद वे महिला जन प्रतिनिधि तो मीटिंग में चली गई। उनके

(श्री रामप्रताप)

साथ वाले आदमी उस मोस्ट अर्जेन्ट लिखे हुए आर्डर को लेकर राजस्थान हाउस में गये। वहां पर जो भी अधिकारी बैठे थे उन्हें कहा कि यह पत्र है तो उन्हें कहा गया कि जिला प्रमुख को वहां पर ले आओ, कमरा दे देंगे। यह जवाब उनका था। अतिरिक्ति आवासीय आयुक्त के लिखने के बाद शाम को जब ये दुबारा आई, उनको पता था कि इस तरीके से मोस्ट अर्जेन्ट लिख कर दिया है। पर राजस्थान हाउस में आने के बाद इनको वहां ज़वाब मिला कि आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय हमारे राजस्थान से संगरिया के विधायक श्री के.सी.विश्नोई, पीलीबंगा के विधायक श्री हरचन्द सिंहजी, नोहर की विधायक श्रीमती सुचित्रा आर्य और भादरा के विधायक श्री संजीव बेनीवाल खुद वहां उपस्थित थे और उन्होंने भी उनसे कहा कि जब ये राज्य सरकार का आदेश ये दिखा रही हैं तो इनको जगह क्यों नहीं दे रहे हैं आप। जब यह चर्चा चल रही थी उसी समय आपके पूर्व मंत्री श्री लालचन्द डूडी आ गये। इन सबने आग्रह किया, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हारकर इन सब महिला प्रतिनिधियों को धरने पर बैठना पड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक महिला प्रधान राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री की पत्नी हैं, वह भी उन धरने में शामिल थीं। उन्होंने वहां से टेलीफोन पर जयपुर बात की अपने पतिदेव से कि इस तरीके से यह महिला सशक्तीकरण का यह नमूना है क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हीरालाल जी इन्दौरा की पत्नी थी। खान राज्य मंत्री की पत्नी थी।

श्री रामप्रताप : आज हम यहां धरने पर बैठी हैं, जगह–जगह की ठोकरें खा रही हैं। उसके बाद में माननीय मंत्री महोदय ने जी.ए.डी. सैक्रेटरी से बात की और बात करने के बाद में उनको रात में रुकने की व्यवस्था की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से, उप शासन सचिव, राजस्थान जयपुर का जो पत्र इनको लिखा गया है, पढ़ कर सुनाता हूं।

बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि इंस्टीट्यूट आफ सोसियल साइंसेज, नई दिल्ली द्वारा महिला राजनीति सशक्तीकरण दिवस दिनांक 24/25 अप्रैल, 2001 को कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में मनाया जा रहा है जिसमें इस राज्य से भी पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के भाग लेने हेतु दस सीटें आरक्षित की गई हैं। जिसमें राज्य सरकार द्वारा आपका चयन किया गया है। उक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिला प्रतिनिधियों के उनके मुख्यालय से कार्यक्रम

(श्री रामप्रताप)

आयोजन स्थल तक आने—जाने में जो व्यय होगा वह आपके संबंधित कार्यालय द्वारा देय होगा तथा कार्यक्रम दिवस पर भोजन आदि की व्यवस्था उक्त इंस्टीट्यूट द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। "इसके साथ ही आवास की सुविधा राज्य के दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में दिनांक 23.4.2001 से 26.4.2001 तक की गई है"

यह आदेश है डिप्टी सैक्रेटरी का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि लम्बे समय के बाद में राजस्थान में व्यवस्था की गई महिलाओं के आरक्षण की, उसके बाद में महिलाएं सरपंच भी बनीं, पंच भी बनीं, प्रधान और प्रमुख भी बनीं। वे घर की चारदीवारी से बाहर निकली ही थीं, घूंघट का पल्लू उन्होंने पूरा उठाया ही नहीं था और जब यह आश्वासन और यह पत्र दिया गया तो वे ज्यादा पैसे नहीं ले जाकर, आने—जाने के खर्चे के तौर पर पैसा लेकर गई। दिल्ली में आपको जानकारी है कि पांच सौ रुपये से कम कोई कमरा नहीं मिलता। जिन्होंने गांव की गलियों के सिवाय नहीं देखा, वे दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से परेशान होती फिरीं और राज्य सरकार का यह पत्र लेकर घूमती रहीं, इससे ज्यादा शर्म की बात राज्य सरकार के लिए नहीं हो सकती। इसलिए मेरी यह मांग है कि जो भी अधिकारी जिन्होंने राजस्थान हाउस या बीकानेर हाउस में इस किस्म का महिलाओं के साथ व्यवहार किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय यह मामला कोई छोटा—सा नहीं है। इससे बड़ा सबूत आपके पास क्या हो सकता है...

श्री मदन दिलावर (अटरू) : महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : महिला सशक्तीकरण के नाम पर इस तरीके का आयोजन किया गया और...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आदेश के बावजूद भी बीकानेर हाउस और राजस्थान हाउस में कमरा नहीं मिले और आज सरकार इस तरह का व्यवहार...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : और उसके बाद भी सरकार ने इस तरह की गफलत की, मंत्री की पत्नी और प्रधान, उनको धरने पर बैठना पड़ा।

श्री मदन दिलावर : महिलाओं के साथ करें यह अन्याय की पराकाष्ठा है। एक तरफ तो महिला सशक्तीकरण हम मना रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच जी.ए.डी. सैक्रेटरी से करवा कर यदि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री रामप्रताप : यह यदि–वदि क्या होता है ? यह लिखा पड़ा है सामने डिप्टी सैक्रेटरी का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो स्पष्ट है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जांच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामप्रताप : आपकी पार्टी के चार विधायक मौजूद थे, ये गवाह हैं इस बात के।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किस बात की जांच कराएंगे ? बात बिलकुल स्पष्ट है।

श्री रामप्रताप : आप चारों से पूछ लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बात बिलकुल स्पष्ट है क्या जांच कराएंगे ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, चार विधायक रूलिंग पार्टी के वहां मौजूद थे और राजस्थान के एक मंत्री की पत्नी... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाउस के अंदर 17 ऐसे लोग ठहरे थे जो एंटाइटल नहीं थे। 17 लोग रुके हुए थे राजस्थान हाउस में उस दिन। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, It was a communications gap, और इसकी पूरी जांच करवा कर कार्यवाही की जाएगी। और क्या कर सकते हैं इसमें ? पर्ची के ऊपर आप इससे ज्यादा क्या कार्यवाही करवा सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, चार माननीय सदस्य थे, उनमें एक महिला आपके राज्य मंत्री की धर्मपत्नी थी। बड़े शर्म की बात है आपके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना कि कार्यवाही करेंगे। और क्या चाहते हैं आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी धरने पर बैठी थीं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जांच किस बात की करवाएंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बहुत शर्मनाक बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या हुआ ? कहा है कि जांच करवाएंगे। कह दिया न उन्होंने। इसका जवाब मिल गया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय 17 व्यापारी रुके हुए थे राजस्थान हाउस में उस दिन। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप क्या चाहते हो ? मैंने यह कहा है कि उसकी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जांच करवाऊंगा और जांच करके कार्यवाही कराऊंगा। जांच करा लूंगा इसकी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें, माननीय सदस्य। मंत्रीजी ने कह दिया, उसके बाद क्या चाहते हैं आप ?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, यह बताएं कि आपकी जांच की रिपोर्ट दस दिन के भीतर आ जाएंगी ? डेढ़ हफ्ते के भीतर आपकी जांच रिपोर्ट आ जाएंगी ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, पर्ची के माध्यम से जो प्रश्न उठाये जाते हैं उसमें इससे ज्यादा आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि इस प्रकरण की जांच करवाकर उपयुक्त कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इन मंत्रियों की पत्नियां नाराज होकर मंत्री को तलाक दे जाएंगी।

श्री सावंर लाल : आप कुछ बोल तो रहे हैं, हमारा तो जवाब ही नहीं आ रहा स्थगन प्रस्ताव का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी, मानीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव, 131 का आज तक नहीं लगा इस सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने प्रश्न उठाया वह बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप : आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। आप जांच करवाएंगे, आपके राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य की धर्मपत्नी वहां थी, आप टेलीफोनिकली बात कर लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बात तो स्पष्ट है...

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सब मैंने नोट कर लिया है।

श्री रामप्रताप : एक मिनट, मुझे इंटरवीन मत करें आप। जो भी व्यवस्था मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। उनकी धर्मपत्नी उसके साथ थीं फिर उसके बाद में चार माननीय सदस्य आपके सत्ता पक्ष के थे। आपको कहां जांच कराने की जरूरत हैं ? पत्र आपके सामने है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किस बात की जांच कराएंगे, मामला तो स्पष्ट है बिलकुल ?

श्री रामप्रताप : क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि आपके मंत्रिमण्डल का एक सदस्य, उसकी पत्नी साथ में है और आप जांच करवाना चाहते हैं ? किस चीज की जांच करवाना चाहते हैं आप ? वह धरने पर बैठी है और उसी ने यहां टेलीफोन किया है। टेलीफोन करने के बाद में उनके पतिदेव ने जी.ए.डी. सैक्रेटरी से बात की है, उसके बाद में उनको रुकने की

(श्री रामप्रताप)

व्यवस्था मिली है। इसमें आप क्या जांच करवाएंगे ? इसमें आप क्या जांच करवाना चाहते हैं ? इससे ज्यादा क्या जांच होगी, उपाध्यक्ष महोदय, ? किस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उससे ज्यादा जांच क्या होगी, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 17 व्यापारी, बाहर के लोग रुके हैं, राजस्थान हाउस में 17 व्यापारी रुक रहे हैं और राजस्थान सरकार द्वारा भेजा गया महिला प्रतिनिधिमण्डल गलियों में घूमता रहे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो ? (व्यवधान) कह दिया कि जांच करा लेंगे, कार्यवाही करेंगे, और क्या हो सकता है ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : तुरन्त कार्यवाही चाहते हैं हम। जांच वगैरह कुछ नहीं, जांच में लीपापोती होती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सस्पैण्ड करके आगे की जांच करें तो बात समझ में आती है। महिलाओं को इसी तरह से सम्मान देंगे, आगे लाने की, बराबरी की बात करेंगे ? महिला सशक्तीकरण वर्ष है और अगर ऐसा ही करना चाहते हैं तो फिर क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। आप विराजें, प्लीज। विराजें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाल रहा तो इनकी पत्नियां तलाक दे जाएंगी सब। मंत्रियों की पत्नियां इनको तलाक दे जाएगी। ये अपनी पत्नी की बेइज्जती करवा रहे हैं एक मंत्री और यह मंत्री। सब की सब तलाक दे जाएंगी, आपकी पत्नियां तलाक दे जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्या बेइज्जती करवा रहे हैं ? अपनी पत्नियों की बेइज्जती करवा रहे हैं, महिलाओं की बेइज्जती करवा रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात है कि महिलाओं की बेइज्जती हो और अपनी पत्नी की। एक मंत्री अपनी पत्नी की। सारे मंत्री तलाक हो जाएंगे, पत्नियां छोड़ जाएंगी सब को।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री रामप्रताप : आधी लाइन है, साहब। उपाध्यक्ष महोदय, एक लाइन मैं पढ़ कर सुनाता हूं आपको। जब आपके वहां के

(श्री रामप्रताप)

अतिरिक्त आवासीय आयुक्त को मोस्ट अरजेंट लिख कर यह पत्र भेजा, उसके बाद में वे महिलाएं मीटिंग में चली गई। एक मिनट, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामप्रताप : साथ में जो व्यक्ति था उसको पत्र दिया और वह पत्र लेकर राजस्थान हाउस में गया। तब जो बात उसको कही गई कि जिला प्रमुख को खुद को लेकर आओ, कमरा दे देंगे। यह हमारे लिए शर्म की बात है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इनके राज में तो हमको कमरे नहीं मिलते थे, क्या बात करते हैं आप ? कोई कम्युनिकेशन गैप रहा, उसकी जांच करवा लेंगे। हमको भी नहीं देते थे यह कमरे। क्या बात करते हो आप ? मैंने कह दिया न कि जांच करवा कर जो भी दोषी होगा उसको दण्डित करूंगा। और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा ? क्या चाह रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ ढाई साल हो गये राज बदले, हमारे राज +++ अब +++

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाकर जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें। माननीय किरोड़ी लालजी। डा. किरोड़ी लालजी, विराजें प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप : जिले की वह पहली महिला है, फर्स्ट लेडी है जिले की।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आपने अपनी बात कह दी। आपने जो कुछ कहा है...

श्री रामप्रताप : यह जांच करवाएंगे +++

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, एक मिनट। बैठें न आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक शेर तो सुन लीजिये, साहब। घोड़ों को नहीं मिलती है घास, इनके राज में गधे खाते है च्वयनप्राश।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले काटते थे मच्छर और इनके राज में काटते हैं डांस। यह हालत है, साहब। पहले काटते थे मच्छर, अब इनके राज में काटते हैं डांस।

श्री उपाध्यक्ष : बैंठे, आप बैठिये, प्लीज।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को पता था, +++ हाउस में नहीं आये। उनको पता था कि पर्ची आई हुई है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री रामप्रताप : और आपके +++ नहीं है, आप उसकी जांच करवाएंगे। यह जांच कराने की बात है ? इससे ज्यादा जांच और क्या चाहिए आपको ? जांच के नाम पर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं। इस बात के महत्व को खतम करना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : उनकी पत्नी रूठी हुई है उनसे, पांच दिन से मंत्रीजी से बात नहीं कर रही है। उनकी पत्नी इतनी रूठी हुई है कि पांच दिन से बात नहीं कर रही है कि जो आप * मेरा सम्मान नहीं कर सकते आपकी * सरकार मेरा सम्मान नहीं कर सकती तो +++

श्री सुरेन्द्र व्यास : टाइम फ्रेम निश्चित करा दो जांच का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जांच वाली बात ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने प्रश्न उठाया, आपने सारी बात कह दी। मंत्रीजी ने यह कह दिया कि मैं जांच कराकर कार्यवाही करूंगा। उसके बाद में क्या हो सकता है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह जांच कब तक ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : हमारा आब्जेक्शन इस बात पर है, अगर यह कह देते कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यह जांच...

श्री उपाध्यक्ष : यह देखें तो सही न उसको। इन्होंने कह दिया तो मान लें। ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री रामप्रताप : एक आपके कलीग की वाइफ साथ में, आप उसकी जांच करवा रहे हैं ? अगर आप कह देते कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपका पीछा छोड़ देते...

श्री उपाध्यक्ष : जांच के लिए कह दिया कि जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे।

एक माननीय सदस्य : लगता है वह बहुत पावरफुल है।

श्री रामप्रताप : अगर आप यह कहते कि मैं टेलीफोन से पूछ रहा हूं जब तो बात का ही मजा आता।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, उसकी मैं तुरन्त जांच कराकर कार्यवाही करूंगा, तो बात क्या रही ?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : इसमें थोड़ासा और मंत्रीजी सुधार कर लें। आप इसमें जांच कराएं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन जांच का समय निश्चित हो और उसकी रिपोर्ट इस सदन के पटल पर आ जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : टाइम फ्रेम निश्चित करा दें। जांच वाली बात ठीक है। टाइम फ्रेम निश्चित करा दें, समय सीमा।

श्री उपाध्यक्ष : Enquiry will take its own time. I can't...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, आप इतना–सा बता दें, समय सीमा निश्चित कर दें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, केवल आप इतना पाबंद करा दें कि जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर आ जाए। बस इतना आप करा दीजिये। हम इससे संतुष्ट हैं केवल जाचं कराकर लीपापोंती वाला काम नहीं, जांच कराकर आप सदन के पटल पर रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : जांच होने के बाद सारा देख लेंगे। पहले जांच तो होने दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जांच रिपोर्ट आसन को दे दें कि यह जांच हुई और इसमें यह परिणाम निकले, उसमें भी हम संन्तुष्ट है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : एक मेरी बात आप भी सुन लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, डाक्टर साहब, समय–सीमा निश्चित कर दें मंत्रीजी। जांच की कोई समय–सीमा करें जो माननीय अमरारामजी ने सुझाव दिया कि प्राइमरी इन्क्वायरी तीन दिन में, चार दिन में पांच दिन में कब तक करा लेंगे।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। आप तो जर्मनी, जापान घूमते हैं सपत्नीक, हमारी वाली महिलाएं घर से बाहर अभी निकली हैं, इसलिए हमारी आपने नाक काटी है गांव के आदमी की।

एक माननीय सदस्य : और इस पर आप बोल नहीं रहे हैं। वे वहां जाकर के कहां रुकेंगे, आपने इस तरीके से व्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, आपकी पर्ची है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : टाइम का क्या हुआ ?

श्री रामप्रताप : टाइम का तो पता कराइये, साहब। एक टेलीफोन से पता चल सकता है। राज्य मंत्री से पूछ लेना। आप बोल क्यो नहीं रहे हैं ? (व्यवधान) इसमें टाइम तय करने में कौन सा पहाड़ गिर रहा

(श्री रामप्रताप)

है ? मंत्रीजी, आप तो जयपुर में है, आप उनसे जानकारी हासिल कर लें। वे विधायक आपके यहां पर हैं उनसे पता कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्देशित करें, समय सीमा तो होनी चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस विधायक यहां बैठे हैं, जिसका प्रमुख यहां हैं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार एम.एल.ए. मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक्स मिनिस्टर लालचन्द डूडी मौजूद थे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री रामप्रताप : और यह आपके वहां के उपायुक्त का लिखा हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : टाइम तय करवा दें, साहब, टाइम। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जो कहते हैं वो ठीक है। माननीय मंत्री महोदय, बहुत गम्भीर विषय आपके सामने रखा है और उसकी गम्भीरता आप भी मान रहे हैं। मंत्री महोदय से केवल इतना चाहते हैं, किसी जांच की तो आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी यदि आप करते हैं तो करके कब दे देंगे ? इसमें क्या मना कर रहे हैं कि वह यह बात नहीं कहे ? और हमको आप कहते हो कि ठहर जाओ। यहां जो विषय रखा जाता है वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं रखा जाता कि केवल आप सुन रहे हैं कथा की तरह।

श्री उपाध्यक्ष : जांच के लिए कह दिया न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : We want action.

श्री रामप्रताप : टाइम तो हो, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कहां बता रहे हैं टाइम ? वे क्यों नहीं बता रहे हैं यह ? क्या प्राब्लम है इसमें ? आप साल भर का टाइम दीजिये। आप साल भर का टाइम दीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : इसकी समय सीमा मंत्रीजी बता दें कि इतने समय में जांच हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नो, नो, नहीं चलेगा। जब तक टाइम नहीं देंगे हम नहीं चलने देंगे आपको।

श्री अमराराम (धोद) : जांच तो एक साल तक चलती रहेगी, उपाध्यक्ष महोदय, क्या मतलब निकलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब तक समय तय नहीं करोगे नहीं चलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप : इसमें कौनसी लम्बी चौड़ी जांच है, साहब, ये सबूत आपके सामने है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) निश्चित समयावधि बता दें। यह क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा तो होनी चाहिए न। समय सीमा नहीं होगी, साल भर चलती रहेगी जांच। सभी अधिकारी करेंगे जांच समय सीमा नहीं होगी तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान का अपमान है, राजस्थान की हमारी मांओं का अपमान है, राजस्थान की हमारी बहनों का अपमान है। गांव की औरतें जाएं और राजधानी के अंदर जगह नहीं मिले और 17–17 व्यापारी अवैध रूप से रुके रहे। यह नहीं चलेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : आज इस हाउस के पांच मैम्बरों के सामने यह घटना हुई है, आज तो उनके साथ हुई है, कल माननीय सदस्यों के साथ होगी। जब सरकार के आदेश को...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। आपका प्रश्न ही नहीं है आप क्यों बोल रहे हैं ? आपका थोड़े ही प्रश्न है ? प्रश्न आपने नहीं उठाया, आप क्यों बोल रहे हैं ? आप विराजिये प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, जब प्रश्न यहां आ गया तो सबका ही है प्रश्न। उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार का आदेश ये नहीं मान रहे हैं तो कल माननीय सदस्यों के लिए नहीं माना जाएगा। अगर उन पर समय सीमा...

श्री उपाध्यक्ष : हां देते है, देते हैं। आदेश देते हैं, आप बैठिये तो सही। आप बैठेंगे तो दूं न समय सीमा। आप बैठे तो दूं न।

श्री रामप्रताप : (व्यवधान) इसके लिए आप समय सीमा निर्धारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। माननीय सदस्य, आप सब जानते हैं कि दो रोज बाद हाउस एडजोर्न हो जाएगा, अगला हाउस मीट करेगा तब जांच की रिपोर्ट पेश कर देंगे।

श्री रामप्रताप : यह दो दिन लगने वाला मामला है क्या, साहब ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, साहब।

श्री रामप्रताप : यह मामला दो दिन लगने वाला है क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अगले हाउस में कर देंगे। अगला हाउस तो...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : महिला उत्पीड़न का मामला है, साहब।

श्री रामप्रताप : (व्यवधान) इतनी देर में आप पता कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, महिला उत्पीड़न का मामला है, महिलाओं के अत्याचार का मामला है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान हाउस की जांच में 6 महीने लेंगे वे तो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामप्रताप : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई चारा ही नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह महिला उत्पीड़न का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप क्या चाहते हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : (व्यवधान) जांच का समय 6 महीने होगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : महिला उत्पीड़न का मामला है यह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक सप्ताह का समय दे दो। जांच कितनी करानी है, उपाध्यक्ष महोदय ? कोई खोज थोड़े ही करानी है ? कोई लम्बी—चौड़ी जांच नहीं है, सात दिन में जांच करवा लें बस।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह नहीं चलेगा, उपाध्यक्ष महोदय। महिला उत्पीड़न का मामला है, महिलाओं पर अत्याचार का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं डाइरेक्शन दे रहा हूं। चेयर डाइरेक्शन दे रही है कि जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी, फिर क्या बात है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह अपमान राजस्थान की बहनों का और माताओं का है, यह अपमान हम नहीं सह सकते। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन सदन की कार्यवाही अभी चलेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, दो दिन में लाएं रिपोर्ट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर मंत्रीजी यह कमिट करते हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) मंत्रीजी की पत्नी अगर इनकी पत्नी होती, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता तो क्या होता, साहब ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी यह कमिट करते हैं, प्रारम्भिक जांच कराकर अगर उसमें तथ्य सही पाये जाएं तो परसों सदन में रिपोर्ट दें कि फाइनल इन्क्वायरी शुरू कर दी और उनको सस्पैंड कर दिया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, यह जांच यहां की नहीं है, Enquiry pertains to Delhi.

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के पास...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : राजस्थान और बीकानेर हाउस राजस्थान की सम्पत्ति है और... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला कुछ महिला प्रतिनिधियों का मामला है। यह अपमान है राजस्थान की बहनों का, हमारी माताओं का यह अपमान हम सहन नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, परसों तक जांच चाहिए।

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जांच कब तक पूरी हो, यह विवाद का विषय बना हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह विवाद नहीं है। डाइरेक्शन दे दिये मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आपका वह सुन लिया मैंने। आपने जो डाइरेक्शन दिया वो सर पर है, लेकिन इसलिए बीच में मैं बोलना चाहता हूं कि आपने कहा कि हम जांच कराएंगे बीकानेर हाउस का मामला है और कहीं का नहीं है न ?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान हाउस का भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान हाउस, बीकानेर हाउस आप शाम को टेलीफोन करके बता दीजिये कि इस मामले में स्थिति क्या है। इसका क्यों विवाद खड़ा कर रखा है ? आप भी नहीं चाहते कि महिला का अपमान हो, हम भी नहीं चाहते, तो प्रारम्भिक जांच के नाते आप टेलीफोन करके बता दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, ठहरो। हरिसिंहजी, ठहरो।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, ऐसे नहीं (व्यवधान) मैं नहीं अलाउ करूंगा...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं अलाउ कर रहा

(श्री उपाध्यक्ष)

हूं बोलना। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को सुनेंगे। केवल मंत्री को सुनेंगे हम।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, आपको नहीं सुनेंगे हम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो। क्या तकलीफ है ? विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्री महोदय को बोलने नहीं दे रहे हैं ये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुन तो लें कि क्या बोल रहे हैं ये। मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। क्या कहते हैं आप सुन लें। विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को बोलने से आसन ही नहीं रोक सकता, ये कौन होते हैं रोकने वाले ? आप बैठो, मंत्री बोलेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कौन होते हैं मुझे बैठाने वाले ? आप मुझे बैठाने वाले कौन होते हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) ये मुख्य मंत्री हैं क्या, मंत्रीजी का अपमान कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप जानते ही नहीं हैं मैं क्या हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन का अपमान कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कभी नियमों को पढ़िये। कभी नियमों को पढ़ा करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, नियमों को पढ़ा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अगर पढ़े होते तो ये प्रश्न नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह +++ प्रश्न आप नहीं करते कि मैं कौन होता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : महिला विरोधी हो। महिला उत्पीड़न का मामला है, यह आपने महिलाओं पर...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सदन नियमों से चलता है और इसमें असिस्ट करने की मेरी जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) उनकी पत्नी जिसके साथ अत्याचार हुआ है, अपने साथी को भी नहीं बख्शेंगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय हरिसिंह जी, महिला विरोधी हो क्या आप ?

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंहजी, आप विराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप मंत्रीजी को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, आप विराजिये प्लीज। माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पर महिला विरोधियों को समझिये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनके मूंछे हैं तो इधर भी मूंछें हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी बोल रहे हैं, मंत्रीजी को बोलने दीजियें। आप कौन होते हैं बीच में ? मंत्रीजी बोल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं बोलने दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, बोले आप।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। यह प्रश्न पर्ची का था, माननीय सदस्य बोले, He is only allowed to speak. इसके बाद आप इतने माननीय सदस्य बोले हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी बोलते हैं तो आसन रोकता नहीं है उनको।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको बहस करने की इजाजत नहीं है इन पर नियमों में।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। आप कितने माननीय सदस्य बोले, हमने आपको सबको अलाउ किया। क्या तकलीफ है, एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसमें आपको क्या एतराज हो रहा है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं तकलीफ नहीं है, पर मंत्रीजी को बीच में बैठाने की ज़रूरत क्या है ? मंत्रीजी इस पर वक्तव्य दे रहे हैं, मंत्रीजी बोल रहे थे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) धमकी भरे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) मुख्य सचेतक धमकी मार रहे हैं। मुख्य सचेतक धमकी कैसे मार रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नों, नो, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये धमकी नहीं मारे, साहब। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) ये मूछों को तान कर धमकी दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी को धमका रहे हैं ये।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी को धमका रहे हैं, माननीय सदस्य को धमका रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। ये उनका मामला है, आपको क्या लेना देना, धमका रहे हैं कि नहीं धमका रहे हैं ? How are you concerned to it ?

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका नहीं होता किसी को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सुरेन्द्रजी व्यास He is the Chief Whip of the party and he has a right to speak. I have allowed him. What is the problem?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनको इजाजत दीजिये बोलने की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, बिलकुल बोले, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बोल रहे थे...(व्यवधान) नहीं, नहीं यह सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं इन्होंने अलाउ कर दिया। (व्यवधान) यह कोई आर्ग्युमैंट का प्रश्न ही नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपकी ही बात चलेगी क्या ? मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप हर एक मामले में खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में बोल लेंगे मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको बैठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल लेंगे, उसके बाद बोल लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी बोलते हैं तब हमको भी दो मिनट बैठने के लिए कहते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोल लिये न बहुत।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, तो आप हमको भी कहते हैं कि मंत्रीजी को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रोका नहीं आपको बोलते हुए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी के वक्तव्य को...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं खड़ा हुआ हूं आसन की इजाजत से, आप ध्यान तो रखते नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य हरिसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बोलें खूब बोलें। बोलें तो सही।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर से शोरगुल हो रहा था, इस इश्यु पर मेरा मन भी नहीं था पर चूंकि प्रतिपक्ष के नेता...(व्यवधान)

(13:00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह इसे शोरगुल कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह क्या हो रहा है ? आप अब बोल रहे हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खेद प्रकट कीजिए, आप शोरगुल कैसे कर रहे हो ? (व्यवधान) शोरगुल को आप कार्यवाही से निकालो। आप माफी मांगिए।

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक तो महिलाओं पर अत्याचार करो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, महिलाओं पर अत्याचार करके फिर शोरगुल मचा रहे हैं। इतना गंभीर मामला है, इसको शोरगुल कह रहे हो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री आर.पी. शर्मा : आपके टाइम में तो कई रैप हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी, आप बैठिए। आप बोलो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : चूंकि प्रतिपक्ष के नेता हाउस में पधारे, मेरा मन यह था कि आपके सामने मैं नियमों के संबंध में अनुरोध कर सकूं आपसे। पर्ची के माध्यम से जब प्रश्न उठाया जाता है उस पर इलेबोरेट डाइरेक्शन यहां अध्यक्ष कार्यालय से निकले हैं और उसमें यह है कि पर्ची पर उठाने वाला व्यक्ति ही बोलेगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा। सरकार को किसी का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मंत्रीजी ने विशेष संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, विषय की गम्भीरता को जानते हुए इसमें जब जवाब दे दिया कि मैं जांच करवा रहा हूं, आसन ने उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद इतना इर्रिटेट होने की, इस पर इतना एजीटेट होने की आवश्यकता कहां है। मैं विशेषकर आपसे अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कृपया पर्ची के माध्यम से बोलने की जो व्यवस्था है इसका दुरुपयोग न हो, इस बात के लिए आप अपने माननीय सदस्यों को रोकिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इस विवाद को समाप्त करने के लिए इसी संबंध में सुझाव दिया था। मांग यह हो रही थी कि जांच रिपोर्ट जब आएगी, अगले सैशन में आएगी या 10 दिन बाद में आएगी। मंत्री महोदय टेलीफोन करके पूछ लें, और प्रारम्भिक रूप से वह क्या कहना चाहते हैं हाउस में आज ही कह दें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिए। आसन की व्यवस्था हो गई इस पर कि अगला सत्र जो आएगा उसमें इसका जवाब यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। आसन की

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह महुवा)

व्यवस्था हो गई, अब व्यवस्था के ऊपर और कोई व्यवस्था आप चाह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिए, व्यवस्था तो यह है कि मैं बोल रहा हूं तो चीफ व्हिप को खड़ा नहीं होना चाहिये। यह व्यवस्था है तो आप बैठ जाओ पहले।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बिलकुल सही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजो। माननीय हरिसिंहजी, विराजो, सुन लो उनको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना–सा ही निवेदन कर रहा था कि इस मामले में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई उसका निराकरण इस बात से हो सकता है कि प्रारम्भिक जांच, जांच आप टेलीफोन के रूप में भी कर सकते हैं। वहां पर आपका रेजीडेंट कमिशनर रहता है, उस रेजीडेंट कमिशनर को आप कह कर मालूम कर सकते हैं कि यह घटना सही है या गलत है, कहां तक सही है और किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है। पूछ कर हाउस को जानकारी दे दीजिए। इसके लिए क्यों टाइम लेना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा तो गंभीर मामला है नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय प्रतिपक्ष के नेता सदन में नहीं थे, यहां पर पर्ची के माध्यम से एक सवाल उठाया गया उसमें किसी मंत्री को जवाब देना जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि महिलाओं का मामला था और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि उनको कमरा नहीं मिला, उसके बाद टेलीफोन के बाद कमरा भी मिल गया, ऐसी सूरत में प्राइमाफेसी भी आप यह मानते हैं कि कम्युनिकेशन गैप रहा। उनके पास चिट्ठी में कोई आर्डर नहीं था। जैसा अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि उनके वहां रुकने की व्यवस्था की जाएगी या की जा रही है यदि जी.ए.डी. के सैक्रेटरी के फोन से कमरा मिल सकता है तो लिखित आदेश होते तो जरूर मिलता। लेकिन फिर भी मैंने यह कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी जांच करवा कर कोई दोषी पाया जाएगा तो एक महीने में उसके खिलाफ कार्यवाही कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मामूली–सी बात है, आप टेलीफोन करके बता दीजिए हाउस को कि क्या हुआ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आप मुख्य मंत्री थे, आज तक कभी कोई जांच टेलीफोन से की ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रेजीडेंट कमिशनर से पूछ लीजिए कि इस प्रकार की घटना का जिक्र इस हाउस में हुआ है, आपका क्या कहना है।

श्री बुलकीदास कल्ला : इसमें समय तो लगता ही है। आपको मेरे पर विश्वास होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरा विश्वास है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : है तो मैं जल्दी से जल्दी जांच करवा कर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, किस बात का संकट है ? आप मेरे आंफिस में चलिए, अपन दोनों वहां टेलीफोन कर लेते हैं, वह क्या कहता है मुझे बता देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप पूछ लेंगे तो आपको भी बता देगा।

श्री अमराराम (धोद) : बता तो देगा लेकिन कार्यवाही यह नहीं कर सकते, कार्यवाही तो मंत्रीजी को ही करनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बताया तो आप विश्वास नहीं करोगे। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि वह खुद बात करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका विश्वास निश्चित रूप से करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि कौन दोषी है इसमें ? इन्होंने मुद्दा उठाया है यह पूछ कर बताएं कि कौन दोषी है। कोई जांच तो करनी पड़ेगी इसमें ? उस समय कौन ड्यूटी पर था, कोई आदमी उनके पास था कि नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह हरिसिंहजी रूल्स का पाठ पढ़ाते हैं, इनके सामने दो मंत्री एक साथ बोल सकते हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, एक चुप है तो दूसरा बोल सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, दोनों एक साथ ही ? एक महिला के मामले को दबाने के लिए दो मंत्री एक साथ खड़े हो गये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कई बार कम्पैल कर देते हो, आपकी आदत है ट्विस्ट करने की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, क्या ट्विस्ट दिया है आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसका आप पर छोड़ते हैं। आप कम से कम यह फैसला कर दीजिए कि आज सायंकाल तक हाउस एडजोर्न होने से पहले माननीय मंत्री महोदय रेजीडेंट कमिशनर से बात करके वास्तविक स्थिति क्या है इसकी जानकारी दे देवें। इससे ज्यादा कम कोई मांग हो ही नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको कोई फोर्स थोड़े ही कर सकता हूं कि आप शाम को रख दें। मैं तो कह चुका, अपना डाइरेक्शन दे चुका। I have given my directions. मैं तो व्यवस्था दे चुका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझ गया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपकी बात को, आप फोर्स नहीं कर सकते, आप उनके विवेक पर छोड़ना चाहते हैं। किसी के विवेक का कोई उपयोग ही नहीं करे तो उसका क्या इलाज है।

श्री उपाध्यक्ष : विवेक पर छोड़ी नहीं न मैंने तो। मैंने तो यह कह दिया कि नैक्स्ट सैशन में रिपोर्ट आपके सामने आ जाएंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी कहा कि मैं फोर्स नहीं कर सकता। इसका मतलब आपका कंसैप्ट तो है कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। कंसैप्ट होने के उपरान्त उनका विवेक जाग्रत नहीं होता तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जाग्रत करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो स्वयं जाग्रत हैं, मैं क्या जाग्रत करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप शाम तक दे दो, इसमें क्यों विवाद कर रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपसे पहले आसन ने व्यवस्था दे दी मैं तो उस व्यवस्था को चैलेंज कर नहीं सकता। आसन ने स्वयं व्यवस्था दी है कि आप जांच कराकर रिपोर्ट दे दें, अब उनको चैलेंज कैसे दूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन ने यह भी कहा है कि मैं फोर्स नहीं कर सकता। इसका मतलब आसन के मन में क्या है लेकिन आसन यह कहता है कि मैं फोर्स नहीं कर सकता, आप इसको समझिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन ने तो व्यवस्था दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह व्यवस्था के बाद कह रहे हैं कि मैं फोर्स नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कह रहा हूं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनकी व्यवस्था तो हमारे पास लागू है, जो वह व्यवस्था देंगे हम वह मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जो व्यवस्था दे दी उसके विपरीत I cannot force him.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मैं मानता हूं लेकिन आपने आसन के रूप में व्यवस्था दे दी इसकी आड़ लेकर वह शाम तक जांच नहीं कराना चाहते। आपकी व्यवस्था की आड़ में वह काम नहीं करना चाहते, आप यह उचित समझते हैं क्या ? आप पार्टी क्यों बनते हो इसमें ? आसन को तो इन चीजों में इन्वाल्व होना ही नहीं चाहिये। रैफरी की तरह काम करना चाहिये, रैफरी की तरह से काम करिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने क्लीयरली डाइरेक्शन दिया है गवर्नमैंट को कि आप इसकी जांच करके सदन में रिपोर्ट पेश करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आपने बहुत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अच्छा कहा, लेकिन मैम्बर यह चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन अब टाइम ही दो दिन का है, दो दिन में जांच हो नहीं सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो दिन का सवाल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप चलिए, आसन पर तो किसी सभापति को बैठा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा क्या लेना देना है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप और मैं चल कर बात कर लेते हैं, मंत्रीजी भी आ जाएंगे, अभी फैसला हो जायेगा। क्यों विवाद खड़ा कर रहे हैं ? सदन का समय जा रहा है, वीकनैस लगती है कि अभी वहां पूछेंगे तो शायद यह बता दें कि यह घटना सही है, उसको फेस करने की इनकी तैयारी नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारी पूरी तैयारी है। आपने पूरी दलील सुनी ही नहीं, मैंने यहां सदन में घोषणा की थी कि मैं सैक्रेटरी जी.ए.डी. से इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसा बात की जांच करवाओगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वैसे तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय किसी को कमरा मिला या नहीं मिला, इस बात के लिए इतना बड़ा इश्यू उठा कर सदन का समय जाया कर रहे हैं। यह इश्यु नहीं है आप लोगों के लायक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महिला सशक्तीकरण दिवस पर महिला के अपमान का इश्यु है। महिला सशक्तीकरण दिवस पर राजस्थान की प्रतिनिधि महिलाओं के अपमान का मामला है यह। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मामले हैं। एक तो आपने यह कहा कि जांच रिपोर्ट एक महीने में देंगे, वह तो अलग हो गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा है कि जांच रिपोर्ट तो आप दोगे जब दोगे पर प्राइमाफेसी पूछ कर यहां बता दें कि किस्सा क्या है, इसमें कहां दिक्कत हो रही हैं आपको ? हम कम्प्लीट जांच रिपोर्ट नहीं मांग रहे है अभी आपसे। वह तो आप चाहे एक महीने बाद लाइए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : संवेदनशील सरकार ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे। अब क्या जन प्रतिनिधियों का सम्मान हो रहा है और वह महिलाओं का ? आपकी सरकार ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे कितनी बेइज्जती करवा रहे हो आप अपनी। मैं कह रहा हूं पत्नियां तलाक दे जाएंगी, सारे मंत्रियों को पत्नियां तलाक दे जाएंगी, आप बिना पत्नियों के रह जाओगे। (व्यवधान)

डा. के.सी.चौधरी : आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं यह इससे पता चलता है कि आपके एक भी महिला जीत

(डा. के. सी. चौधरी)

कर नहीं आई। इससे बड़े सम्मान की बात और कोई आप नहीं बता सकते। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो जीत कर आई वह तो निहाल हो गई ना ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, बोल रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री संजय लोढ़ा : उस दिन मैं वहीं था। वह आदेश जो पंचायती राज विभाग का निकला था बीकानेर हाउस का था। (व्यवधान) बीकानेर हाउस में बैड लगवा दिए थे, पर उन लोगों ने यह कहा कि हम बीकानेर हाउस में नहीं रुकेंगे, हम राजस्थान हाउस में रुकेंगे। मैं वहीं था दिल्ली में। (व्यवधान) बाद में व्यवस्था करके उनको रात में रुकवाया। (व्यवधान) हम दोनों उस दिन वहीं थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके सामने आई विटनैस बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो कह रहे हैं उसको आप अपने मुंह से कह दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या कह दें ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, मैं तो पूरी जानकारी करके ही सदन में बोलूंगा। लेकिन जो बात इन्होंने कही है, यह माननीय सदस्य है, इन्होंने आंखों से देखा है कि बीकानेर हाउस में रुकने का था। यह भी बोले बीकानेर हाउस में...(व्यवधान) तो इसकी बिना जांच किए आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह कागज...(व्यवधान) इसमें राजस्थान हाउस और बीकानेर हाउस दोनों के मैनेजर के दस्तख्त हैं, दोनों ने जगह नहीं दी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह चार तो झूठे हैं और यह सच्चे हो गए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि उनको बाद में रुकने दिया गया। (व्यवधान) आप स्वयं जानते हैं, कई बार जगह होने पर या नहीं होने पर जो एनटाइटल होते हैं उनको भी स्थान नहीं मिलता। इस छोटे और हल्के इश्यु को यहां पर नहीं उठाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : क्यों नहीं उठाना चाहिए ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री मदन दिलावर : महिलाओं का कभी भी ऐसा अपमान नहीं था। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और मंत्रीजी कहते हैं कि उठाना ही नहीं चाहिए। यह क्या जांच कराएंगे, यह तो इनकी मंशा से ही लग रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया।

श्री सांवर लाल : इनकी मंशा ही यह है तो फिर यह जांच क्या कराएंगे ? (व्यवधान) एक महीने के अंदर जांच क्या कराएंगे जब इनकी मंशा ही ऐसी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन में आज एक ऐसा संवेदनशील विषय उठाना चाहता हूं जिसकी सत्यता जो पीड़ित पक्ष है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : ले लिया जवाब ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप रुको ना। क्या फालतू में, अब आप रुको। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह मुख्य सचेतक जी क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : यह क्या कह रहे हैं कि जवाब ले लिया। (व्यवधान) यह क्या चुनौती दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं उन्हें रोक रहा हूं, आप विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : यह कौनसा तरीका है, यह मूछों के बल मार रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मूछें तो आपके भी हैं। आप विराजिए प्लीज।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उचित नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हाउस को शांति से चलाने में सहयोग करते हैं तो आप कहते हैं कि ले लिया न जवाब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप विराजिए।

श्री सांवर लाल : फिर हम जवाब लेने के लिए क्या करें ? आप संवेदनहीन और +++ हो गए। आपकी एप्रोच, आपकी संवेदनहीनता का पता चल गया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सत्ता के मद में आकर महिलाओं की बेइज्जती, महिलाओं के साथ अत्याचार और फिर चिढ़ा रहे हैं कि ले लिया न जवाब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जवाब तो हम ले लेंगे। जनता ले लेगी आपसे। आप लोग जो आए हो अगली बार तीन रह जाओगे 153 में से, यह हालत आपकी जनता कर देगी। महिलाओं की बेइज्जती करते हो और फिर

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चिढ़ाते हो। आपके पास मूंछें हैं तो मेरे पास भी हैं। हरिसिंहजी, ऐसी क्या बात है ? (व्यवधान)

पहाड़ा थाने में दर्ज आदिवासी लड़की के विक्रय की रपट

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने एक ऐसा प्रकरण रखना चाह रहा हूं जिस पर मैं सोचता हूं हम सब लोगों को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस सदन में कई गर्मा–गर्म बहस भी हो चुकी हैं कि लड़कियां बिकती नहीं हैं। लेकिन मैं आज वह एफ.आई.आर. लेकर आया हूं जो लड़की ने और उसके पिता ने स्वयं, जो मंत्री महोदय यहां पर बहुत डींग हांक रहे थे उनके चुनाव क्षेत्र खैरवाड़ा का, एफ.आई.आर. जो रिकार्डेड है वहीं बता रहा हूं। इसके अतिरिक्ति बात मैं बाद में करूंगा।

एफ.आई.आर. नम्बर 63/2001 दिनांक 28.4.2001, पुलिस स्टेशन, पहाड़ा जो कम्प्लेंट है वह है लालू पिता श्री नानाजी परमार, उन्होंने और लड़की दोनों ने जिस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वह हमारी सबकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। लालू उसका पिता लिख रहा है :

"आज से करीब ढाई वर्ष पूर्व मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, पीछे मेरी पुत्री हंसा घर पर अकेली थी। उसके अकेलेपन का फायदा उठा कर मुलजिमान प्रार्थी के घर पर सुबह सात से आठ बजे आये और प्रार्थी की पुत्री को घर से यह कह कर ले गये कि गुजरात मजदूरी पर चलना है। इस पर मेरी बच्ची हंसा उनके साथ हो गई और डेयरी बस स्टैण्ड पहुंची। वहां जीप बस स्टैण्ड पर तैयार खड़ी थी। प्रार्थी की पुत्री को जबरन खड़ी जीप में सीट पर डाल दिया और जीप तेजी से भगाकर अम्बाजी मंदिर के पास ले गये। मुलजिमान नारायण, मंगला और मगन ने धमकी भरी बात में कहा कि कुछ बोली तो जान से खतम कर देंगे तथा यह भी धमकी दी कि हम जो कहें वह चुपचाप करना है। यहां कथनानुसार मंदिर में शादी की रस्मी पूरी की गई। मुलजिमान नारायण को प्रार्थी की पुत्री का भाई बनाया गया। मंगला लड़की का बाप बना और एक मुलजिम था वह रिश्तेदार बना। गुजरात के दो आदमी भी थे जिनके नाम नहीं जानता। मंदिर में प्रार्थी की पुत्री की शादी बीनूभाई चौधरी पुत्र भगवानदास चौधरी के मुलजिमान जिन्होंने बीनूभाई के बाप से रुपये मांगा, एक लाख रुपये की मांग की गई। बीनू के पिता ने मंदिर पर ही 80,000 रुपये तीनों मुलजिमानों को रोकड़ा पुत्री के सामने दे दिया तथा 20,000 रुपये बाकी रख दिये जो बाद में मुलजिमान हंसा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से गुजरात घर से लेने के लिए कहा। प्रार्थी की पुत्री को किसी से बात की तो जान से खतम करने की धमकी दी। इसी करण से इस घटना के बारे में कोई जानकारी लम्बे समय तक नहीं हुई।

अभी मुलजिमान पुनः नागवासगन जिला पाटन तालुका मिदपुर गए और हंसा के श्वसुर से फिर 50,000 रुपये की मांग की। इस पर हंसा ने अपने श्वसुर भगवान दास को बताया कि इन तीनों में से मेरा पिता कोई नहीं है। धोखे से ये लोग बाप, भाई बनकर मेरी शादी करा गये हैं, इनको रुपये नहीं देने हैं। तब जाकर असलियत सामने आई। प्रार्थी की पुत्री ने जो पढ़ी–लिखी है, दयावाड़ा टेलीफोन किया लेकिन दो माह तक उसे टेलीफोन से बात नहीं करने दी गई। फिर भी दयावाड़ा के जन प्रतिनिधियों ने टेलीफोन से मालिक को डांट–डपट की तो बात करने का मौका मिला। हंसा ने उसके श्वसुर से टेलीफोन नम्बर अपने पिता को भेजे, इस पर उसके गांव के उप सरपंच उसे लेने गये। आज 6 दिन पूर्व दयावाड़ा प्रार्थी की पुत्री हंसा तथा साथ में उसका श्वसुर आया। हंसा ने सारी घटना पिता को बताई और यह लिखित रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत की"।

यह एफ.आई.आर. इस बात को प्रमाणित करती है। यह तो केवल एक स्थान की घटना है। अगर हकीकत में जाएं तो निश्चित रुप से...

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : कौनसी तारीख का है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह 28.4.2001 की है इसी 28.4.2001 को यह रिपोर्ट दर्ज हुई है थाना पहाड़ा में। यह जो घटना है, यह सामान्यतया वहां के लोगों ने शोषण का एक तरीका बना रखा है। मेरे हिसाब से अगर आप इसकी ठीक प्रकार से जांच कराएं तो कोई भी गावं नहीं बचेगा जहां इस प्रकार से लड़कियों को जबरन दूसरी जातियों में ले जाकर और बेचकर उनके साथ विवाह नहीं कराते। इस कारण से इनकी मजबूरी की फायदा उठाया जाता है।

यह केस इसलिए सामने आया कि उस दिन आपने बहुत विरोध किया था कि आदिवासी लड़कियां नहीं बिकतीं। उनकी गरीबी के कारण से, उनके मां–बाप की गरीबी के कारण से वहां इस प्रकार की एक गैंग बनी हुई हैं। गैंग इस प्रकार का शोषण करके इन बच्चियों को जबरन गुजरात ले जाकर, ऐसे परिवार हैं जिनकी शादियां नहीं होतीं, उनको जबरन ले जाकर शादी कराते हैं और पैसे लेकर लोग बीच में खा जाते हैं। उनके घरवालों को पता भी नहीं लगता कि मेरी बच्ची को मजदूरी पर ले गए हैं या किसी और जगह।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह जो हंसा का केस हुआ यह खैरवाड़ा तहसील के पहाड़ी गांव के थाने का केस है। अगर उस पूरे के पूरे आदिवासी क्षेत्र में कोई जांच करें तो मेरा दावा है एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जिस गांव में से 10–15 बच्चियों को इसी प्रकार से गुजरात ले जाकर बेचा नहीं गया हो, उनके साथ विवाह नहीं कराया हो। सरकार ने उस दिन बड़ी–बड़ी बातें की थीं कि ऐसा कोई बेचान नहीं होता। यहां हमारे कई सदस्य भाई बैठे हुए हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था कि कहीं, हमारी जाति को बदनाम कर रहे हैं। यहां पर किसी जाति का सवाल नहीं है, यहां उन अपराधियों का सवाल है जिन्होंने इन बच्चियों का नाजायज फायदा उठा कर जबरन उनको ले जाकर दूसरी जगह दे दिया। एक–एक, डेढ़–डेढ़ साल तक वे अपने घर वालों को भी सूचना नहीं दे पातीं, उनके बात नहीं कर पातीं और भय के वातावरण में रहती हैं। यह तो एक लाख रुपये ले लेने के बाद दुबारा जाकर 50,000 रुपये की और मांग करने के लिए जब उसके ससुराल पक्ष में जहां पर वह लड़की ब्याही हुई थी, गये तब जाकर उसने कहा कि इन्होंने नकली बाप और रिश्तेदार बन कर मुझे उस दिन बेचा और मंदिर की चौखट के ऊपर गिनकर 80,000 रुपये दिये। क्या सरकार इस प्रकार का जो बेचान महिलाओं का विशेषकर उस गरीब क्षेत्र में होता है, उसको रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करने की व्यवस्था करेगी ? हमारे माथे पर जो यह कलंक लगा है, हम बहुत डींग मारते हैं, वास्तव में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं होंगी, इसको रोकने के लिए हम कोई पुख्ता व्यवस्था करेंगे ? जिन अपराधियों ने इस प्रकार से इस बच्ची को बेचा है और जिसके कारण से उसने और उसके बाप ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई, उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे ? उनके खिलाफ कार्यवाही के साथ–साथ भविष्य में ये घटनाएं न हों, उसको रोकने का प्रयास करेंगे ?

अब तो कोई सांच को आंच...उस दिन तो बहुत बकवास हो रही थी, लेकिन अब तो यह एफ.आई.आर. स्वयं उसने और उसके पिता ने, दोनों ने मिलकर करायी है। वह अभी खैरवाड़ा जब वापस गयी और उसके पिता को जब बताया कि मैं यहां हूं, उसके बाद उसको लेकर आये, उसके बाद यह घटना सामने आयी है। बताएं तो सही सरकार की तरफ से कि वास्तव में इस प्रकार से इस क्षेत्र में शोषण हो रहा कि नहीं हो रहा है और उस शोषण से इन गरीबों को मुक्त करने की सरकार की मंशा है कि नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हेमन्त कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में कई तरह के...

ब्यावर को जिला बनाये जाने की मांग

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। श्री हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर जिसकी आबादी लगभग डेढ़ लाख है, यह सरकार लम्बे समय से इस प्रकार के आश्वासन दे रही है, जब भी चुनाव आते हैं, कि इसको जिला बनाया जाएगा। मुझे बड़े दुःख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान जितने भी बड़े–बड़े शहर हैं, इन बड़े शहरों में इस शहर की आबादी लगभग तेरहवें नम्बर पर आ आती है, जितने भी बड़े शहर हैं, वे सभी जिला मुख्यालय बने हुए हैं, लेकिन ब्यावर जिसका भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए सारा...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बालोतरा नहीं, बना हुआ है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बालोतरा के बारे में पंचायत नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे ब्यावर के लिए कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिस समय रियासतों का विलीनीकरण हुआ उस समय जो–जो रियासतें बनी हुई थीं उसके अनुसार जिलों का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद में 1956 में यह अजमेर जिला पहले राजस्थान में...

श्री उपाध्यक्ष : सब रियासतें जिले नहीं बनी।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, बहुत सारी बनी हैं बहुत सारी बनी हैं। उसके बाद में माननीय शेखावत साहब की सरकार ने कम से कम 6 जिले बनाये हैं।

डा. के.सी.चौधरी (ब्यावर) : रायपुर रियासत थी क्या ?

श्री हीरासिंह चौहान : आप विराजिए। मैं निवेदन कर रहा था कि 1956 में...

श्री सांवर लाल : डाक्टर साहब, आपका ब्यावर जिला बने इस पर आपत्ति है क्या ? (व्यवधान) आपको आपत्ति है क्या जिला बनाने में ?

श्री हीरासिंह चौहान : आपको क्या आपत्ति हैं ? आप आपत्ति कर रहे हैं क्या ?

डा. के.सी. चौधरी : नहीं, आपत्ति नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) सपोर्ट कर रहा हूं। आपत्ति नहीं कर रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं इनको।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय के.सी. चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ब्यावर जिला बनाने में...(व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : आपका सहयोग कर रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं इसमें।

श्री हीरासिंह चौहान : तो फिर रायपुर का नाम क्यों ले रहे हो, रायपुर तो तहसील मुख्यालय है।

डा. के.सी. चौधरी : मैं तो पूछ रहा हूं कि रियासत थी क्या ?

श्री सांवर लाल : आपकी सीट जा रही है क्या जिला बनने से ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिबेटेबल तो है नहीं, कोई आपके खिलाफ तो बोले नहीं हैं

श्री हीरासिंह चौहान : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि 1956 में अजमेर रियासत का राजस्थान में विलीनीकरण हो गया। विलीनीकरण के बाद में लगातार ब्यावर शहर के निवासियों की यह मांग रही कि ब्यावर को जिला बनाया जाए। ब्यावर शहर के आसपास की जो स्थिति है, अरावली पर्वत श्रेणियों में सारा भू–भाग आया हुआ है। जिला नहीं बनता है तब तक इस जिले की भौगोलिक स्थिति के कारण से लोगों का किसी प्रकार से आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है कि इतना जबर्दस्त लोगों का वहां पर रोष है, लोगों का जबर्दस्त आक्रोश है, इन सबके बावजूद भी सरकार द्वारा इसको जिला नहीं बनाया जाता है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे आप यह स्वतः ही पाएंगे कि ब्यावर था, जिला बनना बहुत जरूरी है। विधान सभा में मेरा एक सवाल था जिसका उत्तर 28 मार्च, 2001 को दिया गया। मैंने यह सवाल पूछा था कि वर्ष 1991 में जनगणना के अनुसार अजमेर जिले के ब्यावर शहर की क्या आबादी थी। सरकार का इसमें उत्तर आया, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ब्यावर शहर की जनसंख्या 1,06,721 थी और 10 साल में कम से कम डेढ़ लाख के आसपास आबादी हो गयी। अब इसके बाद मेरा नैक्स्ट सवाल था, उपाध्यक्षजी, क्या जनगणना के अनुसार जिला मुख्यालय करौली, धौलपुर, हनुमानगढ़ बारां, राजसमन्द, सिरोही, बूंदी दौसा की क्या आबादी रही ? आप सुनकर बड़ा ताज्जुब करेंगे, इन्होंने अपने उत्तर में बताया है, सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर करौली की आबादी थी 49008, धौलपुर की अब है 1991 में 68533, हनुमानगढ़ की है 82733, बारां की है 57719, राजसमन्द की है 38831, सिरोही की है 28117, बूंदी की बताई है 65047 और दौसा की बताई 38576. मैं, उपाध्यक्षजी, निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान के मानचित्र में बहुत कम आबादी रखने वाले छोटे–छोटे शहर हैं और उनके आसपास के भू–भाग को मिला करके जिला बनाया गया, लेकिन क्या कारण है कि लगातार मांग के बावजूद भी इसको जिला नहीं बनाया जाए ?

इसी के साथ मेरा एक सवाल और था। मेरा प्रश्न संख्या 116, 4.3.1999 को मैंने पूछा, जिसका उत्तर मुझे 1.3.2001 को मिला। मेरा सवाल यह था कि पूर्व सरकार ने नये जिलों के गठन के लिए कोई आयोग का गठन किया है ? यदि हां, तो उक्त आयोग के सदस्य कौन–कौन हैं और उक्त आयोग

(श्री हीरासिंह चौहान)

ने अब तक सरकार को क्या रिपोर्ट दी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय उपाध्यक्षजी, इसका उत्तर मिला है, पूर्व सरकार ने दिनांक 22.9.1998 को एक आदेश जारी कर राजस्व प्रशासनिक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण, विकेन्द्रीकरण, उन्नयन एवं उनके पुनगर्ठन संबंधी प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें देने हेतु न्यायाधिपति श्री बी.पी.बेरी, सेवानिवृत, एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। एक सदस्यीय उच्च आयोग की रिपोर्ट आने से पूर्व ही इस आयोग को राज्य सरकार की आज्ञा से दिनांक 12.2.1999 को समाप्त कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने ये जितने भी जिले बनाये योग्य स्थान हैं, उन सबके लिए एक सदस्यी आयोग का 22.9.1998 को बी.पी.बेरी की अध्यक्षता में गठन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बेरी साहब को हटाना जरूरी था तो हटा देते बेरी साहब को, लेकिन उनकी जगह कोई न कोई आयोग तो आपको वापस बनाना चाहिए क्योंकि जगह–जगह से मांग आ रही है जिले बनाने की। हमने, ब्यावर के हजारों आदमियों ने आकर पूर्व सरकार के सामने, शेखावत साहब के सामने निवेदन किया था कि ब्यावर को जिला बनाया जाना चाहिए, यह सर्वथा जिला बनाने के लिए उपयुक्त है। उस समय बेरी आयोग का गठन किया गया था बजट के पहले। लेकिन इस बेरी आयोग को समाप्त कर दिया गया। बेरी साहब आपको पसन्द नहीं थे तो दूसरा कोई आयोग गठित करते। लगातार मांग आ रही है, जिलों के बहुत सारे भाग बहुत दूर पड़ते हैं, वहां से लोगों को आने–जाने की बहुत तकलीफ पड़ती है। इस सरकार के आने के बाद एक भी जिला नहीं बनाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी शेखावत सरकार आने के बाद में 3 जिले, जब मथुरादास माथुर समिति की रिपोर्ट थी 1992 के अन्दर, बारां बनाया गया, राजसमन्द बनाया, दौसा बनाया। इनके बाद हनुमानगढ़ बनाया, करौली बनाया, धौलपुर बनाया। सात जिलों का निर्माण शेखावत सरकार ने किया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्यों बाकी रख दिया उन्होंने, आप तो उपाध्यक्ष थे उस समय ?

श्री हीरासिंह चौहान : बाकी रहने के लिए ही तो आयोग बना, कोई कारण रह गये होंगे जिसके कारण नहीं हो सका। लेकिन यह भी तो सरकार है, यह सरकार और जिलों का गठन क्यों नहीं कर रही है ?

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र शब्दों से आपको अपील करना चाहता हूं कि ब्यावर का जिला बनना इसलिये जरूरी है क्योंकि ब्यावर के आसपास का जो एरिया

(श्री हीरासिंह चौहान)

आया हुआ है, पाली जिले के कम से कम 20 गांव ब्यावर के इस तरफ पड़ते हैं। सौ किलोमीटर जाते हैं हम। हमारा मार्केट लगता है ब्यावर में। ब्यावर हमारा व्यापारिक केन्द्र है, जहां पर आना—जाना, लोगों का मिलना करना, रात—दिन का इसी प्रकार से सब है। ब्यावर में 4—5 आफिस भी हैं जो जिला लेवल के बने हुए हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार ब्यावर को जल्दी जिला बनाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप इस जिले के फार्मेशन में कौन—कौन सी तहसीलों को शामिल करना चाहते हैं, यह बताइये।

श्री हीरासिंह चौहान : फार्मेशन क्या, नक्शा दिया हुआ है। हम रायपुर देना चाहते हैं, और यह आपके आसींद का है...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या प्रस्ताव देना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बनोड़ एरिया शामिल आता है, गुलाबपुरा का आता है, भीम की आधी तहसील आती है। यह पूरा भू—भाग है। कई लोगों ने कह दिया, हम ब्यावर में मिलने के लिए तैयार हैं क्योंकि ब्यावर हमारा सेंटर है, ब्यावर हमारी हृदय स्थली है, ब्यावर में हमारा आना जाना है और सबसे बड़ा शहर है। सब प्रकार के व्यापारिक कामकाज ही नहीं, केन्द्र सरकार को भी सबसे बड़ा राजस्व देता है। सबसे ज्यादा बड़े व्यापारी वहां ऊन, कपड़ा और कपास के बड़े—बड़े व्यापारी वहां पर रहते हैं, इस प्रकार का केन्द्र स्थान है। लोग इस जिले को बनाना चाहते हैं लेकिन यह सरकार बारबार टालमटोल कर रही है और इसको नहीं बना रही है। मैं आरोप लगाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर को किसी भी हालत में जिला बनाया जाना चाहिए क्योंकि जिले बनाने की सारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। या तो सरकार आश्वासन दें, नहीं तो मैं धरने पर बैठने के लिए बाध्य होऊंगा क्योंकि ब्यावर जिला बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इस बजट में नहीं बनाया, सरकार कोई आश्वासन दे। इतनी बड़ी आबादी के नगर को जिला नहीं बनाने के क्या कारण हैं ? What are the reason behind it. यह जिला बनने के लिए सारा उपयुक्त है। सभी प्रकार से स्थान रखता है। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इसको ये जानबूझकर जिला नहीं बना रहे हैं। यह के. सी. चौधरी साहब बैठे हैं, जिला बनाने के नाम से यह चुनाव जीत कर आये है। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : इस मांग को हमने उठाया था पहले और आपने अपने राज में

(डा. के.सी. चौधरी)

कुछ भी नहीं किया। जस्टिस बेरी की आप बात कर रहे हैं, जस्टिस बेरी को आपने एक टाइपिस्ट तक नहीं दिया, वे दुःखी होकर खुद ही वहां से चले गये थे। आपने खाली यहां विधान सभा में घोषणा की थी।

श्री हीरासिंह चौहान : आयोग का गठन यूं ही करते हैं क्या ? (व्यवधान)

डा. के.सी चौधरी : उनको आपने एक चपरासी तक नहीं दिया, कोई दफ्तर तक नहीं दिया, जस्टिस बेरी को जिसका आपने जिक्र किया है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह आयोग का गठन...(व्यवधान) यह तो आपकी सरकार का उत्तर है। मेरे पास सरकार का उत्तर है। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : अब ब्यावर को जिला बनाने की मांग कांग्रेस ने ही रखी है। आपके मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी तो वहां कह गये थे कि अगर जिला नहीं बनेगा तो मैं ब्यावर आऊंगा नहीं। यह उन्होंने घोषणा की थी कि मैं ब्यावर में तब तक नहीं आऊंगा जब तक यह जिला नहीं बने कांग्रेस सरकार ही इसको जिला बनाएगी।

श्री हीरासिंह चौहान : कांग्रेस ने रखी है तो आपने क्यों नहीं बनाया ? बहुत लम्बे–लम्बे पत्र लिखे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जिला नहीं बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके राज के ढाई साल चले गये।

डा. के.सी. चौधरी : कांग्रेस सरकार ही जिला बनाएगी। आपकी सरकार नहीं बना सकी थी। (व्यवधान) जिला बनेगा और हमारे राज में बनेगा और हमारी सरकार बनाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय चौधरीजी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके विरोध में, क्योंकि यह सरकार तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हीरासिंहजी, आपने कह दिया न, आप विराजिए प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर को सरकार जिला नहीं बना रही, लगातार इसकी अवहेलना कर रहे हैं इसलिए मैं धरना देने के लिए बाध्य हो रहा हूं।

(श्री हीरासिंह चौहान द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर इसलिए जिला बनना जरूरी है क्योंकि मेरा जन्म स्थान है। मेरा जन्म

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

स्थान है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने महान व्यक्ति का जन्म स्थान हो और उसके बाद भी जिला नहीं बने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन से प्रार्थना है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उठाओ इनको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जिला बनना जरूरी है, साहब, यह मेरा जन्म स्थान है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल। यह कोई इश्यु नहीं है। आर्डर, आर्डर। यह कोई इश्यु नहीं है जिस पर आप धरने पर बैठो। यह कोई इश्यु है क्या ? इसमें कोई होता है क्या ?

श्री हीरासिंह चौहान : वित्त मंत्रीजी, आप घोषणा कर दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां, वित्त मंत्रीजी उठाने गये हैं, ब्यावर जिला बन जाएगा। वित्त मंत्रीजी उठाने आये हैं अब ब्यावर जिला बन जाएगा क्योंकि मेरा जन्म स्थान है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बनना ही चाहिए क्योंकि मेरा जन्म स्थान है। साहब, ब्यावर बनना ही चाहिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : इतनी बड़ी–बड़ी विभूतियां वहां पर हुई हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसी महान विभूति का जन्म स्थान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप ब्यावर में जन्मे हो क्या ? यह ब्यावर में जन्मे हैं ?

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मतलब वहां चार तहसीलें हैं, चारों तहसीलों में पंचायत समितियां बननी चाहिए। एक पंचायत समिति हनुमानगढ़ बनाएं, एक तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। अभी नहीं बन रहीं पंचायत समितियां यहां। (व्यवधान)

श्री आदराम मेघवाल : नहीं बनेंगी तो यह जिला कैस बनेगा ? मैं बता रहा हूं, साहब। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपत्ति किसको है, साहब ? वहां प्रशासन ठीक चलता है हमारा। (व्यवधान) जहां पर छोटे–छोटे जिले बने हुए हों वहां का प्रशासन ठीक चलता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। आपने कह दी न अपनी बात अभी डाक्टर किरोड़ी लाल।

एक माननीय सदस्य : आप तो मांग कर लें कि डिग्गी को बनाया जाए।

श्री आदराम मेघवाल : माननीय, पंचायत समिति ऐसी है रावतसर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए प्लीज।

श्री आदराम मेघवाल : रावतसर, टिब्बी, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्राजी। क्यों इनको प्रोवोक करते हो।

श्री आदराम मेघवाल : पीलीबंगा तो हनुमानगढ़ में ही है। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर जिला बनना इसलिए जरूरी है कि माननीय हीरासिंहजी ने अभी ब्यावर में मकान बना लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए न, बात खतम हो गई। हो गया न खतम। डाक्टर किरोड़ी लाल।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरे मकान बनाने से जिला बनना जरूरी नहीं है। जिले की वहां लोगों की आवश्यकता है इसलिए जिला बनना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप मेरे लिए कह दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह ज्ञानदेवजी का जन्म स्थान है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कथित अराष्ट्रीय गतिविधियां

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपके माध्यम से उठा कर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य से सीमावर्ती जिले जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाओं के संबंध में प्रतिपक्ष के नेता ने बड़ी चिन्ता जाहिर की थी। प्रतिपक्ष के नेता के निर्देश पर माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ ने नेतृत्व में, जिनमें धर्मपाल चौधरी शामिल थे, मैं भी था, हम वहां सीमावर्ती जिलों का दौरा करके आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन सीमावर्ती जिलों की स्थिति बड़ी भयावह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आप सभी जानते हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले सामजिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण जिले हैं। परमाणु परीक्षण का वहां पर स्थल है, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज वहां पर है, थल सेना का आयुध डिपो वहां पर है, एशिया का सबसे ऊंचा टी.वी. टावर वहां पर है, सैनिक छावनियां हैं, संवेदनशील सैनिक हवाई अड्डे हैं, कई किलोमीटर लम्बी आई.जी.एन.पी. है, नैचुरल गैस की परियोजनाएं, ताप आधारित बिजली घर है। इतना जबरदस्त महत्वपूर्ण स्थान जो करीब

(डा. किरोड़ी लाल)

725 किलोमीटर की लम्बाई में फैला हुआ है, हम 400 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र को देख कर आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब से वहां पर तारबंदी हुई है, वहां पर मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवादियों की घुसपैठ बंद ही हो गई। हथियारों की आवाजाही खतम हो गई। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आई.एस.आई. एजेंट्स की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और वे इस ढंग से बढ़ी हैं कि स्टेट ब्यूरो ऑफ इंटेलीजैंस और राजस्थान की सरकार उन्हें रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग पाकिस्तान से बीजा लेकर आ गये वे यहां रह रहे हैं। पुलिस उसकी तरफ कोई निगरानी नहीं कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे भी लोग हैं जो बीजा पार होने के बाद में किसी अपराध में लिप्त हो गये और जानबूझकर मुकदमे लगवाकर, कोर्टो में लम्बित कराकर यहां की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली है, अपने राशन कार्ड बनवा लिये हैं। इसलिए अपराधी प्रवृति के तत्वों का वहां पर भारी मात्रा में जमावड़ा होना चालू हो गया है। प्रशिक्षित महिलाएं उधर से आ—ज़ा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां से बीजा लेकर जाती हैं, वहां पर शादी कर लेती हैं और आई.एस.आई. ट्रेंड महिलाएं यहां पर आ रही हैं। बांगलादेशियों का भी यहां पर प्रवेश बेरोकटोक हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमा के पास हमने घणी अवैध बस्तियां देखीं जो संदेह के घेरे में है। उप खण्ड अधिकारी, बाड़मेर ने एक पत्र लिखा—569, दिनांक 22.5.1999 को अवैध बस्ती को तोड़ने के लिए कि यहां पर अराष्ट्रीय कार्यवाही चल रही है, इसको हटाया जाए। तहसीलदार को निर्देश दिया। वह अवैध बस्ती इस सरकार के समय में जम गई, बस गई लेकिन वह आज तक नहीं हट पाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस की उस सरकार को जिसने 7 जनवरी, 1987 को ऐसे 35 लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सींखचों में डाल दिया जो जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पर घुसपैठ करते थे, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करते थे। उनको रासुका में बंद कर दिया। रासुका में जो बंद किये गये उनके नाम मीठे खा, सांवर खा, साबू, कंदे खां, हलील, गाजी, रहीम खां, जुम्मे खां, आचार खां, लाखें खा, तालाब खां, पीरू खां, अलारिया, बाबूराम, कानाराम, घुणाराम, मोहब्बत सिंह, ऐसे 35 लोगों को 7 जनवरी, 1987 को रासुका में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किया। मैं उस सरकार को तो धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन अब यह सरकार कैसी आई है, गहलोत साहब की ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो...(व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : आपकी सरकार के समय क्या किया था ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ लाल : मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल लेना। आपको तो पूरा समय मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर में रासुका, मीसा, टाडा आदि में बंद रहे अपराधी आजकल कांग्रेस की सत्ता से जुड़ गये हैं। कोई पी.सी.सी. का मैम्बर है, कोई ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष है, कोई जिला प्रमुख बन गया, कोई प्रधान बन गया और सक्रिय रूप से कांग्रेस की सत्ता में भागीदार हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ लोगों के नाम गिनाना चाहूंगा जो कांग्रेस में शामिल हैं, सत्ता के साथ चल रहे हैं और जिन के रिकार्ड बड़े गंदे हैं। जो अराष्ट्रीय गतिविधियों में हरदम लिप्त रहे, जिनको रासुका, मीसा, टाडा आदि में बंद किया। गाजू पुत्र राणे खां, भागूका गांव जिला जैसलमेर 4.7.1976 को मीसा के तहत नजरबन्द किया गया। गाजी उर्फ छोटिया पुत्र सूमे खां निवासी ढिल्ला पाडा जैसलमेर 6.1.1987 को और 11.10.1994 को रासुका में बंद रहा। तालाब खान पुत्र हमला निवासी छतरेल यह भी 75 और 87 में बंद रहा। आलू पुत्र फरदीन यह भी 1990 में बंद रहा। इसी ढंग से बलिया, नदिया, रहीम, खानिया, रमजान, बीबूडा, जलालुद्दीन, सुगिया, ये सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी बहुत–से हिस्ट्रीशीटर्स की लम्बी–चौड़ी लिस्ट है, मैं इससे बोलना नहीं चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो पुलिस के रिकार्ड में हिस्ट्रीशीटर दर्ज हैं वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। गाजी खां तो तस्करी में लिप्त अपराधियों को, पाक नागरिक आई.एस.आई. के एजेन्टों को शरण देने में बहुत आगे रहे हैं। वह रासुका, मीसा में बंद रहा है। कांग्रेस पार्टी का, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वेसर्वा और... (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : कौन है वह ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप आई.एस. आई. के एजेन्ट नहीं हो।

एक माननीय सदस्य : आप नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : कांग्रेस के किसका नाम ले रहे हैं ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कल्लाजी, आपको एजेन्ट नहीं कह रहे हैं। हम आपको नहीं कह रहे हैं, जो आई.एस.आई. के एजेन्ट हैं उनको कह रहे हैं। आप उनके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन एजेन्ट नहीं हो।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : जिनके नाम ले रहे है वे कांग्रेस में कुछ है नहीं। खामाख्वाह नाम लिये जा रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पर आपका नाम नहीं लिया न। आप बैठ जाओ। आपका नाम नहीं लिया।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिन गाजी फकरी का नाम ले रहा हूं कल्लाजी को दर्द हो रहा है। कल्लाजी को बता देना चाहता हूं कि गाजी फकीर का खास भाई फतेह मोहम्मद वहां का जिला प्रमुख है। मुझे पता लगा है कि वहां लाल बत्ती लगा कर वहां पर चलता था। अखबार वालों ने जब यह खबर छापी. तो जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहते थे मुख्य मंत्रीजी के यहां वह मिलने आये। अखबार वालों तक को धमकी मारी। सरकार ने जो मांग पूरी की है कि जिला प्रमुख के लाल बत्ती रहेगी, वह फतेह मोहम्मद के कारण की है, उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रमुख फतेह मोहम्मद सगा भाई गाजी का। कल्लाजी, पंचायत समिति जैसलमेर का प्रधान साले मोहम्मद उसका पुत्र अबदुल्ला, पी.सी.सी. का सदस्य है। ये सब कांग्रेस से इस तरह जुड़ गये। ऐसा जाल वहां पर है कि आई. एस.आई. से भी ये जुड़े हुए हैं और इनकी अवैध गतिविधियां वहां पर चल रही हैं। अब मैं एक सवाल सरकार से आपके माध्यम से करना चाहता हूं। वहां कश्मीरी व्यवसायी हैं जैसलमेर में। हम गये थे तीनों, 23 दुकानों की सूची लेकर आये हैं। 23 कश्मीरी व्यवसायी कश्मीर का सामान लाकर वहां पर धंधा कर रहे हैं। कश्मीर के लोग वहां पर बस रहे हैं, हमने एस.पी. और कलक्टर से बात की तो उनको भी पहली बार इस बात का पता लगा कि जैसलमेर में कश्मीरी व्यवसायी भी आई.एस.आई. की छाया के नीचे पल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, अब्दुल हमीद, हजरतबल का रहने वाला है। मोहम्मद यासीन भट्ट सीमा पार श्रीनगर का रहने वाला है। मोहम्मद रमजान, बारामूला का रहने वाला है। मेडदीन नगीना श्रीनगर का रहने वाला है। मोहम्मद शफी खनिया जिला श्रीनगर का रहने वाला है। शब्बीर सहमतदार श्रीनगर का रहने वाला है। तारीक अहमद जफर.शफागली, श्रीनगर का रहने वाला है। मोहम्मद शफी हजरतबल का रहने वाला है। मोहम्मद फारूक करीमपुरा जिला श्रीनगर का रहने वाला है। अराफात हुसैन बारामूला का है। सगीर अहमद शाहिदगंज का रहने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, इस ढंग से 23 लोग हैं, मैंने इनके नाम गिनाये।

श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर) : आपके तो रोज विस्फोट हो रहा है।

श्री सांवर लाल : करवा दो एक्सप्लोड राजस्थान को।

श्री आर.पी. शर्मा : दिल्ली में क्या जिम्मेदारी थी कि नहीं ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से रियाज अहमद, फैज अहमद, जावेद अहमद, मजीद मोहम्मद, युसूफ मोहम्मद हुसैन, जावेद अहमद, वसीम अहमद ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भरतपुर में भी आई.एस.आई. एजेन्ट आपकी शरण में पल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मंजूर अहमद भट्ट हजरतबल के ये लोग वहां पर रह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके रहने का कमाल क्या है ? दस से पन्द्रह गुना दुकान का वहां पर किराया दे रहे हैं। अब हमारी समझ में नहीं आता, दस से पन्द्रह गुना दुकान का किराया और तीन–तीन महीने में एक–एक नौकर की छुट्टी करके दूसरे नौकर को बुला लेना। उपाध्यक्ष महोदय, वहां दुकान पर दिन भर में 200 रुपये की बिक्री भी नहीं होती। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं, यह बड़ा गम्भीर मामला है। हजरतबल, श्रीनगर और जम्मू–कश्मीर के व्यवसायी वहां पर आकर बस गये। संदिग्ध स्थिति में वहां पर बसे हुए हैं, संदिग्ध उनके कार्य–कलाप चल रहे हैं, इसलिए इस मामले की जांच की जानी चाहिये और इस पर तुरन्त किसी न किसी प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिये। वरना यह जैसलमेर आग के ढेर पर खड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें हुआ क्या है ? प्रतिपक्ष के नेता गये। बाद में मुख्य मंत्रीजी भी गये। मुख्य मंत्रीजी 7.1.2001 को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पधारे थे। बी.एस.एफ. के अधिकारी साथ में थे। बी.एस.एफ. की वाहन पट्टी के भीतर जाते हैं तो दो तरह के प्रवेश पत्र मिलते हैं, रैड एण्ड ग्रीन पास जारी किये जाते हैं ये अपराधी प्रवृति के लोग जब मुख्य मंत्रीजी वहां पर पहुंचे तो उमरदीन, तालब खां, जिये खां, मुख्य मंत्रीजी भीतर थे, मुख्य मंत्रीजी जैसलमेर के अंतिम छोर वाले गांव के बहाड़ा में गये तो पूरी तरह से, जिसमें अवैध हथियारों का जमावड़ा है, पाक जासूस जाफरिया जहां पर रुका था, आई.एस.आई. की एक्टिविटीज का जहां पर अड्डा है। मुख्य मंत्रीजी वहां पर कह कर आये थे कि तुम्हें हथियार देंगे। जो देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं उनको हथियार देने की कह कर आये। इसी दिन मुख्य मंत्रीजी गागरिया गये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मुख्य मंत्रीजी वहां पर गये, मैं खुद वहां हाजिर था। मुख्य मंत्रीजी ने नहीं कही यह बात, यह गलतबयानी कर रहे हैं हाउस में। हाउस में गलतबयानी कर रहे है। कतई नहीं कहा मुख्य मंत्रीजी ने, कि वहां हथियार दिये जाए। यह गलतबयानी कर रहे हैं। मैं खुद वहां पर हाजिर था बाला के अंदर, कभी मुख्य मंत्रीजी ने नहीं कहा।

श्री सांवर लाल : इसका मतलब वह आदमी गलत था न, जो बैठा था अन्दर ? जिसको पास दिया था वह गलत था क्या ? माननीय सदस्य, यह बता दें। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि नहीं कहा, यह अलग बात है। आप कह रहे हैं जो ठीक बात कह रहे हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय,

(डा. किरोड़ी लाल)

इसी दिन बाड़मेर जिले के बागरिया गांव में गये जहां आम सभा को सम्बोधित किया। आम सभा में रासुका में बंद रहे, जो वहां अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त हैं नबिया, बाबला, गुमान खां, भूरे खां, रोशन खां, जो शिव पंचायत समिति के कांग्रेस ब्लाक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने माला पहना कर स्वागत किया।

श्री अमीन खान (शिव) : डा. किरोड़ी लालजी, आप असत्य कह रहे हैं। नबिया खां उस दिन हाजिर था, यह साबित कर दो तो हम इस सदन से इस्तीफा दे देंगे। आप अगर ज्यादा कहना चाहते हो तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के आदमी उनसे शामिल हैं। हमें तो शर्म आती है, इस सदन के पूर्व सदस्य ने, जो सदस्य नहीं है, नाम लेकर कहना नहीं चाहते, आपसे ताल्लुक रखने वाले आदमियों का एक से दस का बता सकते हैं। आप जैसा कहते हैं नबिया रासुका में बंद रहा, यह सही बात है। वह स्मगलर है। बाबला स्मगलर है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन वह नहीं थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फोटो है हमारे पास। फोटो दिखा दूंगा।

श्री अमीन खान : फोटो भैरोंसिंहजी के पास रखना और भैरोंसिंहजी कहेंगे वह हम मानेंगे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्रीजी तो गये थे ?

श्री अमीन खान : मुख्य मंत्रीजी गये थे, जाना गुनाह है क्या ? आप क्यों गये थे ?

डा. किरोड़ी लाल : और रोशन लाल ? हम जांच करने गये थे। हम मुख्य मंत्रीजी की गतिविधियों को देखने गये थे।

श्री अमीन खान : मुख्य मंत्रीजी की गतिविधि देखना, मुख्य मंत्रीजी क्या साधारण नागरिक भी वहां जा सकता है, मुख्य मंत्री तो बड़ा है। वह जाना कोई अपराध है क्या ?

डा. किरोड़ी लाल : कोई अपराध नहीं, हम अपराध नहीं बता रहे।

श्री अमीन खान : यों गलत बात नहीं करते खामख्वाह। देखिये, इस राजस्थान के सीमावर्ती जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो जैसलमेर जिले की इतनी डीटेल से वाकिफ नहीं हूं, बाड़मेर जिले के हिन्दू, मुसलमान पीढ़ियों से साझा रूप से रहते हैं। बी.जे.पी. के लोग रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं, वहां का लोकल आदमी आपस में नफरत की कोई बात नहीं करता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र को खतरा हो जाता है इससे।

श्री अमीन खान : आज सवाईमाधोपुर के आदमी आकर वहां नफरत फैलाना चाहते हो, यह अच्छा नहीं है। न तो आपके लिए, न हमारे लिए। देश की सीमा पर तारबंदी

(श्री अमीन खान)

होने के बाद में कोई भी आदमी पाकिस्तान का घुस नहीं सकता भारत में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अमीन खानजी, हिन्दू–मुसलमान कहां आ गये, यह देश की सुरक्षा का मैटर उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमीन खान : पाकिस्तान में नहीं घुस सकता, इतना बड़ा बंदोबस्त है बी.एस.एफ. का। बहुत अच्छा जाब्ता है। अपनी मर्जी से आज के जमाने में कोई आदमी हिल नहीं सकता। अगर कोई बेइमानी होती है तो यह सबूती रिकार्ड है। भारत सरकार की एजेंसी सोर्स भेजती है और सोर्स स्मगलिंग करते हैं। उन सोर्स से हीरोइन और चरस भी पकड़ी गयी है।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस थोड़ा और बोलूंगा। माननीय सदस्य को पता नहीं क्यों उत्तेजना हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको प्लीज कनक्लूड कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : हां, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। तो रोशन खा जो मीसा, रासुका में बंद रहा, मुख्य मंत्रीजी को खड़ा होकर माला पहनायी। गुमान खां, बाबला खां भी वहां थे।

श्री अमीन खान : बाबला खां नहीं था, शर्त रखो। शेखावत साहब के पास इंसाफ कराएंगे, आपके नेता का हम मानेंगे। नहीं था। अगर बाबला खां वहां था, यह सबूत आप शेखावत साहब के यहां रख दो और यह कहेंगे कि था, हमने जांच कर ली तो आप कहोगे जैसा कर लेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : रोशन खां तो था न ?

श्री अमीन खान : रोशन खा ब्लाक कांग्रेस का अध्यक्ष है। आपके बी.जे.पी. के राज में उसके खिलाफ कोई किसी प्रकार का हिन्दुस्तान के किसी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है। कोई उसका जुर्म का केस नहीं है। रासुका में आपके आदमियों ने उसकी झूठी शिकायत करके बंद कराया था, यह बात सही है। उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पूरी उम्र का नहीं हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मामला इसलिए ध्यान में ला रहा हूं कि सरहदें सुरक्षित रहनी चाहिए। राजस्थान का मुख्य मंत्री जाए, रासुका, मीसा और टाडा में बंद होने वाले व्यक्तियों को बी.एस.एफ. की पट्टी में भीतर बुला ले, उनसे माला पहने तो वहां समाजकंटकों का और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा ही और वहां की जनता का मनोबल टूट रहा है।

श्री अमीन खान : आपका भंवरलाल शर्मा, आपकी पार्टी की गवर्नमैंट का मिनिस्टर भंवरलाल शर्मा पामलोर गांव में विजय सिंह

(श्री अमीन खान)

भाटी, जिसका रासुका में भैरोंसिंहजी ने बंद किया था, उसके घर खाना खाया, माला पहनायी। आपके भंवरलाल शर्मा ने बिजावा गांव में भाकर सिंह जो बंद था, उसके यहां पार्टी ली।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, अमीन खानजी, यह बात पूरी हो जाए उसके बाद आप सबूत रख देना। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हम तो जाकर आये हैं। पहले आप सुन लो अदब से फिर बता देंगे उसके बारे में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, जिसकी चर्चा इन्होंने कहा है कि भाड़ा गांव में गये उस सभा में जो नारे लगे...

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री मदन दिलावर : x x x

श्री ज्ञानदेव आहूजा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : x x x

श्री मदन दिलावर : x x x

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : x x x

श्री मदन दिलावर : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय कल्लाजी, विराजो। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 119 का एक प्रस्ताव रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। व्यवस्था का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर तो आने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। चर्चा समाप्त हो गयी।

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 (सिविल)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलो ना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो इनको बैठाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तो जिसको अलाउ करोगे वो ही बोल दे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो इनको अलाउ कर रहा हूं, वह कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं। मैं क्या करूं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलने दो। आप बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 119 का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : हां है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसकी ग्रेविटी को आप जानते हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री प्री–नोमिनेशन के करेप्ट प्रैक्टिस के दोषी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सवाल यह नहीं है। आपका 119 का प्रस्ताव हैं, प्लीज सुनिये। आपका 119 का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के सामनें विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुनिये। आपका 119 का प्रस्ताव अभी डिसअलाउ नहीं हुआ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कल शाम को दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। उनका फैसला आने के बाद फिर आप चर्चा करना उस पर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने उसमें एफ.आर. की नकल लगायी है।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ भी लिखा हो उसमें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, लिखने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : It is not debatable. Until it is allowed, it cannot be debated. आप इस पर बहस नहीं कर सकते जब तक अलाउ नहीं करते हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पर आपने आज दिया है

(श्री उपाध्यक्ष)

तो Why cannot you wait ? Have patience.

श्री सुरेन्द्र व्यास : महीने भर से वेट कर रहे हैं। आपने कौनसा मोशन लगाया आज तक ? आपने कौनसा मोशन लगाया महीने भर के अन्दर ?

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई सा मोशन नहीं लगाया आपने, साह रूल्स रिडंडेंट हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका रिजैक्ट तो नहीं किया न। लगाया या नहीं लगा, यह तो फैसला ही नहीं हुआ अभी। अभी डिसीजन नहीं हुआ इसका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने प्रभाव से एफ.आर. लगवा कर, यह एफ.आर. पढ़िये आप।

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो। प्लीज, माननीय सदस्य, आई विल नाट अलाउ। आप विराजिये। अंकित नहीं होगा। आप विराजें, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप इस मोशन को इस तरह से बोल कर इसके महत्व को समाप्त मत कीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मोशन पर विचार कर रहे है, Let his decision come. We will allow you or disallow you, it is his decision which will be taken.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना—सा स्पष्टीकरण हो जाए कि विधान सभा के सत्रावसान के पहले—पहले इस मामले का निर्णय हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय अध्यक्ष महोदय फैसला करेंगे। That I cannot. आप वैश्म में जाकर बात कर लीजिये उनसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बात की है मैंने, तभी कह रहा हूं मैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह था कि जिस माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ यह बात हो कि बजट लीक आउट के जिम्मेदार हैं और उसके कारण से कई लोगों को लाभ मिला है, मैं समझता हूं उनको इस प्रकार का बजट रखने का अधिकार नहीं हो सकता। (व्यवधान) यह बिल रखने का अधिकार नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : बजट तो हो गया न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सॉरी बिल वित्त विधेयक जो है उसको रखने का अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस व्यक्ति पर यह चार्ज हो

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि इन्होंने बजट लीक आउट किया, उसके कारण से नुकसान हुआ और इसकी गरिमा खतम हो गयी, उस व्यक्ति को इस हाउस में इस प्रकार विधेयक रखने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बजट रख दिया गया, बजट पर चर्चा हो गयी, बजट पास हो गया...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइंट आफ आर्डर रिजैक्ट कर दिया, सुना ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल पेश किया है, उसकी बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिल पेश कर रहे हैं, यों बोलो आप। बजट तो पास हो गया न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिल ही कर रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : जब बजट पेश कर सकते हैं तो बिल क्यों नहीं पेश कर सकते ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां मेरा यह आब्जेक्शन है, नहीं कर सकते। आप रूल आउट कर लीजिये, चाहे इसमें बहस कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बताओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या बताएं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई प्रोविज़न बताओ इसका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : टैक्सेशन का पार्ट कवर करता है, उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल इसलिए नहीं कर सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसलिए नहीं कर सकते यह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो बजट का टैक्सेशन पार्ट है वही लीक हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही लीक हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वो ही लीक हुआ है इसलिए पेश नहीं कर सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो लीक हुआ है वो ही पेश कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Finance Minister is guilty of leakage of tax proposals of the Annual Fiancial Statement for the year 2001-2002.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही बिल पेश कर रहे हो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Therefore, he cannot introduce the bill.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : You are not qualified to present the

(श्री भंवरलाल शर्मा)

bill here. आप नहीं, हाउस जवाब देगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I am very much qualified to present this bill... (Interruptions) (व्यवधान)। यह आरोप बिलकुल गलत है।

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री मदन दिलावर : यह तो बजट आउट करने वाले + + + हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किस नियम से नहीं कर सकते, नियम बताएं।

श्री मदन दिलावर : और + + + इस सदन में बिल नहीं रख सकते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंहजी, प्रतिवेदन पेश करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस पर फैसला करिये। पाइंट आफ आर्डर है मेरा। मेरे पाइंट आफ आर्डर का डिस्पोजल करें पहले।

समिति का प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 2000–2001

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2000–2001 के तृतीय प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : यह जो फाइनेंस बिल लाये हैं और जिसके माध्यम से हम टैक्स में जो–जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह पहले लीक आउट कर दिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चाहे वह एक्साइज में करे, चाहे और किसी में, अपनी 82 करोड़ रुपये की आमदनी का जो सोर्स हमने बताया, उसका यह फाइनेंस बिल आया। उस बिल में हम यही बातें तय करने वाले हैं कि किसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए और किसको कितना प्रतिशत घटाया जाए। जिस मंत्री ने इस बिल के टैक्सेशन का जो पार्ट था...

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह अध्याय समाप्त हो गया। बजट पर डिस्कशन हो गया, आपका डिस्कशन हो गया, इस पर फैसला हो गया, बज्ट का जवाब दे दिया, बजट पारित हो गया और फिर कल एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, अब क्या बात है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... वह पार्ट जब लीक हुआ तो निश्चित रूप से आज इस चर्चा पर यह वेलिड बात है कि वह टैक्स आज हम जो लगाने जा रहे हैं इस मनी बिल के माध्यम से, क्या वह मनी बिल

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के माध्यम से हम लगा सकते हैं ? हमारा विरोध यही है। क्योंकि उस सारे बजट का जो कंटेंट है वह सारा का सारा जितना भी टैक्ससेशन पार्ट है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : राज्य सरकार ने जो एक एफ.आई.आर. दर्ज करायी है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...उस टैक्सेशन पार्ट के आधार पर सरकार जिस पैस को लगाना चाह रही है और हमसे जो परिवर्तन कराना चाह रही है इस मनी बिल के माध्यम से, वह मनी बिल यह वित्त मंत्रजी ...(व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2001

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक संख्या–4) को विचारार्थ लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री मदन दिलावर : कोई भी आरोपी यहां बिल नहीं रख सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा। आपका जनमत जानने के लिए प्रस्ताव है।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले निवेदन किया जो बिल रखा गया है वह वैधानिक नहीं है और जिन माननीय मंत्री महोदय ने इसको रखा है वह इसको रखने के अधिकारी नहीं हैं इसका विधिवत इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। हाउस की परम्पराएं हैं, यदि इनको कायम नहीं रखा गया तो भविष्य में कोई अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं होगा। इसलिए पहला तो मेरा निवेदन है कि यह जो बिल पेश किया गया है, अच्छा यह होगा कि किसी सक्षम और योग्य व्यक्ति, योग्य मीन्स क्वालीफाइड टू समिट द बिल, उससे यह बिल पेश करवाया जाए और फिर बाद में चर्चा शुरू की जाए। पहले इस पर निर्णय कर दें तो मैं समझता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, आपका भी संशोधन है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा मैं चर्चा शुरू कर देता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : बिल तो पेश होना ही है, अब आप हम में से किसको सक्षम समझते हैं नाम बता दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं आपको समझाता हूं आप कर दीजिए पेश।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। माननीय सदस्य, आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धारीवालज़ी, आप लेते ही लेते हो, देते कहां हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का जन्म कंगाली में हुआ है, ऐसा ये मानते हैं। प्रारम्भ से लेकर अब तक जबसे विषय आये हैं, सरकार ने अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए सदैव ही खजाना खाली है, खजाना खाली है, इस प्रकार का वर्णन किया है। कई बार लोग पूछते हैं, ग्रामीण लोग भी पूछते हैं कि यह सरकार खजाना खाली की बात करती है, आखिर यह खजाना खाली हुआ कैसे ? 30 नवम्बर तक श्रीमान् भैरोंसिंह शेखावत इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और 1 दिसम्बर की सुबह वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने चार्ज लिया तो 30 तारीख की रात और 1 दिसम्बर का प्रारम्भ इस बीच में खजाना चला कहां गया, यह खाली हो कैसे गया ? यह कौनसे जादूगर ने खाली किया ? यह खाली हुआ था तो जांच करते कि यह पैसा कौन ले गया ? सदैव एक प्रकार की बात करके...

डा. के.सी. चौधरी : जो ले गये उनको जनता ने सजा दे दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो सजा की बात आप कर रहे हो, यदि आपका इतिहास देखा जाए, पहले आठ साल में जब आप सत्ता से बाहर थे तो जनहित का एक भी काम किया हो आपने जनता के समर्थन में, एक भी काम किया हो तो आप बता दीजिए।

(14:03 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : सैक्रेटेरिएट के डण्डे तोड़े हैं इन्होंने।

श्री सभापति : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं इनको तो बोलने दीजिए आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : 153 वैसे ही आ गये। हमने राज की पोल खोली।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वैसे ही आ गये। बिलकुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 153 ऐसे ही आ गये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमने तो जनता को जगाया कि आपकी भ्रष्ट सरकार क्या कर रही है। आप अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, पूरी जनता परेशान थी, किसान लोग परेशान थे उसके कारण से आपका यह हाल हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सही है तो आपकी कोई इसमें सेवा नहीं थी, आपकी कोई विशेषता नहीं थी। आपने हमारी चुगली खाई और उससे जीत गये। आपने कोई सेवा नहीं की। इस भ्रम में मत रहिए। अब आप क्या कर रहे हो ?

(श्री भवंरलाल शर्मा)

अभी जो बिल पेश किया है, एक ही दृष्टिकोण रखते हैं आप हमेशा कि किसी भी प्रकार से जनता से पैसा वसूल किया जाए। यदि कोई मृतक श्मशान में जाए तो आपकी इच्छा रहती है कि आप उसका भी कफन उतार कर ले आओ। आपने इसमें प्रस्ताव किया है कि कोई एफिडेविट देगा, अब तक तो उसको पांच रुपये की कोर्ट फीस देनी पड़ती थी, स्टाम्प ड्यूटी, आपने उसको डबल कर दिया। यह कौन देता है ? जितने भी प्रभावशाली लोग हैं उनको तो एफिडेविट की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। आजकल स्कूल में एडमिशन हो तो एफिडेविट देना पड़ेगा। आपकी उम्र क्या है तो एफिडेविट देना पडेगा। आप कहां के रहने वाले हैं तो एफिडेविट देना पड़ेगा। मजे की बात तो यह है कि जिन्दा रहने का भी एफिडेविट देना पड़ता है। जो व्यक्ति जिन्दा है उसका एफिडेविट देगा और यदि मई में एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया कि मैं जिन्दा हूं और यदि कागज चले तो आपकी मांग यह होती है कि आप मई में तो जिन्दा थे पर अप्रैल में कहां थे ? आप मार्च में भी जिन्दा थे कि नहीं थे ? तो फिर मार्च और अप्रैल का जिन्दा होने का सर्टिफिकेट और लाओ, उसका एफिडेविट और दो। इस प्रकार की व्यवस्था एफिडेविट की चालू है। ऐसी परिस्थिति में आपने उसको पांच रुपये से बढ़ा कर दस रुपये कर दिया। यह किस पर वजन पड़ेगा ? प्रद्युम्न सिंहजी, मुझे ऐसा ध्यान है कि आपने अपने जीवन में एफिडेविट नहीं दिया होगा। जरूरत नहीं है। देते ही नहीं है। अब यह देना किसको पड़ता है ? (व्यवधान) पांच रुपये का दिया होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक बार दिया था। इन्दिराजी को देकर आये थे जब आपका टिकट कटा था। एक बार जब आपको टिकट नहीं देकर आपके भाई को दिया तब आपने दिया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तब इन्दिराजी नहीं थीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजीवजी को दिया होगा।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह आपने कब देखा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुना है हमने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जैसे आप हमको देख रहे थे वैसे ये भी देख रहे थे। सभापति महोदय, यह एफिडेविट जिससे गरीब आदमी को रोज काम पड़ता है, उसको आपने डबल कर दिया क्योंकि आपकी नीयत केवल यही है कि किसी भी प्रकार से पैसा वसूल किया जाए। यह जो बिल आपने पेश किया है, यदि आप इसको देखेंगे तो हर कालम में, हर संशोधन में आपको यह बात

(श्री भवंरलाल शर्मा)

मिलेगी कि पैसा कैसे वसूल किया जाए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो फाइनेंस का प्रबन्ध है इसमें आप पूर्णतः असफल रहे हो। कर नहीं पाये और अब कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा। इसलिए आप गरीब जनता पर हर समय यह निगाह रखते हैं कि पैसा कैसे वसूल किया जाए।

आपके बिल का सैक्शन 17 है सेल्स टैक्स का जिसमें आप अमैंडमैंट कर रहे हो, मैं आपका ध्यान जरा उधर ले जाना चाहूंगा। उसमें आपने व्यवस्था की है कि आपको अब तक जो पैसा मिलता आया है वह किस प्रकार से आगे बढ़े, और अधिक मिले उस पर विचार किये बिना ही, इसमें लिखा है आपने, जो दुकानदार रजिस्ट्रेशन कराएंगा उसको सौ रुपया देना पड़ता है आज, सौ रुपया किसी दुकानदार ने दे दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया उसका वन्स फार आल। अब आपने क्या अमैंडमैंट किया है ? आपने अमैंडमैंट किया है, The certificate of registration so granted shall not be transferable and shall remain in force for a period of 5 assessment years. केवल पांच साल तक दुकानदार रहेगा, उसका लाइसेंस जिन्दा रहेगा। पांच साल के बाद आटोमेटिकल खतम हो जाएगा। यह कौनसी व्यवस्था है ? अभी कोई फर्म चल रही है वर्षो से, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपने कर दिया कि पांच साल में यह रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू क्यों कराना पड़ेगा ? इसलिए कराना पड़ेगा कि from the year a registration takes place his registration certificate remains in force upto 31.3.2006 आपने अभी तक किया उनको तो यह हुआ, और आगे क्या करोगे आप ? ...unless the registration may be renewed for a further period of 5 assessment year on payment of such fee as the Government may prescribe form time to time. आपने एक तो इसकी मियाद खतम कर दी कि पांच साल से ज्यादा सर्टिफिकेट कामयाब नहीं होगा और जब हर पांच साल बाद रिन्यू कराएंगा तो आपने यहां तो सौ रुपये तय कर दिये, अभी तक तो सौ रुपये लेते हैं, आगे अपने यह तय नहीं किया कि आप इनसे क्या लोगे। आपने यह अधिकार अपने हाथ में क्यों रखा है ? इसकी आप हमसे परमीशन लेना चाहते हैं, हाउस से अनुमति चाहते हैं, लेकिन आप उसके रिन्युअल के बाद क्या पैसा लेंगे वह आप हाउस को क्यों नहीं बताते ? आपकी नीयत में खोट है वह इससे प्रकट होती है वरना आपको क्लीन हैंड से आना चाहिए था कि सौ रुपये लेते थे, अब डेढ़ सौ लेंगे, दो सौ लेंगे। यह बताना चाहिए आपको, आप हाउस से सैंक्शन ले रहे हैं। तो उसको अंधकार में क्यों रखा आपने ? इसलिए रखा कि जो इच्छा होगी वह आप बढ़ा दोगे। हाउस में सवाल खड़ा होगा कि आपने सौ से हजार कर दिये तो आप कहेंगे कि आपने ही तो अनुमति दी थी,

(श्री भवंरलाल शर्मा)

आपने एक्ट पास किया था। मुझे आप उत्तर में बताएंगे कि इसको आपने मोगे में क्यों रखा ? कारण क्या है इसका ? **Why do you not come with the clear hands.** और फिर इसको रिन्युअल की क्या जरूरत है बार--बार में ? हर पांच साल बाद रिन्युअल, और डिले कर दिया तो पैनल्टी और। मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या मंशा है ? इसके पीछे एक क्या मंशा है कि जिस प्रकार से भी पैसा वसूल किया जा सकता हो, लूटा जा सकता हो, खसोटा जा सकता हो, उसकी व्यवस्था आपने की है। यह आपके मन्सूबे को दिखाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से सैक्शन 42 है, इसमें स्टे मिलता है। उसका असैसमैंट हो गया, असैंसमैंट के बाद अगर व्यापारी समझता है कि यह पैसा अधिक है, मुझ पर नहीं लगना चाहिए तो वह अपील करता है और अपील करने के बाद आप उसको स्टे दे देते हैं । अपील भी सुनते रहते हैं, स्टे भी देते हैं। उसकी मियाद आपने छह महीने कर दी कि स्टे तो मिल जाएगा, लेकिन छह महीने में आटोमेटिकल खतम हो जाएगा, अपील चाहे खतम हो या नहीं हो। यह कौनसी व्यावहारिक बात की आपनें ? यह खुद चैलेंज करता है। कि आपने यह जो असैसमैंट किया है यह गलत है, यह न्याय नहीं है मेरे साथ। अपील आप सुन रहे हो उसकी। अपील को स्वीकार कर लिया, एडमिट कर लिया, स्टे भी ग्रांट कर लिया, लेकिन छह महीने बाद वह स्टे अपने आप खतम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ ? उस व्यक्ति को जो आपको टैक्स देना था, जो आप ड्यू मानते हो और वह वाजिब नहीं मानता है उसको पे करना पड़ेगा। मैं समझता हूं ऐसा कानून तो कहीं हो नहीं सकता। मेरा निवेदन यह है कि जब तक उसकी अपील का डिसीजन नहीं हो, यदि उसको आपने स्टे दिया है तो **It should be continued till that.**

अब आपको तो पैसा लेना किसी से भी। अपील दस साल में तय करो, स्टे आप छह महीने में खतम कर दो और पैसा वसूल करो उससे। हर बार यह पैसा मारने की जो नीयत है, किस प्रकार से जनता को न्याय देंगे आप ? आप अपील जल्दी तय करिये। आप पाबन्द करिये अधिकारी पर कि छह महीन में अपील तय कर देगा। वह अपील तय करने की तो आपने कोई सीमा बांध नहीं रखी है और कह रखा है कि जब तक अपील चलेगी और आपका स्टे खतम होगा, उसका मतलब यह हुआ कि उसको पैसा जमा कराना पड़ेगा ऐसा क्यों आप कर रहे हो ?

इसी प्रकार 56 में अप रिफण्ड के बारे में अमैंडमैंट लाये हैं। इसमें आपने यह लिखा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है। In sub-section 1 of section 56, for the existing expression; "interest at the rate of 15% per annum." आप उसकी बजाय कर रहे हैं, "Interest at the rate as may be notified by the Govt. from time to time. यह वह रकम है जो आदमी टैक्स जमा कराता है, अपील करता है और अपील के बाद अपील में निर्णय होता है कि यह जो टैक्स है यह व्यर्थ था और यह ज्यादा ले लिया गया। अपील मंजूर होती है तो उसको आप जब वापस पैसा देते हैं, रिफण्ड करते हैं तो अब तक तो अपने यह तय किया हुआ था कि दस प्रतिशत इंटरेस्ट देंगे आज तक, कानून है। अब आप क्या ले आये यह ? आप ले आये कि दस प्रतिशत तो नहीं देंगे और सरकार तय करेगी जो भी, उतना ही इंटरेस्ट देंगे आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 15 परसेंट है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो भी है वह खतम कर दिया न आपने, 15 परसेंट है न ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने दस कहा अभी, भंवरलाल जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I correct myself. मैं तो चाहता हूं यह जो पन्द्रह परसेंट आप देते थे अब तक, अब आपने इसमें क्या कर दिया ? यह क्यों कर रहे हैं, जारा समझाइये मुझे। आप इस इंटरेस्ट को क्यों घटाना चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : घटाया नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो आप बढ़ाएंगे क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is still in existence. यह अभी आज की तारीख में भी पन्द्रह परसेंट के ऊपर ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I agree.

श्री प्रद्युम्न सिंह : बैंक रेट्स इत्यादि बहुत फ्लक्युएट हो रही हैं उस सबको देखा है। जैसा आवश्यकता के अनुसार होगा वैसा करेंगे, लेकिन इस साल के लिए पन्द्रह परसेंट ही रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं। यह अमैंडमैंट हो जाएगा तो कहां पन्द्रह परसेंट है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो पूर्व में है वह अधिकार लिया है वक्त के हिसाब से।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, अधिकार लिया है नो ? आप कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसको। यह अधिकार काहे के लिए लिया है आपने ? यह जो पन्द्रह परसेंट है इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, यही तो अधिकार ले रहे हो आप। कम तो करने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वाले हो नहीं आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या पता भविष्य के बार में ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम तो आपको जानते हैं भविष्य क्या करेगा। आपका भविष्य बहुत लम्बा थोड़े ही है अब कोई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो वक्त बताएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वक्त तो बता रहा है। भगवान आपको कुछ न हो, लेकिन यह समझाइये आप कि यह पन्द्रह परसेंट जो है उसको या तो यह कहिये कि as per the scheduled rate of the banks. जैसे आपने अभी व्यक्त किया यह कह दीजिये। वरना इतना अनलिमिटेड पावर क्यों ले रहे हो आप ? हर मामले में चाहे रिन्युअल का मामला हो, चाहे रिफण्ड का मामला हो, इंटरेस्ट का मामला है तो as prescribed by the Government. इतना अंधकार में क्यों हाउस को रखना चाहते हैं आप ? यह कोई बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है क्या ? आप पन्द्रह परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप दीजिए उसको, अगर कमती–बत्ती करना है तो लिखिये यहां पर आप इतनी अनलिमिटेड पावर आपको नहीं लेनी चाहिए।

फिर 58 है आपका 58 क्या है ? For the existing expression, "on such amount at the rate of two percent per month." the expression, "on such amount at such rate as may be notified by the State Govt. from time to time." दो परसेंट आपने इसमें रखा है अभी तक तो। अब आप क्या करेंगे ? यह भी नहीं है कि आप रेट कुछ भी कर देंगे। इसके बारे में भी आपने कोई अमाउंट तय नहीं किया। जहां कहीं आपने बढ़ाने की बात की है वहां आपने as declared by the State Govt., as determined by the State Government. यह रखने का कारण क्या है ? कारण यही है कि मनमानी करने का अधिकार आप ले रहे हैं और जब इच्छा होगी उसी प्रकार की रेट आप घटा देंगे, बढ़ा देंगे।

मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह स्थिति ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो हाउस से भी निवेदन करूंगा कि सरकार को खुले दिमाग से विद क्लीयर हैंड्स आना चाहिए कि हमारी यह इच्छा है, हम यह करना चाहते हैं। हाउस को बताने के लिए आप यह बिल लायें हैं तो आप अपने मंतव्य को साफ करिये। As advised by the Govt., as determined by the Govt., as and when you like, whatever you like, यह मैं समझता हूं ठीक नहीं और यह इन व्यापारियों के साथ भी न्याय नहीं है। आप पांच साल में रिन्युअल रोल करेंगे हर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दुकानदार का, यह कौनसा कानून ले आएं आप ? क्या लाभ होने वाला है ? सिवाय इसके कि आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं इसके पीछे लाभ। कोई नीतिगत निर्णय है ? कोई राजस्थान के विकास का मामला है ? कोई गरीबों के उत्थान का मामला है ? यह कुछ नहीं है। एक बार दुकान का रजिस्ट्रेशन हो गया, वन्स फार आल हो गया। अनलैस कोई बात नहीं हो, कैंसिल नहीं हो। यह केवल इसलिए कि आप केवल इस बहाने जनता से पैसा बटोरेंगे और लोगों को परेशान करेंगे।

इसी प्रकार से और भी जो एक्ट हैं आपके और भी जो आपके टैक्स हैं, जितने भी आपने टैक्स में संशोधन किये हैं जैसे लैण्ड और बिल्डिंग टैक्स में किया है, उसमें आपने यह कहा है कि जो टैक्स ड्यू हो जाएगा वह आपको जमा कराना पड़ेगा। या तो आधा यह दस लाख जो भी लैण्ड बिल्डिंग टैक्स का शेयर बनेगा उसमें या तो 50 परसेंट उसका लें या 10 लाख रुपये आप वसूल करेंगे, Whichever is less.

श्री प्रद्युम्न सिंह : भंवरलालजी, इसको अमैंड कर रहे हैं। पहले 100 परसेंट का प्रोविजन था, इस हार्डशिप से लोगों को रिलीफ देने के लिए यह अमैंडमैंट लाये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसार का कोई कानून नहीं हो सकता लैण्ड और बिल्डिंग टैक्स देने के लिए आपसे सहमत नहीं होऊं, इतना टैक्स नहीं बनता मुझ पर, I can go to the court. मैं अपील कर सकता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनकम टैक्स के प्रोविजन आपको ध्यान में नहीं है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काहे के ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनकम टैक्स के।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इनकम टैक्स क्या करेगा इसमें ? इनकम टैक्स वह देता है जिसकी इनकम ज्यादा होती है। गरीब आदमी नहीं देता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह भी गरीब आदमी नहीं देता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो कोई देगा। यह तो जो गरीब मकान में रहता है वह भी दे देगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना, ना। इसमें सरटेन एग्जम्पशंस हैं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह भी देगा। मकान से कमाता नहीं है, मकान बड़े बुजुर्ग बना करके छोड़ गये, आज उसकी कीमत बढ़ गयी, उससे आप यह पैसे लोगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान् आपके राज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में भी टैक्स था। आपके वक्त में इतने हार्श मेजर्स थे, हमने तो इसमें अमैंडमैंट करके बहुत लोगों को रिलीफ दिया है इसके अन्दर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब आप यह उदारता दिखा ही रहे हो तो पूरी दिखाओ। मेरा यह निवेदन है, सामान्य सिद्धान्त न्याय का यह होना चाहिए कि यदि कोई आदमी अपनी टैक्स को चैलेंज करता है तो उसका फाइनल डिसीजन जब हो जाएं तो आप वसूल कर लीजिये। वरना उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहे यह रियायतें देने की बात करते हैं, कुछ मायने में रियायत की बात हो सकती है पर मेरा विनम्र निवेदन आपसे यह है कि आप उसको एक बार मौका दीजिये और जब फाइनली डिसाइड हो जाएं तब वसूल कर लेना। नहीं तो आपने उसको शुरू में कह दिया कि हमने जो कर दिया सो कर दिया, तेरी मर्जी आवे सो कर। आपके अधिकारी ने जो रेट तय कर दी He cannot challange that. चैलेंज करेगा तो पैसा पहले जमा कराना पड़ेगा। यदि आपकी सद्भावना है जैसा कि आप बता रहे हैं। I belive it. शायद होगी आपकी, आप इस क्लाज को खतम करिये और यह कहिये कि जब अपील का निर्णय हो जायेगा तब जो पैसा बनेगा वह दे देगा। ठीक है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक नहीं अनेक संशोधन इसमें किये हैं, सबसे बड़ी मुझे आपत्ति यह है कि आपने जहां--जहां भी इसमें टैक्स का या फीस को बढ़ाने का निश्चय किया है उसमें आपने यही कहा है As determined by the Government. इसके पीछे आपका क्या उद्देय है ? क्यों नहीं आप डिक्लेयर करते कि हम इतना लेंगे ? What is problem ? जो गरीब आदमी मकान पर लोन लेता है और मकान बनाता है उससे भी दशमलव एक परसेंट आपने इंटरेस्ट लगा दिया। वह गरीब तो कर्जा ही इसलिए लेता है कि वह गरीब है। उस पर आपने स्टाम्प ड्यूटी एक परसेंट की लगा दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना, ना। आप देखें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दशमलव एक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दशमलव एक है। परसेंट और दशमलव में तो बहुत अंतर है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दशमलव एक है। Why do you impose it ? उससे आपको क्या तो इनकम मिलेगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : भंवरलालजी, पुराने फिगर्स से आप कम्पेरिजन करें। It has been reduced.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घटाया है, घटाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : It has been

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

reduced. बहुत कम किया है। उसके हरेस्मैंट को रोकने के लिए और कम किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई हरेस्मैंट कम नहीं हुआ है उससे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जितना था उससे भी कम किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपको मिलेगा क्या इससे ? इससे आपको कितना अमाउंट मिलेगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : That is a difference thing.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इनकी परेशानी तो वैसी ही रही ना ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बहुत कम किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसकी परेशानी तो वही रही ना ? इनको वहीं जाकर पैसा जमा कराना पड़ेगा, सारी बात वही करनी पड़ेगी और आपकी कोई बहुत बड़ी इनकम होगी नहीं। पैसा आप कह रहे हैं दशमलव एक ही है और जो आपने आगे किया है वह ठीक है। मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं कि जो ग़रीब आदमी मकान के लिए लोन लेता है उससे तो कम से कम मत लीजिये। उसको समाप्त कर दीजिये।

आपने यह ज़ो व्यवसाय कर लगाया है। पहले तो यह कम्पनियों पर था, व्यक्तियों पर भी था, अब फर्म पर लगा दिया आपने। अब फर्म में क्या होगा, फर्म को तो देना ही पड़ेगा, व्यवसाय है। फर्म में जो पार्टनर हैं, जो फर्म में काम करते हैं उससे उनको जो प्राफिट मिलेगा, शेयर मिलेगा, उस पर भी आप लगाएंगे। He will be taxed twice. उसको दो बार देना पड़ेगा। यह आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके मन में एक बात है कि येनकेन प्रकारेण किसी भी प्रकार से हो by fair and foul means, हमको तो पैसा इकट्ठा करना है। इसका क्या औचित्य है ? Why should he pay twice ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : I don't think that there is a confusion. I will clarify it.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो कानून की बहस है, इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री सभापति : कटारिया जी के लिए भी कुछ छोड़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह खुद ही छोड़ गये।

श्री सभापति : कटारिया जी के लिए आप कुछ छोड़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, मैं यहीं छोड़ देता हूं। आपने फरमा दिया अभी लीजिये। एक मिनट में, वह आ जाएं। क्लेरिफिकेशन कर दें।

श्री सभापति : वह तो बाद में अपने जवाब में क्लेरिफाई करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा तो ठीक है। मैंने अपनी बात पूरी कर दी, बाकी बात कटारियाजी कह देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों को और पूरे राजस्थान को इस बात का मन में बहुत अफसोस है कि देश की आजादी से लेकर अब तक इस पवित्र सदन में जितनी बार भी बजट पेश हुए, मैं सोचता हूं यह पहला दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष रहा होगा, जब बजट की जिस प्रकार की गरिमा है उसको तोड़ा गया, हम सब लोगों की मौजूदगी में तोड़ा गया। ध्यान में लाने के बाद भी अड़ियल रूख के कारण। हम उस बात पर, बहुमत पर अड़े रहे, चाहे बजट प्रस्ताव में जो टैक्स लाने वाले हैं हम 82 करोड़ के, उसको माननीय सदस्य ने सदन शुरू होने से पहले यहां पेश कर दिया। और हम सब लोगों ने सदन में जब मिलान किया तो लगभग 90 परसेंट वही टिक हुए। इतना सब होने के बाद भी अगर हम उस पर गहराई से विचार नहीं करें तो हम आने वाले लोगों के लिए क्या रास्ता दिखाएंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक सैकण्ड, आप तो बहुत सीनियर हैं, सब कुछ बोलने का आपको अधिकार है लेकिन जिस विषय पर आपने शुरू किया है वह तो हाउस में बहुत डिस्कस हो चुका है। फिर भी मैं रोकता नहीं हूं। लेकिन आपके जो प्रस्ताव हैं...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : भूमिका बना रहे है।

श्री सभापति : भूमिका तो बहुत बन चुकी हाउस में, बहुत भूमिका बन चुकी इस मामले में इसलिए इस प्रस्ताव पर आ जाएं तो ठीक रहेगा। सब मामला हो गया और बहुत दफे बहस हो चुकी है। जैसी आपकी मर्जी है, मैं आपको रोकता नहीं हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, कर प्रस्तावों के बारे में जो यह मनी बिल लेकर आये हैं उसी की तो दुर्गति हुई थी। आज हमारी मजबूरी यह है कि चूंकि हमने बजट पास किया है हम अपने बहुमत के आधार पर इस मनी बिल को भी पास करेंगे। लेकिन फिर भी मन में एक टसक है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जो कुछ भी हमने किया वह इस प्रदेश की विशिष्ट परम्पराओं के विपरीत किया है। उसके कारण से आने वाले लोगों को सीखने में, इससे भी घटियापन आगे आएगा, यह हम सब लोग अनुभव करेंगे।

राजस्थान में बिक्री कर के बारे में आप जो प्रस्ताव और अमैंडमैंट लेकर आये हैं, मैं यह नहीं समझा हूं कि आपके मन में भावना क्या है। लेकिन आपने चाहा है, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा, इसकी धारा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

17 को संशोधन किया। विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये की फीस" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी फीस जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए" प्रस्थापित किया जायेगा। आपने जब पहले बनाया उस समय शायद अपने मन में यह था कि यह रुपये नहीं लिखना चाहिए, रोज–रोज़ का झंझट क्या है। जब मर्जी चाहो तलवार निकालो और घुमा दो जनता के ऊपर। मनचाहे नोटिफिकेशन निकालो और अपनी मर्जी से चाहे जितने लोगों की जेब काटलों। भावना यह थी अमाउंट लिखने के पीछे कि आदमी के मन में बिलकुल साफ रहता है कि इस बार यह टैक्स लगने वाला है और जब कभी भी नया इस सदन में आकर परिवर्तन होता है तो उसके बाद मन बनता है कि भाई अब 100 रुपये नहीं लगेंगे, अब इसकी जगह यह टैक्स होगा। आपने असीमित अधिकार ले लिये हैं हमेशा के लिए, अपनी मनमर्जी से जैसा भी आप उचित समझो वैसा आप करना चाहते हो। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी बताया इसके बारे में कि जितना हम टैक्स को सरलीकृत करें उतनी ही हमारी आमदनी बढ़ेगी। इस सत्य को सब लोग जानते हैं उसके बाद भी पता नहीं हम उससे बाहर क्यों नहीं निकलते हैं ?

यह जो आपका रजिस्ट्रेशन का तरीका है, सामान्यतया यह होता है कि एक आदमी की दुकान में रजिस्ट्रेशन के फोटो लगे रहते हैं, जैसे पूरी दुकान सजी रहती है हमने इस समस्या को हल करने के लिए, ताकि व्यापारियों को कम से कम परेशानी हो, उसकी जगह पंजीकरण करने की दृष्टि से पांच साल का समय बांध दिया कि 2006 तक रहेगा और 2006 के बाद उसका फिर नवीनीकरण होगा। अगर एक बार उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो कम से कम आप उसे मुक्त करें जब तक कि वह व्यवसाय करता है। कोई कारण होता है, उसकी कोई शिकायत होती है, कोई और बात होती है, तब उसे कैंसिल करे तो ठीक है। यह रोज–रोज आना, फिर पंजीकरण का ध्यान नहीं रहा, जो तारीख है वह तारीख निकल गई, उस तारीख के निकल जाने के कारण से वह आपके द्वार पर हाजिर हो। आपकी मंशा हो तो आप उसे छुट्टी दे दें, नहीं मंशा हो तो आप पैनेल्टी लगा दें।

आप जो पंजीकरण शुल्क लेते हैं उसकी अमाउंट तो बहुत कम है लेकिन उसकी परेशानी बहुत अधिक है। क्यों नहीं वन टाइम, जो कुछ भी लेना हो पंजीकरण के लिए अगर अमाउंट कम है तो हम यह फिक्स करे लें कि पहली बार पंजीकरण करें तब तो इतना लगेगा ताकि वह बाद में झंझट से मुक्त हो जाए। यानि हम जितना सरल करेंगे उतनी ही आसानी रहेगी, व्यापारी भी इस झंझट से बचेंगे। रोज एक आदमी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की इसी बात पर ड्यूटी लगाये रखो कि किसकी डेट कब खतम हो रही है, कब उसका पंजीकरण करना है, उसी के पीछे वह चलता रहे, इस व्यवस्था को आपको निश्चित रूप से बदलना चाहिए।

सैक्शन 42, अब यह जो अपील है जब तक अपील कर निर्णय नहीं होता तब तक उसको स्थगन कर लाभ जो मिलता था उसको आपने सीमित किया। पहले 6 महीने का किया, फिर बाद में और चाहे तो 3 महीने और उसे मिल सकते हैं। जब तक अपील का फैसला नहीं होता, कम से कम अगर आप यह कर दें तो उसे सुविधा रहती। आपने स्थगित भी किया तो 9 महीने के लिए क्या किया ? या तो अपील का निर्णय करने का कोई समयबद्ध करो कि अपील का निर्णय इतने समय में हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसके अनुसार वह अपने आपको एडजेस्ट करेगा। आपने अपील का समय तो निश्चित करने की कोशिश नहीं की। इतना लम्बा समय गुजरता है और उसमें 9 महीने की अवधि दी तो उसको स्थगन का जो लाभ मिल रहा था वह स्थगन का लाभ अपने आप में उस समय की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा हम चाहते हैं वह नहीं निकल सकता।

सैक्शन 56 में भी यही है, असीमित अधिकार लेना चाहते हैं। वैसे हर सरकार की यह मंशा रहती है कि इस हाउस में कम से कम आया जाए और अपनी मनमर्जी से जैसे चाहो वैसे चलाओ। मैं सोचता हूं कि यह सोच ठीक नहीं। हमारी समस्या का निदान हो सकता है, अधिकारियों की समस्या का निदान हो सकता है। हमको रोज आने और इसको पास कराने के झंझट में नहीं पड़ना पड़े, हम सीधे ही एक नोटिफिकेशन निकाले और जैसा चाहे वैसा करे दें। जैसा चाहे वैसा का वैसा इसमें आपने किया है। विद्यमान अभिव्यक्ति "15 प्रतिशत प्रति वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी दर से जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए" अब इसमें आपकी क्या मंशा है, यह मैं समझ नहीं पाया। शायद यही होगी कि रोज–रोज की परेशानी कैसे मिटे और सरकार का काम अपनी मनमर्जी से जैसा चाहे वैसा कर सके। शायद यही इसके पीछे सोच रहा होगा।

सैक्शन 84 में भी वही बात है, जिसका निर्धारण किया अन्य रकम की, उस 15 प्रतिशत में जो भी उच्चतर हो के स्थान पर अभिव्यक्ति वह निर्धारित दर या अन्य रकम से 10 प्रतिशत के या एक पक्षीय निर्धारण आदेश के किसी एक अपील के मामले में निर्धारित कर या अन्य रकम के 15 प्रतिशत में जो भी उच्चतर हो, प्रतिस्थापित की जाएगी।

मैं यह सोचता हूं कि अपील करते समय और अपील का निर्णय न हो तब तक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप उसको बांध कर अपनी आय तो बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको राहत नहीं मिल सकती। वास्तव में जिस बात के लिए आपके विरुद्ध उसने मुकदमा लड़ा, लेकिन आपने तो अपने 15 प्रतिशत का पैसा वसूल कर लिया। उसकी परेशानी को आपने इस बात में ध्यान में नहीं रखा। मैं चाहता हूं कि जो भी हम कानून बनाएं, कानून बनाते समय अगर हम एक बात को ध्यान में रखे तो निश्चित रूप से कानून की जो मंशा है उस मंशा से ज्यादा कुछ लोगों को राहत दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना रेवेन्यू घटाना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज भी नहीं चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू कोई घटे। हमारा रेवेन्यू बढ़े लेकिन इतनी सरलता से बढ़े कि व्यक्ति की, व्यापारियों की, बाकी के लोगों की परेशानी को भी कम कर सके।

वैसे के वैसे ही यह जो आपका लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स है, इसमें आपने सुधार कर राहत दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स में एक जायदाद अगर किसी दूसरे को बिकती है तो उसमें आपने इनको सहूलियतें दी हैं, लेकिन जो फर्स्ट अपील है, कम से कम इस फर्स्ट अपील को तो किसी तरह इससे मुक्त करो कि उसे आधा पैसा जमा नहीं कराना पड़े। फर्स्ट अपील में मान लो उसके केस में एक बार कोई निर्णय हो गया, कोई असैसमैंट करने आया, मेरा असैसमैंट उसने मर्जी चाहे जितना कर दिया, वह कितना लॉजिक है या नहीं, मैं तो उसके सामने कह नहीं सकता, मेरी तो मजबूरी है जो उसने लिख दिया। उसने 15 लाख कर दिया, 15 लाख के हिसाब से मैं फंस गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : कटारिया जी, एक मिनट। ऐसे केसेज तो बहुत कम हैं क्योंकि 90 प्रतिशत केसेज तो सैल्फ असैसमैंट के आधार पर दिये हैं कि आप सैल्फ असैसमैंट अपना भर दीजिए। सिर्फ 10 प्रतिशत केसेज, मान लो 100 केस फाइल किए तो 10 केस सैम्पल चैकिंग के लिए आते हैं, बाकी तो as it is स्वीकार कर लेते हैं। हमने इसके अन्दर पिछले साल बहुत सहूलियतें दी थीं। जो भी कठिनाइयां थीं, यह स्वयं आपने महसूस किया कि Transfer of Property के बाद में नए हाथ में प्रोपर्टी जाएगी तो नए सिरे से होगा, उस कठिनाई को भी दूर किया। जैसे–जैसे कठिनाइयां सामने आती जा रही हैं, हम चाहते हैं कि इसको इतना सरल कर दिया जाए। यह हमारी इसमें मंशा थी। इसके पहले 100 प्रतिशत था, हमने इसको 50 प्रतिशत किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जो इसमें सुधार किया, उसको भी मैंने कहा कि इसमें आपने सुधार किया जिससे सामान्य व्यक्ति को राहत इसमें मिली है। लेकिन मान लो कहीं दो प्रतिशत केस भी इसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उलझते—फंसते हैं तो जब हमने सैल्फ असैसमैंट के आधार पर निर्णय करने का फैसला कर लिया, इसमें एक बार अपील होती है उस अपील में तो उसको कम से कम बाध्य न करें।

किसी सरकारी अधिकारी से कोई कहा—सुनी हो गई, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ गलत असैसमैंट कर दिया तो उसने तो आपके ऊपर तलवार लटका दी। उसका मतलब हुआ कि आपने उनके हाथ में पावर दे दिए जो इसका असैसमैंट करते हैं। आपने दुकान खोलने का काम किया। कारण क्या है ? जिस प्रकार का हमारा ढांचा बन गया, उस ढांचे में हम कदम—कदम पर सुधार करते हैं फिर भी कदम—कदम पर उसमें कोई न कोई रोड़े आड़े आ जाते हैं। यह 50 प्रतिशत पैसे जमा कराने के पीछे असैस करने के लिए जो अधिकारी वहां जाएगा उसके हाथ में आपने एक ऐसी तलवार दे दी जिससे जो उसकी मर्जी चाहे वह करेगा। उसके कारण से मुझे उसकी हाथा जोड़ी करनी पड़ेगी कि दादाभाई, कम से कम इसमें तो रियायत दो। आप इस रास्ते को क्यों छोड़ना चाहते हो जिसमें से बेइमानी की गुंजाइश निकले ? फर्स्ट अपील में वह हार जाता है और उसका यह निर्णय हो जाता है कि नहीं भाई, आपकी प्रापर्टी पर इतना टैक्स बनता है, उसके बाद तो कोई रियायत नहीं, उसके बाद आप उसके हण्ड्रेड परसेंट। सैकण्ड टाइम में कोई जाता है किसी केस के बारे में तो उसको हण्ड्रेड परसेंट। फिफ्टी परसेंट नहीं हण्ड्रेड परसेंट अपने खाते में रखवाइए और उसके बाद उसको सैकण्ड अपील का चांस दीजिए। लेकिन कम से कम फर्स्ट अपील में आदमी को थोड़ा—सा राइट होता है, इससे उसको बचाया जा सके। जब हम कानून बना रहे हैं तो खुले दिल से बनाएं। जितना आपने सैल्फ असैसमैंट का आधा निकाला, मैक्सिमम पैसा आया। मैक्सिमम पैसा आएगा, निश्चित रूप से कोई व्यक्ति चोरी नहीं करना चाहता लेकिन कानून उसे चोरी करने के लिए बाध्य करता है वह इतना हैवी टैक्स होता है कि वह सोचता है कि इसमें अगर कुछ रास्ता निकलेगा तो मेरा इतना पैसा बच जाएगा। इतना पैसा बच जाएगा, उस चक्कर में कुछ न कुछ आड़े—टेड़े कदम उठाता है। इसलिए आप टैक्स को सरल करें। उसमें से यह भी अगर निकले, सैकण्ड अपील के समय आप इसको 50 प्रतिशत पैसा नहीं, 100 प्रतिशत करें, इसमें कोई दो राय नहीं है।

प्रोफेशन टैक्स में सैक्शन 6 में किया है यह ठीक है। जो कमी रही गई थी, गलती रह गई थी करैक्ट करते हुए आपने इसको ठीक किया है।

पर सैक्शन 27 में मेरा भी यही सोच है, फर्म को आपने व्यवसाय कर में जोड़ा है इससे क्या मंशा है ? हमारे यहां तो बहुत छोटे—छोटे बिजनेस भी फर्म के आधार पर होते हैं। उसमें कहीं कम्पनी के नाम से हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो समझ में आता है, क्योंकि उसमें तो कम्पनी को ही टैक्स देना है। किसी डाइरेक्टर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, जो भी उसमें है वो उससे मुक्त है। लेकिन फर्म में तो पार्टनर है और उस फर्म के पार्टनर के ऊपर इस व्यवसाय कर के कारण जिस प्रकार की लाइबिलिटी आने वाली है इसको आप फिर से देखें। क्या इसको फर्म से बिना जोड़े भी हम इसमें से कोई रास्ता निकाल सकते हैं ? लोगों की बहुत परेशानी इसमें खड़ी होगी, नई परेशानी पैदा होगी। अगर इसको आप ठीक कर सकें तो आप इसको जरूर करने का प्रयास करें।

इसी तरह से स्टाम्प में आपने 5 रुपये से 10 रुपये किया। अब इसमें कितना फर्क पड़ने वाला है ? आजकल हर आदमी को कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल में पढ़ता है या जिसको इधर से उधर कहीं भी जाना पड़ता है उसको ये सब एफिडेविट देने पड़ते हैं। विशेषकर जो बेरोजगार हैं उन लोगों को एफिडेविट के कारण से परेशानी होती है। अच्छा तो यह होता कि इसमें से कोई और सहूलियत व तरीका निकाला जाता। विद्यालय में पढ़ने वाले के लिए जाति प्रमाण–पत्र या और ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम बाहर कर सकते हैं, उनको हम इस समस्या से बाहर करें ताकि उनको राहत मिलेगी और लोगों की परेशानी कम होगी। काम कुछ नहीं होता, लेकिन दिन भर कोर्ट में मारे–मारे फिरना पड़ता है। एक कागज को करने के लिए 5 रुपया, 10 रुपया उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन परेशानी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर चीज में एफिडेविट, हर बात में एफिडेविट, इसमें आपने 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया है। मैं चाहता हूं कि जो अनएम्प्लायड यूथ हैं उनको कहीं भी फार्म भरना पड़ता है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है। विद्यार्थियों को एडमिशन के समय में जिस प्रकार के एफिडेविट देने पड़ते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। व्यापारिक रूप से कोई आदमी एफिडेविट देता है तो समझ में आ सकता है, आप उसको किसी तरीके से पाबंद करें। पर बिना बात के जिस प्रकार से हम एफिडेविट के माध्यम से कर रहे हैं वह ठीक नहीं है।

फिर आपने बीबीबी जो जोड़ा है और जैसा आपने कहा, 0.1 आप इसमें लगा रहे हैं। मान लो मैंनें 4 लाख का लोन बैंक से लिया अपना मकान बनाने के लिए, तो आप यह सोच सकते हैं कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मुझे बैंक से लोन लेने की जरूरत कहां पड़ती। आज की तारीख में हांउसिंग लोन सबसे ज्यादा होता है, और सब पर रख लें, आप कोई व्हीकल लोन ले तो ले लो, कोई चिंता की बात नहीं, पर कम से कम कोई अपनी छोटी कुटिया बनाना चाहे और लाख–दो लाख रुपये का लोन लेकर मकान बनाकर अपनी गुजर–बसर करना चाहता है तो उससे यह 0.1 परसेंट का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

टैक्स लगाकर हम क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं ? या तो आप इसकी कोई सीमा तय करें, अगर कोई मकान बनाता है 10–20 लाख का लोन लेकर उससे लें, लेकिन कुछ सीमा को छोड़ो। एक लाख की छोड़ दो, दो लाख की छोड़ो, कुछ न कुछ छोड़ो। सामान्य व्यक्ति एक–दो लाख का लोन लेकर अपना मकान बनाता है तो इससे आमदनी तो कुछ नहीं होगी। लेकिन इस आमदनी न होने के बाद भी उसको जो परेशानी होगी उस परेशानी से उसको कैसे मुक्त किया जा सकता है, मैं सोचता हूं कानून बनाते समय इन बातों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। बातें तो बहुत छोटी–छोटी है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आएगा। 0.1 परसेंट टैक्स से अगर मैंने एक लाख रुपया भी ले लिया तो मेरे 100 रुपये आएंगे। पैसे का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसके कारण से जिस प्रकार कागजों की कार्यवाही होगी और जिस प्रकार का रिकार्ड मेनटेन होगा वह एक सामान्य आदमी के लिए बहुत तकलीफदेह होगा। इसमें अगर आपकी कुछ लेने की मंशा ही है तो बड़े–बड़े बंगले बनाने वाले अगर लोन लेकर बनाते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, आप एक सर्टेन लिमिट कर दो कि इस लिमिट से ऊपर जो लोन लेंगे उस लोन पर लगेगा। 5 लाख तक मुक्त कर दीजिए, 5 लाख से अधिक कोई हाउसिंग लोन लेगा उस पर लगा दीजिए। 0.1 की जगह आप इसको बढ़ा दीजिए, लेकिन कम से कम सर्व साधारण व्यक्ति को आप इस जाल में मत फंसाओ जिसके कारण उसको परेशानी बढ़े। अगर यह करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमको लाभ मिलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटारिया जी, अब तक तो बहुत ज्यादा आता है जिसको 0.1 परसेंट किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जब अच्छा ही किया तो यह समस्या मेरे ध्यान में आयी। मैंने यह नहीं कहा कि आपने कम ज्यादा किया। जो समस्या है इस समस्या को अगर हम बैठ कर कम कर सकते हैं और हमारे आय के स्रोत दूसरे प्रकार से तैयार कर सकते हैं तो हम सर्व सामान्य व्यक्ति को छोड़े और जिनके पास हैं उनसे प्राप्त करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से उसमें हमको लाभ होगा और हमारा जो भी टैक्सेशन का पर्पज है वह सफल होगा।

इसके साथ ही राजस्थान स्टेट में जो एंट्री टैक्स है, जो अन्तरराज्यीय है वह इसमें माइनस किया। एक स्टेट का चुका कर, अगर वह दिल्ली में टैक्स चुकाकर आया तो यहां उतना माइनस करने के बाद जो कुछ बचेगा वही टैक्स लेंगे। यही पर्पज है न तो यह अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपने जो अन्तरराज्यीय है उनको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी इसमें से बाहर निकालने की बात की और यूनियन टेरिटरी को भी बाहर निकालने का प्रयास किया है यह अच्छी बात है, इसके कारण से निश्चित रूप से अपनी रेवेन्यू बढ़ेगी और लोगों को टैक्स का डबल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इससे हमको यह सुविधा मिलेगी। लेकिन एक बात है, इसमें आपने प्रोविजन डाला है और डिवीजनल कमिश्नर के यहां जो अपील होती थी उसको डिवीजन बैंच ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किया। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो अपील होगी उससे आदमी को यह विश्वास रहेगा कि मेरे साथ कोई न्याय होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के पास उसके मन में एक शंका रहती है, तो यह जो प्रोविजन अपील का डाला है मैं इसको ठीक समझता हूं।

रिकवरी का प्रोविजन भी ठीक है। वैसे ये सारे कानून जो हमने बनाये हैं, इसमें कुछ कमियां जो मेरे ध्यान में आई मैंने आपके ध्यान में लायी है। अगर आपको रेवेन्यू की दृष्टि से कुछ करना है तो रेवेन्यू के लिए आप सोर्स तैयार करें, पर मैक्सिमम लोगों को इस समस्या से कैसे मुक्त कर सकते हैं यह भी देखें। व्यापारी के बारे में एक अमूमन धारणा है कि वह चोर होता है, यह उसका दुर्भाग्य है। पर उसको आपने टैक्स के जाल में इस तरह से फंसाया है कि वह मजबूर होता है। गांव के अन्दर मुश्किल से 200 रुपये का दिन भर में कुल सामान बिकता है। उस पर 8 परसेंट उसको टैक्स देना पड़े तो वह 16 रुपये की चोरी करता है। कभी किसी ने यह देखने की कोशिश नहीं की कि यह दिन भर में क्या कमाएगा, क्या नहीं कमाएगा। उसके कारण से आपने किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटारियाजी, सैल्स टैक्स के बारे में भ्रांति है। राजस्थान के अन्दर फर्स्ट पाइंट के ऊपर है। यह बड़ी भ्रांति फैली हुई है। मेजोरिटी आइटम्स के ऊपर फर्स्ट पाइंट के ऊपर टैक्स है अपने यहां। इसलिए जो नीचे के लेवल पर बात आती है कि नीचे वे परेशान हैं, अपन तो फर्स्ट पाइंट पर टैक्स ले लेते हैं राजस्थान के अंदर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो फिर यह विषय लोगों के मन में क्यों बैठा हुआ है ? क्यों ऐसा लगता है ? या तो यह है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटारिया जी, कुछ जो चतुर लोग हैं या चालाक हैं या बेइमान कह लीजिए, वे जनता को भ्रमित करने की चेष्टा करते रहते हैं। दिल्ली में लास्ट पाइंट पर टैक्स है, राजस्थान में तो फर्स्ट पाइंट के ऊपर टैक्स है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस विषय को हम ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण क्या है कि बाजार में जब भी जाते हैं, उससे कोई भी बिल मांगते हैं कि आप इसका बिल दो तो कहता है कि नहीं, बिल लोगे तो इतना टैक्स लग जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल आप सही कह रहे हैं, इसका अबकी बार प्रचार–प्रसार अच्छी तरह से करवा देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके पीछे भावना यही है। कई बार टैक्स देने वाला टैक्स देना भी चाहता है, लेकिन उसको एक भय दिखाया जाता है कि अगर आप बिल लोगे तो आपको 24 रुपये और देने पड़ेंगे। वह कहता है रहने दो। अब पता नहीं कि उसको 24 रुपये बढ़ाकर भाव दे दिया या उसको बेच दिया और उस 24 में से उसने सोचा कि आपको 10–15 का फायदा दे दिया तो सोचता है कि मुझे फायदा हो गया। तो निश्चित रूप से हमको इस बारे में कुछ न कुछ ऐसा...

श्री आर.पी. शर्मा : जो एक नम्बर की परचेज होती है उसमें तो वह टैक्स चुकाना चाहता है। खुद दो नम्बर में परचेज करेगा इसलिए वह लोगों को ब्लैकमेल करता है। यह इसके पीछे लाजिक है, इसमें दो राय नहीं है व्यापारी नम्बर एक और नम्बर दो दोनों में खरीदता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप मुझे बता दो, आपमें से और हममें से, अगर मान लो नहाने की 12 साबुन लेकर आते हैं...

श्री आर.पी. शर्मा : आप बिलकुल सही कह रहे है कि खरीदते हैं तो कहते हैं बिल लोगे तो इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअली उसके पीछे लाजिक वही है कि पूरी जो परचेज है सेलर की वो नम्बर एक में नहीं है। आप स्टैंडर्ड कम्पनी का माल खरीदते हैं उसमें वे कभी नहीं कहेंगे कि हम आपको बिल नहीं देंगे, टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो नान स्टैंडर्ड कम्पनियां हैं उनके लिए ऐसी बात करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप और हमारा सबका सामान्य अभ्यास है, अपन बाजार में जिस दुकानदार के पास भी जाते हैं, दंत मंजन से लेकर 500 रुपये का सामान भी लेकर आते हैं, लेकिन हम कोई बिल नहीं लाते हैं। इस कारण से नहीं लाते हैं कि शायद बिल मांगेंगे तो कोई टैक्स का पैसा और ज्यादा लग जाएगा। और इसके कारण से कई बार वह फालतू चीजें भी पकड़ा देता है। मतलब नकली और घटिया चीज हमारे साथ बांध देता है। हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई बिल नहीं है। हम उसके ऊपर कहीं भी उपभोक्ता मंच में भी जाएं तो जाएं किस आधार पर क्योंकि हमने तो बिल लिया नहीं ? और बिल इस कारण से नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिया कि हमको डर लगता है कि बिल मांगेंगे तो एक–दो परसेंट टैक्स हमारे साथ और जुड़ जाएंगे, हमारे तो 10 रुपये ही बचे। यह एक प्रैक्टिस है।

और एक आज इस विभाग की जानकारी में लाना चाहता हूं, इतना सब कुछ करते हैं, छोटा–छोटा टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, पर कभी किसी ने यह सोचा कि यह सोना–चांदी का टैक्स कितना आता है? राजस्थान की गरीब जनता चांदी में जिस प्रकार से बेरहमी से लूटी जा रही है, क्योंकि चांदी को कोई पैसे वाला नहीं पहनता, गरीब आदमी चांदी पहनता है। चांदी के हालात देखें आप तो 40 परसेंट तो चांदी होगी 60 परसेंट उसमें धोला ताम्बा होगा। कोई उसका बिल बनाता नहीं। किसी भी कोर्ट में जाओ, कोई मुकदमा दर्ज होता नहीं, न कहीं से उसको कोई रिलीफ मिलती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं दक्षिणी राजस्थान से हमारा आदिवासी केवल शादी के समय थोड़ी बहुत कहीं चांदी की एकाध चीज खरीद ले तो खरीद ले, वह दो–तीन साल के बाद जब जाकर बेचता है तो फूटी कौड़ी के भाव कोई लेने को तैयार नहीं होता है, इतनी उसमें मिलावट होती है। उसको टैक्स के घेराव में कैसे डाला जाए ? यह जो सोना–चांदी बिकती है, जो बाकी गहने बिकते हैं जिनमें हजारों–लाखों रुपये का आदमी सामान खरीदता है वह बिना टैक्स के खरीदता है। और हम छोटी–छोटी बातों में पड़ते हैं कि यहां से हमको टैक्स मिले। हम कोई न कोई इस बारे में विचार करें कि एक तो यह जो नकलीपना है इसको हम कैसे फाइनल करें, कैसे पता करें कि उसको शुद्धता के आधार पर मिले। लेकिन न सोना शुद्ध मिलता है, न चांदी शुद्ध मिलती है। जिन्दगी में एकाध बार तो कभी खरीदता है, लेकिन 2–4 साल बाद कभी बेचने जाएं तो 70 परसेंट भी कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब हमने इतना बड़ा जाल फैला रखा है तो निश्चित रूप से सोना–चांदी पर भी आपको अपने विभाग को एलर्ट करना पड़ेगा कि इसमें शुद्धता क्या है और शुद्धता क्यों नहीं है। गरीब आदमी मुश्किल से थोड़ी–सी चीज खरीदता है, उसका टैक्स की दृष्टि से विचार करें, अगर आप अपने सारे आंकड़े निकाल कर देखें तो आपके टैक्स की कोई आमदनी नहीं है। इस लाइन में आपको टैक्स कम से कम मिलता है जबकि सबसे ज्यादा कास्टली चीज है सोना–चांदी। कोई बिल बनाता नहीं, कोई बिल लेता नहीं। न आप लेते हो, न हम लेते हैं, सब बिना बिल के लेते हैं। जब कभी भी छापा पड़ता है तो आधे तो इसी कारण से फंस जाते हैं कि लिया तो था पांच तौला लेकिन बिल है ही नहीं। बिल नहीं है तो न उसकी सत्यता के लिए किसी पर वाद दायर कर सकते हैं, न किसी तरह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से कोई वसूल कर सकते हैं। इस विभाग के लोगों को मिल कर सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे परफैक्ट करें ताकि चीज की शुद्धता भी मिले और हमारी टैक्स की रेवेन्यू भी प्राप्त हो। इसके बारे में विचार करें तो हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुराना जी का भी है शायद।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे तो संशोधन हैं।

श्री सभापति : खण्डशः हैं आपके।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका बाद में आएगा।

श्री सभापति : इस पर नहीं है, खण्ड पर है इनका।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, खण्ड पर है।.

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, मैं इतना सा इसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग में बोलोगे न आप तो ?

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्ड पर तो बोलूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बाद में बोल लेंगे।

श्री सभापति : बाद में बोल लीजिये आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, जनरल बात पर कह रहा हूं। जो बात इन्होंने कही है उसी के समर्थन में या कुछ और बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : हां, ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने वित्त विधेयक के द्वारा 5–6 एक्ट्स प्रस्तुत किये हैं। मैंने इस संशोधन को देखने का प्रयास किया। सभापति जी, माननीय मंत्रीजी का ध्यान मैं धारा 38 की तरफ ले जाना चाहता हूं जो आप नई जोड़ना चाहते हैं। माननीय मंत्रीजी, आपने यह वित्त विधेयक जो हम लोगों को वितरित किया है इसके साथ आपने अमैंडमेंट का कोन–सा मूल प्रावधान है यह भी वितरित कर दिया, लेकिन धारा 38 तो हमको कहीं मिली नहीं जो आप नया ला रहे हैं। आप नया जो भी ला रहे हैं आपको कम से कम उसका मूल प्रारूप जिसमें संशोधन होना है वह धारा इसमें आपने वितरित की है और यह आवश्यक भी है, पर एक्सट्रैक्ट भी उसका वितरित किया जाए। मैं नहीं समझता कि वित्त विभाग से इतना बड़ी गलती कैसे हुई है। 38 को आप पूरा संशोधन करना चाहते हैं और धारा 38 का प्रारूप मुझे इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं अब कहां जाऊं ? मैं मेरी लाइब्रेरी से कोई किताब ले आऊंगा वह तो अलग बात है कि मैं पेशे से अभिभाषक हूं, मेरी लाइब्रेरी में वह पुस्तक मिलेगी पर जो माननीय सदस्य अभिभाषक नहीं हैं और जिनके लिए रूटीन में कानून की किताबें रखना जरूरी नहीं है उनके लिए तो यह देखने का काम है कि धारा 38 क्या थी। क्या थी तो कहां देखें ? आपने सिर्फ इसके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उद्देश्यों और कारणों का कथन किया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने लिखा है, पेज नम्बर 22 पर "ऐसे मामलों में जहां निर्धारिती को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हो, एक पक्षीय निर्धारित को पुनः खोलने हेतु उपायुक्त प्रशासन को सशक्त करने की दृष्टि से धारा 38 का अन्तः स्थापन किया जा रहा है। माननीय सभापतिजी, धारा 38 में जो पहले प्रावधान है, हिन्दी अनुवाद मेरे पास नहीं है क्योंकि जो किताबें हाई कोर्ट में चलती हैं वे प्रायः अंग्रेजी में ही चलती हैं। इसलिए मेरी मजबूरी है कि धारा 38 को मैं अंग्रेजी में ही कोट करूंगा। धारा 38 के प्रावधान पहले...

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अंग्रेजी को कैसे स्वीकार करोगे ? आप तो लोहिया जी के फालोवर हो, तो अंग्रेजी कैसे स्वीकार करोगे ?

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य का मैं बहुत आदर करता हूं।

श्री सभापति : आप पहले अपनी बात कहिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं डाक्टर लोहिया का फालोवर आज भी हूं। आप इस भ्रम में न रहें कि मैं उनका फालोवर नहीं रहा। मैं कंफर्म करता हूं कि मैं उनका फालोवर हूं। डाक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र कर रहे थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने तो चैलेंज नहीं किया इनको।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं। उनको कह रहा हूं, उन्होंने कहा है मुझे आपने नहीं, उन्होंने कहा है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, वह ठीक है वह अपने साथ ही है, कहां दिक्कत है ?

मंत्री महोदय, आपने तो इसको देखा होगा। पहले जो प्रावधान थे और अब जो प्रावधान हैं, उनमें क्या मूल फर्क हो गया ? पहले का प्रावधान ज्यादा सही था। उसमें यह था कि व्यवहारी जो प्रार्थना पत्र देता था वह असैसमैंट एक समय के अन्दर करने की अनिवार्यता हैं आपके वाणिज्यिक कर अधिकारियों को इसलिए अनेक बार वह उस कानून की परिधि से बचने के लिए कि वह मियाद बाहर न हो जाए, एकतरफा असैसमैंट कर देता था और एकतरफा असैसमैंट करके डिमाण्ड नोटिस भेज देता था। उस अनिवार्यता के कारण पचासों सैकड़ों कर निर्धारित एक एक सी.टी.ओ. एकतरफा करता है। टाइम नहीं होता है तो उसको एकतरफा निर्धारित कर देता है। पहले आपने प्रावधान रखा था—

"Where the application has been accepted or is deemed to have been accepted under sub

(श्री मानिक चन्द सुराना)

section 2."

सब–सैक्शन टू क्या है।

"An application under sub-section 1 shall be presented to the Assessing Authority himself and a receipt thereof shall be obtained. The said application shall be disposed of within a period of six months from the date of presentation. Where such application is not disposed of within the said period, it shall be deemed to have been accepted."

जहां प्रार्थना पत्र उसने दे दिया, आपके कर निर्धारण अधिकारी पर लाजिमी था कि वह 6 महीन में उसको निर्धारण करे। यदि उस एक्सपार्टी की दरखास्त को निरस्त करने के 6 महीने निकल गये तो वह दरखास्त अपने आप स्वीकार की हुई समझी जाती थी। अब आपको कहां परेशानी हुई है, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लास्ट ईयर सैक्शन 38 को डिलीट कर दिया था।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने डिलीट करके दुबारा लगा दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, दुबारा लाये हैं। इसको दुबारा इसलिए लाये कि तमाम् जितने चेम्बर आफ कामर्स, व्यापार मण्डल सब ने रिप्रजेंटेशन दिया था कि This is a very harsh measure. यह बड़ा हार्श मैजर सरकार की तरफ से है, We should be given relief. उन सब बातों को, वेरियस चैम्बर आफ कामर्स की इस मांग को ध्यान में रखकर इसको रिइंसर्ट किया है इसके अन्दर।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्री महोदय, किसी का कोई रिप्रजेंटेशन होगा, यह सदन किसी के रिप्रजेंटेशन से नहीं चलेगा। मैं बुक टैक्स्ट पढ़ रहा हूं 38 का।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रुक जाओ, वह जांच कर लें।

श्री सभापति : नहीं, फरमाइये। आप बोलिये, मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, वह देख लें।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्रीजी सुन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मंत्रीजी की तैयारी तो है नहीं। मंत्रीजी, तैयारी नहीं है तो आप कह दें कि तैयारी नहीं है, आप कल परसों जब भी तैयार होकर आएं।

श्री सभापति : मंत्रीजी की पूरी तैयारी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हिन्दी अनुवाद ले आये क्या आप ?

श्री सभापति : अंग्रेजी में आप तो कहो न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अंग्रेजी ही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़िये उसको।

श्री सभापति : आप पढ़िये अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है।

(15.00 बजे)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कह रहे हैं कि हम इसलिए ले आये कि रिप्रजेंटेशन उन्होंने दिया था। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पहले के कानून में कोई डिफैक्ट है ही नहीं जिसके कारण से आपको नया लाना पड़ा हो। पहले भी एक्स–पार्टी आर्डर होते थे, अभी भी एक्स–पार्टी आर्डर का प्रावधान है। वह प्रावधान इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि एक कर निर्धारण एक विशेष अवधि में करना सी.टी.ओ. के लिए जरूरी है। आप उसको सी.टी.ओ. कहिये या वाणिज्य कर अधिकारी कहिये, जो भी कहिये। जब उसके लिए वह जरूरी था, वह करता था और अब भी करना पड़ेगा। जो मैंने अभी पढ़ा है कि सब सैक्शन 38 जो पुराना था, जिसको अब आप संशोधित कर रहे हैं, विलोपित कर रहे हैं उसकी धारा दो और तीन में जो प्रावधान था वह प्रावधान बहुत सही है कि यदि 6 महीने में उसने उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया एक्स–पार्टी, सैट–एसाइड करने के प्रार्थना पत्र का, तो वह अपने आप मंजूर हुआ समझा जाता था। उसके बाद एक साल के भीतर दुबारा आपका अफसर कर निर्धारण करता था। "Where an application has been accepted or is deemed to have been accepted under sub-section (ii)... " उप धारा तीन पढ़ रहा हूं मैं, "Fresh assessment shall be made within a period of one year from the date of presentation of the application." उसको अपने आप एक साल में कर देता था। यह आटोमेटिक काम हो रहा था। 6 महीने में आपको समय नहीं मिले तो अपने आप ही उसका कर निर्धारण, उसका प्रार्थना पत्र मंजूर हो गया, लेकिन फिर एक साल में कर निर्धारण हो गया। यह जो एक बहुत सेल्यूटरी प्रावधान रखा गया इस सेल्यूटरी प्रावधान को विलोपित कर दिया, माननीय मंत्रीजी। जहां उसका प्रार्थना पत्र रिजैक्ट होगा, आपके नये एक्ट में नये प्रावधान जो आप लाये हैं उसमें आपने उसको कहीं, जो पुरानी धारा 38(4) थी कृपया पढ़िये "Where an application made under sub-section (i) is rejected, the period from the date of filing of the application upto the date of rejection

(श्री मानिक चन्द सुराना)

thereof shall be excluded for the purpose of limitation specified in sub-section (ii)." 84 (2) है अपील का, अपील का प्रावधान है। अब उसका यदि प्रार्थना पत्र रिजैक्ट हो गया तो आपने तो यह विलोपित कर दिया, जब कि यह स्पेसिफिक प्रावधान था। जब विलोपित हम कर रहे हैं तो कानून की व्याख्या यह होगी कि विलोपित किया है तो मंशा से किया है। आपकी जो दरखांस्त खारिज हो गयी, अब आप उसकी अपील नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप यह जो नया 38 ला रहे हैं वह 38 आपका लाना असंवैधानिक इस कारण से भी है कि आपने सारे सदन को उस 38 का प्रारूप, पहले का जो सैक्शन है वह वितरित नहीं किया। मैं आपसे यह कहता हूं कि आप इसको एक बार नहीं, दो बार पढ़ लें, यह प्रावधान बिलकुल सेल्यूटरी है। इससे आमदनी कौनसी बढ़ेगी ? नया भी आप ले आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा ? देखिये, कानून में एक उद्देश्य आमदनी बढ़ाने का होता है, दूसरा सरलीकरण का होता है। सरलीकरण में तो पहले वाला ज्यादा सरल है, श्रीमान्।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरलीकरण है। मेरी समझ में यह बैटर है उससे।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके खयाल से बैटर है। खयाल तो अभी आपका चलेगा, अभी खयाल हमारा नहीं चलेगा।

श्री सभापति : दूसरे पाइंट पर आएं।

श्री मानिक चन्द सुराना : चाहे वह मुद्दा विवेकसम्मत हो, आप इसको देखें क्योंकि इस पर कोई फाइनेंशल इंवाल्वमैंट नहीं है। आप इस पर पूरा विचार करें।

श्री सभापति : ठीक है, दूसरा पाइंट लीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापतिजी, ये ब्याज की दरे जो भी आपका प्रावधान है धारा 56 और 58 में, मैं निवेदन करूंगा कि जब टैक्स किसी व्यवहारी में या व्यापारी में देय हो गया...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुराना साहब, अब फिर वे वहां गये है ? आप जरा रुकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है, वे अभी कंसल्ट करने गये हैं। दूसरे मंत्री बैठे हैं, वित्त का मामला है, सब जानते हैं। माननीय सदस्य, वित्त का मामला है, सब जानते हैं इसलिए आप अपनी बात को चालू रखिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, यह कानून का मामला है।

श्री सभापति : ऐसा नहीं है। आप चालू रखें। कानून सब जानते हैं ये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कानून

(श्री भंवरलाल शर्मा)

का है। अध्ययन ही नहीं किया उन्होंने तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, यह पाइंट हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य उठा चुके हैं रेट आफ इंटरेस्ट वाला, यह मेरे जेहन में था।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो ये उठा चुके वह मैं नहीं कहूंगा। मैं रिपीटीशन नहीं करूंगा।

श्री सभापति : आप काफी कह चुके हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हमारे लेने के बाट और देने के बाट बराबर के होने चाहिए। माननीय मंत्रीजी, आपके बाट इस एक्ट में ही अलग—अलग हैं। देंगे हम किसी से रुपया और वापस कौनसा रुपया ? टैक्स का रुपया। जब वापस देंगे, क्यों देंगे ? क्योंकि कभी ऊपर का अपील का अधिकारी या राजस्व बोर्ड या हाई कोर्ट कहेगा कि रुपया आपको वसूल करने का अधिकार नहीं था, वापस रिफण्ड करिये। तो उस रुपये का ब्याज तो हम दे रहे हैं जिस दिन उसने जमा कराया उससे 15 प्रतिशत और जिस दिन उसमें रुपया देय हो गया उसका ब्याज हम वसूल करते हैं दो प्रतिशत प्रति माह यानि 24 प्रतिशत। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आज के बैंकों की रेट में अब कहां 24 प्रतिशत रह गया ? बैंकों की रेट बदल रही है, दो प्रतिशत ब्याज तो अब सूदखोर भी नहीं लेते। रेट तो ब्याज की डाउन हो गयी है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार तक ने ब्याज की रेट नीची की है, लैंडिंग रेट्स को घटाया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस 24 को घटाएं और दोनों रेट को बराबर करें। हमने तो 21 का रखा है, माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि आप दोनों रेट को 18 ही रखे भले, बल्कि दोनों रेट को चाहे 15 रखे, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह 24 की रेट तो बहुत एक्स्टार्शन की रेट है, बहुत ज्यादा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान् 1995 से शुरू की थी आपने।

श्री मानिक चन्द सुराना : अब क्या मैं आपको दुबारा कहूं कि सारी पुरानी बातों को कहने से काम नहीं चलेगा ? इसी साल तो बैंकों की रेट में परिवर्तन आया है। भाजपा सरकार होती तो अपने आप ही रेट में परिवर्तन कर देती। अब आपका दायित्व है कि आप करें। आप भारत सरकार को देखें। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, क्या दो प्रतिशत का ब्याज लेना एक्स्टार्शन नहीं है ? सूदखोर और कहलाएंगा ? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करें।

श्री सभापति : आपने बात अभी कह दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इससे लोगों में भय हो और समय पर टैक्स चुकाएं इसलिए इसमें यह रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : लोगों में भय पैदा करने के लिए आपको दो प्रतिशत, आप तो रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी, दो प्रतिशत ब्याज तो आप खुद भी नहीं लेते होंगे। आपका पुश्तैनी काम रहा है, आपने भी दो प्रतिशत ब्याज शायद नहीं लिया होगा। नहीं लिया है न ?

श्री मदन दिलावर : दो प्रतिशत कह कर 5–5 प्रतिशत लिया है। हां, मुझे मालूम है।

श्री सभापति : आप तो बिराजें, परसेंटेज के झगड़े में मत पड़िये, आप तो विराजिये। और बात बहुत है आपके लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा निवेदन है कि आप दो प्रतिशत लें तो दो प्रतिशत दें। डेढ़ प्रतिशत वसूल करें।

श्री सभापति : यह तो मंत्रीजी ने जवाब दे दिया कि हम इसलिए करते हैं कि लोग समय पर टैक्स जमा करा दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय, उसमें भय हो तो वापस...

श्री सभापति : भय नहीं है, लोग समय पर जमा कराए इसलिए कहा गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : भय का प्रश्न नहीं है। सभापतिजी, हम कानून बना रहे हैं जो न्यायप्रिय हो।

श्री सभापति : वह तो आपको जवाब दे दिया। माननीय मंत्रीजी ने कह दिया कि हम तो इसको वाजिब मानते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : उनको अभी कहना ही नहीं चाहिए था।

श्री सभापति : आपने पूछा इसलिए कहा है उन्होंने।

श्री मानिक चन्द सुराना : उन्होंने कह दिया तो कह दिया। अब मैं कह रहा हूं कि आप यदि दो प्रतिशत ले रहे हैं तो दो प्रतिशत देने का भी आपका दायित्व है।

श्री सभापित : ठीक है आपकी बात।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप जो ले रहे हैं वह दें।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि आप विभाग के रिफण्ड के मामलों को देखें। मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत मामलों में आपने ब्याज दिया ही नहीं है। यह प्रक्रिया वाणिज्य कर विभाग ने बना रखी है कि ब्याज के रिफण्ड की अलग बनेगी। कभी—कभी मजबूरी में हाई कोर्ट के आर्डर से जो टैक्स वसूल किया वह तो दे देते हैं, पर उस पर ब्याज के लिए कहते हैं कि इसका अलग से आर्डर, हमको फाइनेंस डिपार्टमैंट या बैंकों से अलग से इसकी स्वीकृति करानी पड़ेगी। मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर अर्ज कर रहा हूं कि 90 प्रतिशत मामलों में ब्याज जो आपको देना है हाई कोर्ट, रेवेन्यू बोर्ड वगैरह के आर्डर से, वह ब्याज आपके डिपार्टमैंट ने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कानून की अवहेलना करके रोक रखा है। कृपया जब आप मूल टैक्स रिफण्ड करते हैं उसके साथ ही उस ब्याज का चुकारा करने की परम्परा और डाइरेक्शन विभाग को ज़ारी करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसको दिखवाऊंगा। लेकिन आपको मैंने अभी पूर्व में कहा था, मैंने कन्फर्म किया है कि इनकम टैक्स में भी बकाया पर 24 प्रतिशत ही इंटरेस्ट है। यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : किसमें ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनकम टैक्स एक्ट में।

श्री मानिक चन्द सुराना : इनकम टैक्स में होगा, साहब। अभी तो आप सैल्स टैक्स वसूल करेंगे या आप ही हमसे इनकम टैक्स वसूल कर लेंगे ? वहां दो प्रतिशत होगा, मैं कह रहा हूं कि अभी रेट कम हुई है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्टिल इट इज 24 परसेंट। अभी भी 24 प्रतिशत है। भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमैंट ले रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अब मंत्रीजी, वहां जब रिफण्ड होता है फिर क्या इंटरेस्ट है वहां पर ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 18 प्रतिशत देते हैं वहां तो. We will consider it.

श्री मानिक चन्द सुराना : आप भी 18 प्रतिशत करें। आप 18 ही लें और 18 ही दें और भारत सरकार की हर काम में नकल नहीं करें। इनकम टैक्स वे देते हैं जिनकी आमदनी डेढ़ लाख रुपये से ऊपर हो, सैल्स टैक्स तो हर आदमी को देना पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनकम टैक्स डेढ़ लाख से ऊपर लगता है, मानिक चन्द जी ? Kindly correct yourself.

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा मतलब यह है कि रूटीन में जो 60,000 का एग्जम्प्शन है उस एग्जम्प्शन के बाद में उसकी फिगर डेढ़ लाख के ऊपर से शुरू होती है और बड़े लोग ही देते हैं इनकम टैक्स 60,000 जो कमाता है वह भी हिन्दुस्तान के उस औसत आदमी से बहुत ऊंचा है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। खैर, अभी गरीबी की रेखा से नीचे वालों से आपके...

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सैल्स टैक्स तो कंजूमर से वसूल होता है, श्रीमान्।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, कंजूमर से वसूल होता है, उस कंजूमर से वसूल होने पर भी 2 प्रतिशत ब्याज तो जो व्यवहारी रोकेगा, उससे वसूल होगा। जिससे वसूल हो और जब हाई कोर्ट कहे कि वापस दीजिये तो उसको रिफण्ड के साथ दीजिये, मेरा यह कहना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस पाइंट पर बहुत कह चुके हैं, आप दूसरा

(श्री सभापति)

पाइंट लीजिये। बहुत समय हो गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें इलैक्ट्रोनिक युक्ति के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया आदेश के साथ जो निहित की जाए, दिये जाएंगे। आपने धारा 81 में संशोधन किया है। माननीय मंत्रीजी, आपकी जानकारी में होगा, धारा 78 को राजस्थान हाई कोर्ट ने अवैधानिक घोषित कर दिया है। धारा 78 को अवैधानिक घोषित करने के कारण, खैर, आप सुप्रीम कोर्ट में गये हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो धारा 81 में आपने नये प्रावधान किये हैं, उससे हमारी मूल मंशा क्या है, हम क्या हासिल कराना चाहते है, जरा डिटेल में इस सदन को कुछ बताने का काम करें। जो भी बाहर से माल आ रहा है राजस्थान में, पहले की भाषा में और आज की भाषा में फर्क होनें से आपके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कहां फर्क पड़ जाएगा, यह बताएं। यह प्रोफोर्मा 18–ए है, हमारा यह धारा 81 और जो कि आप नया लाये हैं, उन सबमें आपने करीब–करीब कह दिया कि प्रोफोर्मा देना पड़ेगा। आपने अभी जिक्र किया था कि चैम्बर्स आफ कामर्स और दूसरे हमें यह रिप्रजेंटेशन दे रहे हैं, 18 ए में भी ऐसे अनेक रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुए हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना, नां, 78 के खिलाफ रिप्रजेंटेशन तो कई अरसे से प्राप्त हो रहे थे, उसी के लिए इलैक्टोनिक डिवाइस से...We are going to introduce it very shortly. उसके लिए वे स्वयं तैयार थे कि टैक्नीकल आधार के ऊपर 78–ए के अन्दर जो व्यवहारियों को कठिनाई आती है, पैनल्टी इत्यादि इनके ऊपर इम्पोज होती हैं, इसको हटाएं। तो उसमें सरलीकरण किया है। लेकिन यह समस्या का निदान मूल रूप से इलैक्ट्रोनिक डिवाइस से या स्मार्ट कार्ड इत्यादि के जरिये ही कारगर तरीके से किया जा सकता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : इलैक्ट्रोनिक डिवाइस में क्या–क्या शामिल हैं ? मान लीजिये, माल आ रहा है मद्रास से और बिल्टी वह वहां भूल गये हैं तो क्या वह फैक्स आपके जो भी अधिकारी हैं चैक पोस्ट पर फैक्स भेज देंगे उनको ? क्या इलैक्ट्रोनिक डिवाइस आप मानेंगे फैक्स को ? इलैक्ट्रोनिक डिवाइस को आप क्या मानेंगे ?

श्री सभापति : एक सैकण्ड, माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब देखिये, डिटेल्स तो आपको इस समय नहीं बता सकता। क्योंकि अब तक इस टैक्स के अन्दर इलैक्ट्रोनिक डिवाइस का कहीं जिक्र नहीं था इसलिए इसको डालना आवश्यक था इसके अन्दर।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह मैं समझ गया, मैं इसके पक्ष में हूं। मैं यह पूछता हूं...

श्री सभापति : एक सैकण्ड, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर सेंटेंस का जवाब देना कोई जरूरी भी नहीं। आप नोट कर लीजिये, आखिर में देख लें क्योंकि समय को देखते हुए, हम इस आपस में कंवर्सेशन में बोले तो...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं कतई नहीं दूंगा।

श्री सभापति : हां, बिलकुल मत दीजिये। आप आखिरी में जवाब दीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्री महोदय, कुछ आबकारी अधिनियम में संशोधन लाये हैं। संशोधन को जब हमने पढ़ा तो उसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स बताये कि राज्य की बकाया जो आबकारी के ठेकेदारों में है, माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव लाये हैं कि जो कुछ वह चुकायेगा वह पहले आबकारी के संदाय में जायेगा और उसके बाद ब्याज में जायेगा। आज तक यदि किसी की बकाया है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और उसने छह महीने तक नहीं दिया है तो छह महीने का ब्याज पहले कटता था। जो ब्याज का बनता था वह राज्य पहले जमा करता था और उसके बाद जो बचा हुआ रुपया था, यदि उसने 50 लाख दिया है तो छह महीने का ब्याज 2 प्रतिशत के हिसाब से जो भी बन गया, वह कटने के बाद उसकी मूल रकम उसके टैक्स में जमा होती थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : For better recovery. Outstanding dues.

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, आप जो कह रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी, ठेकेदारों में है लाखों–करोड़ों रुपये की रिकवरी और आप उनको ब्याज छोड़ना चाहते हैं। मूल रकम जब आ गई तो उसके बाद में झगड़ा यही रहेगा कि वह ब्याज की रकम बच गई। ब्याज की रकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठेकेदार गरीब है। क्योंकि शराब के ठेकेदार से अधिक गरीब होगा कौन ? उसको उसका लाभ देने के लिए यह प्रावधान जो आप लाये हैं, हमारी पार्टी इस प्रावधान का सख्त विरोध करती है। राज्य के हित में मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि कल तक तो आप रिसोर्सेज के क्रंच बता रहे थे और आज आपने सेंट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेज की नकल की कि उन्होंने कर दिया कि मूल टैक्स की रकम पहले जमा होगी, ब्याज की बाद में होगी। क्या हमारे लिए जरूरी है कि हम हर गलत उदाहरण जो भारत सरकार कर दे, सेंट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेज कर दे उसे फालो करे ? सेंट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेज में अभी उनके चेयरमैन के साथ क्या नहीं हुआ और उन्होंने क्या नहीं किया ? जहां इस तरह के लोग बैठे हैं और उनके रिजीम से कोई गलत भी आर्डर निकल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गया, गलत आर्डर निकल गया, मैं पूछना चाहता हूं कि...

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, सेंट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन के काम्पीटेंस में नहीं है। मिनिस्ट्री की एप्रूवल के बिना इतना बड़ा डिसीजन हो नहीं सकता।

श्री मानिक चन्द सुराना : मिनिस्ट्री की एप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, मैं कहता हूं, आपको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की नकल, उनको गलत कोई आर्डर हो जाएं उसकी नकल करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, मानिक चन्दजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं राजस्थान के हित में आपके इस कदम को गलत मानता हूं चाहे आपने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की नकल की होगी। यशवन्त सिन्हा जी से मुझे कोई डर नहीं लगता है और उनसे मैं इस तरह कोई प्रभावित नहीं हूं कि यशवन्त सिन्हा कर दें। कर दिया होगा। वहां लाखों—करोड़ों रुपयों का बजट है। 5–5½ लाख उधार ले लेते हैं, चाहे जब नोट छाप लेते हैं। उनको कोई भी सूट करता होगा, हमें सूट नहीं करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के हित में आप इस आबकारी अधिनियम में जो संशोधन लाये हैं धारा 30 क, जो भी संबंधित धारा है, उस 30 क में संशोधन लाये हैं उसको यह राज्य सरकार वापस लें।

श्री सभापति : धारा कोई भी हो सकती है, प्रोविजन अच्छा नहीं है। माननीय सदस्य, आपको दो दफा और बोलना है इस बिल पर, क्लाजेज पर और थर्ड रीडिंग पर, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए। नहीं, नहीं, वह मैं कह रहा हूं...

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, आप अप्रासंगिक समझे तो तत्काल बैठ जाऊंगा मैं। मैंने कोई बात न तो रिपीट की है पहले के वक्ता की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, एक दफा बोल लेने दीजिये, बाद में फार्मेलिटी रह जाएंगी। एक दफा ही बाल लें, बाद में फार्मेलिटी रह जाएंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उसमें आपको दिक्कत होगी क्या बाद में मेरे बोलने से ? खंडशः बोलने में आपको दिक्कत होती हो तो मैं अभी बोल लूं।

खैर, मूल बात, माननीय मंत्रीजी, आप जो स्टाम्प ड्यूटी में, मकानों के ट्रांसफर में, अंतकरण में 10 प्रतिशत की जगह 11 प्रतिशत लाये हैं, हमारी पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। इसका विरोध इसलिए करती है, हमने संशोधन दिया है कि आप इस 10 को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

8 प्रतिशत करें। यदि आप 8 प्रतिशत करेंगे एक साल के लिए तो सरकार के ठाठ हो जायेंगे, आदमनी आपकी इस ट्रांसफर आफ प्रापर्टी से बढ़ेगी। लोग जो सही मूल्य है उस मूल्य को डिसक्लोज करेंगे। आप 11 प्रतिशत करेंगे तो निश्चित रूप से आज जो पांच लाख रुपये बता रहा है उसको वह चार लाख रुपये बतायेगा। वह देखेगा कि पांच लाख रुपये के तो 50,000 रुपये लग रहे हैं, अब इसके चार लाख और साढ़े चार लाख बताऊं। वे उसका इवेजन करते हैं। माननीय मंत्रीजी को ध्यान है कि टैक्सेशन के ज्यादा होने से इवेजन ज्याद होता है। प्रापर्टी पर दस प्रतिशत भी अधिक है इसलिए हमने कहा है कि इसको आप आठ प्रतिशत करें और आठ प्रतिशत करके एक साल में जरा नतीजा देखें। माननीय मंत्रीजी के पास सारा रिकार्ड है कि आठ प्रतिशत था तब क्या आमदनी हुई, दस था तो क्या आमदनी हुई। उस सारे रिकार्ड को भी चैक कर लें, उसको भी देखें। जितनी भी रजिस्ट्री होती हैं, इंस्पेक्टर जनरल, राजस्थान के थ्रू सारा रिकार्ड आपको उपलब्ध होगा, जो रिकार्ड हमको उपलब्ध नहीं है। आप इस रेट आफ टैक्स को कम करें।

साथ ही बानसूर से आने वाले मेरे साथी और विधायक जगत सिंहजी दायमा ने जो कहा कि एफिडेविट पर आपने पांच से दस कर दिये, अधिकतर एफिडेविट शिक्षा जगत के विद्यार्थियों को ही देने पड़ते हैं या जिनको नौकरी लेनी है उनको देने पड़ते हैं। या तो एम्प्लायमैंट की खोज में या शिक्षा में कोई एडमिशन कराना है या किसी को राशन कार्ड बनाना है उस तरह के गरीब लोगों को रोज एफिडेविट देना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एफिडेविट पर आपकी टेढ़ी दृष्टि नहीं डाले और जो इसके लिए पांच रुपये थे उसको पांच ही रहने दे।

यह जनरल निवेदन करने के बाद में मैं माननीय मंत्रीजी से यह अर्ज करूंगा, थोड़ा–सा जिक्र हमारे कटारिया साहब ने किया है कि अनेक धंधों में आपने कम्पोजीशन का प्रावधान कर रखा है। व्यापारी इकट्ठे हुए, व्यापारियों से सैटलमैंट हुआ, बात हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन–जिन मैटर्स में कम्पोजीशन फीस दे रहे हैं अब उसको थोड़ा रिव्यू भी कर लें। जयपुर के बड़े सोने–चांदी के जवाहरात बेचने वालों से राज्य को क्या इनकम है, इसको भी देखें। अनेक तरह के प्रोफेशंस से भी अपनी कम्पोजीशन फीस है, या आपने तय कर रखा है कि आप इतना दे देंगे तो फिर तुम्हारे कोई इंस्पेक्टर नहीं आयेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें कम्पोजीशन फीस की प्रक्रिया में जाना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार भी गई थी। इसका रिवीजन करने का समय आ गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कर दिया इस साल।

श्री मानिक चन्द सुराना : कर दिया है तो बहुत अच्छा किया आपने। आपने बहुत वाइज स्टैप लिया है। राजस्थान की इनकम को बढ़ाने का स्टैप लिया है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा निवेदन है कि कम्पोजीशन फीस के मैटर्स को करें। अनेक मामलों में दवा की दुकान पर चाहते हुए न चाहते हुए कई बार जाना पड़ता है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि मेडिसिन पर फर्स्ट पाइंट टैक्स है, पर पचासों मेडिकल के लोग मिलेंगे जयपुर में, जो इस पर टैक्स चार्ज करते हैं। और वह टैक्स आपकी जेब में तो नहीं आता है, यह मेरा विश्वास है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सही कह रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन मैटर्स पर हमने फर्स्ट पाइंट लगाया है और 25—30 प्रतिशत का उसमें फर्क है, होल सेल और रिटेल में, हम लोग सब रिटेलर हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट सुरानाजी। क्या एम.आर.पी. के ऊपर सैल्स टैक्स चार्ज किया जा सकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ? यह बड़ा लीगल पाइंट है कि क्या एम.आर. पी. के ऊपर चार्ज कर सकते हैं ? मैं इसको एग्जामिन, आप भी देखें और मैं आपके...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एम.आर.पी. दो तरह का लिखा होता है। एक तो एम.आर.पी. इनक्लूडिंग सैल्स टैक्स और एम.आर.पी. एक्सक्लूडिंग सैल्स टैक्स। दोनों चीजें लिखी मिलती हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसीलिए सलाह मांगी है मैंने इनकी। इसको हम भी एग्जामिन करा रहे हैं उच्च स्तर के ऊपर, आप भी एग्जामिन कराइये। राज्य सरकार के टैक्स के अन्दर एकदम इजाफा हो जायेगा। 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत कोई बाद जाता है, जो आप कह रहे हैं वह सही बात है बिलकुल।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं। वह सही है। आपने जो फरमाया हम वाकई में उस एंगल से उसका अध्ययन भी करेंगे और आपको सुझाव भी पांच—सात दिनों में देंगे। हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जो खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसमें दोनों तरह की प्रक्रियाएं हैं। पर फिर भी जब आपने सलाह के तौर पर पूछा है तो निश्चित रूप से हम लोग अध्ययन करके आपको कुछ निवेदन करेंगे। मैं दूसरी बात जो आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मंत्रीजी, आपके यहां से जो टैक्स लगता है उसको वसूलने के लिए हर दुकानदार तैयार रहता है, लेकिन जिस किसी टैक्स में आप रिबेट देते हैं वह प्राइस कभी भी कम नहीं होती। एक बार जो प्राइस बढ़ जाती है वह प्राइस एज इट इज चलती रहती है। भले ही आप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इसका पूरा अध्ययन करवा लें। जो आपका कंजूमेबल आइटम है, एक चीज का जिस आदमी ने बीस रुपये चार्ज कर लिया, केवल उसका रैपर चैंज करता है, उसमें इन्टरनेशनल, सुपर या कोई ऐसा एकआधा शब्द जोड़ता है और उसके साथ ही उसके पांच रुपये बढ़ा देता है। जबकि आपकी तरफ से इसमें टैक्स नहीं बढ़ा है। ऐसे सारे मामलों में आप भले ही...

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं कि जहां हम थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन कोई टैक्स में देते भी है...

श्री राजेन्द्र पारीक : आप जो देते हैं उसका एक नया पैसा भी कंजूमर को लाभ नहीं होता। आपके यहां से जो कुछ लगता है वह पूरे का पूरा वसूलने को तैयार बैठा हुआ है। कागज का उसने कलर चैंज किया, उसमें एक्सल जोड़ दिया, इन्टरनेशनल जोड़ दिया, कैल्शियम जोड़ दिया, कोई न कोई एक नया शब्द जोड़ा नहीं और पांच रुपये बढ़ा देता है। तो क्या आप यह शब्द जोड़ने के पैसे बढ़ा रहे हैं ? विस्तृत जांच कराएं भले ही आप इस मामले में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल। यू आर राइट, एब्सोल्यूटरी राइट।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसके अलावा, माननीय मंत्रीजी, ये जो हमारे सवा–डेढ़ लाख व्यवहारी हैं, इनका ग्रुपिंग आप करें तो कोई सो, सवा सौ, डेढ़ सौ क्लासिफिकेशन होंगे व्यवहारियों के। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि अब इनको कैटेगरीवाइज कराने का भी अध्ययन कराएं कि पिछले तीन साल में कौन–कौन से ग्रुप से हमारे राज्य की आमदनी कितनी बढ़ी और कौन से ग्रुप ऐसे हैं जहां हमारी आमदनी में कुछ गिरावट आ रही है। सबसे बड़ा सोर्स जो इस राज्य को आय देता है वह बिक्री कर है, इससे अधिक आमदनी देने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि अनेक मामलों में फर्स्ट पाइंट को यदि लास्ट पाइंट भी करना हो तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। आपने तो 82 करोड़ के कर प्रस्ताव रखे हैं, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यदि इसमें थोड़ी गहराई से जाया जाए तो निश्चित रूप से हमारी आमदनियों में काफी इजाफा हो सकता है। मैं ए.आर.एम. के बहुत पक्ष में हूं। आज हमारी स्थिति यह है कि हम स्कूलें नहीं खोल सकते, प्राइमरी हैल्थ सेंटर नहीं खोल सकते, उप केन्द्र नहीं खोल सकते, कोई आयुर्वेद का औषधालय नहीं खोल सकते। ये स्थितियां समाप्त होने में इस सैल्स टैक्स का भी बहुत रोल हो सकता है। हम चाहते हैं कि उसका बहुत विवेकसंगत तरीके से, रेशनलाइज तरीके से काम हो। खाली उसकी रेट बढ़ाने से कुछ काम नहीं चलेगा लेकिन रेशनलाइज तरीके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

से जो भी हमारे अनेक साधन हो सकते हैं, उन सब का उपयोग करके हमें इस कर के प्रस्ताव को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापित : आप बोलेंगे ? विद्वान आदमी हो, थर्ड रीडिंग पर बोलना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं पांच मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति : करो, खतम करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, जिन 52 कर प्रस्तावों के जरिये वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता पर 82 करोड़ का कर लादा है उस सारी चीज को अमलीजामा पहनाने के लिए यह वित्त विधेयक सदन में विचारार्थ लेकर आये हैं। सभापति महोदय, वास्तव में इस बार बजट की चर्चाएं और बजट के कर प्रस्तावों की चर्चाएं राजस्थान के गांव–गांव में हुई। राजस्थान के गांव के लोगों को यह मालूम तो पड़ा नहीं कि किस चीज पर कितना कर लगाया है, पर राज्य के अन्दर आम व्यक्ति ने गांव की चौपाल पर बैठकर यह बात जरूर की कि इस बार बजट तैयार करने से पहले राजस्थान के शासन सचिवालय में + + + राज्य के नौकरशाह और राज्य के वित्त मंत्रीजी के सानिध्य में बजट बने। बजट के 52 कर प्रस्ताव हैं, सभापति महोदय, उनमें से 46 सदन में आने से पहले व्यापारियों के पास चले जाएं, मैं समझता हूं वित्त मंत्रीजी, आपका लम्बा राजनीतिक अनुभव है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दो मिनट में खतम करूंगा।

श्री सभापति : एक जानकारी आपसे और चाहूंगा। इस बात को आप सदन में कितनी दफा कह चुके हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह मैं ही नहीं कहूंगा, आपने सही फरमाया है, यह बात सदन में मैंने भी कई बार कही...

श्री राजेन्द्र पारीक : इस बात को लेकर इन्होंने कई दिन तो हाउस नहीं चलने दिया, बार–बार हाउस छोड़ कर गये, पूरे राजस्थान में जिस तरह से + + + कर सकते थे, क्योंकि + + + करने में तो ये माहिर हैं...

श्री सभापति : सब ज्ञात है। आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : पर जितना + + + यह कर सकते थे उस + + + के हर पार्ट का इन्होंने रोल अदा कर लिया।

श्री सभापति : अब आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब फिर दोबारा वही प्रकरण लेकर बैठ गये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, आपने सही फरमाया, आपने बिलकुल सही कहा कि इस...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट के कर प्रस्ताव लीक होने की चर्चा सदन में कई बार हो चुकी है। सभापति महोदय, मैं बहुत नम्र शब्दों में कह रहा हूं, आपका बड़ा लम्बा अनुभव है, सदन के इतिहास में लिखी जायेगी, चर्चाएं बंद नहीं होगी, यह हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। समाचार पत्र एडीटोरियल लिख रहे हैं। वित्त मंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा, आपका शासनकाल...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, एडीटोरियल इससे पहले भी लिखे गये थे। 1998 में जब आपके आबकारी विभाग में ठेके उठ गये थे, लोगों ने पैसे जमा करवा दिये थे बावजूद इसके...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरे बाद आप सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को...

श्री राजेन्द्र पारीक : बजाय रिजर्व प्राइस में कमी करने के इन्होंने सैक्रेटेरिएट में बैठ कर 30 करोड़ रुपये का रिलैक्सेशन ठेकेदारों को दिया। कोई पूछने वाला था इनको उस दिन ? किस बात का आपने यह रिलैक्सेशन दिया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इनको बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिजर्व प्राइस कम की जा सकती थी...

श्री केसाराम चौधरी : (व्यवधान) शराब के लिए नहीं की थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन ठेकों को इन्होंने जब दे दिया था, ठेकेदारों ने पैसे जमा करवा दिये थे और सैक्रेटेरिएट में बैठ कर इन्होंने फैसला कर लिया। 30 करोड़ रुपये की ठेकेदारों को रिलैक्सेशन दी, निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मुझे आसन से अनुमति मिली है।

श्री सभापति : वे बैठ गये न।

श्री केसाराम चौधरी : नहीं, + + + यह हिसाब तो बता दें।

श्री सभापति : हां, आप अपनी बात कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, अब जो चर्चा चल रही है, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य मेरे मित्र भी हैं, जो कुछ माननीय सदस्य, हमारे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शासनकाल में हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, प्रचण्ड बहुमत लेकर बैठे हुए हैं, 153 का बहुमत, मैं बड़ी गम्भीरता से निवेदन कर रहा हूं कि यह भी इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि 153 का बहुमत आया, दुबारा कभी 153 नहीं आओगे। आपमें हिम्मत है अगर, हमारे शासन के समय में अगर किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो आपको जांच करवानी चाहिए।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि 1998 में आबकारी विभाग के ठेकों में जो गड़बड़ी हुई है, कृपया आप हाउस को आश्वस्त करें इस बात के लिए कि आप उसकी जांच कराने की हमारी मांग को स्वीकार करेंगे। 30 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ, माननीय मंत्री महोदय, विशेष आग्रह है मेरा आपसे कि आप सारे प्रकरण की जांच कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कराओ न जांच। मेरा प्रस्ताव है, माननीय सभापति महोदय...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से बार–बार आग्रह कर रहा हूं इस बात के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरे दल के उप नेता की ओर से प्रस्ताव कर रहा हूं कि आप सदन की समिति बना दे और जांच कराएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मेरा बार–बार आग्रह है इस बात के लिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : जांच भी करवा लेंगे।

श्री केसाराम चौधरी : आपके पास 153 का बहुमत है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल बहुमत का नहीं, सवाल है सिस्टम का। आर.पी. में कमी नहीं गयी, ठेकेदारों को घर बुला कर उसमें निश्चित रूप से 30 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया।

श्री केसाराम चौधरी : आपमें हिम्मत नहीं है क्या जांच कराने की ?

श्री राजेन्द्र पारीक : जांच करा रहे हैं, डिमाण्ड कर रहे हैं न मंत्रीजी से।

श्री केसाराम चौधरी : कहां करवायी ढाई साल हो गये ? करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, अब क्या करवा देंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि + + + नौकरशाहों

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जुगल काबरा)

और वित्त मंत्रीजी के सानिध्य में ये कर प्रस्ताव बनाये गये, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन शब्दों को...

श्री सभापति : वित्त मंत्रीजी का सानिध्य इन्होंने नहीं कहा है।

श्री जुगल काबरा : वित्त मंत्रीजी का सानिध्य कहा है इन्होंने। (व्यवधान) आप रिकार्ड दिखवाइये और इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। इन्होंने जो...(व्यवधान) निकाला जाए सदन की कार्यवाही से...(व्यवधान) ये जो शब्द इन्होंने कहे हैं वो मैंने कोट किये हैं, माननीय सभापति महोदय, इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। जो शब्द माननीय सदस्य ने उच्चारित किये हैं उन्हीं शब्दों को मैंने कोट किया है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वित्त मंत्रीजी का नाम उसमें से हटा दिया जाए, यानी वित्त मंत्रीजी तो नहीं थे लेकिन + + + न वहां पर...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो विराजिये।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, मैंने पूरे जो शब्द इन्होंने बोले हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकालने का निवेदन किया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान) वित्त मंत्रीजी के सानिध्य में यह गलत किया है।

श्री सभापति : बैठिये, काबरा साहब, विराजिये। माननीय पारीक साहब, विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, आप स्पष्ट कीजिये आप निकालेंगे क्या इस तरह के शब्दों को ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से विशेष आग्रह है, हर बार हाउस में इस बात पर चर्चा होती है, क्यों नहीं आप इसको स्पष्ट करते ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, कराइये न जांच।

श्री राजेन्द्र पारीक : करा लेंगे जांच।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कराइये जांच, क्यों मना करते हैं ? कराइये जांच।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : जांच करा लेंगे तो उजागर हो जाएंगे सारे मामले।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, पारीक साहब, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अधिकारी यहां हैं नहीं, जो डिफेण्ड नहीं कर सकते अपने– आपको उनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाना...

श्री सभापति : वह एक्सपंज कर दिया मैंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : थैंक यू।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह तो एक्सपंज कर दिया। हम तो डिमाण्ड यह कर रहे हैं कि 30 करोड़ का करप्शन जो यहां हुआ है, उस पर माननीय मंत्री महोदय, आप क्या कर रहे हैं ? उसकी जांच कराने के लिए आप क्यों नहीं कहते ?

श्री सभापति : आप विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, हम तो यह मांग कर रहे हैं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य शराबबंदी के पक्षधर हैं, क्या ये बाकी के सारे सदस्य...

श्री सभापति : आप विराजिये न।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो कहते हैं कि शराब ही बंद कर दो, जो न रहे बांस और न बजे बांसुरी। जड़ से ही खतम कर दो। यह अपराध की जननी है, आप शराब ही बंद कर दो।

श्री सभापति : आप विराजिये न। राठौड़ साहब, जल्दी खतम करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय वित्त मंत्रीजी जो अलग–अलग कानून में संशोधन लेकर आये हैं, मैं समझता हूं यह अव्यावहारिक है। वित्त मंत्रीजी, अव्यावहारिक इसलिए कह रहा हूं आपको अच्छी तरह मालूम है कि वर्तमान में टैक्सेशन सैचुरेटेड पाइंट पर पहुंच गया है। अब हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हम टैक्स रेवेन्यू के साथ नान टैक्स रेवेन्यू को ट्रैप करके हमारी वित्तीय स्थित को कैसे ठीक कर सकें। अब आप इसमें प्रस्ताव लेकर आये हैं, मैं बाकी प्रस्तावों में तो मेरा खुद का संशोधन है उस वक्त कहूंगा परन्तु मोटे तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि आप आबकारी अधिनियम, 1950 में जो संशोधन लेकर आये हैं जिसका अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया। सभापति महोदय, मैं बड़े नम्र शब्दों से कहता हूं कि यह जो संशोधन सैक्शन 30 में है यह संशोधन वित्त मंत्रीजी की बुद्धि से नहीं आया, इसके पीछे दूसरी ताकतें हैं। उन ताकतों का मैं जब जिक्र करूंगा तो सीकर से आने वाले मेरे मित्र नाराज हो जाएंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : बिलकुल नाराज नहीं होंगे।

श्री सभापति : ऐसी बात कहो ही क्यों ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पहली बार है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो कहता हूं कि शराब माफ़ियाओं के खिलाफ जितनी कड़ी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

से कड़ी कार्यवाही आप कर सकते हैं, करिये। सीकर से आने वाले सदस्य इसके खिलाफ नहीं है, आपकी बात में अपनी हां मिलाते हैं। आप कहिये, इस बात के लिए मना कौन कर रहा है ?

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, इन ठेकेदारों के प्रति आपकी सिम्पैथी हो सकती है, राजेन्द्र पारीक का कोई लगाव नहीं है इन लोगों से। मैं तो कहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही करिये। ब्याज की बात करो, उन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगवाइये, और इनके घर बेचकर आप इनसे पैसे वसूल करें।

श्री सभापति : माननीय परीक साहब, बार–बार व्यवधान डालने में कोई...

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम लिया गया है तो मुझे कहना पड़ेगा।

श्री सभापति : आप विराजिए, बार–बार व्यवधान डालना अच्छा नहीं हैं। समय को देखते हुए इन्हें पूरा करने दीजिये। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीकर से आने वाले माननीय सदस्य का। वित्त मंत्रीजी, उन्हीं की भावना आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप जो प्रावधान लेकर आये हैं फायदा किसको पहुंचाना चाहते हैं ? यह शाश्वत सत्य है जिसको सदन में आपने कई बार स्वीकारा है कि जिन शराब माफियाओं का जिक्र है उन पर लाख, दो लाख नहीं करोड़ों रुपया राजस्थान की गरीब जनता का बकाया है। अब उनसे पैसे की डिमाण्ड वसूल की जाए। सभापति महोदय, यह अनोखा कानून लेकर आये हैं और नाम लेते हैं टैक्सेशन बोर्ड का यह इसमें कर क्या रहे हैं ? कि जो बाकी राशि अगर कोई ठेकेदार जमा कराएगा तो पहले तो मूल में जाएगी, ब्याज में नहीं जाएगी। यानी उसका मूल जो कम्पोनेंट है उस कम्पोनेंट में जमा करके...

श्री सभापति : यह माननीय सदस्य, आपके दल के वरिष्ठ सदस्य कई बार कह चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं कि आप जिस तरह का अव्यवहारिक कानून ला रहे हैं उसमें संशोधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा आप 9 क में संशोधन लेकर आये हैं। सेंट्रल एक्साइज और आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में आप संशोधन लेकर आये हैं कि एक्साइज कमिश्नर की अपील डिवीजनल कमिश्नर सुने। जिस तरह आबकारी समूह विभक्त है, कई जगह तो एक डिवीजन नहीं दो–दो डिवीजन कमिश्नर के जूरिस्डिक्शन के अन्दर एक ठेका आ जाता है। ठेकेदार दोनों जगह अपील कर सकता है। परन्तु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप कुएं से निकल कर खाई में क्यों डालना चाहते है ? आप रेवेन्यू बोर्ड में जाकर कहते कि रेवेन्यू बोर्ड में अपील होगी एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ। सभापति महोदय, एक दो नहीं हजारों मामले रेवेन्यू बोर्ड में एक दो साल से नहीं 10 साल के ज्यादा समय से लम्बित है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटारिया जी ने तो स्वागत किया है इसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको टैक्स ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। उस टैक्स ट्रिब्यूनल के अन्दर स्पेसिफिक टाइम तय करना चाहिए कि निश्चित समयावधि के अन्दर इन मामलों का निष्पादन हो जाएगा। तब तो आपकी रिकवरी होगी, वरना आप इनको बचाना चाहते हैं। आप किसको बचाना चाहते हैं ? क्यों अमैंडमैंट लेकर आये है ? वित्त मंत्रीजी, मैं फिर कह रहा हूं कि व्यक्तियों के हित से राजस्थान का हित बहुत बड़ा है। ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, दोहरी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से करे। वरना आने वाला इतिहास यह कहेगा कि इस तरह का कानून बना कर चले गये। सदन में बहुमत के जोर पर कानून आपका बनेगा, संशोधन लेकर आये हो वह संशोधन पारित होगा परन्तु इससे राजस्थान का हित नहीं होगा।

अभी जिक्र आया था कि कोई गरीब व्यक्ति किसी बैंक से फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन से लोन ले तो पहले दशमलव जीरो पांच प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, आपने दशमलव एक प्रतिशत किया। बहुत अच्छा किया, परन्तु हासिल क्या होगा ? इसमें आपको कोई लम्बी चौड़ी राशि मिलने वाली नहीं, पर इसकी पूरी औपचारिकता में कितना पैसा खर्च होगा ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पर आपको विचार करना चाहिए कि किसी भी हैड में आपको टैक्स मिलता है परन्तु उसके संग्रहण पर कितना पैसा लगता है। उसके संग्रहण पर सरकार का पैसा लगे, उसके संग्रहण पर आम—अवाम की ऊर्जा लगे, आम—अवाम को परेशानी हो, इस पर भी कम से कम आपको विचार करना चाहिए।

वित्त मंत्रीजी आपने अभी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की बात कही। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की। अभी आप एक परसेंट स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा रहे है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि राजस्थान में कुल सम्पत्ति के लेन—देन में बड़ी मुश्किल से 60—65 प्रतिशत लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं। रजिस्ट्री से लोग बचते हैं और बचते रहने का कारण भी है। 11 परसेंट ड्यूटी करके आप लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं। आपका आवासन मण्डल बीच में कैम्पेन चलाता है, कभी आपका विकास प्राधिकरण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कैम्पेन चलाता है, आपके रीको में कैम्पेन चलते हैं और कहते हैं कि इतनी तारीख तक अगर आप रजिस्ट्री करवा लेंगे तो स्टाम्प ड्यूटी में इतनी रियायत मिलेगी। आप एक बार यह प्रयोग करके तो देखें। अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा।

अभी यहां पर एल.बी.टी. की चर्चा हुई। निश्चित तौर पर जिस तरह का संशोधन आप लेकर आये है, संशोधन में आप तो रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं परन्तु आपने कभी सोचा कि एल.बी.टी. के इस पूरे कम्पोनेंट को बढ़ाते—बढ़ाते हम कहां ले गये ? सरमायेदार आदमी तो दे देगा परन्तु इसके परव्यू में एक आम व्यक्ति भी आएगा, मध्यम वर्ग का आदमी भी आयेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी आपको पुनर्विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैंने दूसरे मेरे संशोधन दे रखे हैं। उन पर मैं अलग बात कहूंगा। मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले कहना चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी, जो बात लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उठाई। खास तौर से राजस्थान में दवाइयों के विक्रय पर आपने एम.आर.पी. की बात कही। इसमें निश्चित तौर पर बड़ी गम्भीरता से आप विचार करें। दौहरा टैक्स है। मेडिसिन में फर्स्ट पाइंट टैक्स तो है ही, परन्तु आप चले जाएं, आपको लगाना चाहिये अपने अधिकारियों को, जिस तरीके के बिल काटे जाते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो कई जगह तो जो दुकानदार ईमानदार है वह दोहरा टैक्स भी ले लेता है। वह टैक्स आपके खाते में जमा होता है कि नहीं होता, वह दूसरी बात है। इसलिए आप इस पर गम्भीरता से सोचे। यह मेडिसिन की बात ही नहीं है, कई दूसरे और भी ऐसे है जहां फर्स्ट पाइंट टैक्स है वहां दोहरे टैक्सेशन का जो काम हो रहा है वह बंद होना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा कि टैक्सेशन सैचुरेटेड पाइंट पर पहुंच चुका है। टैक्सेशन का सरलीकरण हो। यह भी देखा जाए कि टैक्स के संग्रहण में कितना श्रम और कितनी राशि खर्च हो। जिस तरह से मैंने पाइंट वन की बात आपको कहीं, इस तरह के टैक्स इम्पोज करने का कोई फायदा नहीं है। वित्त मंत्रीजी, अभी मौका है, आज यह अंतिम फाइनेंस बिल पास होगा, 5 बजे से पहले पहले आप घोषणा कर जाओ, मैं समझता हूं पूरा हिन्दुस्तान फोटो लगा कर कहेगा कि यह आदर्शवान व्यक्ति है। आप सदन में यह कह दो, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरे वित्त मंत्री रहते हुए राजस्थान का बजट लीक हो गया, आप यह बात कह दोगे तो आपको आदर्श पुरुष मानेंगे, आपको लौह पुरुष के रूप में याद करेंगे। आपको आपके इलाके में लोग कप्तान साहब कहते हैं, कप्तान का अर्थ है सबको लीड करने वाला आदमी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं लेंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने लिखा है कि जो फीस तय की जायेगी उस पर दिया जायेगा। यह लिखा है आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, आज से पांच साल बाद क्या स्थिति बनेगी ? कोई भी सरकार हो, फिर सदन के समक्ष आए, इसलिए ये पावर लिये हैं। ऐसे बहुत अख्तियार आज इस एक्ट के अन्दर थ्रू नोटिफिकेशन गवर्नमैंट के पास हैं। खैर, उसमें हमारी इंटेशन साफ है।

आपने एक बात यहां पर एक्साइज अपील के बारे में कही। एक्साइज अपील के बारे में चूरू से आने वाले सम्माननीय सदस्य के विचार और हैं और बड़ी सादड़ी से आने वाले सदस्य के विचार कुछ और हैं। बड़ी सादड़ी से आने वाले सदस्य ने तो इस बात की सराहना की है। इसका मूल में मकसद क्या था कि एक्साइज कमिश्नर की अपील डिवीजनल कमिश्नर के यहां जाती थी और कई दफे जैसा कहा, जूरिस्डिक्शन का सवाल था। दूसरा सिनियोरिटी का कि वह सीनियर है वह जूनियर है। बढ़िया उनको न्याय की प्रक्रिया मिली है इसलिए यह बोर्ड का प्रावधान हमने इसके अन्दर किया है दूसरी बात...

श्री मानिक चन्द सुराना : एक मिनट, आप टैक्स ट्रिब्यूनल भी बना रहे हैं न ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : टैक्स ट्रिब्यूनल, देखिए, बेसिकली टैक्स...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कहेंगे कि बोर्ड से हायर हो गया। बोर्ड से हायर हो गया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : टैक्स ट्रिब्यूनल इज बेसिकली...

श्री मानिक चन्द सुराना : टैक्स बोर्ड चल रहा है, राजस्थान टैक्स बोर्ड तो है न अभी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, है न।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इसको टैक्स बोर्ड को देवें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी हमने यही कहा है, फिर करैक्ट कर लें, कि पहले एक्साइज कमिश्नर की अपील डिवीजनल कमिश्नर के पास होती थी अब हमने उसको कर दिया रेवेन्यू बोर्ड में। हमारे यहां टैक्स बोर्ड में उसकी अपील होनी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड के पास हजारों–हजारों पैंडिंग हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका टैक्स ट्रिब्यूनल का था, By mistak, you might have written. It may be a clerical error or something. मैं उसको मानता हूं। आपकी इंटेंशन यही होगी कि टैक्स बोर्ड में जाए लेकिन इस मामले का हमारा इंटेंशन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

था कि इसको बोर्ड के अन्दर देना ही बेहतर होगा। बहुत गहन विचार–विमर्श के बाद इनको बोर्ड के अन्दर हमने देना तय किया। देखिये, सैट आफ आफिसर्स करीब–करीब वही का वही है। इससे इसके अन्दर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, माफ करें, राजस्व मण्डल में अनविलिंग आफिसर्स भेजे जाते हैं। जो आई.ए.एस. आफिसर्स जाते हैं वे यह समझते हैं कि हमें पीनलाइज किया गया। विलिंग आफिसर्स बहुत कम हैं वहां पर। और बोर्ड में एक–डेढ़ बजे के बाद कोई फंक्शनिंग नहीं होती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जुडीशियल मैम्बर्स भी हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : जुडीशियल भी हैं लेकिन डेढ़ बजे के बाद कोई फंक्शनिंग नहीं होती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जुडीशियल भी जाते हैं। (व्यवधान) सारे अनविलिंग नही होते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि हमें इसका एक्सपीडिशियस डिस्पोजल कराना है तो यह टैक्स बोर्ड ही ज्यादा सही रहेगा। बाकी आप देख लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक बात आपको और बता दूं, शायद मेरे ध्यान से भी यह बात उतर गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, Tax Board is meant only for sales tax cases. That is the whole problem. एक्साइज के केसेज वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। दूसरी बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : रेवेन्यू बोर्ड को भी पहली बार ही दे रहे हैं, मंत्री महोदय ? यह रेवेन्यू बोर्ड को भी आबकारी का अधिकार पहली बार ही दे रहे हैं ना ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं। वहां जा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : फिर आप इसको क्यों नहीं कर देते ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप विराजिए। दूसरी एक बात यहां पर कही चूरू से और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने Regarding interest component. आपने स्वयं स्वीकार किया कि सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज ने भी इस प्रकार की परम्परा रखी हुई है। आप उसका अंधाधुंध पालन...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने इसमें लिखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिए, मूल में कारण क्या है, आज चाहे वह सैल्स टैक्स की रेवेन्यू है, एक्साइज की है, हमने एमनेस्टी स्कीम भी निकाली हुई है। 31 मार्च तक एमनेस्टी की स्कीम चल रही थी कि हम

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपको फलां–फलां चीजों में कंसेशन देंगे, इसको आप अवेल कीजिए। पूर्व में भी एमनेस्टी स्कीम रखी हुई है। उसके मूल में कारण था कि हम चाहते थे, चाहे यह सरकार है, चाहे पूववर्ती सरकार है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वे अधिक से अधिक वसूल हों। यह सबका मन्तव्य था। कहीं स्टे आर्डर लगा हुआ है, कहीं लिक्विडेशन में है। जिनके ऊपर बकाया हैं वे तरह–तरह की बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, कहीं अदालत का सहारा लेकर, छोटी अदालत से शुरू होते हैं और हाई कोर्ट तक जाते हैं, कहीं जोइंट प्रापर्टी है उस जोइंट प्रापर्टी की आड़ में खड़े हो जाते हैं कि यह दो भाइयों का हिस्सा है। इससे बचने के लिए हमने कहा कि एट्रेक्टिव बनाओ, कि जो रुपया आएगा इसको पहले मूल धन के अन्दर ले लेंगे। फुल रिलीफ देने के हिसाब से, क्योंकि हम एमनेस्टी में आलरेडी रिलीफ देते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमने किया। इसके पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। और सैकड़ों की संख्या...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इंटरेस्ट की बजाय मूल ले लिया तो कोर्ट का भी यही रहेगा कि एक बार जब इसमें मूल जमा हो गया तो इसका इंटरेस्ट वेव किया जाए। बजाय इस तरह के लगाने के आप ही डायरेक्ट उसका इंटरेस्ट टोटल वेव कर दीजिए। जो लोग हैसियत वाले हैं उनको केवल इसलिए कि वे पैसा जमा नहीं करवा रहे हैं ? उनको सोलवेंसी भी होती है, उनका सब कुछ होता है...(व्यवधान) एक बार आपने मूल जमा कर लिया तो किसी कोर्ट में जाएंगें वह आपका इंटरेस्ट नहीं देगा। कोर्ट का भी उसी के प्रति...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आपकी बात का पूरा समर्थन करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, पारीक साहब, एमनेस्टी स्कीम के अन्दर भी पूर्व में तरह–तरह की सुविधाएं दी गई थी, उसके बाद भी कोई उत्साहवर्धक नतीजे नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, जितने फाइनेंस डिपार्टमैंट हैं वे पैकेज दे रहे हैं कि इतने पैसे एक साथ जमा करा देंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट वेव कर देंगे। इतना...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह इंटरेस्ट के अन्दर भी कहा, और भी कहा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन आपने यह पर्टीकुलर कह दिया कि इसका मूल पहले जमा कर लेंगे और बाकी इंटरेस्ट बाद में तो बाकी इंटरेस्ट कौन देगा ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रतिपक्ष के नेता महोदय की भी जानकारी में है...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वित्त मंत्रीजी,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

यह भी बता दीजिए कि एक्साइज की बकाया 1999—2000 की और अब तक जो आपके ध्यान में है वह कितनी बकाया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 275 करोड़ रुपये बकाया हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : और उस पर ब्याज दो प्रतिशत है, 24 प्रतिशत साल का ब्याज है और...(व्यवधान) दो प्रतिशत ही है, मैं गलत तो नहीं हूं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 2 प्रतिशत है। अब 24 प्रतिशत जिस पर ब्याज है अभी 293 करोड़ या कितना करोड़ बताया है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : 262.

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तो कोई रियायत की आवश्यकता और गुंजाइश नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। वह वसूली बाकायदा पहले ब्याज में और उसके बाद मूलधन में ही होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, यह भी लगे हाथों बता दीजिए कि जो दो प्रतिशत का इंटरेस्ट आप डिमाण्ड पर चार्ज करते हो, उसको भी कम करने के लिए इस एक्ट में आप अधिकार ले रहे हैं न ? एक्साइज की डिमाण्ड पर कोई बकाया राशि है उस पर दो प्रतिशत का इंटरेस्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मैंने सैल्स टैक्स में लिया, एक्साइज में नहीं लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्साइज में तो आप कम नहीं कर रहे हैं न ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, एक्साइज में कम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो भी रेट आफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग है। यह मैं सैल्स टैक्स में लाया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साहब, यह तो आपने खतरा मोल ले लिया। अब आप ठेकेदारों को राजी करने के लिए यह सब कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं। मेरा कोई ठेकेदारों से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे ठेकेदार नाराज हो जाएंगें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हो जाएं, मुझे परवाह नहीं है। राजेन्द्र जी, ठेकेदारों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा ठेकेदारों से किसी किस्म का संबंध नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह संशोधन आपने तैयार किया है। सभापति महोदय, यह, संशोधन ठेकेदारों ने तैयार किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कमरा आपका था, दफ्तर आपका था, परन्तु उसमें जब यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संशोधन बन रहा था 30"क" के अन्दर, तब कौन–कौन बैठे हुए थे ? जिस वक्त आप इस संशोधन को फाइनल कर रहे थे... (व्यवधान) जिस तरह बजट लीक होकर निकल गया, उसी तरह जिस वक्त आप सैक्शन 30"क" में संशोधन कर रहे थे, और अभी आपने नाम लिया है सेंट्रल बोर्ड आफ टैक्सेशन का आपने सलाह करने के लिए किस–किसको बुलाया था ? (व्यवधान) आपने उन्हीं को बुलाया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बिलकुल गलत है, असत्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान का लाखों रुपया बाकी है...(व्यवधान) उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपने यह काम किया है।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बिलकुल असत्य है, मिथ्या है, निराधार है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने उनसे सलाह–मशविरा किया जिन पर बकाया है। उन शराब के ठेकेदारों ने जब यह कहा कि एक रास्ता यह बनता है कि आप हमारे मूलधन के अन्दर जो बकाया है हम जमा कराएं तो ब्याज कम्पोनेंट को अलग करो, वह काम आपने किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, एक दल के सचेतक हैं आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, कितना कोंट्राडिक्टरी है...(व्यवधान) सभापति महोदय, अभी तो यह कहा कि आपकी तो जानकारी में ही नहीं है, आपसे बिना जानकारी के ही यह संशोधन आ गया और अब एक सांस में दूसरी बात कह रहे हैं। इनकी लीला तो ये ही जानें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने यह कहा था...

(16.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनका है वे धीरे–धीरे पर्दे के सामने आ रहे हैं। उन्होंने आज ऐसी स्थिति बना दी कि...(व्यवधान) और वही इस तरह कह रहे हैं। (व्यवधान) मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सत्तारूढ़ दल के सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को, इन्होंने कितनी मजबूती से बात कही है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं बार–बार यह आग्रह मंत्री महोदय से करना चाहूंगा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट, मेरा निवेदन सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि आप पैकेज के रूप में भले उन्हें रिलीफ दें लेकिन टेबल पर बैठकर नेगोसिएशन होना चाहिए। (व्यवधान) आप उनका पैनल इंटरेस्ट माफ करें लेकिन पैनल इंटरेस्ट के साथ–साथ

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आप उनको बाध्य करें इस बात के लिए कि मूल रकम के साथ–साथ उनको...(व्यवधान) देना होगा।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, एक मिनट सुनिये आप।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, गरीबों से जो पैसा वसूल करते हैं उनको कोई पैकेज नहीं देते, कोई छूट नहीं देते हैं। आज करोड़ों रुपये जिन पर बकाया हैं उनको आप...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। यदि इस डिबेट को सही ढंग से...

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, यह तो किसी कानून में नहीं है कि इस तरह से मूल जमा करा दें और ब्याज नहीं दें। ब्याज तो पहले भरना चाहिए।

श्री सभापति : आप विराजिए, आपका नाम है अमैंडमैंट में। आपका नाम है, आपको बुलवाएंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अगर इस प्रकार से यह डिबेट चलेगी तो इसका कोई अंत नहीं आएगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से, मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी अपनी बात कहें, क्योंकि बहुत डिस्कशन हो चुका है इस मामले में। वही बातें रिपीट हो रही हैं इसलिए माननीय मंत्रीजी को अपना जवाब शांतिपूर्वक देने दीजिए आप।

श्री सांवर लाल : शांतिपूर्वक और कुछ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने दे दिया कि मैं इसको अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, कुछ कंसीडरेशन तो करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, कृपा करें। एक मिनट मेरी बात सुने तो सही।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड–2 से 7, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 7 स्वीकार

(श्री सभापति)

किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड–8, माननीय मानिक चन्द सुराना, अपना संशोधन पेश करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, खण्ड–8 पर जनरल डिबेट के तौर पर मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया है, इस सदन से निवेदन किया है कि जो टैक्स हमको वापस करना है किसी भी न्यायिक निर्णय के आधार पर, यदि हम लेने के वक्त में उससे 2 प्रतिशत ले रहे हैं तो देने के वक्त में भी हमारा दायित्व है कि वही रेट आफ इंटरेस्ट उसको वापस दें। इसलिए यह जो 15 प्रतिशत की दर आपने लिखी है हमने इसमें संशोधन दिया है कि इसको 21 प्रतिशत किया जाय। जहां 2 प्रतिशत है उसको भी हमने कहा है कि 21 प्रतिशत कर दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़। (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक सैकण्ड, मेरी बात सुन लीजिए आप। जिस वक्त वाद–विवाद हो रहा था उस वक्त आपने कहा था कि मेरा संशोधन भी है लेकिन उन सबके संबंध में अभी बात कह दूं ताकि दुबारा ज्यादा नहीं कहना पड़े, इसलिए आपने अपना संशोधन पेश कर दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने संशोधन पेश कर दिया, मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

माननीय मंत्रीजी ने आबकारी के संबंध में जो बात कही थी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों–लाखों काश्तकार जिनको भूमियां अलाट की गयी हैं, उन पर ब्याज बकाया हो जाता है उपनिवेशन क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में, सब जगह ब्याज बकाया हो जाता है। राज्य सरकार ने काश्तकारों से पहले मूलधन में हम जमा कर लेंगे और ब्याज बाद में वसूल करेंगे, आज तक यह प्रिंसिपल लागू नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आबकारी ठेकेदारों पर यदि यह प्रिंसिपल लागू किया गया, तो निश्चित रूप से मैं मोटिव इम्प्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां 263 करोड़ बकाया है, लोग कहेंगे कि इसका ब्याज ही हो रहा था 50–60 करोड़ के ऊपर और लाभ दे दिया गया। कोई कारण नहीं है, वे कोई गरीब लोग नहीं है जिनको यह लाभ दिया जाए। हमारी एक–एक पाई जो उनमें बकाया है, वह बिलकुल वसूल की जानी चाहिए। इसलिए मैं उस वक्त ही यह निवेदन कर रहा था जब आपने यह फरमाया था कि राजस्व कानूनों को देखें, उपनिवेशन कानूनों को देखें, उसमें ब्याज पहले और उसके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बाद काश्तकार का मूलधन जमा किया जाता है। इस सदन में जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से 80 प्रतिशत तो हम वही हैं, उनके ही प्रतिनिधि हैं और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह सम्पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है। वहां एक भी नगरपालिका नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह आबकारी का जो संशोधन है, चाहे वह स्टेज अभी बाद में आएगी, पर उस पर आप विचार करें और उसको आप वापस लें।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़। आपके वरिष्ठ साथी कह चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड–8 में मेरा संशोधन है कि अभिव्यक्ति 15 प्रतिशत के स्थान पर अभिव्यक्ति 21 प्रतिशत प्रतिस्थापित की जाए। साथ ही विरुक्त अभिव्यक्ति "ऐसी दर से जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए" को विलोपित किया जाए।

सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड–8 के जरिये जो सैक्शन 56 के अन्दर सरकार संशोधन लेकर आयी है, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसी के साथ आप धारा 58 पर भी अवलोकन करें। आपको व्यवहारी को पैसा देना हो तब तो आप उसको पैसा देंगे 15 प्रतिशत के ब्याज के साथ और जब आपको लेना हो तो 2 प्रतिशत मासिक दर से उससे पैसा लेंगे। मैं समझता हूं कि जिस समानता की बात हम करते हैं जो संविधान निर्माण से लेकर अब तक हम करते आये हैं उस सबके और प्राकृतिक न्याय के विपरीत बात है। संविधान के अन्दर समानता के अधिकार के विपरीत बात है। सभापति महोदय, आपको मालूम है, पहले तो व्यवहारी कोई टैक्स उस पर इम्पोज हो गया उसके लिए असैसिंग अथोरिटी के पास अपील में जाएगा, वाद दायर करेगा। धारा 42 के अनुसार पूरी सुनवाई उसकी हो उसके पश्चात् जब यह सुनिश्चित हो जाए कि उसको कुछ रकम वापस मिलनी चाहिए, पहले जो प्रावधान हैं उस प्रावधान के अन्दर है कि उसके निक्षेप की तारीख से 15 प्रतिशत ब्याज की दर से देय होगा। अब सरकार यह अधिकार ले रही है कि उस ब्याज की दर कितनी हो, यह सरकार पर छोड़ दिया जाए।

(16.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब इसमें संशोधन है कि वह किसी व्यवहार की प्रदाय मंजूरी करते हैं। धारा 56 की उप धारा एक के अनुसार उसकी जमाओं की तारीख से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। यह धारा ऐसी रीति से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें राज्य सरकार को समय–समय पर समुचित ब्याज की दरें अधिसूचित करने को सशक्त किया जाए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यानि सरकार यह अधिकार अपने हाथ में ले रही है कि जो 15 प्रतिशत ब्याज पहले देय था व्यवहारी को, उस ब्याज को कम करके 5 प्रतिशत कर दे, 2 प्रतिशत कर दे, 7 प्रतिशत कर दे। दूसरी तरफ, सभापति महोदय, सैक्शन 58 में सरकार ने यह अधिकार ले रखा है कि कोई फीस या ड्यूज या कोई टैक्स की राशि अगर उस पर संदाय होती है और वह समय पर जमा नहीं कराता है तो उस पर 2 प्रतिशत मासिक टैक्स लगेगा। यह किस तरह का कानून बना रहे हैं ? वित्त मंत्रीजी, कई बार ज्यादा काम की वजह से रह भी जाता है शायद आपको किसी ने सही सलाह नहीं दी। मेरा निवेदन है कि सैक्शन 58 और सैक्शन 56 इन दोनों की राशि को एक जिलना करें और इसमें जो अधिकार आप ले रहे हैं उस अधिकार को लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अभी निश्चित कर दे और आप संशोधन के जरिये बता दें कि आपको जब पैसा देना होगा तब तो आप कितना प्रतिशत देंगे और जब आपको पैसा लेना होगा तब आप किस प्रतिशत तक देंगे। मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार को विद क्लीयर हैण्ड आना चाहिए, इसलिए इस पेचीदे में आप नहीं पड़े। मेरा जो मूल संशोधन है, मैं निवेदन करूंगा कि वह मूल संशोधन यथा प्रस्तावित वित्त मंत्रीजी स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी संशोधन खण्ड–8 के संबंध में यही है कि व्यवहारी से 2 प्रतिशत लिया जाता है और जब रिफण्ड करने का मामला आता है तो पहले प्रावधान 15 प्रतिशत था, अब सरकार करना चाहती है, जो सरकार तय करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे ही लालफीताशाही आपके चलती है सरकारी दफ्तरों में। जब उनको 15 परसेंट देना होता है तब भी वे रिफण्ड टाइम पर नहीं करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सरकार क्या करेगी। आपकी सरकार आने के बाद तो सारे के सारे पावर आप ही लेना चाहते हो और किसी को देना ही नहीं चाहते। सरकार तो कानून कायदे से चलनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले नगरपालिका का आपने अधिकार ले लिया, दो मैम्बर्स जो बोर्ड नोमिनेट करता था, आपने कानून बना दिया कि सरकार करेगी। खुद की ओर से सारे कांग्रेस के आदमियों को भर दिया उसमें। अब आप कह रहे हैं कि यह रिफण्ड का मामला भी तय करेगी कि कितना पैसा उनको देना है, कितना इंटरेस्ट देना है। सरकार तय करेगी तो मेरे खयाल से आपका कार्यकाल दो साल का लगभग बचा हुआ है उस कार्यकाल में आप उनके साथ न्याय नहीं करना चाहते हो।

(श्री सांवर लाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप इसको 21 परसेंट करें। इससे कम–ज्यादा करें पर आप तय तो कर दें, निश्चित कर दें कि इतना परसेंट होगा जिससे समय पर उनको पेमेंट मिल जाए। लेने–देने का एक ही हिसाब–किताब होना चाहिए। सरकार के पास पैसा रहे तब तो आप कम देना चाहते हैं और जो लोग नहीं दें तो उनको आप अपनी मर्जी से वसूल करना चाहते हैं जैसे अभी आबकारी का मामला आया। आबकारी के ठेकेदार पैसा जमा नहीं करा रहे हैं, 250—300 करोड़ आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वह पैसा आएगा तो पहले मूल में जमा करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की कोई भी बैंकिंग सिस्टम में आप बता दीजिए, किसी भी बैंक के प्रोसीजर में आप बता दीजिए कि किसी के नाम पर पैसा बकाया है, बीच में देंगे तो पहले मूल जमा करेंगे या इंटरेस्ट करेंगे ? माननीय मंत्री महोदय, जब–जब कांग्रेस की सरकार रही है, गरीबों के साथ कभी भला नहीं किया। आप हमेशा कानून पता नहीं किस कारण से ऐसे बनाते हो कि जो अमीरों का ही फायदा करते हैं। गरीबों के लिए आपने आज तक किसी रिकवरी में यह कहा कि उनका मूल में जमा होगा, ब्याज में जमा नहीं होगा ? ये सारी की सारी चीजें आप अव्यवहारिक ला रहे हो, यह जनहित में कतई उचित नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्ड–8 के संबंध में मेरा यह निवेदन है। मंत्री महोदय, मेरा उसमें भी निवेदन है कि ठेकेदारों ने बहुत पैसा कमाया, अभी भी कमा लिया। लगभग 1100 करोड़ रुपये का ठेका जाता वह 800 करोड़ में जा रहा है, 300 करोड़ का तो आप घाटा खा बैठे हैं, इसलिए इतना लाभ मत दो। आप दे रहे हो तो कम से कम आपकी मजबूरी तो बताओ कि किस वजह से आप उनसे प्रभावित होकर इस तरह के कानून बना रहे हो। इसके ऊपर विचार करें। हम राजस्थान की जनता के लिए बैठे हैं, राजस्थान के दस–बीस ठेकेदारों का कल्याण अगर आपकी सरकार इस प्रचण्ड बहुमत में करना चाहती है तो फिर हमको कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप चाहे वैसा करिए। जैसा करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खण्ड–8 में टैक्स रेट के बारे में कहा है। अभी तक ये अधिकार हमने अपने पास लिये हैं, लेकिन इस अधिकार के तहत जो एग्जिस्टिंग रेट्स पिछले फाइनेंशल ईयर में थीं, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, वही रेट एग्जिस्ट कर रही है। यह एप्रिहेंशन है सम्माननीय सदस्यों के दिमाग में कि सरकार कोई लेकर बढ़ाएगी। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा कोई

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बढ़ाने का इसका कतई इरादा नहीं है।

श्री सांवर लाल : घटाने का है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोशिश यह रहेगी कि हम अपने वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन में कुछ राहत ही उसमें देंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाकर यहां पर चल सकता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नोटिफिकेशन तो 15 और 24 का ही किया है न ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं। वह तो आलरेडी था मैंने...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, वही तो। माननीय मंत्रीजी, मूल प्रश्न यह है कि इसमें लेने और देने के जो दो मापदण्ड हैं, मूल अटैक उसी पर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिए, ऐसा है, भारत सरकार के अन्दर भी एरियर्स के ऊपर रेट और रिफण्ड की रेट में नार्मली 6 परसेंट का फर्क है। यहां पर 9 परसेंट का फर्क है, 24 और 15 है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके ध्यान में आ गया है न ? आपके ध्यान में तो आ ही गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, कहां से ले लोगे ? डाक्टर साहब, क्यों अर्ज कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तय तो कर दो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके ध्यान में आ गया न यह कि वहां से ज्यादा फर्क अपन ने कर रखा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह बहुत पुराना है। अब आप तो सुरानाजी, अपने वक्त के कार्यकाल के कार्यकलापों का ठीकरा भी हमारे ऊपर ही फोड़ना चाहते हो। आपकी तो आदत पड़ी हुई है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय वित्त मंत्रीजी, राज में जो बैठेगा उसके ही सर पर ठीकरा फूटेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–8 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री सांवर लाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9, श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात मैं कह चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बस तो फिर आप विराजो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा दुबारा से राज्य सरकार से निवेदन है कि वह भारत सरकार क्या करती है और दूसरे क्या करते हैं, सिर्फ उस पर नहीं जाएं। आप बैंकिंग रेट को देखते हुए 24 परसेंट को कम करें। जिसको पहले कहते थे न कि...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके ऊपर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो बस ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खण्ड–8 दो बार स्वीकार हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : उसी का तो है, यह कांसीक्वेंशल है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : Not as amended.

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं। आप उस पर विचार करें और उसको कम करें।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न इन्होंने कि विचार करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्योंकि लैंडिंग रेट्स यहां इतनी कम हो गई है। ब्यांज की दरों को कुछ कम करें, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको कहा कि मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–9 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री सांवर लाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया जाता है।

ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब की तो ठीक है।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारा नाम तक नहीं पुकारा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–9 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड–9 स्वीकार किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बोलने दो, साहब, इनको बोलने का मौका दीजिए।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, नोन स्टाप गाड़ी चला रहे हो, हमारे को बोलते तो सही, कोई अवसर तो देते आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–10 से 17, बोल दिया न पहले मैंने ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कहां दिया हमको ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका ही आपका बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं मैं ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ठीक है, अब आप मालिक हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : थोड़ा 17 पर रुक जाएं कृपा करके।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–10 से 17, कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड–10 से 17 स्वीकार किये जाएं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : 17 पर रुके आप, हमें बोलना है 17 पर।

श्री उपाध्यक्ष : 17 पर आपका कोई संशोधन ही नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 17 नहीं, 10 से 16 ले लीजिए, ऊपर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 17 में कोई संशोधन ही नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं हो, फिर भी हम कुछ कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आगे आ रहा है न 18 में ?

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, तो 10 से 16 पर कह दें, एक बार 10 से 16 ले लें, 17 पर हम कुछ कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन ही नहीं है आपका।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मानिक चन्दजी, आप इतना बोल लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई बात नहीं, संशोधन नहीं है, फिर भी जनरल डिबेट में कहां जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : 18 में बोल लेना न आप। 18 में बोल लेना, पारण में बोल लेना।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह नहीं मतलब हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन ही नहीं है न।

श्री मानिक चन्द सुराना : पास होने के बाद क्या बोलना है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मानिक चन्दजी, इतना तो बोल लिया, आपसे ज्यादा तो कोई बात ही नहीं कही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–10 से 17 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–10 से 17 स्वीकार किये गये।

खण्ड–18, आप अब बोलना चाहे तो बोलो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब क्या बोलेंगे, 17 को तो स्वीकार कर लिया ?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–18 में जो संशोधन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हमने दिया है उस पर भी चर्चा हो गई है। माननीय मंत्रीजी का ध्यान हम इस बात की ओर ले आये हैं कि वह हमारे से स्लिप जरूर हो गई कि हमने राजस्थान टैक्स बोर्ड नहीं लिख कर ट्रिब्यूनल लिख दिया है। टैक्स ट्रिब्यूनल भी इसलिए लिखा कि आप टैक्स ट्रिब्यूनल का प्रारूप लाये हैं, इस सदन में। मेरा निवेदन यह है कि एक्सपेडीशियसली डिस्पोजल करना आपके इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरेस्ट में है, राज्य हित में है। कमिश्नर से जो आपने इसको हटाया है उसके कोई प्रशासनिक कारण होंगे, उसको तो आप जानते हैं, पर कमिश्नर भी राजस्व बोर्ड की पावर ही एक्सरसाइज करता है। अनेक मामलों में राजस्व मण्डल का प्रतिनिधि और राजस्व मण्डल के पावर्स कमिश्नर को ही डेलीगेटेड हैं, इसलिए राजस्व मण्डल की पावर डेलीगेटेड होते हुए भी आप सीधी इसकी सुनवाई राजस्व मण्डल में करना चाहते हैं, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह जो सुनता था उसमें काफी पावर उसी की थी पर इसको यदि आप टैक्स ट्रिब्यूनल बना रहे हो और राजस्थान टैक्स बोर्ड का भी क्षेत्राधिकार बढ़ाएं तो निश्चित रूप से आपको उनको अधिकार, मौका देना चाहिए कि वे अपीले सुनें ताकि इसका डिस्पोजल जल्दी हो और हमारी जो रिकवरीज अपीलों में रुकी हुई हैं, वे रिकवरीज भी जल्दी हो। हमारा उद्देश्य यही है, आप उसको उस दृष्टि से देखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल। श्री राजेन्द्र राठौड़। बोल दिया न अब और क्या बोलना बाकी है ? माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने पूर्व में कहा था, श्रीमान् कि टैक्स ट्रिब्यूनल और टैक्स बोर्ड बेसिकली they relate to Sales Tax Act. एक्साइज के मामले वहां जा नहीं सकते, इसलिए इसको बोर्ड आफ रेवेन्यू में हमने भेज दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हो ? कौनसे खण्ड पर बोल रहे हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नौ, खण्ड—18 में जो संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड—18 पर बोलें। 9 तो कब का ही चला गया, अब तो 18 की बात करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड—18 में मूल संशोधन हम चाहते हैं कि विधेयक के खण्ड—18 (ख) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "राजस्व बोर्ड की खण्डपीठ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान टैक्स ट्रिब्यूनल" प्रतिस्थापित की जाए। निश्चित तौर पर ठेकेदारों का बहुत बड़ी संख्या में पैसा बकाया है। ये लोग कानून की गलियों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में किस तरह लगातार चलते–चलते टैक्स देने से, पैसा देने से बचा जा सके, यह बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि माननीय वित्त मंत्रीजी की बड़ी नज़दीकी जान–पहचान रही है और इनके मन में बहुत बड़ी सहानुभूति भी है। अभी जब मैं पहले अपनी बात कह रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि जिस बजट में कर प्रावधान + + + चले तो उस पर एतराज हुआ था। मैं निवेदन कर रहा था, ये बातें समाचार पत्रों में छपती गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें। आपका संशोधन क्या है, वह बता दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर अपील जाए उसके बजाय टैक्स ट्रिब्यूनल में जाए। उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर हजारों की संख्या में वाद लम्बित हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड में जो अधिकारी बैठे हैं, सरकार छांट–छांट कर जिनको बर्फ में लगाना होता है उनको भेजती है। उनकी काम करने की मंशा रहती नहीं है। अगर, वित्त मंत्रीजी आप चाहते हैं कि ये लोग अपील में जाकर सरकार का पैसा नहीं दें तो आपका प्रस्ताव ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन सरमायेदार लोगों से पैसा निकले तो हमने जो प्रस्ताव लिया टैक्स बोर्ड का उसे आप मान लीजिये। इसके साथ एक निश्चित समय हो जाए। एक्साइज कमिश्नर के आदेश की अपील का निश्चित समय तो एक्ट में है, पर उसका फैसला टैक्स बोर्ड तीन–तीन महीने के अन्दर कर दे। इस तरह का संशोधन जो हमने मूव किया है उसको आप मान लें तो यह राजस्थान के हित में होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप। (अनुपस्थित) डा. रतन लाल जाट। (अनुपस्थित) श्री धर्मपाल चौधरी। (अनुपस्थित) प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा था, उस बात को पुनः दोहराता हूं। आपने ट्रिब्यूनल की बात कही, ट्रिब्यूनल का अभी तक गठन हुआ नहीं, नम्बर एक। शायद बाई क्लैरिकल एरर या बाई मिस्टेक वह ट्रिब्यूनल वर्ड हो गया, टैक्स बोर्ड से आपका अभिप्राय रहा होगा, लेकिन टैक्स बोर्ड के अन्दर जो कम्पोजीशन है, जो रूल्स हैं, सैल्स टैक्स में मैटर्स ही उनके यहां जाते हैं, एक्साइज के मैटर्स

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वहां कंसीडर नहीं हो सकते। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में कानूनी रूप से असमर्थ हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, आप उनको एप्राइज नहीं कर सकते क्या ? आप उनको अधिकार नहीं दे सकते क्या ?

श्री मानिक चन्द सुराना : टैक्स बोर्ड को अधिकार दिया जा सकता है, उसमें कहां दिक्कत है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं। आप यह क्लीयर कहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी तो इस स्टेज पर इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं, श्रीमान्।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब असमर्थ हो मंत्रीजी तो क्या कहें ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड—18 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, श्री सांवर लाल, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री रामप्रताप, डा. रतन लाल जाट एंव श्री धर्मपाल चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड—18 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड—18 स्वीकार किया गया।

खण्ड—19 श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मंत्रीजी लाये हैं, सदन के सामने यह स्पष्ट आ चुका है कि 263 करोड़ रुपये आबकारी के ठेकेदारों में बकाया हैं। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 2 प्रतिशत ब्याज प्रत्येक माह में उन पर हमारे कानूनों के अन्तर्गत लागू होता है और 263 करोड़ पर साल में 24 प्रतिशत वर्चुअली वन फोर्थ, 65—70 करोड़ से ऊपर उनमें ब्याज बनता है। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब एक तरफ रिसोर्स क्रेच चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के वक्त में इस संशोधन को लाने की क्या आवश्यकता है ? कोई रेशनेल तो हो कि हमें इससे तत्काल मिले। क्या मंत्री महोदय यह बता पाएंगे, क्या इनको किसी ने एश्योर किया है कि ब्याज को पहले मूल में जमा करा लेंगे तो हम ठेकेदार मिलकर 263 करोड़ रुपया आपको जमा करा देंगे ? यदि इस तरह की स्थितियां नहीं हैं तो कोई सुविधा या कोई कंसेशन आबकारी के ठेकेदारों को देना आवश्यक नहीं है। यह राजस्थान की विधान सभा इसलिए नहीं है कि हम आबकारी के ठेकेदारों के लिए सुविधा प्रदान करें और कानून बना दें उनकी सुविधा के लिए। एक तरफ हम उपनिवेशन क्षेत्र में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

काश्तकारों से पहले बकाया का ब्याज वसूल कर रहे हैं और उसके बाद उसकी मूल रकम वसूल कर रहे हैं। साल में एक–एक अलाट में हम वसूल करते हैं लाख रुपये, पर ब्याज जहां वह देने में देरी करता है काश्तकार, हम उससे ब्याज बाकायदा वसूल करते हैं, कहीं कंसेशन नहीं करते। जब काश्तकारों के साथ कोई कंसेशन नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह कंसेशन किसी भी सिद्धान्त के आधार पर, किसी भी बैंकिंग प्रिंसिपल के आधार पर किसी बैंक में चले जाइये, क्वार्टरली ब्याज पहले वसूल होगा और उसके बाद में उसके मूलधन में कोई राशि जमा होगी। बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा जो ब्याज की प्रणाली स्थापित की गयी है उससे और न हमारे अन्य सारे कानूनों के आधार पर हमने कोई रियायत काश्तकारों को दी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है कि पहले ब्याज की रकम वसूल की जाएगी और उसके बाद आबकारी की मूल रकम वसूल की जाएगी, इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी। (अनुपस्थित), माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) है ही नहीं आपका।

श्री मानिक चन्द सुराना : कहीं छपने में गलत रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं। रह गया तो लास्ट में बोलना पारण पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसका जवाब दिया था। मैं फिर आपके मार्फत यहां कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह को लाभ देने की दृष्टि से यह अमैंडमैंट नहीं लाया गया है। एक्साइज कमिश्नर के कार्यालय में फाइनेंस के आदमी बैठे थे, मैंने विस्तार से लिया, लिखित में भेजा। सन् 1980 का रुपया पड़ा हुआ है, आज बीस साल से एक्साइज की वसूली नहीं हो रही है। मिसाल के तौर पर एक लाख रुपये मूल का है और ब्याज हो गया चार लाख–पांच लाख, वह पैसा आता नहीं है। सिर्फ कागज के अन्दर आपके फिगर्स बने हुए हैं। इस दृष्टि से रखते हुए यह कहा है। रेवेन्यू पाजिटिव मैजर है कि जिससे हमारी वसूली जो पुरानी पड़ी हुई है, लिटिगेशन में पड़ी है, उसको थोड़ा आकर्षक बनाया कि राज्य का रुपया आ जाये। रिसोर्स क्रेच को दूर करने के लिए हमारी रिकवरीज बैटर हो जाए। सैकड़ों करोड़ों रुपये की रिकवरीज कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं किसी आर्डर के तहत पड़ी हुई है। इसलिए रेवेन्यू पाजिटिव मैजर लिया गया है कि जिससे आसानी से वसूली हो। इसलिए यह संशोधन हम इस एक्ट के अन्दर लाये हैं। यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चोरों को आकर्षित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करोगे, डिफाल्टर्स को आकर्षित करोगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : राठौड़ साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सिर्फ इतना बता दें कि 1999–2000 की रिकवरी 263 करोड़ आयी है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : पहले मूल जमा हो और ब्याज के पैसे लेते रहेंगे, यह सब के लिए कर दें न। यह केवल ठेकेदारों के लिए ही किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 263 करोड़ रुपये 1999–2000 का ही बताया है न ? 1999–2000 का हमने आपसे सवाल पूछा था कि वह रुपया कितना बकाया है! 1999–2000 को दो साल ही हुए हैं। सन् 1980 का होगा 10–20, 25 करोड़ कोई पुराना आपका बकाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 55 करोड़ रुपया बाकी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई बात नहीं, 55 होगा। ताजा रुपया तो 263 करोड़ है 1999–2000 का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इससे कहीं नहीं कि यह रकम बढ़ जाएगी। यह रकम कम से कम आ जाए और उसके अन्दर...(व्यवधान) सुनिये, ब्याज माफ करने की हमारी नीयत कहीं नहीं है। कोई ब्याज माफ नहीं होगा। यह बात भी मैं क्लीयर कर देना चाहता हूं कि इससे कोई ब्याज माफ नहीं होने वाला। सिर्फ फर्क इतना–सा है कि कोई पैसा देगा। मान लीजिये मूल के पैटे उसके ऊपर एक लाख रुपया है और ब्याज के पेटे दो लाख है तो पहले हम मूल जमा करेंगे और ब्याज का पैसा यूं का यूं ही पड़ा रहेगा। ब्याज को माफ करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : मूल ऐसे ही पड़े रहने दो, ब्याज माफ कर दो, सर। बात तो वही है। पैसा तो वही पैसा है और यह भी पैसा ही है।

एक माननीय सदस्य : परिपाटी टूट जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय,जब आप इसको...(व्यवधान) एक सैकण्ड, एक क्लेरिफिकेशन, जब आप मूल में जमा कर लेंगे तो जो ब्याज उसको देना पड़ेगा वह कम हो जाएगा कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य थर्ड रीडिंग पर। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब आप...(व्यवधान) एक सैकण्ड।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ब्याज हम माफ नहीं करने जा रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं आपसे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप माफ नहीं करेंगे लेकिन आटोमेटिकली जब आप उसको मूल में जमा करेंगे तो जो ब्याज की दर है, ब्याज की इनकम है, वह तो कम हो जाएगी। अपने आप कम होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसकी इनकम कम होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : बोल लेना न पारण पर। बोल लेना आप। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो फिर बच गया न ब्याज उसका ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कागज की इनकम है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस है कि माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि वह कागज की इनकम है। जो राज की बकाया है और उसमें ब्याज कानून से हमें वसूल करना है उसके लिए माननीय वित्त मंत्रीजी का यह कहना है कि कागज की इनकम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वर्षो हो गये, मानिक चन्दजी। सैल्स टैक्स के अन्दर हर विभाग की वर्षो की बकाया पड़ी हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो आप वसूल करें, लैंड रेवेन्यू एक्ट आपके पास है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक तरीका निकाला गया है इसके ऊपर...(व्यवधान) विचार—विमर्श करके अधिकारियों के साथ कि इसको करके ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अधिकारी आपके मिले हुए हैं आबकारी के ठेकेदारों से। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह केवल आबकारी के लिए कहा...(व्यवधान) अगर आप यह प्रोविजन डालना चाहते हैं तो... (व्यवधान) हर प्रकार से वसूल कर डालें... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार शराब माफियाओं से मिली हुई है...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : राजस्थान की जनता का जो पैसा बकाया है उस पर तो पहले मूल लेते हो...(व्यवधान) पहले ब्याज लेतें हो और फिर बाद में मूल की बात करते हो...(भारी व्यवधान) और यह जो पैसे वाले हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड—18 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, श्री सांवर लाल, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री रामप्रताप, डा. रतन लाल जाट एवं श्री धर्मपाल चौधरी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आबकारी को क्यों ? अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो सभी प्रकार की वसूली में इस प्रकार का करें, तो यह समझ में आएगा कि आपने सब प्रकार के लोगों को...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : हां, यह तो समझ में आता है कि सभी प्रकार की वसूलियां इस तरह से की जाएं। पहले मूल लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–18 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड–18 स्वीकार किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल आबकारी के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए आप लेकर आये हैं। केवल आबकारी के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए क्यों लेकर आये खण्ड में ? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मंत्रीजी, ब्याज बाद में लेना और मूलधन पहले लेना, यह व्यवहारिक नहीं है। (व्यवधान) यह जो आप बात रख रहे हैं वह व्यवहारिक नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, केवल शराब के ठेकेदारों को बचाने के लिए...(व्यवधान) अगर यही एक मात्र उद्देश्य है कि शराब के ठेकेदारों को राहत मिले तो...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : भारत सरकार ने क्यों कर रखा है यह ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप करना चाहते हो तो सारे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–19 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्री धर्मपाल चौधरी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–19 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–19 स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : पहले ब्याज ले रहे हैं उसके बाद में मूलधन वसूल करता है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : शराब के ठेकेदारों को मदद पहुंचाने की...(व्यवधान) तो हम बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का नारेबाजी करते हुए बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–20 से 29 कोई संशोधन नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह रिकार्ड सही हो जाए। बी.जे.पी.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वाले सही बात सुनना नहीं चाहते। हम भी कहना चाहते हैं...(व्यवधान) सेंट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेज जो भारत सरकार के मिनिस्टरी आफ फाइनेंस (एक्साइज़) के नीचे आता है, उन्होंने भी ऐसा का ऐसा ही निकाल रखा है। इनकी पार्टी की सरकार है वहां पर, वहां समाप्त नहीं किया, यहां उपदेश देते हैं बैठकर। ऐसे के ऐसे ही वहां आदेश निकले हुए हैं। यहां पर माननीय सदस्यों को मैंने बार—बार कहा लेकिन लोगों का ध्यान हटाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की + + + नोटंकी यहां बैठकर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड—20 से 29 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड—20 से 29 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड—20 से 29 स्वीकार किये गये।

खण्ड—30 श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, स्टाम्प ड्यूटी जो इम्मूवेबल प्रापर्टी के हस्तान्तरण पर वसूल की जाती है वह 10 परसेंट वर्तमान में है और मंत्री महोदय 11 परसेंट का प्रावधान लेकर आये हैं। मेरा निवेदन है कि इसको 8 किया जाय 10 के बजाय। राजस्थान में यदि हमने 11 किया तो इसकी वसूली में कमी होगी और हमने यदि इसको 8 किया तो हमारी वसूली निश्चित रूप से बढ़ेगी। मंत्री महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि रजिस्ट्री...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझसे फरमा रहे हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं। सभी माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी पर जो खरीददार है वह वैल्युएशन कम ही करना चाहेगा। यदि प्रापर्टी की मार्केट वैल्यू वाकई में पांच लाख है तो वह निश्चित रूप से उसको साढ़े तीन लाख ही असैस करेगा। और वह इसलिए असैस करता है कि हमने उसकी रेटें बहुत ऊंची रखी हैं, 10 परसेंट कर रखी है। पांच लाख पर पचास हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी हो जाती है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस तो अलग है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी अपने इंस्पेक्टर जनरल के आंकड़ों को देखें तो जो हमारी रेटें 10 से 11 हम करना चाहते हैं वे बहुत गैर वाजिब है, बड़ी अन्यायपूर्ण है। उससे टैक्स का इवेजन होगा, लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए निश्चित रूप से इसको वापस लिया जाना बहुत आवश्यक है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस मामले

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पर इस बात की ओर भी आकर्षित करूंगा कि कौनसा सब रजिस्ट्रार ऐसा है राजस्थान में जिसको रजिस्ट्री की पावर है और वह शाम को दो, पांच हजार रुपये घर नहीं ले जाता है ? कोई एक सब रजिस्ट्रार अपवाद स्वरूप हो तो हो।

श्री हरिसिंह (महुंवा) : मेरे यहां है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके यहां होंगे क्योंकि आप छांट कर ले गये होंगे किसी को। आप कोई छांट कर ले गये होंगे। (व्यवधान) कुलमिलाकर 90 परसेंट सब रजिस्ट्रार रोज शाम को दो से पांच हजार रुपये घर ले जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस रेट को आप कम करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वो ले लेगा तो फिर अपने लिए क्या बचेगा ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं लेता तो वो भी लेता। यह आपने ही आदत लगायी है। आधा परसेंट से एक परसेंट आपके राज में हुआ, एक परसेंट से दो परसेंट कमीशन भी आंपके राज में हुआ। हम इसको रोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप 11 करके रोकोगे, आपके सब रजिस्ट्रार की फीस 3 परसेंट हो चुकी है, माननीय हरिसिंहजी, आपको अभी अवगत नहीं है। अभी आपका जनता के सम्बन्ध कट गया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऐसा नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह ऐसा ही है। राजस्थान भर के सब रजिस्ट्रार के यहां यदि एक दिन आप गृह मंत्रीजी से बात करके छापे डालें तो शाम को सब के यहां चार हजार, पांच हजार और दस हजार रुपये मिलेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसको रोकना है तो जयपुर में एक ऐसा सब रजिस्ट्रार का आफिस कायम करिये कि जहां पर जो वैल्यू विक्रेता और क्रेता डिसक्लोज करते हैं उसी वैल्यू में रजिस्ट्री हो। उसके बाद में यदि वह अंडर वैल्यू पायी जाए, उसका मूल्यांकन कम किया गया हो तो निश्चित रूप से वहां पर बाद में आप कार्यवाही करें और उसकी वसूली भी करें। लेकिन यदि इन कानूनों में आप दस–दस गुना पैनल्टीज का प्रावधान रखेंगे तो निश्चित रूप से यह जो भी रिश्वतखोरी सब रजिस्ट्रार के दफ्तरों में चलती है यह चलती रहेगी।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका दायित्व है चूंकि वह विभाग भी आपके नीचे है। सब रजिस्ट्रार जो प्रायः तहसीलदार हैं या कहीं एस.डी.एम. हैं, इनमें जो ओपन रिश्वतखोरी राजस्थान में चल रही है उसको बंद करने का दायित्व भी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आप पर ही है। इसलिए आप इस कानून में बढ़ोतरी की बात नहीं सोचे, इस 10 परसेंट को 8 परसेंट करने की बात सोचे। 10 से 11 नहीं बल्कि 8 मेरा दावा है कि आपको निश्चित रूप से उसमें अभी जो कुछ आमदनी है उसमें 20 परसेंट इजाफा होगा, 8 परसेंट करने से होगा। मैं इसी मांग के साथ मेरे प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल। (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री रामप्रताप। आपको और बोलना है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड–30 के माध्यम से सरकार जो संशोधन लेकर आयी है राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 में, इसकी शिड्यूल सैकण्ड के अनुच्छेद 4 और 23 में, उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 23 के अन्दर स्टाम्प ड्यूटी जो पहले 10 परसेंट थी उसको सरकार 11 परसेंट कर रही है। हमारा जो संशोधन प्रस्ताव है वह 8 परसेंट का है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि शपथ–पत्र पर पहले पांच रुपये शुल्क था, उसको बढ़ा कर दस रुपये कर दिया। आज शपथ–पत्र की किस को आवश्यकता पड़ती है ? आज अगर राशन कार्ड बनाना है तो शपथ–पत्र दो, अगर आपको बच्चे को स्कूल में प्रवेश कराना है तो शपथ–पत्र दो। मैं समझता हूं कि इस शपथ–पत्र की स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा कर गरीब व्यक्ति की जेब काटने का काम सरकार कर रही है।

वित्त मंत्रीजी, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सवाल आपके सामने रखे हैं। मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि अब तो इस सरकार के अन्दर सब रजिस्ट्रार की रेट अलग है और अलग–अलग स्थान की अलग–अलग दर है। जिस तरह से बोली छूटती है उस तरह से पोस्ट छूटती है। आप चाहे सतर्कता आयुक्त की बात कर लें, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर लें। अभी मुख्य सचेतकजी कह रहे थे कि आपके समय में यह था, आपके समय में यह था, हमारे समय में क्या था और क्या नहीं था, वह तो अतीत की बात हो गयी, वर्तमान में क्या हो रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा निवेदन इतना ही है कि जो संशोधन हम लेकर आये हैं। इस संशोधन को स्वीकार करें। परन्तु इनकी आदत पड़ गयी है कि जिस किसी वर्ग को ये फायदा देना चाहते हैं उसके लिए कानून में संशोधन लाकर प्रचण्ड बहुमत के आधार पर इस तरह का कानून बना देंगे। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि शराब माफिया को लाभ देने के लिए पूरा कानून बदल रहे हैं 30 "क" के अन्दर। सभापति महोदय, सैल्स टैक्स डैफरमैंट स्कीम राजस्थान में चली थी, दस वर्ष का समय है उस स्कीम का। दस वर्ष का समय समाप्त हो गया, माडर्न सिंथेटिक्स,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डूंगरपुर में, वित्त मंत्रीजी, आपने कैसे रिबेट दे दी ? बारह साल हो गये, उसके लिए समय बढ़ा दिया। कम से कम इस तरह के काम मत करो। आपकी पारदर्शी सरकार है, आरपार सब दिखता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो मूल संशोधन हम लेकर आये हैं उस मूल संशोधन को आप स्वीकार करें और आठ प्रतिशत इसको करें। आठ प्रतिशत यदि आप करेंगे तो आपका जितना लक्ष्य है आय अर्जित करने का वह पूरा होगा। स्वयं इस सरकार ने कई बार कैम्पेन चलाया, आवास्रन मण्डल ने कैम्पेन चलाया, जे.डी.ए. ने कैम्पेन चलाया। आप एक बार एक वर्ष के लिए करके देखे लें, परिणाम नहीं आये तो अगले वर्ष दुबारा प्रस्ताव लेकर आना, बढ़ा देना।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो प्लीज। आपका संशोधन ही नहीं है आप कांहे पर बोल रहे हो ? विराजो।

श्री मदन दिलावर : मेरा संशोधन यह है कि एक ऐसे वित्त मंत्री विधेयक प्रस्तुत करे रहे हैं, जो + + + बजट लीक कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. रतन लाल जाट। (अनुपस्थित), श्री धर्मपाल चौधरी,(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान) पहले ही मना कर दिया इन्होंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्णय काफी सोच–समझ कर लिया गया है एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। यहां पर एक बात कहीं गयी थी कि 1998 के अन्दर कलेक्शन का साल था और तत्कालीन सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 7 प्रतिशत किया था उसके नतीजे बहुत ही अच्छे रहे। प्रथम रूप में तो इन्होंने उसको तीन माह के लिए किया था और बाद में उसको और बढ़ाया था। जो नतीजे आये, अक्टूबर में यह योजना समाप्त हो रही थी, सिर्फ अक्टूबर माह के अन्दर इजाफा हुआ था इसके पेटे। अक्टूबर में 43 करोड़ 39 लाख रुपया आया था और उसके बाद नवम्बर के माह में एकदम गिरकर यह 14 करोड़ 36 लाख रुपया रह गया। उस वक्त भी कोई वांछित नतीजे प्राप्त नहीं हुए थे। मैं ऐसा मानकर चलता हूं, मैं खुले दिमाग से बात कर रहा हूं, अगर इसके सार्थक नतीजे नहीं आये तो इसके ऊपर हम किसी भी वक्त विचार कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि पूर्व में लोगों के विचार थे, चाहे आप 7 प्रतिशत कर दीजिए, 5 प्रतिशत कर दीजिए, कम कीमत

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पर जिनको लिखाना है वे तो लिखाएंगे ही लिखाएंगे। जिनको पूरी कीमत के ऊपर रजिस्ट्रीनामा लिखाना है वे लिखाएंगे। गांवों के अन्दर पुराने वक्त में तो परम्परा थी कि जुबान से सौदे हो जाया करते थे। लेकिन वे जमाने गये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इस प्रकार के सौदे के अन्दर अब बहुत कमी आती जा रही है क्योंकि बेइमानी का भी थोड़ा–सा प्रतिशत बढ़ा है। मुझे खुद ध्यान है,मेरे इलाके धौलपुर के अन्दर जुबान से कागज के ऊपर बहुत किया, दो पंचों ने लिखवा दिया, कागज के ऊपर लिख दिया कि यह रनिंग है, इस तरह से सौदा हुआ है लेकिन वे चीजें अब रही ही नहीं, ये पास्ट की बात हो गयी। बेइमानों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए राजस्व को ध्यान में रखते हुए जो मैं प्रस्ताव लाया हूं वह बहुत सोच–विचार कर लाया हूं, मैं इसको वापस लेने में असमर्थ हूं, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–30 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, श्री सांवर लाल, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री रामप्रताप, डा. रतन लाल जाट और धर्मपाल चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–30 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–30 स्वीकार किया गया।

खण्ड–31 से 34 को संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–31 से 34 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–31 से 34 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीरता और विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दोनों चीजों का अभाव है।

श्री के.सी. चौधरी : माननीय सदस्य, आप न तो गम्भीर हैं और न विनम्र।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट बन रहा था तो वहां जोरदार तरीके से + + + चल रही थी। उस + + + के चलते समय बिजली गुल हो गयी और उस समय दस–बारह लोगों का आना जाना उस बजट खण्ड में था। उस समय यह बजट लीक हो गया। यह सर्वविदित है और यह सारे अखबारों में छपा है कि + + + के दौरान बिजली गुल होने से हुआ बजट लीक। फिर ऐसे बजट लीक करने वाले वित्त मंत्री वित्त विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब रहेगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह पुरानी बात हो गयी।

श्री मदन दिलावर : कोई पुरानी बात नहीं है। बजट लीक के जो आरोपी हैं, ऐसे अरोपी को तो सदन से बाहर होना चाहिए था। इनको दण्डित किया जाना चाहिए। ऐसे मंत्री महोदय ने यहां वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, यह आपत्तिजनक है। यह नहीं, कुछ महत्वपूर्ण लोग संदेह के घेरे में है। इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही ? एक आर.ए.एस. आफिसर तक इसके संदेह के घेरे में है जिसके सांनिध्य में दस–बारह लोग उस बजट कक्ष में आते–जाते रहे। बिजली गुल हो गयी लोगों को पता नहीं। यही नहीं, मिठाइयां भी बंटी हैं। बजट लीक करने में एक मंत्री का हाथ, कौन है मंत्री ? वित्त मंत्रीजी, लगता है वह आप हैं या कोई और हैं ? क्या जांच की थी इस बात की ? कमरे में मिठाइयां बंटी। या तो इस बात की मिठाइयां बंटी कि जो बजट आउट हो गया उससे व्यापारियों को लाभ हुआ है करोड़ों रुपयों का। उससे जो आपको मिला है उसकी खुशी में आपने मिठाइयां बांटी हैं। या आपका कोई दुश्मन है, उसने बजट लीक करके आपको नीचा दिखाने के लिए मिठाइयां बांटी हैं। इस बात की जांच हुई क्या ? वह कौन मंत्री है जिसने मिठाइयां बांटी है ? या तो वह मंत्री आप हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये का सौदा हो जाने की खुशी में मिठाइयां बांटी हैं या कोई दूसरा मंत्री है जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए मिठाइयां बांटी है। यही नहीं, श्रीमान् "रात भर होती रही वित्तीय मंजूरियां" क्यों हुई वित्तीय मंजूरियां ? कोई पहाड़ टूट जाता क्या ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्जनम् प्रथमम् बन्दे सज्जनम् तदनन्तरम्।

श्री मदन दिलावर : यदि वित्तीय मंजूरियां नहीं होती तो दूसरे वित्तीय वर्ष में हो जातीं मंजूरियां, परन्तु यह बात पता थी कि बजट में इस प्रकार का पता चल गया दो दिन पहले, एक दिन पहले, जब कल खरीद–फरोख्त होगी उसमें लाखों रुपये घटा और बढ़ा सकते हैं, लाखों रुपये मुनाफा कमा सकते हैं, घाटे से बच सकते हैं। इसलिए आपने यह बजट लीक करवाया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की धरती पर यह पहली बार हुआ है, और यह संसदीय परम्पराओं का बड़ा अपमान हुआ है। वित्त मंत्री महोदय, यदि आप में थोड़ी भी नैतिकता है, दिखने में तो बहुत अच्छे मंत्री लगते हैं, यदि आप में थोड़ी भी नैतिकता है और राजस्थान को आप आपसे बड़ा समझते हैं, इस राजस्थान के लोगों के हितों को अपने हितों से बड़ा समझते हैं तो तुरन्त आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देते हो तो संजीदा जो मुख्य मंत्री हैं उनको तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं तो परम्परा क्या पड़ जाएगी, मंत्री महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ? आप बोलेंगे, सुरेन्द्रजी ?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह हो जाएगी कि कोई भी वित्त मंत्री कल आएगा और बजट को चौराहे पर आउट करके कहेगा कि मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जब प्रद्युम्नजी का कुछ नहीं किया तो मेरा क्या कर सकते हैं। यह गलत परम्परा हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरन्त इस्तीफा देकर अभी आप बाहर चले जाएं, और दूसरा कोई भी वित्त मंत्री बन् कर जो शेष बचा है उसको पास करवा लेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की कोई लम्बी चौड़ी मांग नहीं है। दो शब्दों में इन्होंने यह कहा है कि वित्त मंत्रीजी इस्तीफा देकर बाहर चले जाएं। वित्त मंत्रीजी, क्यों मोह है आपमें ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय का सिर्फ इतना–सा कहना है कि दुर्जनम् प्रथमम् वन्दे, सज्जनम् तदनन्तरम्, दुर्जन को पहले नमस्कार और बाकी सबको बाद में है ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए सदन में आते ही आपको नमस्कार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को पारित किया जाए ? जो पक्ष में हो, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री उपाध्यक्ष : जो विपक्ष में हो ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को पारित किया जाए ? जो पक्ष में हो हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री उपाध्यक्ष : जो विपक्ष में हो ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां पक्ष जीता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप वोट कराइये, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिवीजन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : We want division.

श्री उपाध्यक्ष : काहे का डिवीजन मांग रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिवीजन व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बाइस वोट से आप करवा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें डिवीजन का क्या प्रश्न है ? दिख रहा है न सामने आपको ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं दिख रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : दिख रहा है न ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ध्वनिमत से सदन में चेयर ने कई दफा रूलिंग दी है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कई माननीय सदस्य बोल नहीं रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चेयर ने दे दी, चेयर यह कह दे कि आप इस्तीफा दे दो तो आप दे दोगे क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल, चेयर आदेश दे न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लो, साहब आपके हाथ में इतना बड़ा हथियार दे दिया है अब तो।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो इसको पास करो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसको पास करने से पहले डिवीजन कराइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन तो दिख रहा है न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नो, नो, यह, उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप दुबारा पूछ लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आन रिकार्ड आना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिकार्ड में आना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शराब माफिया के जो पक्षकार हैं वे सामने आने चाहिए। इनका चेहरा सामने आना चाहिए। सारे कानून के संशोधन शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि डिवीजन हो, रिकार्ड बने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिकार्ड कराएंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : खड़े कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह रिकार्ड नहीं है। रिकार्ड होगा किस–किस मैम्बर ने इसका समर्थन दिया है, किस मैम्बर ने इसका विरोध किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैम्बर तो खड़े होंगे तो दिख जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह खड़ा करने से नहीं होगा। यह आप परम्परा मत तोड़िये।

श्री उपाध्यक्ष : नियम में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम है मुझे मालूम है। ये नियम मेरे बनाये हुए हैं, मेरे पढ़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके बनाये हुए हैं वही रिपीट...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत हो तो समय बढ़ा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन यह स्पीकर के डिस्क्रिशन पर है। अगर ऐसे विषय पर रिकार्ड नहीं होगा...

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड होगा न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : गिनेंगे इनको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गिनेंगे नहीं, नाम आने चाहिए, दस्तखत आने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे आ जाएंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा ध्वनिमत से करवा लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको इसमें दिक्कत क्या हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : इनको गिनकर आपको इनकी संख्या बता देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोर्ड पर आ जाएं एक बार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोर्ड तो यह चालू ही... (व्यवधान) डिवीजन तो जब करें कि एपेरेंटली यह लगे कि there is some tight competition काम्पीटिशन ही नहीं है तो क्या डिवीजन करना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, मेरा सुन लो। यह है टैक्स का मामला। आप एक मिनट बैठ जाएं तो मैं बोल लूं। यह है टैक्स का मामला और टैक्स के मामले में किस आदमी ने टैक्स का समर्थन किया है, किस आदमी ने विरोध किया है। It should go on record. अब यह रिकार्ड पर...

श्री उपाध्यक्ष : It will go on record.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यह रिकार्ड पर कैसे जाएगा ? आप यह कहोगे सदन के सदस्यों को कि आप खड़े हो जाओ, आपको अच्छा लगेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा तो कानून बना है ...(व्यवधान) अच्छा क्या करेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रक्रिया है यह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि हमने गलती नहीं की है। आप तो कल कहोगे कि बैंच पर खड़े हो जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : बैंच पर काहे को खड़ा करूंगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न बैंच पर खड़े होंगे न यहां खड़े होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन बहुत अच्छी तरह से चला है, हमने आपको हर जगह सहयोग किया है। हम इस बात को रिकार्ड करना चाहते हैं कि इन्होंने जो टैक्स लगाया...

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड होगा न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह रिकार्ड नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे नहीं होगा ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : होगा न, आप विरोध कर रहे हैं, हम हां कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां दस्तखत होंगे। कोई मैम्बर यहां खड़ा करके आप कहें तो यह इंकार कर सकता है कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किये, मैं इसके समर्थन में नहीं था, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। इसलिए यह रिकार्ड होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : गिनती कर रहे हैं न... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गिनती का सवाल ही नहीं है। इसमें क्वेश्चन दो तरह का है, लॉबी में जाएंगे, लॉबी में...(व्यवधान) रिकार्ड होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो ध्वनिमत से कर लो दुबारा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आपका डिस्क्रिशन है, मैंने समझ लिया है, लेकिन यह रिकार्ड होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : होगा न रिकार्ड।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने आज तक कभी नहीं मांगा है, लेकिन यह टैक्सेशन का मामला है। देखिये, इतना बता दूं आपको।

एक माननीय सदस्य : रामस्वरूप जी आ गये हैं सदन में अब।

श्री रामस्वरूप : हां, आ गये हैं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके लिए डिवीजन नहीं कराएंगे।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नियम साफ है, आप पढ़ो न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे भी पढ़े हुए हैं नियम।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ही बनाये, उसको पढ़ें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने बनाये हैं इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन भी जानता हूं। आप देखिये, एक तो मैजोरिटी और माइनोरिटी का क्वेश्चन है। यह बिलकुल क्लीयर है कि उस साइड की मैजोरिटी है लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि इस सैल्स टैक्स बिल का किस—किस ने विरोध किया और किसने समर्थन किया। इस बिल में दो बातें खास तौर से आयी हैं, एक तो आपने रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई, दस से ग्यारह परसेंट किया। दूसरा आपने जिन लोगों में बकाया हैं उनको रियायतें दीं। इन चीजों का समर्थन कौन करता है, कौन नहीं करता है...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पता पड़ जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह संख्या से नहीं कह रहा हूं मैं, रिकार्ड से मैं कह रहा हूं, रिकार्ड पर आना चाहिए कि हमने इसका विरोध किया था। भैरोंसिंह ने इसका विरोध किया, यह रिकार्ड पर कैसे आएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आ गया न, आपने बोला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आएगा। यह मैं बोल रहा हूं उससे ही आएगा लेकिन डिवीजन के नाते नहीं आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपसे रिक्वैस्ट है कि हमारा इसमें चार्ज या कोई आरोप—प्रत्यारोप का मामला नहीं है, यह मैम्बर्स की सुविधाओं का मामला है इसलिए आप इसको डिवीजन करा दें। एक बात तो होने दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इतने विद्वान हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विद्वान नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कानून बनाये हैं उस कानून से हम चल रहे हैं। यह तो स्पष्ट दिख रहा है कि इनकी मैजोरिटी है और आपको संख्या बता देंगे कि इतने पक्ष में और इतने विपक्ष में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, संख्या नहीं, हम रिकार्ड कराना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वोट तो सब कांग्रेस के मैम्बर पक्ष में करेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कांग्रेस के पक्ष में, ये नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खड़े हो जाएंगे न सब। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये ही नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : जो नहीं करेगा, बैठा रह जाएगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं है।

श्री सी.पी.जोशी : आप हैंड काउंट कर लें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको इसमें परेशानी क्या है ? अब तक तो हो ही जाता यह।

श्री सी.पी. जोशी : आप हैंड काउंट कर लें। हाथ खड़ा कर देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाथ खड़े करो सब। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप देखिये, इस एक काम में ही कांग्रेस ने दोनों हाथ ऊंचे कर दिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां तो आने दो न हमारे साथियों को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी इस हालत पर तो मुझे दया आती है। कोई संदेह नहीं है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप ध्वनिमत दुबारा करवा लें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप यदि चाहें तो मैं खड़ा करके गिनती करा सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नो, डिवीजन।

श्री राजेन्द्र पारीक : ध्वनिमत दुबारा करवा लें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनके नेता का तो आ गया, हमारा कैसे आएगा ? (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : विरोध वालों को खड़ा करवा दीजिए, पक्ष वाले ठीक हैं न ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यदि हम डिमाण्ड रखेंगे तो कराना पड़ेगा। साफ से क्या मतलब है ? साफ का मतलब क्या होता है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, कानून में प्रावधान है, नियमों में प्रावधान है, डिवीजन करवा लीजिए आप। (व्यवधान) लॉबी क्लीयर करा लीजिए, डिवीजन करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इतनी देर में तो डिवीजन ही हो जाता, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डिवीजन का सवाल नहीं, मुझे दे दीजिए एक मिनट। मेरा निवेदन यह है कि इसमें केवल गिनती का सवाल नहीं है, इसमें सवाल यह है कि जो टैक्स माफ किया जा रहा है वह एक विशेष प्रकार के वर्ग के खिलाफ है और उनको यह फायदा पहुंचाया जा रहा है। हाउस की यह मान्यता है कि इस प्रकार का यह पास नहीं होना चाहिए। मैं एक पक्ष में हूं कि उनको रियायत नहीं मिलनी चाहिए। तो माननीय सदस्य इस बात के और भी हो सकते हैं कि उनको रियायत न मिले। (व्यवधान) इस बात की जानकारी आना जरूरी है, केवल गिनती का सवाल नहीं है। (व्यवधान) केवल गिनती का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी क्यों कर रहे हो आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसे इस काले कानून को पास करने के पक्ष में कौन है, कौन नहीं है ? यह आवश्यक है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई काला कानून नहीं है। (व्यवधान) कोई काला कानून नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम सब इसके पक्ष में हैं। हम सारे पक्ष में हैं इस बढ़िया कानून के। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हम सब एक हैं, हम सब पक्ष में हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जो नहीं हैं वो वाकआउट कर गये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वाकआउट आसान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक काम कर दीजिए, दोनों के बीच में एक रास्ता है है कि आप सबके दस्तखत करवा दीजिए यहां पर...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कौनसा तरीका निकाला है ?

श्री सी.पी.जोशी : जरूरत ही नहीं है। दस्तखत की नयी परम्परा क्यों ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां कर देंगे। (व्यवधान)

डा. कमला : उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड तो हो ही रहा है कि प्रतिपक्ष खिलाफ में है और सत्ता पक्ष हां में है, तो रिकार्ड तो हो ही गया, अब और क्या रिकार्ड करवाना चाह रहे हैं ? (व्यवधान) रिकार्ड तो हो ही रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको परेशानी क्या हो रही है ?

डा. कमला : प्रतिपक्ष ने विरोध किया तो वह संख्या हो गयी और नाम हो गये और सत्ता पक्ष ने इसका प्रतिपादन किया तो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, एक मिनट...

डा. कमला : उनके नाम हो गये, संख्या हो गयी, अब और क्या रिकार्ड कराना चाहते हैं ? अगल से क्या रिकार्ड होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप यदि विभाजन कराना चाहते हैं तो मैं इनको खड़े करके करा सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, नाम लिख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नाम क्या लिखें, नाम तो है न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम कैसे नहीं लिखें ? नाम का ही तो सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : नाम काहे पर लिखूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम का ही तो सवाल है कि ये शराब माफियाओं को टैक्स की माफी देने के पक्ष में हैं। यह है सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : नाम लिखने का कोई प्रोविजन ही नहीं है इसमें। इसमें क्या प्रोविजन है नाम लिखने का ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप लिखवा दीजिए, नाम लिखवा दीजिए। संकोच क्यों हो रहा है ?

श्री सी.पी.जोशी : कोई प्रोसीजर ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब वोट ही दे रहे हैं तो संकोच किस बात का हो रहा है ? (व्यवधान) संकोच किस बात का ?

(17.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सेंट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेज ने इसी पैटर्न के ऊपर यही स्कीम दी हुई है जो मैंने दी है। भारत सरकार ने दी है। मैं देता हूं तो काला कानून है...(व्यवधान) सफेद कानून है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कानून में दी है... (व्यवधान) शराब माफियाओं को नहीं दी है। (व्यवधान) एक्साइज में नहीं दी। यह प्रिंसिपल आप कह सकते हैं पर एक्साइज में नहीं दी। अलग–अलग वर्गों में अलग–अलग बात है...(व्यवधान) एक्साइज में कभी नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 पारित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शराब माफिया जीत गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह माना जाए कि शराब माफिया जीत गये, हम हार गये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : शराब माफियाओं की जीत हुई। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

जयपुर विकास प्राधिकरण(संशोधन) विधेयक, 2001

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री रहते कुछ कर लेते।

विधयेक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या कर लेते ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो संशोधन बिल लाये हैं इसके पीछे हेतु क्या है ? आपने सैक्शन चार में यह संशोधन किया है कि जो कमेटियां बनेंगी, अगर कोई अथोरिटी कमेटी बनती है किसी विशेष काम के लिए और वह जो निर्णय करती है उस निर्णय को आप माडिफाई कर सकते हैं। आपके जे.डी.ए. एक्ट का सैक्शन–4 उसका सब सैक्शन 3, वह मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूं, "(3) The Chairman of the Authority shall supervise and control all the activities on behalf of the Authority and shall execise such powers and perform such duties as are conferred on him under this Act and exercise such other powers and perform such other duties as the Authority may, by regulations, from time to time determine." सैक्शन 3 में सारे अधिकारी चेयर में वेस्ट करते हैं। आपको पूर्ण अधिकार हैं, आज भी पूरे अधिकार हैं। वह कमेटी आपकी बन जाएंगी तो कमेटी बनायेगी अथोरिटी, कमेटी का निर्माण करती है अथोरिटी। वह क्या काम करेगी उसका भी निर्णय अथोरिटी करेगी। आप उसके चेयरमैन हैं, आपका अथोरिटी पर ही कंट्रोल नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत जो कमेटी बनेगी उस पर भी आपका कंट्रोल है। तो फिर इस अमैंडमैंट की क्या आवश्यकता आप अनुभव कर रहे हैं ? आपको आलरेडी सारे के सारे पावर्स हैं। कंट्रोल सुपरविजन सब आपका है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि सुपरफ्लुअस अमैंडमैंट काहे के लिए ला रहे हो आप ? फिर भी अगर आप लाना ही चाहते हो तो उसमें आप दो बातों का

(श्री भंवरलाल शर्मा)

खयाल रखें। एक तो कि आप उसमें किसी कमेटी के डिसीजन को माडिफाई करेंगे और माडिफाई करने का अधिकार आपको नहीं है। जब तक अथोरिटी की मीटिंग में वह कंफर्म नहीं होगा तब तक वह माना नहीं जायेगा। अब स्थिति यह बनेगी कि आपने माडिफाई तो कर दिया, वह आपकी अथोरिटी में आया नहीं, तो इस बीच में स्थिति क्या होगी ? उस निर्णय का क्या होगा जो कमेटी के पास आया है ? उससे रुकावट आएगी, स्टे हो जायेगा। और स्टे नहीं हुआ और एग्जीक्यूट हो गया और अथोरिटी ने आपकी बात को माना नहीं तो कैसी एम्बीग्यूअस पोजीशन हो जायेगी ? इसलिए पहला तो यह है कि आपको इसको लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई डिफिकल्टी फील कर रहे हैं तो फिर इसमें आप यह कर दीजिये कि कार्यवाही स्टे रहेगी और पहली जो मीटिंग होगी अथोरिटी की सबसे पहली मीटिंग उसमें उसको रेटीफाई करवाएंगे ताकि बहुत देर दिमाग में लटका न रहे। आपकी जो मंशा है कि आपकी बनाई हुई कमेटी गलत काम कर देगी और उसको माडिफाई करना पड़ेगा, अगर आप माडिफाई करना चाहते हैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं हैं, फिर भी आप समझते हैं कि कुछ पावर्स और लूं जैसे कि सामान्यतया आपकी पार्टी की यह इच्छा रहती है कि सारे पावर्स अपने पास रखें। हम ही सारे अधिकार अपने पास रखें। वैसे तो आलरेडी उनको दिया हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि या तो इसको आप लाइये मत और लाते हैं तो with this additional amendment यह आप कर दीजिये कि जब तक कमेटी में नहीं जायेगा वह एग्जीक्यूशन स्टे रहेगा और पहली मीटिंग में आप उसको रेटीफाई करा लेंगें। वरना आपका पर्पज साल्व नहीं होगा इससे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। आगे आपने सैक्शन 25 में यह किया है– "The Authority or the Nagar Nigam, Jaipur, or any other body or Committee, as may be authorised by the State Government in this behalf, may in order to promote planned development of any part of the Jaipur Region in more efficient a manner, make such modifications in land us of the Plan for such area, as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette." जयपुर रीजन का जो एरिया है उसमें अथोरिटी, निगम ये दो तो हैं ही, फिर any other body or committee, यह आप और बना देंगे। एबव अथोरिटी, निगम के ऊपर दो कमेटियां सरकार और बना देगी और वह किसी भी क्षेत्र में जो जयपुर रीजन का काम है, एफिसियेंटली काम करना शुरू कर देगी। इसका मतलब हुआ कि नगर निगम का जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्षेत्र है उसमें भी यह कमेटी कर देगी और नगरपालिका का निगम को आप माइनस कर देंगे। जो निगम का क्षेत्र है जहां चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, उनके अधिकारों को आप क्यों छीनना चाहते हो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको बता दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं बताने के लिए ही तो बता रहा हूं कि आप बता दें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप अथोरिटी पर और निगम पर भरोसा न करके इंडिपैंडैट दो पार्टियां और बनाना चाहते हैं, ऐसा आप अनुभव करते हैं तो जो निगम है उस क्षेत्र का काम तो निगम ही करे, उसको एक्सक्लूड कर दीजिये इसमें से आप। निगम के क्षेत्र में आपकी बनाई हुई कमेटी काम न करें, यह आवश्यक है वरना तो क्या होगा कि जो इलैक्टेड बाडीज हैं उन पर यह सुपरविजन करेंगी। आप इनके अधिकार छीन रहे हैं, ऐसा आभास होता है। यदि करना ही है तो आप कर दीजिये क्योंकि जयपुर रीजन का एरिया बड़ा होता है, अथोरिटी शायद काम न कर पाए। आप कोई दो कमेटियां बनाकर उसका विकास करना चाहते हैं तो करिये। लेकिन नियमित क्षेत्र में अपना काम निगम करें इतनी पाबंदी लगा दीजिये।

फिर आप आगे एक बड़ा खतरनाक अमैंडमैंट लेकर आये हैं 32 में— "...(i) in sub-section (1), for the existing expression 'within three years', the expression 'within ten years' shall be substituted;..." आपने यह तय किया कि यदि कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट हो गया और तीन साल निकल गये। आज की कानून व्यवस्था यह है कि तीन साल पूरे हो गये। कोई ऐसा काम हो भी गया है और तीन साल निकल गये हैं तो अब उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अब आपने कहा है कि 10 साल पहले भी अगर कोई काम हुआ है तो उसमें भी हम एक्शन लेंगे। तीन साल का तो आपने प्रोविजन पहले कर रखा है, अब उसको आप 10 साल तक वापस ले जाना चाहते हैं। तीन साल निकले के बाद जिस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे जो बनाना था बना लिया और अब तीन साल निकलने के बाद कोई इल्लीगल चीज नहीं रही। उसने और कंस्ट्रक्शन कर लिया अपनी बिल्डिंग पर, जो पहले रैगुलराइज है एक तरह से। अब फिर तोड़ना चाहेंगे। यह 10 साल तक की बात करके आप जनता के सर पर तलवार लटकाना क्यों चाहते हैं ? इसका क्या पर्पज है ? अलबता तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए। सरकार जब प्रत्येक क्षण काम करती है उसके बाद भी अगर बनता है और तीन साल के अन्दर—अन्दर उसका निपटारा अगर नहीं करते हैं तो अब आप 10 साल का खाता खोलना चाहते हैं। यह तो लोगों के साथ

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बहुत अन्याय होगा। तीन साल निकलने के बाद जो उसको एक तरह से अधिकार मिला गया, एक तरह से रैगुलराइज हो गया उसका काम, अब उसको आप तोड़ने की बात 10 साल पहले करके करना चाहते हैं। यह बहुत गलत होगा और जनता को आवश्यक रूप से एक परेशानी में डालेगा।

आपने एक कमेटी बनाई है, सैटलमैंट कमेटी, यह अच्छा काम है। लेकिन इसका चेयरमैन कौन होगा, यह तय नहीं किया है। यह जो कमेटी होगी यह दोनों पक्षों से बात करके सैटलमैंट करा देगी, बहुत काम सरल हो जायेगा। लेकिन इसका चेयरमैन कौन होगा, यह आपने तय नहीं किया है। यह जो कमेटी होगी वह पंचायत करके फैसला करेगी। It will be binding upon the Authority. वह बाइंडिंग ही है उस पर। मेरा निवेदन है कि आप जो इतना काम करेंगे तो उस कमेटी का चेयरमैन भी कोई बड़ी हैसियत का व्यक्ति होना चाहिए। वह आपने डिफाइन नहीं किया है। मेरा सुझाव यह है कि इसमें हाई कोर्ट के रिटायर जज चेयरमैन हो। वह जज जुडीशियल फैसला करेगा और उसकी बाइंडिंग उन अधिकारियों पर होगी तो वहां काम करते हैं। वह मान्य भी होगा क्योंकि वह उनसे सुपीरियर क्लास का व्यक्ति होगा, इसमें विश्वास जमा रहेगा और काम भी होगा। कमेटी आपने बनाई वह ठीक है लेकिन इस प्रकार के लोगों को दायित्व नहीं दिया तो यह सम्भावना रहती है कि यह काम शायद ठीक नहीं होगा।

ये मेरे दो–तीन सुझाव थे। आपके निगम की सोवरीनटी बची रहे, चुने हुए प्रतिनिधि अपना काम करते रहें। उनकी मदद के लिए आप कोई भी काम करिये, लेकिन आपकी जो मंशा इससे जाहिर होती है वह यह होती है कि आप कोई ऐसी कमेटी बना देंगे जो निगम और अथोरिटी इन दोनों के ऊपर भी काम कर सकती है। पिछले अनुभव इस प्रकार के रहे हैं कि निगम को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए वहां के अधिकारियों को यदि सर्वेसर्वा बना देते हैं अलग से उनको आदेश देकर, तो निगम के स्वामित्व को खतम करते हैं। कई बार आपके नोटिस में भी आया है, आप दखल भी करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में निगम की जो इंडिपेंडेंस है वह खतम नहीं हो, इसलिए अगर आप यह लाते भी हैं तो निगम को इससे बाहर कर दीजिए। अपने एरिया में निगम काम करे तो ठीक है, फास्ट इम्प्रूवमैंट हो, कोई दिक्कत नहीं है।

शुरू में जैसा मैंने आपको कहा कि सारे अधिकार आपके पास हैं फिर भी आप समझते हैं कि कुछ और अधिकार आने चाहिए। अखबारों में कल आएगा कि शांतिलालजी धारीवाल के पास ये अधिकार और आ गये, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन उसमें फिर यह राइडर लगा दीजिए कि आप जो माडिफाई करेंगे, वह जो आपका निर्देश होगा उसका एग्जीक्यूशन जब तक कि अथोरिटी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के पास न हो तब तक न हो। वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। माडिफाई एग्जीक्यूशन से हो गया और मना कर दिया, अथोरिटी ने तो ? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसका खयाल भी आप रखिये कि जो स्वतंत्र निकाय है उसका स्वतंत्र अस्तित्व बचा रहे। फिर उसके हिसाब से आप काम करें, यह मुझे आपसे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादडी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य बिन्दू थे उन पर तो हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो धारा 32 आप लाना चाहते हैं, अब तक तो यह था कि 3 साल पुराने कंस्ट्रक्शन थे, यदि उनको तोड़ने की कार्यवाही करते तो उसे कम से कम न्याय के लिए तो कहीं जाने का अधिकार था। यह यदि आपको एक्वायर भी करना पड़े तो कम से कम उसे पैसा मिलेगा, उसकी मदद होगी। अब तो आप कानून के द्वारा 10 साल पुराने तक चले जाएंगे। तो जिन लोगों ने अपने मकान बना रखे है, आप इस कानून में परिवर्तन के बाद उनको बिना कोई राहत दिये अपना बुलडोजर घुमा सकते है, अगर यह मंशा है इसके पीछे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसका 100 प्रतिशत ईमानदारी से पालन किया जाए। जिन्होंने भी बना रखे हैं बिना स्वीकृति के 10 साल पहले भी उसको 100 प्रतिशत तोड़ने जाते हैं सबको, अगर यह मंशा है तब तो मुझे कहना नहीं है। या केवल लोगों को भय दिखा कर परेशान करने की मंशा है ? या तो आप आज इस बात को स्पष्ट कर दें कि 10 साल पहले के जितने भी इस प्रकार के बने हुए हैं उनको एक ही कलम से तोड़ेंगे। वह किसी का भी बना हो, उन सबको धराशायी कर दें तब तो किसी को कोई एतराज नहीं। सामान्यतः कानून का जो प्रावधान है वह 3 साल का था, उसे आप पुराने 10 साल में ले जा रहे हैं, इस बहुमत के आधार पर। अगर सर्वसाधारण व्यक्ति को परेशान करने की आपकी मंशा है, मानसिकता है तब तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य चाहे पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, क्योंकि यह दोष उसका तो है ही कि उसने बना लिया लेकिन उसको बनाते समय देखने वाले लोग भी तो कोई थे, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी कभी इस बारे में कोई नोटिस या कोई कार्यवाही, कोई कुछ किया क्या ? उस समय तो कुछ नहीं किया, ले—देकर सबने अपने पेट भरे और सारा दण्ड उस गरीब के माथे लगना है जिसने किसी भी तरह से इस प्रकार की जो इर्रेगुलर कालोनियां बनी हैं, उन कालोनियों में मकान बनाकर रख लिया, आज उनका विकास कर लिया और आपने उनको सब तरह की सुविधाएं जुटा दीं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके बाद आप इस कानून के माध्यम से उसकी गरदन पर ऐसी तलवार लटकाना चाहते हैं जिस तलवार से मारेंगे तो नहीं, लेकिन उसको भयभीत करके रोज उसका शोषण करने का काम करेंगे। यह कानून की मंशा कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर कानून की मंशा यह है तो आप निश्चित रूप से विचार कीजिये, इस मंशा से कानून बनाने से हम किसी भी स्थान की और किसी भी जगह की कोई मदद नहीं कर पाएंगे।

इसी तरह से प्लान माडिफिकेशन के बारे में आप लाये हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि जो आलरेडी एप्रूव्ड प्लान है, और उस प्लान में अपना मकान या अपनी दुकान या जो कुछ भी बनाया है, अब आप एप्रूव्ड प्लान को मान लो हटाएंगे तो उसको कम से कम मुआवजा तो मिले, कम से कम उसे और सुविधा तो मिले। आप तो एप्रूव्ड प्लान को भी बदलने की ताकत इस कानून के तहत लेना चाहते हैं। इसका मतलब यह होगा कि मर्जी आए उसी का उजाड़ दो। आपके पास कानून का अधिकार आ गया, उसको न रोके की जरूरत है। वह रोये तो उसकी कोई सुने नहीं, न कानून में उसकी कोई सुने और न कोई और उसकी तकलीफ को सुने। अगर इसी प्रकार का कानून बनाकर जंगलराज बनाने की आपकी मंशा हो तब तो ठीक है। अभी आप उसको उजाड़ लें इस कानून के तहत। इस प्रकार के जो बसे हुए हैं वे आपकी स्वीकृति से बसे हुए हैं, आपके एप्रूव्ड नक्शे से बनाए हैं। उसकी आपको यदि जरूरत है तो आपको कौन रोकता है ? अगर आप किसी बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं, आपके पास प्रावधान है, आप उस बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं। पर कम से कम मुआवजा प्राप्त करने का तो उसका हक है, उसे कम से कम यह तो कहने का हक है। अब आप तो इसमें इस प्रकार का अधिकार भी ले रहे हैं इससे उसका धन और धर्म दोनों जाएगा और उसके लिए कोई कहीं जाकर रोने की जगह भी नहीं मिलेगी।

अगर इस प्रकार के कानून बनाकर आप शहरों को सुन्दर बनाना चाहते हैं तो शहर तो सुन्दर जरूर बना जाएगा, बाहर से आने वाले आदमी को तो बहुत सुन्दर लगेगा लेकिन जिसके पसीने का पैसा वहां लगा है, आपका और मेरा भी उजड़ेगा उसे कितनी पीड़ा होती है ? उसकी पीड़ा को वही कह सकता है। अपने में से किसी का मकान टूटा होगा तो उसे महसूस होगा कि क्या होता है। इन दोनों के अन्दर आप जरूर अंतर करिये। कम से कम जो एप्रूव्ड कालोनी है उन एप्रूव्ड कालोनियों के लिए भी जिस प्रकार से बदलाव ला रहे हैं, उसमें क्षतिपूर्ति से उनको वंचित करने की मंशा है, इस पर तो आप विचार करें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह। (अनुपस्थित), श्री हरजीराम बुरड़क। (अनुपस्थित)। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण के इस अधिनियम में कई कारणों से संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई। जैसा अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, आप तो स्वयं आठ–दस साल तक इस महकमे के मंत्री रहे, मैं यह समझता हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार जो डवलपमैंट आप कहना चाहते थे, उसमें कितनी मुश्किलें आपको आया करती थी। उसी का कारण है कि मैंने 12 धाराओं में संशोधन मांगा है। लेकिन आप सिर्फ एक–दो में बोल कर रह गये, आप पूरी 12 धाराओं में नहीं बोल पाये क्योंकि आप इसकी मंशा को समझ गये कि मोटे तौर पर इन संशोधनों की मंशा विकास की है कि जयपुर रीजन में विकास हो, यह प्रगति करे, यहां का सौन्दर्यीकरण हो। कृषि भूमि पर बने निर्माणों का नियमन करने के लिए कानून बनाया। आपने खुद ने देखा होगा कि पांचों कानूनों में परिवर्तन करने के बाद में वह कुछ सम्भव हो सका और आज वह चल निकला।

भू–उपयोग परिवर्तन के लिए बात आई कि भू–उपयोग परिवर्तन कौन करेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण पहले पूरे जयपुर रीजन में भू–उपयोग परिवर्तन करता था। हमने इसमें यह प्रावधान किया कि नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम करेगा। जैसा आपने अभी कहा, वैसा का वैसा। इन सब चीजों की आवश्यकताओं को देखते हुए वहां के प्रशासनिक कारणों से जिनसे उसका प्रशासन सुदृढ़ हो, साफ–सुथरा हो, इन सब बातों को लेकर यह संशोधन मैं लेकर आया हूं। मैं समझता हूं कि इसमें आपकी मदद की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता के अनुसार कानून बने, नियम बने और उन नियम और कानूनों का सख्ती से पालन हो और आम जनता जो कि निर्माण में इंटरेस्टेड रहती है, अपना निर्माण कार्य करती है वह बिल्डिंग बाइलाज के विनियमों को देखते हुए कुछ काम कर पाये, मोटे तौर पर मंशा है। इसमें कहीं यह मंशा नहीं है कि किसी के अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं या किसी के अधिकार नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। आपने सैक्शन 4 (3) पढ़कर सुनाया, यह सैक्शन 4 (3) आपने 10 साल तक खूब पढ़ लिया, उसका नतीजा क्या निकला ? उसका नतीजा यह निकला कि आपके आदेशों की पालना जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं करता था। बीसों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक बता दें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बीसों एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें आपकी मंशा क्या थी और वहां होता क्या था। तो मंत्री की जवाबदारी रहती है...(व्यवधान) एक सैकण्ड, मुझे कम्प्लीट कर लेने दीजिए, मैं एक ही सेंटेंस कहना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह फाइनल डिसीज़न है। आप जो अधिकार ले

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रहे है वो तो मैं कहता हूं आलरेडी आपके पास है। जो निर्माण करेगी, अथोरिटी, उसके डिसीजन को माडिफाई करने का ही तो अधिकार ले रहे हो, कि उसका कोई डिसीजन होगा उसको माडिफाई कर सकते हैं आप। माडिफाई करने का भी अधिकार आपको पूरा नहीं है, तो भी फिर आपको अथोरिटी में जाकर उसको पास करना पड़ेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : फिर एग्जीक्यूटिव के पावर क्यों लिमिट करना चाहते हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो अथोरिटी में जाएं न वहां। अथोरिटी जाने दीजिए, लेकिन उसकी जो प्रोब्लम आयेगी वह यह आयेगी कि आपने इसको माडिफाई किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब ये आपके कंट्रोल से बाहर हुए तब से इस तरह के कानून लाने लग गये। आपके कंट्रोल में थे तो नहीं लाते थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माडिफाई तो आप करेंगे न ? माडिफाई जो आप करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो वैसे भी गलती होगी। आप माडिफाई करके जो पहली मीटिंग हो जे.डी.ए. की उसमें पास करा दीजिए उसको फिर। अगर कानून लाना ही चाहते हैं तो मैंने तो यह कहा आपसे।

निगम के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं आपको कि आप जो लाये हैं उसका विरोध मैंने नहीं किया, पर निगम क्षेत्र में निगम ही काम करे, इसकी आप व्यवस्था कर दीजिए। निगम क्षेत्र में निगम ही विकास करेगी, यह व्यवस्था कर दीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जैसे-जैसे आपके अमैंडमैंट आते जाएंगे मैं बोलता जाऊंगा उन अमैंडमैंट्स के बाबत। (व्यवधान) आप फर्स्ट रीडिंग पर ही बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि या तो संशोधन खण्डवार ले लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारा ही खण्डवार आ रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तीन साल का दस साल कर रहे हैं न आप।

श्री उपाध्यक्ष : खण्डवार आ रहा है। आप इसको निपटाओ तो दूसरा खण्ड बोलूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो निपट गया, साहब, मुझे तो इतना ही बोलना था।

श्री उपाध्यक्ष : तो विराजो।

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

(श्री उपाध्यक्ष)

अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री। आपका संशोधन है।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी विनिश्चय को जब कोई प्राधिकारी माडिफाई करेगा तो निश्चित तौर पर उसका कारण देगा कि वह माडिफाई क्यों करेगा। तो इसमें सकारण जोड़ा जाए, यह कहीं आवश्यक नहीं है। कोई भी आर्डर बनेगा तो उस आर्डर को बदलने वाला अधिकारी अगर उसका कारण नहीं देता तो मैं समझता हूं वह आर्डर स्पीकिंग आर्डर नहीं होगा। स्पीकिंग आर्डर करना(व्यवधान) मेरा अर्ज सुने, मुझे बोल लेने दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किस बिंदु पर बोलेंगे यह तो बताएंगे न आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो में ही बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस संशोधन पर बोल रहा हूं 4 (3) में।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनका संशोधन आ जाए फिर आपको बुलाएंगे। आपको बुलाएंगे। विराजें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष जी, पहले जो संशोधन मंत्रीजी ने मूव किया है उस पर बोल रहे हैं क्या मंत्रीजी ?

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने जो संशोधन दिया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : या हमारे वाले पर बोल रहे हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड दो पर जो संशोधन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने जो संशोधन मूव किया उस पर भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड दो पर जो संशोधन मूव किया उस पर बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने कौनसा संशोधन...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है विधेयक के खण्ड दो में प्रयुक्त अभिव्यक्ति पुष्टिकरण के अध्यधीन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने जो संशोधन दिया उसी पर बोल रहे हैं ये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : उसी पर बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं खण्ड दो पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका खुद का संशोधन है उस पर ही बोल रहे हो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी हां। मेरा खुद का संशोधन है जिसमें मैंने यह प्रस्ताव किया था। (व्यवधान) मेरी अर्ज सुने, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकार करा लो तो फिर सभी करा लो न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने जो खण्ड दो में संशोधन प्रस्तुत किया था मैं उसको वापस लेना चाहता हूं और वापस लेकर दूसरा संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब जो मैं संशोधन प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका अर्थ यह है, जैसा अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, मैं उनके सुझाव को बिलकुल शत—प्रतिशत मानते हुए आपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। पहल जो था। "He may also modify, subject to confirmation by the Authority, the decisions of the Committees consittuted under section 10." मैं इसको वापस ले रहा हूं और वापस लेकर जो प्रतिस्थापित कर रहा हूं वह मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। "He may also modify,..." (interruptions)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मूल अधिनियम हिन्दी में है, हिन्दी में बोलो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अंग्रेजी आप भी जानते हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह नहीं कह रहा हूं, वाकई में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी। जो आपका मूल अधिनियम है वह हिन्दी में है, इंग्लिश अथोराइज्ड दर्शन है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपका अंग्रेजी का ज्ञान थोड़ा—सा बढ़ा दूं तो इसमें आपको एतराज है ? मैं हिन्दी में बोल लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, हिन्दी में बोल दो न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हिन्दी में बोल देता हूं। (व्यवधान) "विधेयक के खण्ड—2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह धारा 10 के अधीन गठित समितियों के विनिश्चयों का, प्राधिकरण द्वारा पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए, उपान्तरण भी कर सकेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित समितियों और प्राधिकरण के अधिकारियों के विनिश्चयों का, प्राधिकरण द्वारा, उसकी अगली बैठक में, पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए, उपान्तरण भी कर सकेगा।" मेरा खयाल है अब तो आपके मुंह पर रौनक आएगी, माननीय सदस्य। जैसा वह चाहते हैं वैसा ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, आप विराजें प्लीज। (व्यवधान) आप विराजें प्लीज। श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री को ब्यूरोक्रेसी के जाल से निकाल कर आपने यह अमैण्डमैंट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मंजूर कैसे करा लिया। सामान्यता यह चर्चा थी कि चेयरमैन कुछ और पावर्स लेना चाहता है, पर ब्यूरोक्रेसी आसानी से पावर्स नहीं छोड़ती, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं। और तो और, मुख्य मंत्रीजी के विश्वासपात्र ये मंत्रीजी कितने हैं कि जो अमैंडमैंट आपने पहले मूव किया और फिर कुछ माननीय सदस्यों ने अमैंडमैंट दिये, कुछ आपको और परामर्श मिला तो आपको यह लगा कि यह अमैंडमैंट अपर्याप्त है, डिफैक्टिव हैं और फर्दर अमैंडमैंट आपने यहां पर मूव कर दिया। यह वैलकम अमैंडमैंट है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं यह समझता था कि इतना जादू मुख्य मंत्री पर सिर्फ सी.पी. जोशी रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मैं मेरे अमैंडमैंट पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी भूमिका नहीं चाहिए, आपका संशोधन है जो बोलो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो अमैंडमैंट रखा है उसी पर बोल रहा हूं मैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसका भी वही है, आप इसको गलत समझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर उन्होंने संशोधन मूव किया है उससे आप सैटिस्फाई हो तो बात खतम।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपका संशोधन चाहते हो तो आप आपना अमैंडमैंट मूव करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बात को आप सिर्फ टैक्निकल बहस कराना चाहो तब तो मैं अमैंडमैंट विथड्रा करके बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : टैक्निकल बहस ही बना रहे हैं, लेकिन आप...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बिलकुल वाजिब बात है जिसको, उपाध्यक्ष महोदय, आप नकार रहे हैं। प्रश्न यह है कि आज सबसे बड़ा यह चिंता का विषय है। यह एक मुख्य तर्क आता है, यह लाबी में बात होती है, इसको आप इंकार नहीं कर सकते कि चेयरमैन अधिक पावर ले रहे हैं, मिनिस्टर अधिक पावर ले रहे हैं, यह एक मूल कारण है बहस का। इसकी जे.डी.ए. के अन्दर कमेटीज बनी हुई है। अब कमेटीज के अन्दर सभी आफिशियल्स हैं। अभी हमारे वरिष्ठतम संदस्य माननीय पं. नवल किशोर शर्मा कह रहे थे कि आप क्यों इस जे.डी.ए. को खतम कर रहे हो। जे.डी.ए. में सात नोमिनेटेड मैम्बर्स हैं, बाकी सब आफिशियल्स हैं। सैक्शन 10 के अन्दर जो कमेटीज बनी है उनकी मिनिस्ट्रीज को माडिफाई करके मिनिस्टर पावर के लिए इन्होंने मूव किया था। हमारा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

विचार था कि सैक्शन 10 के अलावा सैक्शन 7 के अन्दर एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है और एग्जीक्यूटिव कमेटी को अगर ये टच नहीं कर सकते, उपाध्यक्ष महोदय, रोजाना यह बात देखने में आती है, अभी माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया कह रहे थे। अब यह रेलेवेंट डिबेट नहीं है ? आप कहेंगे कि आप क्या डिबेट कर रहे हो। यह डिबेट रेलेवेंट है। मैं आपकी अनुमति से दूसरे खण्ड के ऊपर न बोल कर अभी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

जब मंत्रीजी कहते हैं कि विकास के लिए ये पावर्स दी जा रही हैं तो आपको उस बात को समझना पड़ेगा कि कौन विकास का अवरोध कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में जो आपरेशन पिंक चला है और जितना आपने विनाश किया है मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूं। सम्भवतया यहां पर कोई ऐसी डिबेट नहीं हुई जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि उसमें विनाशकारी काम हुए हैं। पर मैं व्यक्तिगत रूप से यह भी मानता हूं कि उसके अन्दर मुख्यतया नौकरशाही जिम्मेदार रहती है, मंत्री खुद नहीं चाहता। मंत्री जनता का प्रतिनिधि होता है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है और जनता की प्राब्लम्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है और ज्यादा उस बात को तवज्जह देता है लेकिन एक ब्येरोक्रेट उस बात को तवज्जह नहीं देता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि यह अमैंडमैंट जो आप रख रहे हैं इससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। अगर आप अनुमति दें, उसमें टैक्निकली उठाएंगे तो खण्ड दो के ऊपर मेरा अमैंडमैंट है, आप कहेंगे तो लास्ट में मैं फाइनल रीडिंग पर बोल दूंगा अन्यथा यह धारा 25 के अन्दर अमैंडमैंट है उसके ऊपर अगर आप अनुमति दें तो दो बात कह सकता हूं। मैं तो समय बचाने के उद्देश्य से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल ले जो बोलना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वही तो मैं निवेदन कर रहा हूं ताकि बार–बार नहीं बोलना पड़े उस टैक्निकलिटी में नहीं फंसकर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, इसको 5.45 पर समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि वहां...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मैं समझ रहा हूं इसीलिए मैंने आपसे यह अनुरोध किया है।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लो, आप बोल लो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी अनुमति से मैं खण्ड दो पर ही जो यह माननीय भंवरलालजी ने कहा और जिसका आपने जवाब दिया है, यह मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं।

श्रीमान्‌जी आप मिनिस्टर इंचार्ज है और आपका विधेयक हिन्दी में हैं इसलिए आपको

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हिन्दी में बोलना आवश्यक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी आदत है, आप खुद तो अंग्रेजी में बोलते हो और दूसरों से हिन्दी में बुलवाते हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दूसरों से नहीं, मंत्री से। दूसरे बोल सकते हैं। "...(i) after the existing sub-section (2) and before sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted namely :-

'(2-a) The authority or the Nagar Nigam, Jaipur, or any other body or Committee, as may be authorised by the State Government in this behalf, may, in order to promote planned development of any part of the Jaipur Region in more efficient a manner, make such modification in land use of the Plan for such area, as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette." अब यह आपके सैक्शन दो की क्या जरूरत हैं ? सैक्शन 25 के अन्दर जो मुख्य धारा है उसमें सब—सैक्शन दो की क्या जरूरत है ? अब आपने दो की जगह रिप्लेस क्यों नहीं किया ? दो (ए) की जगह जो आप लगा रहे हो, यह थोड़ा आप अगर समझा सको। जब आपने 2 (ए) इंट्रोड्यूस कर दिया तो नया 2 (ए) जोड़ने के बजाय 2 को रिप्लेस कर देते 2 (ए) से। 2 (ए) को आप डिलीट कर दीजिए। अननैसेसरी, फालतू में स्टेट्यूट बुक के ऊपर एक प्रोविजन और रखे। मैं इसका कोई लाभ नहीं समझता हूं। बाकी, मंत्रीजी, आप यह जो क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं 12 अमैंडमैंट लाया हूं, आप भी मन में जानते हैं कांसीक्वेंशल अमैंडमैंट हैं। डाइरेक्टर लॉ होगा, उसका एण्ड हट जाएगा, यह कोई अमैंडमैंट है ? यह कोई अमैंडमैंट आवश्यक है ? पर इसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई क्रिटिसाइज करना पड़े या कोई अमैंडमैंट मूव करना पड़े। यह तो एक आपने विचार रखा कोई डाइरेक्टर लॉ को उस कमेटी में नहीं लिया, लेना चाहिये। बिलकुल सही है आपका कहना। अब जब लेना पड़ेगा तो लॉ भी एड करना पड़ेगा, जहां एण्ड है वहां हटाना भी पड़ेगा, कहीं एण्ड जोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए वे कांसीक्वेंशल अमैंडमैंट हैं, उसमें कोई बात नहीं है।

जहां तक तीन साल वाली और 10 वाली बात है, वह एक प्रमुख बात है। पर मैं माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बड़े शहरों में अतिक्रमण बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है इनको लगा हो 10 साल का इसका मूल तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि एटीट्यूट जो एग्जीक्यूटिव अथोरिटीज हैं उसका क्या होता

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है। वह तो अगर आप कितने ही लॉ बना लो, आज भी अगर आप उसको चैक नहीं करना चाहे तो एंक्रोचमैंट चलते ही रहेंगे। मैं अपनी बात यहीं कह कर समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्रीजी ने अमैंडमैंट दिया है यह बहुत पर्याप्त है, मैं अपना अमैंडमैंट वापस लेता हूं इस अमैंडमैट को मूव करने के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 के खण्ड 2 में जो माननीय मंत्रीजी अब पुराने संशोधन के स्थान पर लाये हैं, उसमें और पुराने संशोधन में मूल रूप से कोई फ़र्क नहीं है। धारा 10 की जगह आपने अब सिर्फ 'व' के बाद अधिनियम के उपबंधों के अधीन वह के अधीन वाला सारा सेंटेंस वही है। खैर, सैक्शन 10 की जगह आपने अधिनियम के उपबंध लिख दिया है, उसको और क्लेरीफाई कर दिया है। वह सही है। मेरा निवेदन यह है कि कोई भी कमेटी जो आपके एक्ट के नीचे बनी है, मैंने सिर्फ शब्द सकारण लिखा था और सकारण शब्द अभी भी आप इसमें लिखे, चाहे वह प्राधिकरण द्वारा उसकी अगली बैठक में पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए सकारण उपान्तरण भी कर सकेगा। वैसे आपने जो कहा वह सही है कि आखिर उपान्तरण करेंगे तो कुछ लिखना पड़ेगा और कुछ लिखेंगे, नहीं तो अनस्पीकिंग आर्डर हो जाएगा। पर अनस्पीकिंग आर्डर हो, कोर्ट में कोई जाए, उसको रद्द कराएं, उसकी आवश्यकता भी न पड़े, इसलिए मैंने तो सुझाव के रूप में ही लिखा था कि आप सकारण शब्द उसके अन्दर डाले ताकि यह लगे। आज मंत्री हैं आप, कल कोई दूसरे होंगे...

श्री नवल किशोर शर्मा : एप्रूवल तो अथोरिटी करेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, वह सही है, एप्रूवल अथोरिटी करेगी। उसको सोच कर भी, उसके ध्यान में रहते हुए भी अपन जो करें, कारण यह है कि किसी काम की जल्दी होगी तो अपन पहले ही उसके डिसीजन को ओवर रूल करेंगे, हालांकि अथोरिटी से उसको एप्रूव होना है। कुल मिलाकर मेरा निवेदन यह है कि आप जो भी करें, सदन तो आपको जानता है, सदन आपके जे.डी.सी. को नहीं जानता। अभी इम्प्रेशन यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण एक सफेद हाथी है और अनेक बार इस सदन में उस पर चर्चा हुई है। आज तो समय नहीं है, पौने छह बजे अपन चाहेंगे कि सदन की कार्यवाही समाप्त हो इसमें जो पावर ले रहे हैं और यह सदन दे रहा है उसका इंटेंशन यह है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर राज्य सरकार का नियंत्रण पूर्ण रहे। जे.डी.सी. में यदि कोई गलत काम होते हैं तो उसके बाद, मंत्रीजी, आप यह

(श्री मानिक चन्द सुराना)

समझें कि ये सारे पावर देने के बाद वह बक आप तक आकर स्टाप करेगी, वह कहीं नीचे स्टाप नहीं करेगी, जे.डी.सी. की जिम्मेदारियां इस संशोधन के बाद में प्रायः यह मान लें कि समाप्त हो जाएंगी और वह सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप जो संशोधन लाये हैं वह निश्चित रूप से विकास को त्वरित गति देने की दृष्टि से लाये हैं, इसलिए संशोधन के प्रावधान और उसके उद्देश्यों में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है लेकिन मेरा निवेदन है कि यह सकारण शब्द यदि आपको सूट करें तो निश्चित रूप से आप इसको स्वीकार करें। आज शांति धारीवालजी मंत्री हैं, कल कोई दूसरे होंगे, परसों तीसरे होंगे पर मंत्री को यह ध्यान में रहे कि यदि उसको अमैंड करना है, कमेटी के किसी आर्डर को आदेश को या निर्णय को तो वह सकारण करें, अकारण नहीं करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको देखें। मैं इसीलिए कह देता हूं ताकि बार—बार कुछ कहना नहीं पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी देखिये, जो डेलीगेशन आप खण्ड 25 में कर रहे हैं, प्राधिकरण या नगर निगम, जयपुर या कोई भी अन्य निकाय या समिति, लैंड यूज के बारे में आप नगर निगम को भी रखना चाहते हैं, दूसरे निकाय और समिति को भी रखना चाहते हैं...(व्यवधान) नहीं, इन देयर ओन एरिया। लेकिन मेरा निवेदन है कि भूमि उपयोग अभी जो है वह स्टेट गवर्नमैंट करती है, जे.डी.ए. करती है और जे.डी.ए. का भी जोन है, नगर निगम का भी जोन हैं। निकाय और समिति जो भी बने, इसके तहत जिसको आप अथोराइज करें कि लैंड यूज चेंज करने की उसको पावर है, वह जो भी रिकमंडेशन करे वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए और राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। मान लीजिए, आपने किसी को पावर दी और उन्होंने उसका एक्सरसाइज कर लिया और उसके बाद में आपको लगे कि यह उचित नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं, इसमें हमारा संशोधन है कि राज्य सरकार उस अनुमोदन से ऐसे उपान्तरण कर सकेगी। उस संशोधन को आप स्वीकार करें।

जहां खण्ड—7 का सवाल है, माननीय मंत्रीजी, खण्ड—7 की धारा 30 को आप संशोधित करना चाहते हैं। धारा 30 देखिये, आप जहां...(व्यवधान) रामस्वरूपजी आप बहुत फास्ट हैं, आप बहुत तेज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बैठ जाओ, आप इधर देखो न।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो आप परन्तुक जोड़ना चाहते है, जहां अनुज्ञा का प्रतिसंधारण या उपान्तरण लोक हित में आवश्यक हो वहां प्रथम परन्तुक के उपबंध लागू नहीं होंगे। अब प्रथम परन्तुक क्या है

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि जहां डवलपमैंट हो चुका। "...no such order shall affect such of the operation as have been previously carried out; or shall be passed after these operations have substantially progressed or have been completed;" जो विकास हो चुका है, जो निर्माण हो चुका है उसको भी वापस आपको रद्द करना है और उसको ध्वस्त करना है। निश्चित रूप से ऐसा कोई काम बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये हुए नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने उसमें एड किया है सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्। यह प्रिंसिपल आफ नैचुरल जस्टिस भी है। वैसे भी आप आज किसी का मकान तोड़ेंगे जो 5—10 साल से बना हुआ है, 15 साल से बना हुआ है तो यदि आपने अपर्चुनिटी नहीं दी तो आप तो खुद अभिभाषक रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के उन सब आख्यानों से परिचत हैं कि बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी के विरुद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। लेकिन आम आदमी के लिए कानून और स्पष्ट बनाने के लिए आप इसमें यह एड करें। मैं इसी निवेदन के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। आपको भी कुछ बोलना है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मंत्रीजी का इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि तो आयी। अभी—अभी जो आपने अमैंडमैंट मूव किया है खण्ड दो में, उसमें यह तो कह दिया कि आप जे.डी.ए से एप्रूव कराएंगे। परन्तु इस एक्ट के तहत जो जयपुर डवलपमैंट अथोरिटी का गठन हुआ है उसमें जिस तरह के लोग सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि अधिकतर उसमें ब्यूरोक्रेसी के और वे ही लोग हैं इसलिए उनसे अनुमोदन कराने में कोई आपको दिक्कत नहीं आयेगी। मेरी समझ में नहीं आया कि जब जे.डी.ए. की धारा 4 (3) में पहले से अधिकार है, मंत्रीजी, आपकी आदत बड़ी खोटी है, आप सारे अधिकार केन्द्रित करना चाहते हो, अधिकार तो आप ले रहे हो परन्तु आप आग से खेल रहे हो। अधिकार लेने के बाद आपका उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा, जवाबदेही भी बढ़ेगी। आज तक जे.डी.ए. में जो भी कार्यकलाप होते थे उनके लिए कहा जाता था कि जे.डी.ए. अथोरिटी है, उसकी जिम्मेदार है। एज ए चेयरमैन तो आपके पास निश्चित तौर पर अधिकार थे, सुपरविजन के अधिकार थे, कंट्रोल के भी अधिकार हैं। परन्तु अब आप सैक्शन 10 के अन्दर जो जे.डी.ए. बना उसको एक तरह से सुपरसीड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप अधिकार ले रहे हो यह जो आप नया अमैंडमैंट ल आये इसके पश्चात् काफी कुछ। मैं भी इसका स्वागत करता हूं। एक तो सैक्शन 38 के अन्दर आप समयावधि बढ़ा रहे हैं, तीन वर्ष का 10 वर्ष कर रहे हैं। आपकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निगाह जयपुर की किस अवैध कच्ची बस्ती पर है या किसी जगह पर है, मुझे इसका मालूम नहीं पड़ा। खोज का विषय है, मैं खोजूंगा। परन्तु आप कर क्यों रहे हो ? 10 साल तक जिस व्यक्ति ने मकान बना लिया, गरीब आदमी ने मकान बना लिया अब इस कानून के जरिये आप उसको ध्वस्त करने का अधिकार ले रहे हो। इसलिए आपने जो सैक्शन दो में अमैंडमैंट किया उसका तो ठीक है, मैं मेरा अमैंडमैंट वापस लेता हूं। पर सैक्शन—38 के अन्दर जो आप समयावधि बढ़ा रहे है इसको वापस कम करने के लिए दो शब्द कह दें ताकि यह जल्दी से सारा पारण हो जाए। आपको भी जाना है। मैं मेरा संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं भी इसमें अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बाद में एक साथ दे देना।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़ ने प्रस्तुत किये उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड—2 में जो संशोधन डा. किरोड़ी लाल, श्री मदन दिलावर, श्री रामप्रताप ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड—2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड—3 एवं 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 एवं 4 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड—3 एवं 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड—5

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरा संशोधन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके द्वारा प्रस्तुत खण्ड–5 के संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं भी मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–5 में जो संशोधन श्री मदन दिलावर, श्री राम प्रताप एवं डा. किरोड़ी लाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–5 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–5 स्वीकार किया गया।

खण्ड–6 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–6 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–6 स्वीकार किया गया।

खण्ड–7

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताप वापस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़ को खण्ड–7 में उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–7 में जो संशोधन डा. किरोड़ी लाल, श्री मदन दिलावर एवं श्री रामप्रताप ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–7 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–7 स्वीकार किया गया।

खण्ड–8 से 15, कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 से 15 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–8 से 15 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र नाम, आदि, स्वीकार किये गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल–प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को संशोधित रूप में पारित किया जाएं।

विधेयक का पारण

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को संशोधन रूप से में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य ?

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11 मई, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.49 बजे शुक्रवार 11 मई, 2001 के 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

स्वरोजगार योजना से लाभान्वित विधवा व परित्यक्ता महिलाएं

526. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया है ? यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 में कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिला है ?

(2) क्या विधवा एवं परित्यक्ताओं को स्वरोजगार के लिए गत बजट में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था ? यदि हां, तो इसमें कितनी विधवा/परित्यक्ताओं को लाभ मिला ?

(3) क्या 55 वर्ष की आयु की महिलाओं को पेंशन राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये की गई थी ? यदि हां, तो इससे राज्य में कितनी महिलाओं को पेंशन उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 2000–2001 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर द्वारा 84 महिलाओं को अध्यापिका पद पर नियुक्ति दी गई।

(2) जी, हां। विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु वर्ष 1999–2000 में 3.50 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया। परन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में बजट घोषणा की क्रियान्विति नहीं की जा सकी।

(3) जी, हां। 98,346 महिलाओं को पेंशन उपलब्ध कराई गई।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा फलौदी सब डिवीजन में जारी कनेक्शन

527. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम कम्पनी क्षेत्र में फलौदी सब डिवीजन में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए मार्च, 1994 तक के आवेदकों को कृषि कनेक्शन देने के लिए सम्बन्धित आवेदकों की सूची सार्वजनिक की गई थी और उक्त सूची के अनुसार 650 आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिये जाने थे ? यदि हां, तो अब तक कितने कृषकों को कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों

(श्री रामनारायण विश्नोई)

में से करीब 100 आवेदकों ने सहायक अभियन्ता एवं अधीक्षक अभियन्ता, फलौदी के कार्यालय में उनके द्वारा ट्यूबवैल खुदवा दिये जाने की सूचना दे दी थी ? यदि हां, तो उक्त कितने आवेदकों को विद्युत विभाग की ओर से ट्यूबवैल खुदवा कर सूचित करने का नोटिस दिया गया था और उक्त नोटिस की अनुपालना कितने आवेदकों ने समय पर कर दी थी और उनमें से कितने आवेदकों को अब तक विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन आवेदकों ने सात–आठ साल इंतजार किया को प्राथमिकता के आधार पर कुछ नियमों में शिथिलता प्रदान करके कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के अंतर्गत उपखण्ड, फलौदी में कृषि कनेक्शनों की सामान्य श्रेणी में वर्ष 2000–2001 के माह मार्च, 1996 तक के 586 लम्बित आवेदनों की सूची सार्वजनिक की गई थी। उपरोक्त में से 562 आवेदकों को, 8 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन वाले फीडरों से सम्बन्धित होने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये गये। शेष रहे 24 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये, जिनमें से 15 द्वारा ही मांग पत्र की राशि जमा करवाई गई। इनमें से वर्ष 2000–2001 में तीन आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1999–2000 में जिन 135 आवेदकों ने मांग की राशि जमा करवाई थी, उन सभी आवेदकों को भी वर्ष 2000–2001 में कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

(2) फलौदी उपखण्ड में वर्ष 2000–2001 में केवल 28 आवेदकों ने ही ट्यूबवैल खुदवाने की सूचना दी थी, उनको तकनीकी साध्यता के आधार पर नियमानुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। फलौदी स्थित अधिशासी/सहायक अभियन्ता द्वारा ट्यूबवैल खुदवा कर सूचित करने हेतु किसी भी आवेदक को कोई नोटिस जारी नहीं किये हैं।

(3) तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए नियम बनाये गये हैं। उसमें शिथिलता प्रदान करना उपभोक्ताओं व वितरण व्यवस्था के हित में नहीं है।

पाली सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

528. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. की शाखा रायपुर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

द्वारा मैसर्स किरण सीमेंट को वित्त पोषित किया गया ? क्या उक्त की राशि अवधि पार हो जाने से रुग्ण इकाई में घोषित करने की अनुशंसा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा व कब तथा क्या सिफारिश की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रुग्ण इकाई घोषित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा तय मानदण्डों को सिफारिश के अन्तर्गत अपनाया नहीं गया ? क्या उक्त संबंध में नियम विरुद्ध सिफारिश की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बाबत उद्योग विभाग ने आपत्ति की थी पर बैंक बार–बार पत्र लिखकर रुग्ण इकाई घोषित करने पर आमादा रहा ? उक्त संबंध में क्या पत्र व्यवहार हुआ व क्या आपत्तियां थीं ? विवरण सदन की मेजं पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर, पाली द्वारा उक्त इकाई से सम्बन्धित भूमि को विक्रय करके बैंक की राशि वसूल करने के निर्देश तहसीलदार, रायपुर को दिये गये व बैंक द्वारा विक्रय के लिये नोटिस, आदेश व कुर्की जारी तो की लेकिन वास्तविक कार्यवाही कुछ नहीं की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त सबका उद्देश्य बैंक के मुख्य कार्यकारी का व्यक्तिगत स्वार्थ था कि कुर्की करने की बजाय नियम विरुद्ध रुग्ण इकाई घोषित करने पर जोर दिया गया ?

(6) क्या न तो उक्त इकाई रुग्ण घोषित हुई और न ही बैंक के ऋण की अदायगी हुई बल्कि ऋण ब्याज आदि मिलाकर डूबत की अवस्था में आ गई तथा बैंक ऋणी के मध्य न्यायिक मतभेद चालू हो गये हैं ?

(7) क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त इकाई अब बन्द हो चुकी है तथा रुग्ण इकाई की सिफारिश को आधार मानकर ऋणी द्वारा ऋण अदायगी नहीं की जा रही है जिससे बैंक की भारी राशि डूबत की स्थिति में आ गई है ?

(9) क्या सरकार उक्त संबंध में कठोर कदम उठाने का विचार रखती है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, पाली सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक की रायपुर शाखा से मै. किरण सीमेंट को लोन दिया गया।

जी नहीं। मैसर्स किरण सीमेंट को दी

(सहकारिता मंत्री)

गई ऋण राशि अवधिपार हो जाने पर बैंक के मुख्य कार्यकारी द्वारा उक्त इकाई को रूग्ण घोषित करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं की गई।

(2) जी नहीं। बैंक द्वारा मैसर्स किरण सीमेंट को रुग्ण इकाई घोषित करने के लिए उद्योग विभाग को कोई सिफारिश नहीं की गई। मैसर्स किरण सीमेंट को उद्योग विभाग द्वारा रुग्ण इकाई चिन्हीकृत किया गया है।

जी नहीं।

(3) जी नहीं। उक्त संबंध में उद्योग विभाग ने कोई आपत्ति बैंक को प्रस्तुत नहीं की और ना ही बैंक बार–बार पत्र लिखकर रुग्ण इकाई घोषित करने पर आमादा रहा।

(4) जी नहीं। जिला कलक्टर, पाली द्वारा इस इकाई से संबंधित भूमि को विक्रय करके बैंक की राशि वसूल करने के कोई निर्देश तहसीलदार, रायपुर को नहीं दिये गये। बैंक द्वारा भूमि विक्रय के लिए नोटिस, आदेश व कुर्की तथा नीलामी की कार्यवाही की गई परन्तु इकाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिये जाने के कारण कुर्क शुदा सम्पत्ति की नीलामी सम्पन्न नहीं हो पायी है। वर्तमान में भी इकाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी.स्पेशल अपील सं. 975/2000 में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण कुर्क शुदा सम्पत्ति की नीलामी सम्भव नहीं हो पायी है।

(5) जी नहीं। मुख्य कार्यकारी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। वसूली हेतु रहन सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।

(6) उक्त इकाई मैसर्स किरण सीमेंट को जिला उद्योग केन्द्र, पाली द्वारा 23.3.1998 को रुग्ण इकाई चिन्हीकृत किया गया है। बैंक के ऋण की अदायगी 31.2.2001 तक 8.25 लाख रुपये की हो चुकी है। बैंक का ऋण डूबत में नहीं आया है। इकाई द्वारा रुग्ण इकाई को मिलने वाली सहायता प्राप्त करने एवं नीलामी की कार्यवाही रुकवाने हेतु उच्च न्यायालय की शरण ली गई।

(7) जी नहीं। मैसर्स किरण सीमेंट को रुग्ण इकाई चिन्हीकृत कराने हेतु बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी द्वारा कोई सिफारिश उद्योग विभाग को नहीं की गई है। साथ ही उक्त इकाई के विरुद्ध अवधिपार राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्रयास किये जा रहे हैं। अतः तत्कालीन मुख्य कार्यकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(8) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त इकाई अब बन्द हो चुकी है, उक्त इकाई रुग्ण होने के कारण पूर्व में बन्द थी, किन्तु वर्ष 1999–2000 में उद्योग विभाग द्वारा कराये

(सहकारिता मंत्री)

सर्वेक्षण के दौरान इकाई अपने पुराने डी.जी.सैट के द्वारा कार्यरत पायी गई। यह सही नहीं है कि रुग्ण इकाई की सिफारिश को आधार मानकर ऋणी द्वारा ऋण अदायगी नहीं की जा रही है। इकाई द्वारा 31.3.2001 तक 8.25 लाख रुपये जमा कराये गये हैं। ऋण के विरुद्ध सम्पत्ति रहन होने के कारण बैंक की राशि डूबत की स्थिति में नहीं आई है।

(9) जी नहीं। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला उदयपुर में वन विभाग में निर्माण कार्यों में अनियमितता

529. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में जिला उदयपुर में राज्य/केन्द्र सरकार एवं अन्य सहायता से कितने एनीकट, बांध, भवन, क्लोजर एवं अन्य निर्माण कार्य कराये गये ?

(2) क्या आबंटित राशि निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृति थी ? यदि हां, तो कितनी–कितनी ? कार्यानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निर्माण कार्यों का सम्पादन बिना इंजीनियरों के स्वीकृत तकमीने, तारों एवं छतों की डिजाइन, तकनीकी सहायता एवं जांच के कराये गये ? यदि नहीं, तो तकनीकी सहायता किस–किस से ली गई ?

(4) उक्त विभाग कितनी लागत तक के भवन अपने स्तर पर निर्माण करा सकता है ? क्या यह सही है कि करोड़ों रुपयों के निर्माण कार्य विभाग ने अपने स्तर पर कराकर लाखों रुपयों की राशि की अनियमितता की है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में गत पांच वर्षो (वर्ष 1996–97 से 2000–2001) में वन विभाग द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार एवं अन्य सहायता से बनाये गये एनीकट, बांध, भवन, क्लोजर एवं अन्य निर्माण कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) जी हां। निर्माण कार्यों के लिए आबंटित राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) निर्माण कार्यो का सम्पादन विभाग में नियुक्त क्षेत्रीय वन अधिकारियों, राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की देखरेख में सम्पादित

(राज्य मंत्री, वन)

कराये गये हैं। उक्त अधिकारियों को उनके दो वर्षीय प्रशिक्षण की अवधि में इंजीनियरिंग का अध्ययन कराया जाता है जिससे उन्हें निर्माण कार्य कराये जाने का ज्ञान होता है।

(4) वन विभाग के अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर वन भूमि पर किये जाने वाले भवन एवं अन्य सिविल निर्माण कार्य तथा जिला मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर वन भूमि तथा गैर वन भूमि पर भवन तथा सिविल निर्माण कार्य कराने की पूर्ण शक्तियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य करवाये गये हैं इसलिये करवाये गये भवन निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है और जांच करवाने या किसी–किसी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट 'क'

गत पांच वर्षों (1996-1997 से 2000-2001) में जिला उदयपुर में राज्य/ केन्द्र सरकार एवं अन्य सहायता से बनाये गये एनीकट, बांध, भवन, क्लोजर एवं अन्य निर्माण कार्य की संख्यावार विवरण

क्र.सं.	योजना का माध्यम	एनीकट	बांध	भवन	क्लोजर	अन्य निर्माण कार्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	राज्य सरकार की योजना	12	शून्य	1. आठ वन रक्षक चौकी 2. एक बैरक	शून्य	1 चार फायर लाइन कार्य 2. एक पक्की दीवार निर्माण 3. एक सामुदायिक भवन 4. एक यात्री शैड (प्रतीक्षालय) 5. चार चबूतरा निर्माण
2.	केन्द्र सरकार की योजना	शून्य	शून्य	1. चार चैक पोस्ट कम चौकी	शून्य	1. पांच वास सुधार कार्य 2. एक यात्री शैड 3. तीन सामुदायिक भवन 4. एक विश्राम गृह 5. तीन चबूतरा निर्माण 6. एक स्कूल बाउण्ड्रीवाल 7. एक स्कूल कमरा 8. एक धर्मशाला कमरा 9. चार फायर लाइन कार्य 10. तेरह वाटर हाल 11. एक वन पथ
3.	अन्य सहायता योजना	39	शून्य	1. आठ वन रक्षक चौकी 2. एक वनपाल आवास	79	1. उदयपुर जन्तुआलय में चैनलिंक फिटिंग कार्य 2. छह यात्री शैड निर्माण 3. एक सीड स्टोर 4. दो नाडी निर्माण 5. चार रेंज कार्यालयों की बाउण्ड्रीवाल निर्माण

परिशिष्ट 'ख'

जिला उदयपुर में गत पांच वर्षों (1996-1997 से 2000-2001) की अवधि में बनाये गये एनीकट, बांध, भवन, क्लोजर एवं अन्य निर्माण कार्यों की संख्या तथा आबंटित राशि का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	संख्या	आबंटित राशि (लाखों में)
1.	एनीकट	51	169.41
2.	बांध	शून्य	शून्य
3.	भवन		
	1. वन रक्षक चौकी	16	23.78
	2. वनपाल आवास	1	1.80
	3. चैक पोस्ट कम चौकी	4	4.50
	4. बैरक निर्माण	1	2.50
4.	क्लोजर	79	185.75
5.	अन्य निर्माण कार्य		
	1. फायर लाइन	8	5.65
	2. पक्की दीवार निर्माण	1	2.00
	3. सामुदायिक भवन	4	2.80
	4. यात्री शैड	8	1.94
	5. चबूतरा निर्माण	7	1.02
	6. वास सुधार	5	8.75
	7. विश्राम गृह	1	0.34
	8. स्कूल बाउण्ड्रीवाल	1	0.50
	9. स्कूल का कमरा	1	0.40
	10 धर्मशाला का कमरा	1	0.40
	11. वाटर हाल	13	15.80
	12. वनपथ कार्य	1	1.75
	13. जन्तुआलय में चैनलिंक फिटिंग कार्य	1	7.50
	14. सीड स्टोर	1	1.50
	15. नाडी निर्माण	2	1.52
	16. रैंज कार्यालयों में बाउण्ड्रीवाल	4	5.87
		योग	445.43

जयपुर शहर में वाहन प्रदूषण नियंत्रण हेतु विचाराधीन योजना

530. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर शहर में वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घावधि हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 व 116 के अनुसरण में मोटर वाहनों के प्रदूषण की जांच की जाती है एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

ब्यावर में संचालित ऊन धुलाई उद्योग से प्रदूषण

531. **डा. के.सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि उपज मण्डी, ब्यावर प्रांगण में कोई ऊन धुलाई का उद्योग है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) ऊन धुलाई के गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है ? क्या उक्त गंदा पानी शहर के मुख्य तालाबों के पानी को प्रदूषित कर रहा है ?

(3) क्या मण्डी प्रांगण में स्थित उक्त ऊन धुलाई उद्योग के पास खुद का कोई ट्रीटमेंट प्लांट है ? यदि हां, तो चालू कब तक रहता है ? उक्त प्रक्रिया पर सरकार की निगरानी व्यवस्था क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित उद्योग 15 जनवरी, 1998 से लगातार चल रहा है।

(2) इस संयन्त्र में ऊन की धुलाई पानी से की जाती है, जिसका धुलाई से निकला पानी जलशोधन प्लांट से शोधित होकर पक्के नाले से निकास होता है।

(3) जी हां। श्री ऊन विकास सहकारी उद्योग लिमिटेड, ब्यावर का स्वयं का ट्रीटमेंट प्लांट है। यह प्लांट धुलाई संयन्त्र के साथ–साथ चालू रहता है। इसकी निगरानी की व्यवस्था राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्राधीन है।

जिला पाली की अपूर्ण सड़कें

532. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में जिला पाली में सरकार द्वारा आयोजना मद तथा गैर आयोजना मद में किस–किस प्रकार की कितनी–कितनी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) उक्त सड़कों पर कितनी–कितनी राशि स्वीकृत थी तथा कितनी–कितनी व्यय की गई और वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति क्या है ?

(3) क्या सरकार अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्ष (1998-1999 से 2000-2001) में जिला पाली में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आयोजना एवं गैर आयोजना मद में करवाये गये सड़क निर्माण का विवरण निम्नप्रकार से है :–

क्र.सं.	मद	कार्यों की संख्या	निर्मित सड़कों की लम्बाई (कि.मी.) में
1.	योजना मद	72	275.5 कि.मी.डामर सड़क, 10 कि.मी. डामर से चौड़ाईकरण, 23.5 कि.मी. मेटल से चौड़ाईकरण, 2 कि.मी. रिमेटलिंग।
2.	गैर योजना मद	1	0.75 कि.मी. डामर सड़क।

(2) उक्त सड़कों पर स्वीकृत राशि तथा व्यय की गई राशि का विवरण तथा सड़कों की भौतिक स्थिति परिशिष्ट "क" में सलंग्न है।

(3) अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करना सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारम्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति छात्रावासों में छात्रों को देय सुविधाएं

533. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनजाति छात्रावासों में छात्रों को सुविधाएं शैक्षणिक सत्र समाप्ति तक नहीं मिल पाती है ?

(2) क्या सरकार छात्रों को समय पर राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सरकार द्वारा आश्रम छात्रावासों को समस्त सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

534. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की

(श्रीमती यासमीन अबरार)

कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में लगातार तीसरे वर्ष पड़ रहे भीषण अकाल से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना एवं रणनीति है ? राज्य में कोई व्यक्ति भूख से ना मरे व प्यासा ना रहे एवं रोजगार मिले इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) उक्त समस्या से निबटने के लिए जिलेवार कितनी–कितनी राशि का आबंटन किया जा रहा है ?

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में उक्त दिशा में क्या–क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

(1) लगातार तीसरे वर्ष अभाव की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़े स्तर पर राहत गतिविधियां प्रारम्भ की गई है। प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राहत कार्य खोले गये हैं। पशु संरक्षण के लिए चारा डिपो व पशु शिविर चलाये जा रहे हैं। गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक प्रभावित पंचायत मुख्यालय पर दो क्विंटल गेहूं रखवाया गया है जिसको जरूरतमंदों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। दुधारू व कृषि उपयोगी पशुओं के लिए पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) उक्त समस्या से निपटने हेतु राहत व्यवस्था 2057 के अन्तर्गत आबंटित राशि का मानचित्र सूची–'अ' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर अकाल से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6900 श्रमिक सीमा माह अप्रैल, में तय करके 184 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिन पर 5144 श्रमिक नियोजित है तथा पेयजल व्यवस्था हेतु 3 टैंकरों द्वारा 2 गांवों में पानी की सप्लाई की जा रही है जिससे 2142 व्यक्तियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक पंचायत पर 2 क्विंटल गेहू एवं तहसील मुख्यालय पर 10 क्विंटल गेहूं आरक्षित रखवा दिये गये हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सके।

ALLOTMENTS

(Samvat 2057)

S. No.	DISTRICT	Supply of Medicine Trans.	Drinking Water			Fodder Trans. Subsidy	Cattle Feed Subsidy	Cattle Camps	Goshala	Bull Subsidy	Relief Works	Gratuitou Relief	Total	Interest Free Loan
			Water Trans.	PHED Repair	Tanker Subsidy									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ajmer	3.60	20.00		0.66	20.00	54.50	-	15.38	-	975.43	2.76	1092.33	65.00
2.	Alwar	3.60	20.00		-	5.00	-	-	-	-	205.07	4.78	238.45	10.00
3.	Banswara	3.60	20.00		-	20.00	1.00	-	2.00	-	1154:50	3.25	1204.35	30.00
4.	Baran	3.60	10.00		-	-	-	-	-	-	281.65	2.15	297.40	10.00
5.	Barmer	3.60	20.00		2.00	20.40	34.00	175.00	33.06	-	674.78	3.80	966.64	120.00
6.	Bharatpur	3.60	20.00		-	-	-	-	-	-	10.58	3.71	37.89	10.00
7.	Bhilwara	3.60	20.00		-	70.00	23.00	-	10.93	-	1077.37	3.78	1208.68	11.00
8.	Bikaner	3.60	20.00		-	20.00	54.75	152.00	-	-	648.89	1.89	901.13	30.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Bundi	3.60	10.00		-	60.00	-	24.60	-	-	222.93	1.81	322.94	10.00
10.	Chittorgarh	3.60	20.00		-	20.00	18.35	-	3.70	-	807.45	3.91	877.01	10.00
11.	Churu	3.60	20.00		-	20.00	54.50	106.30	17.09	-	1077.52	2.79	1301.80	17.00
12.	Dausa	3.60	10.00		-	10.00	-	32.50	-	-	271.39	2.25	329.74	10.00
13.	Dholpur	-	-		0.61	-	-	-	-	-	-	-	0.61	
14.	Dungarpur	3.60	10.00		-	10.00	24.00	-	-	-	879.82	2.37	929.79	45.00
15.	Ganga-nagar	3.60	20.00		-	25.00	-	-	-	-	15.42	3.20	67.22	10.00
16.	Hanuman-nagarh	3.60	20.00		-	10.00	9.15	15.50	14.24	-	180.99	2.51	255.99	10.00
17.	Jaipur	3.60	20.00		-	20.00	18.35	65.90	-	-	501.00	4.88	633.73	10.00
18.	Jaisalmer	3.60	10.00		5.50	10.60	62.75	170.30	-	-	419.64	1.28	683.67	16.00
19.	Jalore	3.60	20.00		3.74	20.00	57.50	114.50	127.16	-	728.95	2.64	1078.09	30.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	Jhalawar	3.60	10.00		-	-	-	-	-	-	244.92	2.52	261.04	10.00
21.	Jhunujhunu	3.60	20.00		-	10.00	30.50	41.60	-	-	675.99	2.88	784.57	10.00
22.	Jodhpur	3.60	20.00		4.00	20.00	62.75	170.55	12.00	-	1264.43	3.39	1560.72	60.00
23.	Karauli	3.60	10.00		-	10.00	-	-	-	-	250.45	2.24	276.29	10.00
24.	Kota	3.60	20.00		-	-	-	-	-	-	89.39	1.62	114.61	10.00
25.	Nagaur	3.60	20.00		2.00	20.00	51.40	115.50	45.73	-	703.46	4.61	966.30	35.00
26.	Pali.	3.60	20.00		4.00	50.00	46.00	101.70	15.00	-	860.03	3.20	1103.53	65.00
27.	Rajsamand	3.60	20.00		-	60.00	16.50	30.70	1.65	-	890.30	2.05	1024.80	5.00
28.	S.Madhopur	3.60	20.00		-	10.00	-	-	-	-	144.58	1.97	180.15	10.00
29.	Sikar	3.60	20.00		-	10.00	30.50	41.60	34.00	-	738.73	3.29	881.72	10.00
30.	Sirohi	3.60	10.00		-	5.00	27.00	46.20	15.98	-	723.90	3.11	834.79	32.00
31.	Tonk	3.60	10.00		-	10.00	30.50	38.60	9.72	-	680.59	2.31	785.32	11.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32.	Udaipur	3.60	20.00		-	32.39	48.00	46.20	-	-	1353.78	4.98	1508.95	32.00
	CONFAD							-	-	-	-	-	-	
	CE Irrigation							-	-	-	-	-	-	
	CE PWD							-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	111.60	530.00	-	22.51	598.39	755.00	1489.25	357.64	-	18753.93	91.93	22710.25	754.00

जिला नागौर के आरक्षित एवं गैर आरक्षित खनन क्षेत्र से प्राप्त रायल्टी

535. **श्री मांगीलाल डांगा** (मेड़ता) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में सरकार द्वारा एस.एम.एस. ग्रेड के लाइम स्टोन के लिए क्षेत्रों को आरक्षित किया है ? यदि हां, तो आरक्षित क्षेत्र कहां व कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला नागौर में भी एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन के पुनर्वेक्षण व दोहन हेतु क्षेत्र आरक्षित रखे गये हैं ? आरक्षित क्षेत्रों के आरक्षण हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में आरक्षित क्षेत्रों में वर्तमान में खनन कार्य चालू है ? यदि हां, तो किन–किन व्यक्ति/फर्मों/कम्पनियों के नाम खनन के लिए आबंटित है और इनके द्वारा अधिसूचना के पश्चात् आरक्षित क्षेत्र में से कितने खनिज का दोहन किया है और उक्त पर किस दर से कुल कितनी रायल्टी सरकार की प्राप्त हुई है ?

(4) क्या खनिज विभाग द्वारा आरक्षित क्षेत्र में से एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन खनिज दोहन की अनुमति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो किन नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन के आरक्षित क्षेत्र में से उत्पादित खनिज एवं केमिकल ग्रेड या सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन रायल्टी की दर अलग–अलग है ? यदि हां, तो क्या–क्या ? उक्त जिले में आरक्षित एवं गैर आरक्षित क्षेत्रों में लाइम स्टोन के खनन से गत पांच वर्षों में कितनी–कितनी राशि रायल्टी के रूप में जमा हुई है ?

(6) क्या यह भी सही है कि आरक्षित क्षेत्र में भी आरक्षित क्षेत्र के लिए निर्धारित रायल्टी से कम दर पर एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन दोहन खनिज पर रायल्टी प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो अब तक सरकार को कितनी रायल्टी में कितनी राशि की हानि हुई है ? उक्त हानि के लिए कौन–कौन अधिकारी दोषी है और उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा एस.एम.एस. ग्रेड के लाइम स्टोन के लिए क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है। वर्तमान में जिला जैसलमेर में मियों की ढाणी में 7.68 वर्ग कि.मी., तुलसीराम की ढाणी में 12.25 वर्ग कि.मी. एवं खींवसर में 28 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को छोड़ कर सम्पूर्ण जैलसमेर जिला आरक्षित

(राज्य मंत्री, खनिज)

घोषित किया हुआ है तथा जिला नागौर में दो ब्लाकों में गंगवाना में 203 वर्ग कि.मी. तथा मुण्डेल चावण्डिया, गोधन में 411.835 वर्ग कि.मी. कुल क्षेत्र 614.835 वर्ग कि.मी. आरक्षित है। शेष जिला नागौर को अनारक्षित घोषित किया जा चुका है।

(2) जी हां। जिला नागौर से समय–समय पर एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन के लिए क्षेत्र आरक्षित रखा गया, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :–

क्र.सं.	आरक्षण की अधिसूचना की दिनांक	क्षेत्र आरक्षण किया
1.	09.02.1987	सम्पूर्ण जिला नागौर
2.	25.09.1996	4 ब्लाक निम्नानुसार आरक्षित किये गये :–
	ब्लाक सं. 1.	10.50 व.कि.मी.
	ब्लाक सं. 2.	25.89 व.कि.मी.
	ब्लाक सं. 3.	203.00 व.कि.मी.
	ब्लाक सं. 4	476.25 व.कि.मी.
	कुल क्षेत्रफल	**715.64 व.कि.मी.**

715.64 वर्ग कि.मी. के अलावा शेष क्षेत्र जिला नागौर को मुक्त घोषित किया गया।

30.11.2000 अधिसूचना दिनांक 30.11.2000 द्वारा पूर्व अधिसूचना दिनांक 25.09.1996 को आरिक्षत किये गये ब्लाक्स में से ब्लाक संख्या एक 10.50 वर्ग कि.मी., ब्लाक संख्या दो 25.89 वर्ग कि.मी., ब्लाक संख्या चार 'ए' 51.60 वर्ग कि.मी., ब्लाक संख्या चार 'बी' 12.815 वर्ग कि.मी. अनारक्षित किये गये। इस प्रकार ब्लाक संख्या तीन जो 203.00 वर्ग कि.मी. यथावत आरक्षित है तथा ब्लाक संख्या चार के क्षेत्रफल 476.250 वर्ग कि.मी. में से (51.600+12.815 = 64.415) अर्थात् 64.415 वर्ग कि.मी. को कम करने पर शेष क्षेत्र 411.835 वर्ग कि.मी. आरक्षित रहा।

अधिसूचना दिनांक 9.02.1987, 25.9.1996 व 30.11.2000 की प्रति 'अ' 'ब' 'स' संलग्न है।

(3) जी हां। जिला नागौर में वर्तमान में आरक्षित क्षेत्र निकट ग्राम चावण्डिया में से 3.3537 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में खनन कार्य चालू है। इस स्थान पर भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स नेशनल मिनरल डवलपमेंन्ट कारपोरेशन, हैदराबाद के पक्ष में खननपट्टा आबंटित है। आरक्षण की अधिसूचना के पश्चात् खननपट्टा स्वीकृति दिनांक 3.7.1991 से इस उपक्रम के द्वारा एस.एम.एस. लाइम स्टोन का 83.420 मै. टन व अन्य ग्रेड (केमिकल व सीमेंट ग्रेड) लाइम स्टोन का 1,38,995 मै. टन का दोहन (उत्पादन) किया गया है। उक्त दोहन में से निर्गमित खनिज से रायल्टी के रूप में समय–समय पर रायल्टी की प्रचलित दर से जो कि वर्तमान में

(राज्य मंत्री, खनिज)

एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन के लिए 50 रुपये प्रति टन व अन्य ग्रेड (केमिकल व सीमेंट ग्रेड) के लिए 40 रुपये प्रति टन की दर से खननपट्टा स्वीकृति के पश्चात् दिनांक 31.03.2001 तक 51,92,448/– रुपये रायल्टी के रूप में प्राप्त हुये हैं।

(4) जी हां। ज़वाब के भाग 3 के अनुसार अनुमति दी हुई है। यह अनुमति खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत प्रदान की गई है। मैसर्स नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन, हैदराबाद के पक्ष में क्षेत्र आरक्षण की घोषणा जारी होने से पूर्व ही दिनांक 5.4.1986 से 4.4.1998 तक 10.2046 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र निकट ग्राम चावण्डिया, माडपुरा में पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र के लिए धारित था तथा उसी पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र के क्षेत्र में से निकट ग्राम चावण्डिया माडपुरा में 3.3537 वर्ग कि.मी. क्षेत्र भारत सरकार की पूर्व अनुमति दिनांक 21.06.1989 को प्राप्त कर स्वीकृति दिनांक 15.1.1991 से जारी की गई है। (स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न 'द' पर है)

(5) जी हां। वर्तमान में एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन की रायल्टी दर 50 रुपये प्रति टन तथा केमिकल ग्रेड या सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन की रायल्टी 40 रुपये प्रति टन है व अप्रधान खनिज के लिए 40 रुपये प्रति टन है। जो कि आरक्षित व गैर आरक्षित क्षेत्र में समान है। जिला नागौर में गत पांच वर्षों में 1996–97 से 31.3.2000 तक आरक्षित क्षेत्र से रुपये 727.44 लाख और गैर आरक्षित क्षेत्र से 1,926.49 लाख राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई है।

(6) जी नहीं, कम रायल्टी प्राप्त नहीं की गई है। खनिज लाइम स्टोन पर रायल्टी खनिज के ग्रेड के अनुसार है। समय–समय पर प्रचलित रायल्टी की दर के अनुसार रायल्टी वसूल की गई है। वर्तमान में एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन की रायल्टी 50 रुपये प्रति टन है तथा केमिकल ग्रेड व सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन की रायल्टी 40 रुपये प्रति टन है एवं अप्रधान खनिज लाइम स्टोन की दर 40 रुपये प्रति टन है। उक्त रायल्टी की दर आरक्षित क्षेत्र अथवा गैर आरक्षित से उत्पादित खनिज पर ग्रेड के अनुसार लागू है। इसलिए राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई, अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है और किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नगरपालिका, कानोड़ (उदयपुर) द्वारा भूमि रूपान्तरण शुल्क की दर का निर्धारण

536. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका, कानोड़, जिला उदयपुर

(श्री नन्दलाल मीणा)

में भारत पेट्रोलियम गैस ऐजेन्सी की गैस गोदाम निर्माण के लिए नगरपालिका क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण की राशि की क्या दर निर्धारित है एवं नगरपालिका, कानोड़ ने किस दर से राशि वसूल की है ?

(2) क्या भूमि रूपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति को कोई रियायत दी जाती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, कानोड़, जिला उदयपुर में भारत पेट्रोलियम गैस एजेन्सी को गैस गोदाम निर्माण के लिए नगरपालिका क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण की निर्धारित दर रुपये 90 प्रति वर्ग गज की दर से आबंटित भूमि की राशि वसूल की थी।

(2) जी नहीं।

श्री डूंगरगढ़ (चूरू) के गांवों में कार्यरत ग्रिड सब स्टेशन

537. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री डूंगरगढ़ (चूरू) के कौन–कौन से गांवों में 33/132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत है ?

(2) उक्त तहसील क्षेत्र में वर्तमान में 33/132 के.वी. के कितने ग्रिड सब स्टेशन बनाने प्रस्तावित है ?

(3) क्या उक्त स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं तो कौन–कौन से स्वीकृति कब के बाद भी कार्य नहीं कर रहे हैं ? अब उक्त ग्रिड सब स्टेशन कब तक कार्य करने लग जायेंगे ?

उत्तर

(1) श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में 33 के.वी. के तीन सब स्टेशन वापेऊ, बजरंगसर व लिखमीसर उत्तरादा स्वीकृत हैं तथा एक 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन डूंगरगढ़ में कार्यरत है इसके अलावा अन्य कोई 132 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत नहीं हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में ग्राम सेरूणा, लोढ़ेरा, अभयसिंहपुरा, रूकरियासर व वीरदेसर पोटियान में 33 के.वी. सब स्टेशन प्रस्तावित है। श्री डूंगरगढ़ के पास टेहनदेसर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है जिसको तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर स्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) जी नही। उपरोक्त स्वीकृत 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। सामान की व्यवस्था कर, कार्य शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसलमेर द्वारा फव्वारा संयन्त्रों हेतु स्वीकृत ऋण में अनियमितता की जांच

538. **श्री बंशीलाल गहलोत** (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नाबार्ड द्वारा जल बचत योजना के अंतर्गत फव्वारा संयन्त्र की स्वीकृत इकाई लागत में कितने–कितने व्यास के एल्यूमिनियम एवं एच.डी.पी.ई. पाइप किस–किस दर पर अनुमोदित किये गये हैं ?

(2) वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कितने कृषकों को किस–किस हैक्टेयर के संयन्त्र एवं किस–किस व्यास पाइपों पर ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया ? ऋणियों की पत्रावलियों के अनुसार कितने हैक्टेयर संयन्त्र की एवं किस व्यास के पाइप की, मांग कोटेशन लगाया और बैंक द्वारा कितने हैक्टेयर संयन्त्र का ऋण स्वीकृत किया एवं डीलरों द्वारा किस–किस व्यास के पाइप की आपूर्ति की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में स्वीकृत ऋण के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि शिकायतानुसार प्रबन्ध निदेशक ने प्रत्येक ऋण व संसाधनों की मांग के विपरीत ऋण योग्यता होते हुए भी मनमाने तरीके से ऋण स्वीकृत किये हैं ? क्या नलकूप बोरिंग की खुदाई फव्वारा संयन्त्रों एवं नलकूप पम्प इत्यादि में ऐसी अनियमितताओं की शिकायत भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या यह सही है कि विभाग के आदेश पर वर्ष 1995–96 एवं 19996–97 तक भूमि विभाग बैंकों द्वारा वितरित ऋण का भौतिक सत्यापन किया गया था ? यदि हां, तो जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक में वितरित ऋण का भौतिक सत्यापन किस–किस अधिकारी द्वारा किया गया। उक्त वर्षों में प्रेस व चान्दन ऐरीगेशन एवं चान्दन ऐरीगेशन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी आदि फर्मों द्वारा आपूर्ति किये मशीनरी संसाधनों का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाबार्ड द्वारा जल बचत योजना के अंतर्गत फव्वारा संयंत्रों के स्वीकृत इकाई लागत में कितने–कितने व्यास के एल्यूमिनियम एवं एच.डी.पी.ई. पाइप किस–

(सहकारिता मंत्री)

किस दर पर अनुमोदित किये गये हैं, का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कृषकों को स्वीकृत एवं वितरित ऋण की सूची परिशिष्ट '2' पर संलग्न है। ऋणियों की पत्रावलियों के अनुसार मांग कोटेशन एवं आपूर्ति की सूची परिशिष्ट '3' पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त वर्षों में वितरित ऋण के संबंध में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त शिकायतों पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अंतर्गत जांच कराई जा रही है। जांच आदेश की प्रति परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्राप्त शिकायतों पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अंतर्गत जांच की जा रही है।

(5) जी नहीं। सहकारी विभाग के आदेश क्रमांक फा.48(2) सविरा/भूबैंक/भौतिक सत्यापन/97 दिनांक 7.7.1997 द्वारा केवल वर्ष 1996–97 में भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित ऋण का भौतिक सत्यापन कराया गया था। जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 1996–97 में वितरित ऋण का भौतिक सत्यापन श्री विशन सिंह खींची, श्री सोहन लाल माथुर, श्री धन्नाराम सोलंकी, श्री सुजानाराम, श्री नंदकिशोर भाटिया द्वारा किया गया। इस वर्ष में प्रेम इर्रिगेशन, चान्दन इर्रिगेशन एवं इंजीनियरिंग, चान्दन इर्रिगेशन, मारवाड़ इर्रिगेशन, मातेश्वरी सिंचाई सूत्र, अनिल ट्रेडर्स भरत स्टोर, बेनीवाल कृषि सेवा केन्द्र, जैन पम्प एण्ड स्पेयर्स, मरू कृषि स्टोर, प्रकाश ब्रदर्स, मोडा एग्रोसेल्स, अनुराग ट्रेडर्स, चौधरी बोरिंग एण्ड डीलिंग वर्क्स, खत्री इर्रिगेशन कम्पनी, शेखावटी सिंचाई केन्द्र, महादेव मशीनरी, अम्बिका डीलिंग एण्ड एसोसिएट्स द्वारा आपूर्ति किये गये। मशीनरी संसाधानों का सत्यापन श्री विशन सिंह खींची, निरीक्षक कार्यकारी, श्री सोहन लाल माथुर, निरीक्षक कार्यकारी, श्री धन्नाराम सोलंकी, निरीक्षक कार्यकारी, श्री सुजनाराम, निरीक्षक ऑडिट, श्री नन्दकिशोर भाटिया, निरीक्षक ऑडिट द्वारा किया गया।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील सांगोद (कोटा) में वृक्षारोपण की दीवार चोरी की जांच

539. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामलाल गुर्जर)

(1) तहसील सांगोद, जिला कोटा के अंतर्गत वृक्षारोपण डूंगरपुर (मोई कलां) जो वर्ष 1985 से 2000 तक बनाया गया है वह रनिंग मीटर में कितना है तथा उक्त पर किस–किस वर्ष में कितना–कितना खर्चा किया गया ?

(2) उक्त वृक्षारोपण डूंगरपुर (मोई कलां) से कितनी रनिंग मीटर दीवार वर्तमान में गायब या चोरी हो गई जो आज के मूल्यांकन के हिसाब से कितनी लागत की होगी ?

(3) क्या उक्त संबंध में गत दस वर्षो में जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की है ? यदि हां, तो जांच किस–किस अधिकारी द्वारा की गई ?

(4) डूंगरपुर (मोई कलां) वृक्षारोपण क्षेत्र का मण्डल वन अधिकारी सहित किन–किन अधिकारियों ने कब–कब निरीक्षण किया और निरीक्षण के क्या निष्कर्ष रहे ?

(5) किस–किस निरीक्षणकर्ता के समय कितनी–कितनी रनिंग मीटर दीवार गायब मिली ? क्या उन्होंने उक्त बात को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या चोरी की गई वृक्षारोपण की चारदीवारी में डी.एफ.ओ. सहित अन्य कर्मचारी/अधिकारी दोषी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या उक्त निरीक्षणकर्ताओं ने चार दीवारी चोरी की सूचना उच्चाधिकारियों को देकर दोषियों को दण्डित करने का प्रस्ताव रखा था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला कोटा की तहसील सांगोद में क्लोजर डूंगरपुर वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में बनाया गया है। क्लोजर के पत्थर की दीवार जिसकी लम्बाई 4404 रनिंग मीटर थी दीवार बनाने पर वर्ष 1989–90 में 57,616 एवं वर्ष 1990–91 में 14,510/–रुपये व्यय किया गया।

(2) क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनवास द्वारा दिनांक 27.1.2001 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार क्लोजर डूंगरपुर की वर्तमान में 400 रनिंग मीटर दीवार आंशिक रूप से अब मौके पर नहीं है जिसकी वर्तमान लागत 49,224.00 रुपये है।

(3) उक्त शिकायतों की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनवास द्वारा की गई।

(4) डूंगरपुर क्लोजर का निरीक्षण मण्डल वन अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 7.5.1990, 7.12.1992, 16.9.1994 तथा 8.2.1995 तथा सहायक वन संरक्षक, कोटा द्वारा दिनांक

(राज्य मंत्री, वन)

12.6.2000 क्षेत्री वन अधिकारी, कनवास द्वारा दिनांक 20.7.1993, 16.9.1994, 8.2.1995, 17.5.1996, 16.2.1997, 2.2.1998, 24.4.2000 व 12.6.2000 को किया गया। निरीक्षण दिनांक 2.2.1998 तक डूंगरपुर क्लोजर में दीवार की कोई क्षति होना नहीं पाया गया। दिनांक 29.4.2000 व 12.6.2000 को किये गये निरीक्षण के समय दीवार कई स्थानों से मौके पर आंशिक या पूर्ण रूप से मौके पर नहीं होना पाया गया।

(5) निरीक्षण अधिकारी रेंजर, कनवास ने दिनांक 29.4.2000 को तथा सहायक वन संरक्षक एवं रेंजर कनवास ने निरीक्षण दिनांक 12.6.2000 के दौरान क्लोजर डूंगरपुर की दीवार कुछ स्थानों पर पूर्ण रूप से तथा कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से मौके पर नहीं पाया जाना दर्शाया। नपती नहीं करने से कितनी दीवार मौके पर नहीं पायी गयी इसका उल्लेख नहीं किया।

(6) मौके पर तैनात वनपाल, वनरक्षक तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों का क्लोजर/वृक्षारोपण की सुरक्षा का दायित्व होता है। कार्य स्थल की सुरक्षा में लगे कर्मचारी श्री रामनारायण सैनी, सहायक वनपाल, श्री बहादुर सिंह वनरक्षक, श्री सत्यनारायण काछी वृक्षपालक को मामले में दोषी पाया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनवास तथा सहायक वन संरक्षक, कोटा को भी तत्परता से कार्यवाही नहीं करना पाया गया है।

(7) जांच करवाये जाने पर मौके से दीवार नहीं पाये जाने के लिए कर्मचारी श्री रामनारायण सैनी, सहायक वनपाल, श्री बहादूर सिंह, वृक्षपालक का दोष पाये जाने से इनको निलम्बिल किया जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनवास को निलम्बित कर दिया गया है एवं सहायक वन संरक्षक, कोटा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

जिला अजमेर में ट्रेक्टर-ट्रालियों के गैर कृषि कार्यों में उपयोग पर चालान

540. **श्री ललित भाटी** (अजमेर–पूर्व) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ट्रेक्टर–ट्रोली का पंजीकरण केवल कृषि कार्य उपयोग के लिए ही किया जाता है ? यदि हां, तो कितना वार्षिक शुल्क पंजीकरण हेतु लिया जाता है ?

(2) जिला अजमेर में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2001 तक कितने ट्रेक्टर–ट्रोली का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग लेते हुए चालान किया गया तथा उनसे कितनी राशि वसूली

(श्री ललित भाटी)

गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ट्रेक्टर—ट्रोली का पंजीयन कृषि एवं अकृषि कार्य दोनों के लिए किया जाता है।

(2) जिला अजमेर में माह दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2001 तक ट्रेक्टर—ट्रोली गैर कृषि कार्य के लिए चलते पाये जाने पर 83 चालान बनाये गये हैं तथा रुपये 200901/— प्रशमन राशि वसूल की गई है। तत्सम्बन्धी सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'क'

ट्रेक्टर ट्रोली

क्र.सं.	वाहन संख्या	चालान दिनांक	प्रशमन राशि
1	2	3	4
1.	आर.जे. 01 आर 2074	25.12.1998	3000/–
2.	आर.जे. 21 ई 0059	19.03.1999	700/–
3.	आर.जे. 06 आर. 4058	22.05.1999	4598/–
4.	आर.एस.एस. 1430	24.05.1999	5300/–
5.	आर.जे. 01 आर. 5181	22.06.1999	5498/–
6.	आर.जे. 01 आर. 4964	30.08.1999	600/–
7.	आर.जे. 01 आर 6111	05.10.1999	300/–
8.	आर.पी.एक्स 3362	08.12.1999	4130/–
9.	आर..जे. 01 आर. 6665	18.12.1999	4030/–
10.	आर.जे. 01 आर. 3858	09.03.2000	5830/–
11.	आर.जे. 01 आर. 5085	13.03.2000	5830/–
12.	एस.एन.एफ. 82469	22.06.2000	5983/–
13.	आर.जे. 01 आर. 3737	01.07.2000	4783/–
14.	आर.जे. 01 आर. 6502	14.07.2000	6286/–
15.	चेचिस 52565	08.07.2000	5383/–
16.	एच.आर.एम. 1398	18.07.2000	6486/–
17.	आर.जे. 01 आर. 6551	18.07.2000	3686/–
18.	आर.जे. 01 आर 6699	19.07.2000	3686/–
19.	आर.जे. 01 आर 4691	21.07.2000	6386/–
20.	आर.जे. 21 3945	23.07.2000	5586/–
21.	आर.जे. 14 आर 6375	03.08.2000	5686/–
22.	आर.जे. 01 आर 6171	03.08.2000	4786/–
23.	आर.जे. 01 आर 3856 (3856)	25.08.2000	5986/–

1	2	3	4
24.	आर. आर. ई. 3511	25.08.2000	5586/—
25.	आर.जे. 7764	21.08.2000	6886/—
26.	आर.जे. 01 आर 6753	28.08.2000	5086 /—
27.	आर.जे. 01 आर 6802	15.09.2000	4986/—
28.	आर.जे. 01 आर 7025	15.09.2000	6886/—
29.	आर.जे. 01 आर 6457	18.09.2000	6886/—
30.	आर.जे. 01 आर 6345	15.09.2000	6386/—
31.	आर.जे. 01 आर 6039	23.09.2000	4686/—
32.	आर.जे. 01 आर 6347	11.10.2000	5886/—
33.	आर.जे. 01 आर 6703	11.10.2000	5286/—
34.	आर.जे. 01 आर 3072	15.10.2000	4986/—
35.	आर.जे. 01 आर 0198	16.10.2000	5386/—
36.	आर.जे. 01 आर 1101	17.10.2000	5886/—
37.	आर.जे. 01 आर 0360	16.10.2000	3886/—
38.	आर.जे. 01 आर 4154	17.10.2000	1000/—
39.	आर.एस.जे. 2065	17.10.2000	6886/—
40.	आर.जे. 21 आर 3276	24.10.2000	4686/—
41.	आर.जे. 01 आर 5006	20.10.2000	5086/—
		योग	2,00,901/—

ट्रेक्टर-ट्रोली : कोर्ट में भेजे गये चालानों की सूची

42.	आर.जे. 01 आर 5876	03.12.1998	
43.	आर.जे. 01 आर 1648	03.02.2000	
44.	आर.जे. 14 आर 6375	29.02.2000	
45.	आर.जे. 01 आर 6274	08.03.2000	
46.	चेचिस 22915	11.03.2000	

1	2	3	4
47.	आर.जे. 01 आर 0007	13.03.2000	
48.	आर.जे. 01 आर 4053	13.03.2000	
49.	आर.जे. 01 आर 1805	14.03.2000	
50.	आर.जे. 01 आर 4072	13.03.2000	
51.	एन.टी.ए. 2590	13.03.2000	
52.	आर.जे. 01 आर 5216	16.03.2000	
53.	आर.जे. 01 आर 3894	16.03.2000	
54.	आर.जे. 01 आर 5843	13.06.2000	
55.	आर.जे. 01 आर 5898 (5898)	13.06.2000	
56.	आर.जे. 01 आर 2271	13.06.2000	
57.	आर.जे. 01 आर 4164	13.06.2000	
58.	आर.जे. 01 आर 6502	14.07.2000	
59.	आर.जे. 01 आर 6632	18..07.2000	
60.	आर.जे. 01 आर 4691	21.07.2000	
61.	आर.जे. 01 आर 6551	14.07.2000	
62.	आर.जे. 01 आर 2494	17.07.2000	
63.	आर.जे. 01 आर 6699	17.07.2000	
64.	आर.जे. 01 आर 4712	19.07.2000	
65.	आर.जे. 01 आर 3987	18.07.2000	
66.	आर.जे. 01 आर 6101	19.07.2000	
67.	आर.जे. 01 आर 154	20.07.2000	
68.	आर.जे. 01 आर 6204	20.07.2000	
69.	आर.जे. 01 आर 2098	20.07.2000	
70.	आर.एन.जैड 8185	23.09.2000	
71.	आर.जे. 01 आर 1703	18.08.2000	

1	2	3	4
72.	आर.पी.जेड. 5167	12.09.2000	
73.	आर.जे. 01 आर 7274	13.09.2000	
74.	आर.जे. 01 आर 5069	13.09.2000	
75.	आर.जे.पी. 4934	13.09.2000	
76.	आर.जे. 01 आर. 2536	17.10.2000	
77.	आर.जे. 01 आर 2331	20.10.2000	
78.	आर.जे. 01 आर 7084	11.10.2000	
79.	चेचिस सं. 99045	11.10.2000	
80.	आर.जे. 01 आर 4909	13.10.2000	
81.	आर.जे. 01 आर 1703	18.08.2000	
82	चेचिस सं. 630101	18.08.2000	
83.	चेचिस सं. 09535	11.10.2000	

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत योजना

541. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कुल कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों के रख–रखाव व मरम्मत की क्या प्रक्रिया है ?

(3) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की जीर्ण–क्षीर्ण हालत को सुधारने के लिए बोर्ड ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कोई राशि जमा कराई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो उक्त सड़कों की मरम्मत की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य में गत तीन वर्षो में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कुल 3155.01 कि.मी. सड़कों का निर्माण कराया गया, जिसका वर्षवार ब्यौरा निम्नप्रकार है :

वर्ष 1997—98	646.60 कि.मी.
वर्ष 1998—99	936.52 कि.मी.
वर्ष 1999—2000	1571.89 कि.मी.
कुल योग	3155.01 कि.मी.

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन विभाग के तहत सड़क नीति दिनांक 10.03.1995 एवं समय–समय पर संशोधित नीति एवं जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप यह प्रावधान रखा गया है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित 10 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों की विशेष मरम्मत होने पर एवं नवीन सड़कों का निर्माण होते ही सड़कों का हस्तान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को कर दिया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ही उक्त सम्पर्क सड़कों के मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य करता है।

(3) विपणन बोर्ड एवं संबंधित कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़क नीति के प्रावधान एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्ष 1995 से पूर्व निर्मित सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु राशि 2212.86 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित की गई है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का डामरीकरण

542. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला करौली के ग्राम बौंल एवं जिला दौसा के ग्राम खेड़ला बुजुर्ग डामर की सड़क से जोड़ दिए गये हैं ? यदि हां, तो करीरी से बौंल व तालचिड़ी से खेड़ला

(डा. किरोड़ी लाल)

किस वर्ष में डामर सड़क से जुड़े थे ?

(2) क्या यह सही है कि खेड़ला बुजुर्ग राजमार्ग सं. 25 पर स्थित है ?

(3) क्या ग्राम बौंल से खेड़ला बुजुर्ग को प्रधानमंत्री, ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृति पत्र मय निविदा एवं कार्य आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बौंली क्षेत्र की सम्पर्क सड़क मामडौली एवं बौंली से लाखनपुर वर्तमान में डब्ल्यू बी.एम. सड़कें हैं ? यदि हां, तो उन्हें किसी भी फैज से जोड़ कर स्वीकृत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या सरकार उक्त सम्पर्क सड़कों का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला करौली का ग्राम बौंल (3951/91) आंशिक रूप से ग्राम करीरी डामर सड़क से जुड़ा हुआ है तथा जिला दौसा का ग्राम खेड़ला बुजुर्ग डामर सड़क पर स्थित है। करीरी से बौंल एवं तालचिड़ी से खेड़ला बुजुर्ग क्रमशः 1993–94 एवं लगभग वर्ष 1975–76 में डामर सड़क से जोड़े गये हैं।

(2) जी हां।

(3) यह कार्य पहले चरण में दिनांक 19.1.2001 को स्वीकृत किया गया था, परन्तु बाद में दिनांक 27.4.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया है। स्वीकृत पत्र मय टेण्डर एवं कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट 'क', 'ख' व 'ग' में संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डामर सड़क से जोड़े जाने के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं।

(5) जी हां।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आश्रम छात्रावास लोधा (बांसवाड़ा) को आबंटित भूमि पर अतिक्रमण

543. **श्री जीतमल खांट** (बागीदौरा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खेलकूद आश्रम छात्रावास, लोधा, (बांसवाड़ा) को भूमि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में जितनी भूमि छात्रावास के नाम आबंटित की गई है, उतनी भूमि आश्रम के पास है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री जीतमल खांट)

(3) क्या आश्रम छात्रावास की भूमि पर कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आश्रम छात्रावास की चार दीवारी कौन से आश्रम अधीक्षक के कार्यकाल में बनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आश्रम छात्रावास, लोधा (बांसवाड़ा) को राज्य सरकार से कुल 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि आबंटित की गई। भूमि आबंटन संबंधी पत्र परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जितनी भूमि छात्रावास के नाम से आबंटित की गयी है उतनी भूमि वर्तमान में आश्रम के पास है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त आश्रम छात्रावास की चारदीवारी श्री देवीसिंह झाला, आश्रम अधीक्षक के कार्यकाल में बनाई गई।

परिशिष्ट "1"

कार्यालय, जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

क्रमांक : एफ 2(1)राज/96/18.9/11 ~~दिनांक : 01.07.1996~~

आदेश

तहसीलदार, बांसवाड़ा से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मोजा जानामेड़ी की आराजी नम्बर 234 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं आ. नम्बर 207 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि को राजस्थान "भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत परियोजना अधिकारी, जनजाति विकास विभाग, बांसवाड़ा को खेल काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु आरक्षित करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला कलक्टर,

बांसवाड़ा

जिला सिरोही में अकाल राहत के तहत स्वीकृत कार्य

544. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सिरोही में 75 फीसदी से ज्यादा फसल बरबादी वाली कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जहां मार्च, 2001 को राहत कार्य के तहत एक भी श्रमिक नियोजित नहीं था ? 50 से 74 फीसदी बरबादी वाली कितनी ग्राम पंचायतें है, जहां मार्च, 2001 को राहत कार्य के तहत एक भी श्रमिक नियोजित नहीं था ? राज्य सरकार ने 50 से 74 फीसदी फसल बरबादी वाली ग्राम पंचायतों में राहत कार्य खोलने की अनुमति किस तिथि को प्रदान की थी ?

(2) उक्त जिले में 2 अप्रैल, 2001 को अकाल राहत के अंतर्गत किस–किस ग्राम पंचायत में कितनी–कितनी राशि के कार्य स्वीकृत हैं और कितने–कितने श्रमिक नियोजित है ? ग्राम पंचायत वार धन राशि व श्रमिक संख्या का विवरण विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1– जिले में 75 प्रतिशत से ज्यादा फसल बर्बादी वाली कुल 146 ग्राम पंचायतें हैं, इन सभी ग्राम पंचायतों में मार्च, 2001 को श्रमिक नियोजित रहे हैं।

2– 50 से 74 फीसदी खराबा वाली कुल 5 ग्राम पंचायतें हैं, जहां भी मार्च, 2001 से श्रमिक नियोजित हुये हैं।

3– राज्य सरकार द्वारा 50 से 74 फीसदी फसल बरबादी वाली ग्राम पंचायतों में भी राहत कार्य खोलने हेतु दिनांक 24.2.2001 को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(2) सिरोही जिले में अकाल राहत के अंतर्गत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्यों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं नियोजित श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जैसलमेर में पवन ऊर्जा संयन्त्र स्थापित हेतु आमंत्रित निविदाएं

545. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने आर.एस.एम.एम. उदयपुर के माध्यम से जिला जैसलमेर में 4.5 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने हेतु निविदायें मांगी थी ? यदि हां, तो कौन–कौन सी कम्पनियों ने किस–किस दर एवं शर्तों पर निविदाएं प्रस्तुत की ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(2) उक्त निविदाओं में सबसे कम दर कौनसी कम्पनी की रही ? क्या यह सही है कि निम्नतम दरों पर निविदा प्रस्तुत करने वाली ऊर्जा उत्पादक कम्पनी को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुये नजर अंदाज कर अधिक दरों पर निविदा प्रस्तुत करने वाली कम्पनी को आमंत्रित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि निम्नतम दरों वाली कम्पनी पर मात्र तकनीकी कारणों से बिना संबंधित सतर्कता आयोग की टिप्पणी लिये ही अधिभार लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि निम्नतम दरों पर निविदा पेश करने वाली कम्पनी को छोड़कर ऊंची दर वाली दूसरी कम्पनी को आमंत्रित किये जाने से सरकार को अगले 20 वर्षों में लगभग 24 करोड़ रुपये की आर्थिक हानि होगी ? यदि हां तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त संदर्भ में आमंत्रित सभी निविदाओं पर पुनर्विचार करते हुये निम्नतम दर वाली कम्पनी को ही ऊर्जा उत्पादन के लिए आमन्त्रित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां यह सही है कि आर.एस.एम.एम. ने जिला जैसलमेर में 4.5+10 प्रतिशत मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने एवं उसके 20 वर्ष तक परिचालन एवं संधारण हेतु निविदा मांगी थी। निविदा प्रपत्र की शर्तें एवं प्राप्त निविदाओं की शर्तें एवं दर परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(2) निविदा शर्तों के अनुसार हब ऊंचाई पर विद्युत उत्पादन एवं तकनीकी एवं वाणिज्यिक विचलनों के अधिभार के उपरान्त सबसे कम पूंजीगत प्रति यूनिट लागत मे. सूजलान एनर्जी लिमिटेड की रही। केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के दिशा निर्देश न्यूनतम दर के निविदादाता (L1) के प्रस्ताव को स्वीकार करने या विशेष परिस्थितियों में केवल उसी के साथ नेगोशिएशन करने के है। कम्पनी द्वारा न्यूनतम दर के निविदादाता का ही चयन किया गया है, अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग के किसी भी निर्देशों का उल्लघंन नही हुआ है। यहां यह भी उल्लघंन करना प्रासंगिक है कि निविदा प्रपत्र में किसी भी स्तर पर नेगोशिएशन नहीं करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया था (केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा निविदा शर्त की प्रति संलग्न है) परिशिष्ट 'ब' व 'स'

(राज्य मंत्री, खनिज)

(3) निविदा शर्तानुसार हब ऊंचाई पर विद्युत उत्पादन पर विभिन्न तकनीकी एवं वाणिज्यिक विचलनों के अधिभार लगाये बिना, न्यूनतम प्रति यूनिट पूंजीगत लागत मैसर्स एशियन विण्ड ट्रबाइन की है। किंतु सभी महत्वपूर्ण तकनीकी एवं वाणिज्यिक विचलनों से परियोजना की जोखिम एवं वित्तीय भार में वृद्धि होती है। विभिन्न निविदाओं की तर्कसंगत तुलना करने हेतु अनिवार्य रूप से तकनीकी एवं वाणिज्यिक विचलनों के प्रभाव को समान स्तर पर लाने हेतु अधिभार लगाया जाता है। अधिभार लगाने के उपरांन्त पूंजीगत प्रति यूनिट लागत की न्यूनतम दर मैसर्स सुजलान एनर्जी लिमिटेड की है। इस प्रकारण में सतर्कता आयोग के किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः सतर्कता आयोग की टिप्पणी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

(4) कार्य आदेश न्यूनतम प्रति यूनिट पूंजीगत लागत की दर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को ही दिया गया है। अतः परियोजना के 20 वर्षो में राज्य सरकार को कोई हानि होने की संभावना नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी अन्य निविदा को उनके द्वारा दिये गये विचलनों सहित स्वीकार किया जाता तो विचलनों की असीमित एवं अनिश्चित प्रकृति के कारण परियोजना से अपेक्षित लाभ प्राप्त करना न केवल संदेहास्पद हो जाता अपितु परियोजना असीमित रूप से जोखिमपूर्ण हो जाती, क्योंकि मौद्रिक अधिभार का कितना भी प्रतिशत लगाने का प्रस्ताव निविदादाता द्वारा स्वयं ही समस्त जोखिम वहन करने के प्रस्ताव के मुकाबले बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। अर्थात् प्रस्तुत प्रकरण में मैसर्स सुजलान ऊर्जा लिमिटेड द्वारा समस्त जोखिमों की 20 वर्षो तक गारण्टी देने से कम्पनी एवं राज्य सरकार का सभी विपरीत परिस्थितियों में भी हित सुरक्षित रहेगा।

(5) चूंकि कार्य आदेश न्यूनतम प्रति यूनिट पूंजीगत लागत दर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को दे दिया गया है। अतः निविदा पर पुनर्विचार संभव नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर नगर में सहभागी योजनान्तर्गत महिला महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि

546. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में महिला महाविद्यालयों के भवन निर्माण

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हेतु सहभागी योजना में प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) क्या उक्त महिला महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटित हो चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु एक दान दाता इकावन लाख रुपयों की राशि देने को तैयार है ?

(4) क्या उक्त महाविद्यालय भवन निर्माण में एक करोड़ से अधिक की राशि व्यय होना प्रस्तावित है ?

(5) क्या वर्ष 2000—2001 में सहभागी योजनान्तर्गत विभाग ने उक्त राशि स्वीकृत करने में असमर्थता जताई, जिससे निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ?

(6) क्या सरकार वर्ष 2001—2002 में सहभागी योजना में उक्त राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) दानदाता श्रीमती गोपी देवी पत्नी स्व. श्री मिश्रीलाल सांवल निवासी जैसलमेर से 50 लाख रुपया जमा कराने का सहमति पत्र प्राप्त हुआ है।

(4) उक्त महाविद्यालय भवन के निर्माण में जिला कलक्टर के प्रस्तावानुसार 99.55 लाख रुपये व्यय होना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। चूंकि वार्षिक योजना 2000—2001 में सहभागी नगर विकास योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं रखा गया था।

(6) जी, नहीं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधनों की वजह से वार्षिक योजना 2001—2002 की अंतिम सीलिंग (टेन्टेटिव सीलिंग) में सहभागी योजनान्तर्गत कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

547. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम, बेवड़ में 33 के.वी. का ग्रिड सब—स्टेशन बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक बना दिया जावेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के गांव, बेवड़ में 33/11 के.वी. सब—स्टेशन का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसकी आर्थिक तथा तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है।

(ऊर्जा मंत्री)

साध्य पाये जाने पर प्रस्ताव को स्वीकृत कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य किया जाना संभव हो सकेगा।

केन्द्रीय सहकारी बैंक श्रीगंगानगर द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता

548. **श्री गुरमीत सिंह कुन्नर** (करणपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने स्वर्ण जयन्ती स्व रोजगार योजना के तहत वर्ष 1999 में सहकारी बैंकों के मार्फत ऋण वितरित किये थे ? यदि हां, तो श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक ने कितना ऋण वितरण किया है ?

(2) क्या उक्त सभी ऋण गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध करवाये है ? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या गत पांच वर्षो में श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर ने अकृषि ऋण भी वितरित किये है ?

(4) क्या अकृषि ऋण प्राप्त औद्योगिक इकाइयों वर्तमान में उत्पादन कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त ऋण की वापिसी हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मार्फत वर्ष 1999-2000 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ऋण वितरण किया गया है। श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा इस अवधि में 47.78 लाख रुपये के ऋण इस योजना के तहत वितरित किये गये हैं।

(2) जी, हां। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित व्यक्तियों को ही योजनान्तर्गत ऋण वितरण किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये संसाधनों के भौतिक सत्यापन हेतु सरकार द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न स्तर के जिला स्तरीय/उपखण्ड स्तरीय/पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों को मासिक रूप से लक्ष्य निर्धारित किये हुए हैं।

(3) जी, हां। श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा गत पांच वर्षो में अकृषि ऋण भी वितरित किये गये हैं।

(4) श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर से गत पांच वर्षो में अकृषि ऋण प्राप्त 66 औद्योगिक इकाइयों से पांच इकाइयां वर्तमान में उत्पादन नहीं कर रही है व इनसे ऋण की वापसी भी नहीं हो रही है। उक्त पांच औद्योगिक इकाइयों के नाम, उनमें कुल बकाया ऋण बैंक द्वारा वसूली हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :–

(सहकारिता मंत्री)

क्र.सं.	नाम इकाई	कुल बकाया राशि (लाखोंमें)	वसूली हेतु की जा रही कार्यवाही
1.	राजेश इण्डस्ट्रीज, श्रीगंगानगर	16.50	राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 118 में वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
2.	नवीन आयल इण्डस्ट्रीज, श्रीगंगानगर	33.84	राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 118 में वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
3.	गंगा आयल मिल, श्रीगंगानगर	42.97	" " "
4.	श्रीगंगानगर को. आयल सीड्स एण्ड प्रोसेसिंग मिल्स, गजसिंहपुर	03.40	मिल्स अवसायनाधीन होने के कारण अवसायक द्वारा सम्पत्तियों का निपटारा किये जाने पर उक्त राशि की वसूली होना अपेक्षित है।
5.	श्रीगंगानगर को. काटन काम्प्लेक्स, श्रीगंगानगर	497.90	वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

खुशकड़ा (अलवर) में ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना

549. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिन्दुस्तान पल्वराइजिंग मिल्स, खुशकड़ा (अलवर) में विभाग द्वारा कब—कब जांच की गई ?

(2) क्या उक्त उद्योग द्वारा गन्दयुक्त वाष्प को वातावरण से हटाने हेतु ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया गया है ? उक्त उद्योग की जांच कब—कब किस—किस अधिकारी द्वारा किस—किस मामले में की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान पल्वराडजिंग मिल्स, खुशकडा (अलवर) का दिनांक 13.6.1997, 2.8.1997, 12.8.1997, 17.3.1998, 22.8.1998, 10.2.1999, 17.3.1999, 8.6.1999, 20.9.1999, 18.4.2000 तथा 13.10.2000 को कुल 11 दफा निरीक्षण किया गया।

(2) जी, हां। गन्धयुक्त वाष्पकों के उपचार हेतु उद्योग द्वारा केन्द्रीय वाष्प एकत्रीकरण व्यवस्था एवं उत्प्रेरित कार्बन (सेन्ट्रलाइज्ड फ्यूम कलेक्शन सिस्टम एवं एक्टिवेटेड कार्बन) की स्थापना की गई है, जिसके साथ लगभग 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी लगाई गयी है। उक्त उद्योग की जांच/निरीक्षण से संबंधित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

क्र.स.	निरीक्षण का दिनांक	निरीक्षणकर्त्ता	निरीक्षण का उद्देश्य
1	2	3	4
1.	13.6.1997	क्षेत्रीय अधिकारी/ सहायक पर्यावरण अभियन्ता	जल/वायू प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा हेतु।
2.	2.8.1997	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	जल/वायु प्रदूषण नियंत्रणं व्यवस्था की सीमक्षा हेतु एवं उद्योग से गन्धयुक्त वायु निकलने की शिकायत की जांच हेतु।
3.	12.8.1997	क्षेत्रीय अधिकारी/ वरिष्ट प्रयोगशाला सहायक	सम्मति आवेदन पत्र के सत्यापन हेतु एवं जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा हेतु।
4.	17.3.1998	क्षेत्रीय अधिकारी	जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की समीक्षा हेतु।
5.	22.8.1998	क्षेत्रीय अधिकारी वरिष्ट प्रयोगशाला सहायक	सम्मति आवेदन पत्र के सत्यापन एवं जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा हेतु।
6.	10.2.1999	क्षेत्रीय अधिकारी/ क.पर्या.अभि.	केमिकल्स के ड्रम फटने से संबंधित शिकायत एवं जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा।
7.	17.3.1999	क्षेत्रीय अधिकारी/ वैज्ञा.अधिकारी	विधानसभा प्रश्न 283/पर्या के क्रम में जल/ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा हेतु।
8.	8.6.1999	क्षेत्रीय अधिकारी	जय/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की समीक्ष हेतु।

1	2	3	4
9.	20.9.1999	वैज्ञानिक अधिकारी	वायु प्रदूषण की जांच हेतु।
10.	18.4.2000	क्षेत्रीय अधिकारी/ क.पर्या.अभि.	उच्छिष्ठ निष्पादन एवं गन्ध युक्त वायु को गन्धहीन करने की व्यवस्था की समीक्षा हेतु।
11.	13.10.2000	क्षेत्रीय अधिकारी/ क.पर्या.अभि.	उच्छिष्ठ निष्पादन एवं गन्ध युक्त वायु को गन्धहीन करने की व्यवस्था की समीक्षा हेतु।

राज्य की वार्षिक योजना

550. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की वर्ष 2000—2001 की वार्षिक योजना हेतु योजना आयोग से कितनी राशि मंजूर हुई थी तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई थी ?

(2) उक्त वार्षिक योजना में कब—कब किस—किस उद्देश्य से कुल कितनी राशि की कटौती की तथा किस—किस विभाग में वार्षिक मूल योजना के तहत मंजूरी मिली थी और योजना में कटौती के बाद किस—किस विभाग में कितनी—कितनी कटौती की गई ?

(3) मूल वार्षिक योजना में कटौती के बाद वर्तमान वार्षिक योजना कितनी राशि की रह गई ?

उत्तर

(1) राज्य की वर्ष 2000—2001 की ठोस योजना (Core Plan) 4146.15 करोड़ रुपये की मंजूर की गई थी। किन्तु संशोधित आयोजना सीमा 4237.94 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई।

(2) दिनांक 25.10.2000 को जारी की गई परिवर्तित आयोजना सीमा में अकाल से निपटने के लिए कुछ विभागों को अतिरिक्त राशि आबंटित करने के साथ—साथ विभागों की मूल आयोजना सीमा पुनर्निर्धारण की गई। परिवर्तित आयोजना सीमा 4237.94 करोड़ रुपये की जारी की गई। वार्षिक योजना 2000—2001 के परिवर्तित अनुमानों का पुनरावलोकन किया गया तथा संशोधित आयोजना सीमा भी 4237.94 करोड़ रुपये की जारी की गई। वार्षिक योजना 2000—2001 के मूल, परिवर्तित एवं संशोधित प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट—1 पर उपलब्ध है।

(3) जैसा कि परिशिष्ट—1 से विदित है कि वार्षिक योजना 2000—2001 की परिवर्तित एवं संशोधित आयोजना सीमा 4237.94 करोड़ रुपये की रही।

परिशिष्ट "1"

Government of Rajasthan Planning Department
Annual Plan 2000-2001, Modified Outlay

(Rs. in lakhs)

Head of Development / Sector	Budgetted Outlay 2000-2001	Modified Outlay 2000-2001	Revised Outlay 2000-2001
1	2	3	4
I AGRICULTURE AND ALLIED SERVICES			
1. Research & Education Agriculture University, Bikaner	700.00	630.00	657.00
2. Agriculture University, Udaipur (all wings)	471.00	371.00	357.33
3. Crop Husbandry			
(i) Agriculture Department	2150.00	1950.00	1919.00
(ii) Agriculture Development Project (EAP)	4328.31	3100.00	2453.42
(iii) Horticulture	190.00	190.00	202.14
(iv) Lumpsum provision for Work Plan			500.00
Sub Total -3	6668.31	5240.00	5074.56
4. Soil & Water Conservation			
(i) Watershed Dev.& Soil Conservation Department			
(a) Soil conservation	529.00	529.00	472.80
(b) NABARD Loan for Watershed		1000.00	0.00

1	2	3	4
Development Project			
(c) India Canada Environmental Facility (ICEF)(EAP)	96.44	0.00	82.22
(ii) Forest Department	39.36	39.36	39.36
Sub Total - 4	664.80	1568.36	594.38
5. Annual Husbandry			
(i) Animal Husbandry Department	2250.00	1050.00	1040.00
(ii) Bikaner University	60.00	60.00	60.00
(iii) udaipur University	34.00	34.00	34.00
(iv) Sheep & Wool Department	30.00	30.00	45.37
Sub Total - 5	2374.00	1174.00	1179.37
6. Dairy Development	1.00	1.00	1.00
7. Fisheries	62.00	50.00	44.94
8. Forest Department			
(a) Forestry	1230.00	1230.00	1201.00
(b) Aravalli Afforestation Project (EAP)	4500.00	0.00	0.00
(c) Forest Development Project (EAP)	2700.00	2700.00	2288.80
(d) Afforestation & Pasture Development in Stage II (EAP)	1500.00	2200.00	1970.94
(e) IGNP Area Stage I & II	166.00	166.00	166.00
Sub Total - 8	10096.00	6296.00	5626.74
9. Agriculture Credit			
(i) Special Debentures	800.00	800.00	800.00
(ii) Ordinary Debenture	50.00	50.00	25.00

1	2	3	4
(iii) Share Capital Contribution in RRBs	0.01	0.01	0.01
Sub Total - 9	850.01	850.01	825.01
10. Storage & Warehousing	1.00	1.00	0.01
11. Cooperation *	4000.00	1800.00	2605.76
Total - Agri. and Allied Service	25888.12	17981.37	16965.11
II. RURAL DEVELOPMENT			
1. I.R.D.P./SGSY	1135.00	1135.00	1135.00
2. D.W.C.R.A.	0.01	0.01	0.00
3. Women Development	435.00	235.00	195.00
4.(a) Jawahar Rozgar Yojana/JGSY	1935.00	1935.00	1935.00
(b) India Awas Yojana	1150.00	1150.00	1452.00
5. Apna Gaon Apna Kaam	150.00	150.00	150.00
6. D.P.A.P.	540.00	540.00	540.00
7. Untied Fund	1600.00	0.00	0.00
8. Batties Zile Batties Kaam	0.00	0.00	0.00
9. PM's assured Employment Programme	2750.00	2750.00	2750.00
10. Rural Growth Centre	0.01	0.01	0.00
11. Dang Area development	425.00	250.00	242.68
12. D.R.D.A. Administration	518.32	474.32	474.32
13. Integtated Dev. of Most Back-ward Panchayat Samitties.	0.01	0.01	0.00
14. M.L.A.Local Area Development Scheme	4000.00	8000.00	8000.00

* Incl. Rs. 1000 lakhs for conversion ST Loans to MT Loans

1	2	3	4
15. IREP - Bio Gas	33.00	33.00	22.00
16. Magra Area Development	10.00	10.00	0.00
17. Desert Dev. Programme	1372.00	1000.00	1000.00
18. Rural Dev. & Panchayat			
(i) Revitalisation of Panchayat Raj. and Streng. of Block Level Administration	2500.00	2500.00	2970.00
(ii) Construction of Rural Sanitation	100.00	100.00	100.00
(iii) Maching Grants to Raise Own Tax Revenue	0.01	0.01	0.00
(iv) Modernisation of Z.P. & P.S. Building	0.01	0.01	0.00
(v) Panchayat Bhawan	10.00	10.00	10.00
(vi) Training Institute for VLWs	44.00	44.00	23.88
(vii) Installation of Computers	10.00	10.00	10.00
(viii) H.Q. Building	0.01	0.01	0.00
(ix) Vehicle on Hire	0.01	0.01	0.00
(x) Grants for Panchayati Raj Institutions (SFC)	7767.48	7767.48	7088.92
(xi) Grants for Panchayati Raj. Institutions (EFC)	5306.00	9819.00	8667.56
(xii) Grants for Panchayati Raj. Institutions - Octroi	400.00	100.00	121.80
Sub Total - 18	16137.52	20350.52	18992.16
19. Indira Gandhi Panchayat Raj. Sansthan	7.00	7.00	5.70

1	2	3	4
20. Land Reforms			
(i) Agriculture Census	2.50	2.50	0.10
(ii) Updating of Land Records including Rationalisation of Revenue Administration			
a. RRTI Ajmer	27.50	27.50	27.50
b. Board of Revenue	38.73	38.73	17.73
c. Settlement	90.00	90.00	68.78
d. Bhanat Committee	46.00	46.50	65.75
Sub Total - 20	205.23	205.23	179.86
Total - Rural Development	32403.10	38225.10	37073.72
III SPECIAL AREA PGROGRAMME			
1. Mewat Development Board	200.00	100.00	72.90
2. Innovative Scheme/ Decentralised Development	0.01	0.01	0.00
3. B.A.D.P.	2917.00	2917.00	3032.00
Total-special Area Programme	3117.01	3017.01	3104.90
IV IRRIGATION AND FLOOD CONTROL			
A. Irrigation			
1. Multipurpose Projects			
(i) Chambal			
a.Technical Committee & Left over works	30.00	30.00	30.00
Sub Total (i)	30.00	30.0	30.00
(ii) Mahi	2200.00	1700.00	2700.00
Total - 1	2230.00	1730.00	2730.00

1	2	3	4
2. Major Projects			
(i) IGNP-Stage - I & II	12000.00	9000.00	11425.02
(ii) Jakham	0.01	0.01	0.01
(iii) Gurgaon Canal	0.01	0.01	0.01
(iv) Narbada	600.00	250.00	900.00
(v) Sidhmukh & Nohar Feeder (EAP)	5000.00	4000.00	4000.00
(vi) RWRCP	10.00	10.00	10.00
(vii) Ratanpur distributory			100.00
(viii) Bisalpur *	1600.00	2000.00	2000.00
Total -2	19210.02	15260.02	18435.04
3. Medium Projects	2999.97	2399.97	4300.00
4. Modernisation	100.00	100.00	960.00
5. Survey & Investigation	925.00	925.00	925.00
6. Irrigation Management Training Institute	110.00	100.00	100.00
7. Institute for Training of Engineering Subordinates	5.00	5.00	0.00
8. Research & Development Programme	10.00	10.00	10.00
9. Dam Safety Measures (EAP)	0.01	0.01	1.00
Total - Irrigation	25590.00	20530.00	27461.04
B. Minor Irrigation			
1. Ground Water Department	338.00	338.00	338.00
2. Irrigation Department			
(i) Surface MI Works	2415.00	915.00	1982.97
(ii) Chambal Lift Scheme	10.00	10.00	23.00

* Includes Rs. 140 lakhs Loans from RIDF.

1	2	3	4
(iii) Rajasthan MI Project Phase II(EAP)	1.00	1.00	1.00
(iv) Water Harvaesting Strengthening Loan from NABARD for famber relief projects.		1540.00	1060.00
(v) Augmentation of Traditional Water Source (EFC)			2500.00
3. MI Schemes through SSO-Lift Sch.	45.00	45.00	32.50
Total - Minor Irrigation	2809.00	2849.00	5937.47
C.COMMAND AREA DEVELOPMENT			
1. CAD & WU Department	32.00	32.00	27.75
2. Indira Gandhi Nahar Project			
(i) Stage I Phase I			
(ii) Stage II Phase II	4420.00	4020.00	4016.56
(iii) Stage II			
3. Chambal Phase II			
(i) Phase II	450.00	450.00	470.57
(ii) RAJAD Project (EAP)	88.00	0.00	25.37
4. CAD Mahi	1.00	1.00	4.11
5. Development of Mandies			
(i) Mandi Committee-Bikaner	58.00	58.00	26.82
(ii) Mandi Committee Jaisalmer	56.00	56.00	8.83
(iii) Mandi Committee-Hanumangarh	93.00	53.00	49.62
Total -CAD	5198.00	4670.00	4629.63
D. Flood Control	0.02	0.02	100.01

1	2	3	4
E. Colonisation	191.36	191.36	147.56
Total Irrigation & Flood Control	33788.38	28240.38	38275.71
V. POWER			
a. Rajasthan Rajya Vidyut Nigam Ltd.			
(i) Raj Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.	40000.00	43000.00	44028.00
(ii) Raj. Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd.	18460.00	31460.00	35532.00
(iii) Jaipur/Jodhpur/Ajmer Distribution Company	34100.00	34100.00	29000.00
Total - A	92560.00	108560.00	108560.00
B. (i) REDA	600.00	600.00	500.00
(ii) RSPCL- Mathania Solar Power Project-KFW(EAP)	4800.00	1000.00	1000.00
Total Power	97960.00	110160.00	110060.00
VI. INDUSTRY AND MINERALS			
A. Industries			
1. Village and Small Industries			
(i) Industries Department	3097.46	2097.46	1508.41
(ii) Khadi and Village Industries	110.00	110.00	110.00
(iii) Handloom Development Corporation	507.89	107.89	107.89
(iv) RAJSICO	0.01	0.01	0.01
Total - 1	3715.36	2315.36	1726.31
2. Medium and Large Industries			
(i) RFC	0.01	0.01	0.01

1	2	3	4
(ii) RIICO *	3300.00	2800.00	2800.00
(iii) State Enterprises	5.00	5.00	4.95
(iv) Bureau of Industrial promotion	150.00	100.00	100.00
Total - 2	3455.01	2905.01	2904.96
3. RUDA	0.00	0.00	0.00
4. BIDA	0.01	0.01	0.01
5.Institute of Craft	50.00	40.00	50.00
Total Industries	7220.38	5260.38	4681.28
B. Minerals			
1. Directorate of Mines & Geology	400.00	320.00	320.00
2. RSMM *	3500.00	3500.00	3500.00
3. RSMDC	0.01	0.01	0.01
4. Patroleum Department	18.50	18.50	24.57
Total - Minerals	3918.51	3838.51	3844.58
Total - Industry and Minerals	11138.89	9098.89	8525.86
VII TRANSPORT			
1. Road & Bridges			
a. Road @**	10000.00	19684.00	21413.41
b.Rajasthan State Highways Project (EAP)	14083.44	750.00	0.00
c. RIDF VI Loan from NABARD for Rural Roads		9000.00	5447.00

@ Includes Rs. 13000.00 laksh for PMGY

* Internal Resources

** Incl Rs. 4.00 crores transfer from Urban Renewal Fund

1	2	3	4
2. Rajasthan State Road Transport Corporation *	6800.00	6800.00	7400.00
3. Transport Department	190.00	90.00	78.20
4. Raj. State Bridge Construction Corporation	7348.00	7348.00	729.00
5. Agriculture Marketing Board (KUMS) *	11644.06	11644.06	15000.00
Total - Transport	50065.50	55316.06	50067.61
VIII SCIENTIFIC SERVICES			
1. Science & Technology	115.01	100.00	99.23
2. Enviromentlal Development	24.50	24.50	17.97
3. Grants in Aid to Pollution Control Board	10.00	10.00	0.00
Total - Scientific Serivces	150.00	134.50	117.20
IX SOCIAL AND COMMUNITY SERVICES			
A. EDUCATION			
a. General Education			
1(i) Elementary Education #	23818.55	20718.55	26041.52
(ii) DPEP	1655.64	1655.64	820.00
(iii) Under (EFC)	1236.70	1965.70	0.00
(iv) Under (TFC)	100.00	100.00	1355.40
(v) RIDF VI - Loan from NABARD for Primary School Building		3210.00	3210.00
2. Secondary Education	8762.63	6262.63	9664.00

* Internal Resources

Includes Rs. 1446.00 lakhs for PMGY

1	2	3	4
3. University & Other Higher Education			
(i) College Education	1650.00	1350.00	1446.00
(ii) University of Rajasthan	55.00	55.00	55.00
(iii) University of Jodhpur	96.00	70.00	92.65
(iv) University of Udaipur	50.00	50.00	55.71
(v) Kota Open University	45.00	45.00	40.57
(vi) University of Ajmer	65.45	65.45	80.00
(vii) Estt. of New Law University of Kota	10.00	10.00	0.01
(viii) Estt of New Law University of Bikaner	10.00	10.00	0.01
(ix) Estt. of New Law University of Jodhpur	50.00	50.00	50.00
(x) Sanskrit University	10.00	10.00	10.00
Total - 3	2041.45	1715.45	1829.95
4. Adult Education	525.00	525.00	475.89
5. Physical Education	13.20	13.20	8.70
6. Sanskrit Education (including Sodh Sansthan)	235.68	235.68	240.68
Sub Total - General Education	38388.85	36401.85	43646.14
B. Arts and Culture			
1. Fine Arts Education			
a) Sangeet Sansthan	5.00	5.00	12.20
b) School of Arts	5.00	5.00	5.00
c) Kathak Kendra	6.00	6.00	5.81
d) Ravindra Rangmanch	12.00	12.00	9.00

1	2	3	4
e) Rangmanch Bikaner	2.50	2.50	2.50
f) Assistance of Autonomous & Voluntary Organisations	15.00	7.00	7.00
Sub Total - i	45.50	37.50	41.51
2. (a) Archaeology & Museums	55.00	55.00	54.60
(b) Heritage Protection (EFC)			387.50
3. Archives	7.00	7.00	6.80
4. Oriental Research Institute	10.00	10.00	7.09
5.Arabic & Persian Research Institute	8.00	8.00	5.76
6. (a) Libraries	10.00	10.00	8.40
(b) Public Libraries (EFC)			740.00
7. Academies			
(a) Rajasthan Sahitya Academy	12.00	12.00	11.00
(b) Rajasthan Lalit Kala Academy	12.00	12.00	14.00
(c) Rajasthan Sangeet Natak Academy	55.00	55.00	55.00
(d) Rajasthan Hindi Granth Academy	15.00	15.00	12.67
(e) Rajasthan Sindhi Academy	7.00	7.00	2.50
(f) Rajasthan Urdu Academy	5.00	5.00	10.00
(g) Rajasthan Sanskrit Academy	8.50	8.50	8.50
(h) Rajasthani Academy	8.50	8.50	8.00
(i) Brij Academy	7.00	7.00	6.50
Sub Total -vii	130.00	130.00	128.17
8. Jawahar Kala Kendra	65.00	55.00	50.74
Total b Arts & Culture	330.50	312.50	1430.57

1	2	3	4
C. Technical Education			
1. Directorate of Technical Education Polytechnic	1000.00	900.00	835.00
2. MLV Textile Institute, Bhilwara	50.00	50.00	39.50
3. University of Jodhpur	70.00	70.00	55.52
4. MREC, Jaipur	15.00	15.00	15.00
5. Agriculture University, Bikaner	30.00	30.00	25.00
6. Engineering College Kota	100.00	100.00	87.00
7. Estt. of New Eng. College, Ajmer	78.00	78.00	88.00
8. Estt. of New Eng. College, Bikaner	50.00	50.00	30.00
Total-c : Technical Education	1393.00	1293.00	1175.02
D. Sport and Youth Welfare			
1. NCC	10.00	10.00	10.00
2. Scourts & Guides	10.00	10.00	10.00
3. Rajasthan Sports Council	115.00	115.00	115.00
4. Department of Sports	35.00	35.00	35.00
Total-D: Sports & Youth Welfare	170.00	170.00	165.00
Total Education	40282.35	38177.35	46416.73
B. Medical and Public Health			
1. M.N.P. $	5892.01	2755.01	4815.70
2. Other than M.N.P.	2957.46	2457.46	2651.30
3. Health Services (Rev.Cap)EFC		960.00	0.00
4. Population Control & Family Welfare	880.00	880.00	673.10

$ Includes Rs. 1446.00 lakhs for PMGY

1	2	3	4
5. Mobile Surgical Unit	33.00	33.00	30.03
6. Medical Education			
a. Medical College, Ajmer	108.00	108.00	108.00
b. Medical College, Bikaner	208.00	208.00	208.18
c. Medical College, Udaipur	206.70	206.70	198.75
d. Medical College, Jodhpur	235.00	235.00	235.00
e. Medical College, Jaipur *	930.00	996.00	996.00
f. Medical College, Kota	1050.	850.00	926.01
Sub Total-6	2737.70	2603.70	2671.94
7. E.S.I.	22.00	22.00	22.00
8. Ayurved			
a) Directorate of Ayurved	220.00	180.00	220.00
b) Ayurved College Udaipur	23.77	23.77	22.16
Sub Total - 8	243.77	203.77	242.16
Total - Medical & Health	12765.94	9914.94	11106.23
C. Sewerage and Water Supply			
1.a) Urban Water Supply & Sewerage & $***	9000.00	14110.00	11084.00
b) Summer Contingency Fund		4000.00	4000.00
2. Rural Water Supply			
a) PHED	9460.00	7050.00	9476.00
b) Under TFC Award	1300.00	500.00	1954.29
c) Inte Proj. for RWSS in Saline Belt (EAP)	8540.00	5300.00	5300.00
d) Summer Contingency Fund		4000.00	3700.00

* Inculdes Rs. 66.00 lakhs for Neuro Surgery Ward

$ Includes 100 lakhs for LIC Loan and Rs. 150 lakhs for HUDCO Loan

*** includes Rs. 470 lakhs for Bisalpur Project Loan from RIDF

1	2	3	4
3. Augmentation Traditional Water Source-EFC	1750.00	2144.00	0.00
4. Conversion of Dry Latrines into Flush Latrines	100.00	0.00	50.00
5. Tranining Institute for Engineering subordinates	0.00	0.01	0.01
Total-Sewerage & Water Supply	30150.00	37104.01	35564.30
D.Housing			
1. LIGH	50.00	50.00	20.00
2. MIGH	480.00	480.00	300.00
3. Rental Housing	1160.00	410.00	410.00
4.Village Housing EFC	0.01	1446.01	1446.00
5. Housing Development Project	0.01	0.01	0.00
6. Police Housing**	3488.72	3488.72	1757.00
7. Judicial Housing	124.80	124.80	124.80
8. Housing Board #	4323.00	4323.00	4581.00
Total - Housing	9626.54	10322.54	8638.80
E. Urban Development			
1. Town Planning	88.00	88.00	87.12
2. Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojna	200.00	100.00	100.00
3. Development of Smaill & Medium Towns	55.00	55.00	55.00
4. National Capital Region	30.00	1.00	1.00

** Includes Rs. 3425.00 lakhs from HUDOCO Loan

Internal Resources

1	2	3	4
5. a) Fire Fighting Equip. in Municipalities (TFC)	156.00	0.00	0.00
b) Fire Fighting Equip. in Municipalities (EFC)	125.00	880.00	0.00
6. Sahabhagi Vikas Yojana	0.00	0.00	0.00
7. Urban Development of Six Principal Town (EAP)	4000.00	500.00	374.52
8. Grants for Municipal Bodies (EFC)	1079.00	1988.00	1988.40
9. Slum Improvement	1479.00	1479.00	1479.00
10. Environmental Improvement of Urban Slums	50.00	50.00	0.00
11. Grants for Local Bodies(SFC)	2431.00	2431.00	2431.00
12. Special Grant in Aid for Urban Renewal	1000.00	600.00	100.00
13. Grants for Municipalties - Octori	35272.60	35272.60	35272.60
14. Slum Improvement (EFC)		1600.00	0.00
Total-Urban Development	45965.60	45044.60	41888.64
F. Information & Publicity	100.00	175.00	166.70
G. Labour & Labour Welfare			
1. Craftsmen Training	947.57	747.57	710.00
2. Employment	90.00	90.00	75.65
3. Labour Commissioner Office	93.54	93.54	92.69
4. Factories & Boilers	33.00	33.00	29.35
5. Bounded Labour	2.00	2.00	2.00
6. Manpower & Gazetteers	22.00	22.00	19.10

1	2	3	4
Total-Labour & Labour Welfare	1188.11	988.11	928.79
H. Welfare of Backward Classes			
1. Welfare of Backward Classes	1746.82	1546.82	1526.82
2. Residential Schools for Disadvantaged Groups(EAP)	1385.00	385.00	385.00
3.a) Social Welfare	709.28	609.28	599.28
b) Social Welfare -EFC		870.00	156.00
Total-Social Welfare Department	3841.00	3411.10	2667.10
1. Tribal Area Development			
a) Tribal Area	58.13	58.13	37.09
b) Integrated Wasteland Dev. in Dungarpur Distt. (EAP)	1.00	1.00	1.00
c) Maharashtra pattern			2730.00
d) Special Component for Tribal Area	3908.00	3908.00	0.00
Total-TAD	3967.13	3967.13	2768.09
J. a) Nutrition-ICDS & others	1300.00	1000.00	1123.00
b) Nutrition - PMGY		1446.00	1446.00
Total-Social and Community Services	149186.77	151550.78	152714.38
X. ECONOMIC SERVICES			
1. PMU	9.50	9.50	11.35
2. FD Computerisation	29.50	29.50	16.52
3.State Planning Machinery	100.00	100.00	150.00
4. a) District Planning	258.00	258.00	210.94
b) DPIP	4000.00	1000.00	600.00
5.Statistics	115.00	115.00	110.60
6. Evaluation	25.00	15.50	9.60

1	2	3	4
7. Food & Civil Supply	12.90	2.90	2.90
8. Directorate of Information Technology (DoIT)	250.00	250.00	210.00
9. Resources Development Fund	2000.37	2000.37	2000.37
10.Weights & Measures	22.00	22.00	19.73
11.Setting up of Rajasthan Foundation Fund		200.00	200.00
12. Setting up of Indian Institute of Information Technology		1.00	1.00
13. a) Tourisum Department	385.00	385.00	310.00
b) Tourism Dev. in Desert Circuit in Rajasthan (EAP)	1.00	1.00	0.00
c) Heritage Protection (EFC)		400.00	0.00
Total - Economic Service	7208.27	4789.77	3853.01
XI GENERAL SERVICES			
1. Stationary & Printing	6.35	6.35	6.35
2. State & Distt. Level Adm. Build.			
i) a) Jail Buildings	40.00	40.00	40.00
b) Jail Buildings (TFC)	71.55	6.55	61.84
c) Medical Facility (TFC)	0.01	0.00	0.00
d) Jail Buildings (EFC)	84.00	240.00	0.00
ii) a) Police Buildings	96.00	96.00	96.00
b) Police Buildings (EFC)	102.16	1680.00	0.00
c) Construction of Police Station/Training (TFC)			88.60
iii) a) GAD Buildings- Inc. Raj. Bhawan	263.00	213.00	72.00

1	2	3	4
iv) a) Revenue Buildings	37.50	37.50	12.50
b) Revenue Buildings (TFC)	120.00	0.00	57.89
c) Revenue Buildings (EFC)	197.46	0.00	0.00
v) a) Judicial Buildings	50.00	50.00	50.00
b) Judicial Administration (Rev.+Cap.) (EFC)		960.00	900.00
vi) Excise Deptt.	10.00	10.00	6.00
vii) Stamps & Registration	22.00	22.00	26.98
4. HCM. RIPA	17.00	42.00	42.00
5. Administrative Reforms	2.00	2.00	2.00
6.Commercial Taxes	15.00	15.00	7.00
7.Raj. Vidhan Sabha Bhawan	1500.00	1500.00	1250.00
8. Computerisation of Treasury (TFC)	35.01	0.00	0.00
9.Small Savings Sahbhagita Scheme	1040.00	0.00	0.00
10.Fiscal Adminstration (EFC)		360.00	317.60
Total-General Services	3734.04	5280.40	3036.76
GRAND TOTAL	414615.08	423794.26	423794.26

विधान सभा क्षेत्र चौमूं की क्षतिग्रस्त सड़कें

551. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं की सड़कें क्षतिग्रस्त होने पर भी उनका गत 10 वर्षों में एक बार भी नवीनीकरण नहीं किया गया है ? अब उक्त सड़कों का नवीनीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की मलिकपुर, सान्दरसर, हस्तेड़ा, सामोद वांसा चिथवाड़ी व कानरपुरा से रायथल सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? क्या उक्त सड़कों पर से आवागमन ही बन्द हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं को सड़कों पर चंदवाजी चौमूं, रेनवाल सड़क के कि.मी. 27/0 से 43/300 एवं कि.मी. 12/400 से 20/500 (कि.मी.0/0 चन्दवाजी पर) जिसका नवीनीकरण कार्य वर्ष 1997–98 में किया गया था, के अतिरिक्त गत 10 वर्षों में एक बार भी अन्य सड़कों पर नवीनीकरण का कार्य नहीं किया गया। सड़क संधारण योजनान्तर्गत वर्ष 2001–2003 में इस विधानसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों पर नवीनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौमूं को मलिकपुर, सांदरसर, हस्तेड़ा, सामोद वांसा, चिथवाड़ी व कानरपुरा से रायथल सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, परन्तु सड़कों पर आवागमन बन्द नहीं है। इन आंशिक क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के कार्य सड़क संधारण योजना वर्ष 2001–2003 में किये जाने प्रस्तावित हैं।

अनुदानित छात्रावासों के छात्रों पर प्रतिमाह व्यय

552. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा टोंक, अटरू व पाली में संचालित छात्रावासों, अनुदानित छात्रावासों, निराश्रित गृहों के आवासीय विद्यालयों में रहकर अध्ययनरत छात्रों/बच्चों पर प्रति छात्र प्रतिमाह कितना–कितना व्यय किया जाता है ?

(2) क्या उक्त में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खर्चे में असमानता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस असमानता को दूर करने का विचार रखती हे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा राजकीय/अनुदानित छात्रावासों एवं निराश्रित गृहों में रहकर अध्ययनरत छात्रा–छात्राओं पर व्यय की जाने

(समाज कल्याण मंत्री)

वाली राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। निराश्रित गृहों के छात्र–छात्राऐं आवासीय विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं।

(2) जी, हां। असमानता का कारण उक्त दरों का निर्धारण उपभोक्ता वस्तुओं की तत्कालीन दरों के आधार पर किया जाना है तथापि राज्य सरकार इन्हें समान करने हेतु संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार करेंगी।

परिशिष्ट 'अ'

राजकीय/अनुदानित छात्रावास एवं निराश्रित गृहों में छात्र-छात्राओं पर किये जाने वाले व्यय का विवरण

राजकीय/अनुदानित छात्रावास		निराश्रित गृह	
प्रतिमाह प्रति छात्र व्यय (9½माह हेतु)		प्रतिमाह प्रति छात्र व्यय (12 माह हेतु)	
1. भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईधन हेतु	525/	1. भोजन, वस्त्र, साबुन, तेल बिजली, पानी, पोस्टेज, स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें, व्यवसायिक प्रशिक्षण,स्वास्थ्य परीक्षण एवं मनोरंजन आदि	300/–
2. तेज, साबुन व बाल कटाई हेतु	24/–		
3. चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस धुलाई हेतु	12/–		
4. बिजली पानी हेतु	28/–	2. स्टाफ पर प्रतिमाह होने वाली व्यय राशि निम्नांनुसार है :–	
5. समाचार पत्र पत्रिकाओं हेतु	6/–		
योग	595/–	1. सुपरवाइजर भत्ता	300/–
उपरोक्त मासिक व्यय के अतिरिक्त सत्र में दी जाने वाली राशि का विवरण निम्नांनुसार है :–		2. गृह माता का भत्ता	600/–
		3. कुक का भत्ता	350/–
		योग	1250/–
1. ड्रेस, जूते, मौजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी हेतु 760/–रु. प्रति सत्र	80/–प्र.मा.	चूंकि राज्य में संचालित समस्त निराश्रित गृह 25	
योग	675/–प्र.मा.	बालक/बालिकाओं की यूनिट के संचालित है, अतः ∴ स्टाफ भत्ता प्रति छात्र प्रति माह 1250÷25=50 रुपये होता है अर्थात्	50/–
2. स्टेशनरी एवं फीस हेतु दी जाने वाली राशि			
कक्षा 6 से 8 तक	40/–		
कक्षा 9 से 12 तक	60/–		
उपरोक्त खर्चे वर्ष के 9½ माह किया जाता है।		योग	350/–
		3. मकान किराया भत्ता प्रति माह प्रति छात्र उपरोक्त खर्चे वर्ष के पूरे 12 माह किया जाता है।	40/–

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-893 की प्रति)

Government of Rajasthan

(State Enterprises Department)

No. F.2(9)BPE/89/1947 Jaipur dated 6th July, 1989

Chief Executives of All

State Public Enterprises.

Sub:- Voluntary retirement Scheme for the employees of State Public enterprises.

Sir,

Government has issued, in December, 1985 guidelines for absorption of surplus hands of state public enterprises in sister undertaking. This, however, did not help much on account of non-suitability of persons and other operational difficulties. Considering that grant of liberal retirement benefits might help reducing the surplus manpower, I am directed to commend the introduction of voluntary retirement scheme for the employees of State Public Enterprises on the following terms and conditions:

(1) An employee who has completed 10 years of service of completed 40 years of age may seek voluntary retirement by a written request.

(2) The management of the enterprise will have the right not to grant voluntary retirement for reasons to be recorded in writing.

(3) The treminal payments available to an employee who seek voluntary retirement would be:-

(a) the balance in his Provident Fund Account payable as per the PF regulations/scheme.

(b) cash equivalent of accumulated earned leave as per the rules of the enterprises.

(c) gratuity as per Gratuity Act or the gratuity scheme applicable to the employees.

(d) one month's/three month's notice pay (as per the conditions of service applicable to him)

(e) an ex-gratia payment equivalent to 1¼ month's emoluments (Pay+D.A.) for each completed years of service or the months emoluments at the time of retirement multiplied by the balance months of service left before normal date of retirement. whichever is less.

(f) travel by the entitled class to the place where he intends settling down.

(4) The management of the enterprise may make, in exceptional cases, a higher ex-gratia payment with prior approval of the BPE.

(5) The voluntary retirement scheme would be applicable to all employees, workers and executives. Where there is surplus man power, the vacancy caused by volutary retirement scheme would not be filled up.

(6) If an enterprise has already adapted a voluntary retirement scheme on conditions different from what is stated above, the same can be continued by them.

In case of emploees in managerial/supervisory caders (i.e. not falling in the category of "workmen") voluntary retirement may be granted by the management only after obtaining clearance of the BPE. Proposals in this regard would be examined by the committee consisting of Finance Secretary. State Enterprises Secretary and the Chief Executive of the enterprise concerned for taking an appropriate decision. No such approval will be necessary for workmen. A list of workmen retired voluntarily shall whoever be sent to the BPE invariably for its information and record.

Sd/-

Secretary to Govt.

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-903 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

सेवा में,

श्रीमान् एस. एच. ओ.

मानटाउन जिला सवाईमाधोपुर।

विषय :— प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं दि. 25.1.2001 को माननीय मुख्य मंत्री महोदयजी का स.माधोपुर आगमन होने की वजह से सभी कांग्रेसी कार्यकत्ताओं के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागत करने विनायक होटल गया था, उसके बाद पूरे समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय के प्रोग्राम में उपस्थित रहा। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी जयपुर के लिए रवाना हुये तब मैं भी गाड़ियों के साथ हैलीपेड पर उनकी विदाई करने हैलीपेड पर गया वहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को विदाई करके तुरन्त मैं सीधा बाजार होता हुआ शाम को 4.00 बजे अपने निजी गृह सीमेंट फैक्ट्री पर आ गया था। उसके पश्चात् मैं सीमेंट फैक्ट्री में ही एक मेरे निजी मिलने वाले के यहां पर मिलने गया हुआ था, तब वहां पर मुझको विक्रम गुर्जर निवासी हिण्डौन ने फोन किया कि मुझे तेरे से बहुत जरूरी काम है तो मैंने कहा तुम कहां से बोल रहे हो तो उसने कहा कि मैं विनोद शंकर पारीक के यहां से बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि मैं दस—पन्द्रह मिनट में आ रहा हूं। मैं थोड़ी देर बाद पारीकजी के यहां पर पहुंच गया तो मुझे विक्रम गुर्जर व खलील अहमद दोनों वहां पर मिले, उन दोनों ने मुझे टाटा सोमू गाड़ी जो सफेद रंग की थी उसके पास ले जाकर बात करने को कहा तो मैं टाटा सोमू गाड़ी के पास ज्यों ही गया तो उसके अन्दर पांच—छह गुण्डे लड़के बैठे थे, जो डा. अबरार अहमद व यासमीन अबरार विधायिका द्वारा भेजे गये थे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ कर टाटा सोमू गाड़ी में डाल दिया उस समय करीब शाम के 7, 7.30 बजे का टाइम था तो वहां सीमेंट फैक्ट्री की रोड पर बिलकुल अंधेरा था, इस कारण से अन्दर वाले लड़कों को पहचान नहीं सका, न ही टाटा सोमू जो

सफेद रंग की थी, उसके नम्बर नहीं देख सका, जब मुझे पांच—छह लड़कों ने जबरदस्ती पकड़ कर टाटा सोमू गाड़ी में डाल दिया तो में जोर से चिल्लाया तो उन्होंने लोहे के सरिये व छोटे डण्डों से तथा लात घूसों से मेरी बेहरमी से सभी ने मार—पीट करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तू अभी देख तेरा फार्म हाउस में क्या हाल बनाते हैं। वहां तेरा बाप डा. अबरार अहमद व यासमीन व उसके चहते हो क्या हाल बनाते है। तुझे नेतागिरी करना व मुख्य मंत्रीजी के साथ रहना व मंत्रियों के साथ रहना बतायेगी, इस तरह मेरा विक्रम गुर्जर, खलील अहमद तथा इसके साथी व अबरार अहमद के द्वारा भेजे गुण्डों ने मेरे साथ बुरी तरह गाड़ी में मार—पीट करते हुये मुझे फार्म हाउस के अन्दर ले गये, वहां पर ले जाकर इन गुण्डों ने अबरार अहमद व यासमीन से कहा, यहां ले आये, राजनैतिक विरोधी गुण्डे को जिसका यह हाल कर के लाये हैं।

तब अबरार अहमद व यासमीन ने कहां कि इसको कमरे में बन्द कर दो। तब इन गुण्डों ने मुझे एक कमरे में बन्द कर दिया और मुझे जबरदस्ती तीन गिलास वाइन पिला दी तथा मेरी गर्दन पर ऊपर नीचे तलवार लगा दी और कहने लगे कि तू इस वाइन को पिजा वरना जान से मार देंगे। मुझे जबरदस्ती इन गुण्डों व अबरार अहमद एवम् यासमीन, असरार अहमद ए.पी.सी., हुमायूं कबीर थानेदार ने मुझे जबरदस्ती वाइन पिलाई तथा इन सबने मुझे बन्द कमरे में बुरी तरह लोहे व सरिये, डण्डों व धारदार तलवार, लात गुसों से मारा है, जिससे मेरे सम्पूर्ण शरीर पर बहुत अधिक दर्द हो रहा है तथा आखों पर चेहरे पर कुछ अधिक चोटें आयी हैं।

जब फार्म हाउस पर डा. अबरार व यासमीन भी मारपीट करने में शामिल थे, जब मुझे फार्म हाउस लाये तो मेरे पीछे से पल्लव पारीक विनोद शर्मा मोटर साइकिल से पीछे—पीछे आये तो उनको भी पकड़ लिया गया और उनके साथ भी मारपीट करने लगे।

जब फार्म हाउस पर मेरी बन्द कमरे में ये लोग बेहरमी से पिटाई कर रहे थे तब वहां पर बाहर बसीर अहमद, कन्हैया पटेल, बृजराज सिंह एडवोकेट, कुंजबिहारी, अंसारी लेक्चरार व डिण्डौन गंगापुर के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे जिनको मैं नहीं जानता हूं। ये सब भी मेरी पिटाई करवाने में लग रहे थे। जब मैं बेहोश हो गया तथा अबरार अहमद व असरार अहमद ने पुलिस को फोन करके बुलाया है और मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाकर जबरदस्ती पुलिस को अपने राजनैतिक व पैसे का दबाव डालकर मेरा मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि सत्य यह है कि मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी व मंत्रियों के साथ था, इस

कारण से मेरे से राजनैतिक बदला लिया है। मैंने कोई भी गलत गतिविधियों नहीं की हैं।

अतः श्रीमान्‌जी से अनुरोध है कि इन सब अपराधियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें एवं मेरी जान माल की रक्षा करने का प्रबन्ध करने की व्यवस्था करे मुझे इन गुण्डों से बहुत अधिक खतरा है। यह मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रार्थी

ह.

(प्यारे लाल शर्मा)

दिनांक 25.1.2001

पुत्र श्री स्व.राम सुमेर शर्मा

क्वा. न. 73/200, साहूनगर

सीमेंट फैक्ट्री, थाना मानटाउन

सवाईमाधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त रिपोर्ट मानटाउन श्री प्यारे लाल शर्मा पुत्र श्री राम सुमेर शर्मा नि. क्वार्टर न. 73/200 साहूनगर की श्री रामेश चौहान पुत्र श्री रणवीर सिंह चौहान नि. जदवाड़ा खुर्द ने लाकर थानेदार पेश की जिसकी नकल FIR में अक्षर प्रति अक्षर की गई। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 147, 365, 323 342 काननू में आना पाया जाता है। अतः मु. न. 39/2001 बदमन उपरोक्त में कायम कर तफतीश श्री प्रेमसिंह R.P.S. CO City स.मो. को सुपुर्द कर प्रेषित की गई। प्रतियां FIR व S.R. नियमानुसार जारी की गई।

ह.

S.H.O. PS

मानटाउन

26.1.2001 at 11.00 A.M

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-905 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

ग्राम चित्रावास तहत थाना सायरा में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में विवरण

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम चित्रावास में पुलिस चौकी सृजित करने के संबंध में वांछित सूचना बिन्दूवार निम्नानुसार प्रेषित है :–

(1) प्रस्तावित पुलिस चौकी के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं औचित्य :–

प्रस्तावित पुलिस चौकी चित्रावास थाना सायरा से 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित हो पहाड़ी क्षेत्र आदिवासी बाहूल्य क्षेत्र हो ये लोग संगठित होकर नहीं रहते है। दूर–दूर पहाड़ों पर एक–एक मकान बने हुए है, ये लोग आये दिन छोटे–मोटे अपराध करते रहते हैं। अपराध करने के पश्चात् ये लोग आपसी समझौता अधिक करते हैं, इसकी सूचना थाने पर नहीं देते हैं। यदि यहां पुलिस चौकी सृजित की जाए तो अपराध होने पर अकुंश रहेगा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित रहेगा।

(2) प्रस्तावित पुलिस चौकी के गांव तथा जनसंख्या एवं चौकी से गांवों की दूरी :–

प्रस्तावित पुलिस चौकी चित्रावास में थाना सायरा क्षेत्र के 18 गांव सम्मिलित होंगे जो निम्नानुसार है :–

क्र.स.	सम्मिलित होने वाले गांव	जनसंख्या	थाने से दूरी	चौकी से दूरी
1	2	3	4	5
1.	चित्रावास	751	18	0
2.	कडेय	817	30	12
3.	राबछ	2153	20	5
4.	पालीदाडा	566	20	25
5.	बागुनी	425	22	20
6.	बारावली	397	10	9

1	2	3	4	5
7.	पिपरणा	231	16	4
8.	टेगड़ा	165	18	12
9.	पाबा	343	10	20
10.	हायला	501	18	6
11.	कुलावास	426	22	7
12.	रिछवाड़ा	342	20	10
13.	कागटी	193	25	25
14.	पला	437	18	10
15.	सायला	921	11	15
16.	पुनावली	1355	16	20
17.	विस्मा	621	8	10
18.	पदराडा	2248	10	13
	योग	12893		

(3) प्रस्तावित पुलिस चौकी का क्षेत्रफल :

प्रस्तावित पुलिस चौकी का क्षेत्रफल लगभग 10694 हैक्टेयर होगा।

(3A) आवागमन के साधन नहीं है, कच्ची सड़क बनी हुई है, बिजली पानी की (नल) सुविधा नहीं है, पानी हेतु कुआं है।

(4) प्रस्तावित पुलिस चौकी में सम्मिलित होने वाले गावों की सूची :

प्रस्तावित पुलिस चौकी में थाना सायरा क्षेत्र के 18 गांव सम्मिलित होने वाले गांवों की सूची बिन्दू संख्या दो में वर्णित है।

(5) प्रस्तावित पुलिस चौकी में सम्मिलित होने वाले गांवों की गत तीन वर्षों के आपराधिक आंकड़े :–

क्र.स.	नाम गांव	वर्ष 1997	1998	1999	योग
1.	चित्रावास	2	3	5	10
2.	कडेय	—	—	3	03
3.	राबछ	5	6	6	17
4.	पालीदाडा	—	—	2	2
5.	बागुनी	1	2	3	6
6.	बारावली	2	—	1	3
7.	पिपरणा	—	1	—	1
8.	टेगड़ा	—	—	—	—
9.	पावा	1	1	3	5
10.	हायला	1	1	9	11
11.	कुलावास	—	2	—	2
12.	रिछवाड़ा	1	1	3	5
13.	कागटी	1	—	—	1
14.	पला	1	5	—	6
15.	साधला	4	4	9	17
16.	पुनावली	6	3	11	20
17.	विस्मा	3	5	3	11
18.	पदराडा	10	13	8	31
	योग	38	47	66	151

(6) प्रस्तावित पुलिस चौकी का नक्शा :

प्रस्तावित पुलिस चौकी चित्रावास का नक्शा दो प्रति में संलग्न है।

(7) प्रस्तावित पुलिस चौकी के लिए प्रशासकीय/आवासीय भवन :

प्रस्तावित पुलिस चौकी चित्रावास के लिए वर्तमान में कोई भूमि आवंटित नहीं है, न ही वहां किराये का मकान भी उपलब्ध हो सकेगा, टेन्ट लगाकर चौकी प्रारम्भ की जा सकेगी। पंचायत द्वारा भूमि आवंटन कराई जायेगी।

(8) प्रस्तावित पुलिस चौकी में सम्मिलित किये गये गांवों के अतिरिक्त शेष रहे गावों के गत 3 वर्षों के आपराधिक आंकड़े :–

1. वर्ष 1997	100
2. वर्ष 1998	88
3. वर्ष 1999	99

(9) प्रस्तावित पुलिस चौकी के लिए बल की आवश्यकता :

प्रस्तावित पुलिस चौकी चित्रावास के लिए मापदण्ड के अनुरूप एक सहायक उप निरीक्षक, एक हैड कानि. एवं 8 कानि. की आवश्यकता रहेगी जिस पर 66971/– प्रति माह अतिरिक्त व्यय होगा। टेलीफोन, वायरलेस सैट, पंखे तथा आवश्यकतानुसार फर्नीचर की आवश्यकता रहेगी।

अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित पुलिस चौकी सृजित कराने की स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा कराये।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-909 की सूची)

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : एफ 7(30)वन/97 जयपुर. दिनांक 5 सितम्बर, 1998

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण अधिनियम, 1972) केन्द्रीय अधिनियम 53 सन् 1972 की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य वन्य प्राणी सलाहकार मण्डल का जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे, तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन किया जाता है :

क्रमांक	नाम	पद	धारा/उप-धारा जिसके अन्तर्गत नियुक्ति की गई है।
1	2	3	4
1.	वन मंत्री	अध्यक्ष	6(1)ए
	पदेन सदस्य		
2.	शासन सचिव, वन	सदस्य	6(1)सी
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य	6(1)डी
4.	मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य		6(1)एफ
	वन्य जीव प्रतिपालक	पदेन सदस्य	6(1)एफ
	राज्य सरकार के अधिकारी	**सदस्य**	
5.	शासन सचिव, पशुपालन	सदस्य	6(1)जी
6.	निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य	6(1)जी
7.	विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)	सदस्य	6(1)जी
8.	निदेशक, जन सम्पर्क विभाग	सदस्य	6(1)जी
9.	पुलिस महानिदेशक	सदस्य	6(1)जी

1	2	3	4
10.	निदेशक, वन्य जीव सुरक्षा भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य	6(1)ई
	अन्य सदस्य		
11.	श्री राजपाल सिंह, पत्रकार, जयपुर	सदस्य	6(1)एच
12.	श्री हर्षवर्द्धन, सी–150, दयानन्द मार्ग तिलक नगर, जयपुर	सदस्य	6(1)एच
13.	श्री दिग्विजय सिंह	सदस्य	6(1)एच
14.	डा. एच.एम. मोहनीत, प्रोफेसर प्राणीशास्त्र, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य	6(1)एच
15.	श्री प्रदीप कुमार विश्नोई, डी–6 सरस्वती नगर, जोधपुर	सदस्य	6(1)एच
16.	श्री बी.डी.शर्मा, सेवानिवृत मुख्य वन संरक्षक, सी. 101 बापूनगर, जयपुर	सदस्य	6(1)एच
17.	श्री नरेश कुमार जांगिड़, 160 पत्रकार कालोनी, सेक्टर–7 विस्तार योजना, जोधपुर	सदस्य	6(1)एच
18.	डा. प्रकाश बाकरे, एसोसिएट प्रोफेसर जिओलोजी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य	6(1)एच
19.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह चौधरी, रातानाडा, भाटियों का चौराया, जोधपुर	सदस्य	6(1)एच
20.	डा. किरोड़ी लाल मीणा	सदस्य	6(1)एच

धारा 6(1)(बी) के अन्तर्गत 2 विधान सभा सदस्यों को अध्यक्ष, राजस्थान विधान

सभा की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् पृथक् से मंनोनीत करने के आदेश जारी किये जावेंगे।

इस बोर्ड की अवधि वन्य जीवन संरक्षण 1977 के नियम–3 के तहत 3 वर्ष की है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सैक्शन 7(1) के तहत बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है।

आज्ञा से

ह.

(संकठा प्रसाद)

विशेषाधिकारी, वन

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक 40/7(30)वन/90 जयपुर, दिनांक 3.11.1998

अधिसूचना

इस विभाग से जारी समसंख्या अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर, 1990 के क्रम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (केन्दीय अधिनियम 53 सन् 1972) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "राज्य वन्य जीव सलाहकार मण्डल" में निम्नलिखित विद्यालयों को उपरोक्त नियम की धारा 6(1) बी के अन्तर्गत एक सदस्य के रूप में दसवीं विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति तक एतद्द्वारा मनोनीत करती है।

क्र.स.	नाम विद्यालय
1.	श्री बी.पी.सिंह (आसींद) ए–26 हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर (आर.) 2355896/2357870
2.	श्री पूनम चन्द विश्नोई, 31 बी.प्रथम पोलो ग्राउण्ड पावटा, जोधपुर

आज्ञा से

ह..

(एस. प्रसाद)

विशेषाधिकारी, वन

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-913 की सूची)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र देसूरी व बाली में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सड़कों की सूची

क्र.स.	विधान सभा क्षेत्र	सड़क का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	बाली	खारड़ा नदी पर पुल निर्माण	1996--1997	73.66
2.	बाली	मिठड़ी नदी पर पुल निर्माण	1996--1997	133.97
3.	देसूरी	सम्पर्क सड़क इन्द्रवाड़ा 3.5 किमी.	1996--1997	27.20
4.	देसूरी	सम्पर्क सड़क छोड़ा	2000--2001	14.32
5.	देसूरी	सम्पर्क सड़क प्रतापगढ़	2000--2001	15.92
6.	देसूरी	सम्पर्क सड़क भगवानपुरा	2000--2001	15.95
7.	देसूरी	सम्पर्क सड़क राबड़ियावास	2000--2001	15.45
8.	देसूरी	सम्पर्क सड़क विरमपुरामाताजी	2000--2001	15.49
9.	देसूरी	सम्पर्क सड़क काणा	2000--2001	14.01
10.	देसूरी	सम्पर्क सड़क उन्दरथल	2000--2001	15.12
11.	देसूरी	सम्पर्क सड़क गागना से बोलागुड़ा	2000--2001	16.00
12.	देसूरी	सम्पर्क सड़क चांगवा से खटुकड़ा	2000--2001	16.85
13.	बाली	सम्पर्क सड़क एरनपुरा से बिसमा	2000--2001	4.48

प्रपत्र "ख"

नाबार्ड योजना के अन्तर्गत आर.आई.डी.एफ.-6 में 2001-2002 में बनाई जाने वाली सड़कों का विवरण

क्र.स.	कार्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	सम्पर्क सड़क छोड़ा	देसूरी	14.32	कार्य प्रगति पर
2.	सम्पर्क सड़क प्रतापगढ़	देसूरी	15.92	कार्य प्रगति पर
3.	सम्पर्क सड़क भगवानपुरा	देसूरी	15.95	कार्य प्रगति पर
4.	सम्पर्क सड़क राबड़ियावास	देसूरी	15.45	कार्य प्रगति पर
5.	सम्पर्क सड़क विरमपुरामाताजी	देसूरी	15.49	कार्य प्रगति पर
6.	सम्पर्क सड़क उन्दरथल	देसूरी	15.12	कार्य प्रगति पर
7.	सम्पर्क सड़क गुड़ा गागना से बोलागुड़ा	देसूरी	16.00	कार्य प्रगति पर
8.	सम्पर्क सड़क एरनपुरा से बिसमा	देसूरी	4.48	कार्य प्रगति पर

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-914 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का विवरण

क्र.स.	सड़क का नाम एवं नंबर	सड़क की लंबाई (किमी.में)	मरम्मत पर व्यय (लाखों में) 1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल व्यय (लाखों में)	सड़क की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ)	स्टेट हाइवे								
1.	मालपुरा—केकड़ी—कादेड़ा सड़क—12	41.00	5.77	5.00	18.37	7.05	9.51	45.70	सड़क सही हालत में है।
2.	नसीराबाद—केकड़ी—देवलीरोड—26—ए	35.00	11.65	4.38	15.87	4.12	8.18	44.20	सड़क सही हालत में है।
3.	केकड़ी—सावर—पापखेड़ा रोड—26—बी	34.00	—	—	—	—	0.17	0.17	सड़क सही हालत में है।
(ब)	एम.डी.आर								
1.	विजयनगर—केकड़ी रोड—9	35.00	5.05	7.53	2.17	2.74	9.69	27.18	केवल किमी. 78/0 से 90/0 के बीच रिपेयर की आवश्यकता है।
2.	केकड़ी सावर पंडेर भीलवाड़ा रोड—56	8.00	—	—	0.82	0.04	0.36	1.22	सड़क सही हालत में है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(स)	ओ.डी.आर.								
1.	जालिया–सांपला–श्यामपुरा–2	12.00	0.17	4.62	—	—	0.43	5.22	सड़क सही हालत में है।
2.	बांदनवाड़ा–भिनाय–नागोला–23	5.30	0.43	1.40	—	—	—	1.83	सड़क सही हालत में है।
3.	केकड़ी–बघेरा रोड़–24	22.00	1.17	3.41	15.22	1.04	1.55	22.39	सड़क सही हालत में है।
							योग	147.91	
(द)	अन्य ग्रामीण सड़कें								
1.	सम्पर्क सड़क महरूकलां–45	8.75	0.05	0.25	0.27	0.70	—	1.27	सड़क सही हालत में है।
2.	चोसला–घटियाली–47	13.00	0.20	0.13	0.02	—	0.05	0.40	किमी. 3/0 से 8/0 में पेच कार्य की आवश्यकता है।
3.	सम्पर्क सड़क लताड़िया–66	3.00	0.26	1.33	—	—	—	1.59	सड़क सही हालत में है।
4.	सावर–लक्ष्मीपुरा–सीतीयावास–70	9.00	0.03	0.01	0.24	—	—	0.28	किमी. 3/0से 5/0 में पेच कार्य की आवश्यकता है।
5.	सम्पर्क सड़क बिसुन्दरी–73	4.00	—	—	—	—	0.00	0.00	सड़क सही हालत में है।
6.	बराई पून्डेडा–76	4.00	—	—	—	—	—	0.00	सड़क सही हालत में है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	बिसून्दनी गोरया—74	6.50	—	0.03	0.84	—	—	0.87	सड़क पर सुदृढीकरण की जरूरत है क्योंकि सड़क वाटर—लोग्ड ऐरिया में है
8.	सम्पर्क सड़क पीपलाज	6.40	—	—	—	—	—	0.00	उपरोक्तानुसार।
9.	जूनिया—हिंगोनिया सड़क—101	7.00	0.28	0.13	0.02	—	0.27	0.70	किमी.0/0 से 3/0 में पेच एवं बर्म रिपेयर कार्य की आवश्यकता है।
10.	सरसडी—गुमानखेड़ा	3.00	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की स्थिति ठीक है।
11.	सम्पर्क सड़क बीरवाडा	1.00	—	—	—	—	—	0.00	उपरोक्तानुसार।
12.	जुनिया देवगांव	14.00	0.13	1.72	—	—	0.31	2.16	5 प्रतिशत सड़क के एरिये में पेच कार्य जरूरी है।
13.	सम्पर्क सड़क बिसुन्दनी गोरधा	0.50	0.06	—	—	—	—	0.06	यह सड़क वाटर लोग्ड एरिये में है इस कारण रेजिंग एवं सुदृढीकरण कराना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	प्रान्हेडा भीमडावास	4.00	—	—	—	—	—	0.00	अभी सड़क ठीक है वर्षा के पहले नाले वाली साइड में रिटेनिंग वॉल बनाना जरूरी है।
15.	धूंधरी टांकावास	1.75	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
16.	राघपुरा टांकावास	6.00	—	—	—	—	—	0.00	सड़क पर सुदृढीकरण जरूरी है।
17.	सम्पर्क सड़क खेजडी	2.00	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
18.	मेवदाकलां मानखण्ड	5.40	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
19.	सदारा अलोली	4.00	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
20.	घूंघली बोगला	4.00	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
21.	देवगांव से मण्डियाई	0.75	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
22.	रूपनवास से सलारी	3.20	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
23.	अंलगरा से ललाई	5.50	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
24.	सम्पर्क सड़क सूरजपुरा	1.00	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	सरवाड भगवानपुरा जालिया	13.50	0..12	0.36	0.04	0.06	0.52	1.10	किमी 9/0 से 19/0 तक पेच कार्य करना है
26.	सांपला–गोपालपुरा	4.50	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
27.	सम्पर्क सड़क सदारिया	1.20	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
28.	सम्पर्क सड़क सांपूदा	1.50	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
29.	सम्पर्क सड़क सील से सनदोलिया	3.33	—	—	—	—	—	0.00	सड़क की हालत ठीक है।
	कुल योग–37 सड़कें (अ+ब+स+द)	334.28	किमी33.87	25.30	53.88	15.12	31.04	159.21	

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-916 की सूची)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र रायपुर में सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2003 की अवधिं में विचाराधीन नवीनीकरण कार्यो की सूची

क्र.स.	सड़क का नाम	प्रस्तावित किमी.	लम्बाई
1	2	3	4
1.	बिलाड़ा देसूरी सड़क	12/0 से 26/0	14 किमी.
अन्य जिला सड़कें			
2.	चण्डावल से जैतारण	0/0 से 5/0	5 किमी.
3.	देवली—सिंगला पाटवा	0/0 से 5/0 व 7/0 से 9/0	7 किमी.
4.	बर से गिरी सड़क	0/0 से 13/0	13 किमी.
5.	सांडिया से बगड़ी	0/0 से 10/0	10 किमी.
6.	देवली से अटपड़ा	0/0 से 9/0	9 किमी.
7.	गुडीया से कुशालपुरा	0/0 से 6/0	6 किमी.
8.	कीमा की बेरी से बेलपना	0/0 से 2/0	2 किमी.
9.	बलाड़ा से ब्यावर	17/0 से 22/0	5 किमी.
ग्रामीण सड़कें			
10.	झाला की चौकी से कलालीया वाया कानूजा	0/0 से 9/0	9 किमी.
11.	सम्पर्क सड़क कुशालपुरा (रायपुर से कुशालपुरा)	0/0 से 9/0	9 किमी.
12.	रायपुर(हरिपुर)जस्सा खेडा सड़क	3/0 से 13/0	10 किमी.

1	2	3	4
13.	करमावास से सिंगला	7/0 से 11/0	4 किमी.
14.	सम्पर्क सड़क झूंठा	0/0 से 1/0	1 किमी.
15.	सम्पर्क सड़क बांसिया	0/0 से 1/500	1½ किमी.
16.	पिपलीया से दोनडी	0/0 से 5/0	5 किमी.
17.	सम्पर्क सड़क रेल्वे स्टेशन बर	0/0 से 1/0	1 किमी.
18.	चण्डावल से बीजा गुडा(खोडिया)	0/0 से 10/0	10 किमी.
19.	रामपुरा से निमाज	4/0 से 9/0 व 14/0से 19/0	10 किमी.
20.	लिलाम्बा से निमाज सड़क	0/0 से 9/0	9 किमी.
21.	मुरडावा से उदेशीकुआं	0/0 से 6/0	6 किमी.
22.	केलवाद से देवली डूल्ला	0/0 से 4/0	4 किमी.
23.	सेंदडा से कन्याबावडी	0/0 से 6/0	6 किमी.
		कुल	156½ किमी.

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-918 का विवरण)

परिशिष्ट ''क''

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर की विभागीय सड़कों पर नवीनीकरण एवं साधारण मरम्मत पर व्यय

(व्यय राशि लाखों में)

क्र.स.	सड़क का नाम	श्रेणी	लंबाई	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-2001	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	सतूर नागोर रोड (शाहपुरा—जहाजपुर)	राज्यराज मार्ग—39	21.4	8.39	5.29	3.37	3.72	3.94	13.36	15.13	10.36	11.25	1.92	76.73
2.	सतूर नागौर रोड (जहाजपुर शंकरगढ़)	राज्यराज मार्ग—39	15	1.21	—	0.17	0.25	0.05	0.01	—	0.86	—	—	2.55
1.	माण्डलगढ़ देवली रोड़	एम.डी.आर.7	47	14.49	10.64	19.70	16.69	5.64	5.16	5.20	9.10	5.77	6.61	99.27
2.	भीलवाडा कोटड़ी पण्डेर सावर रोड	एम.डी.आर.56	18	9.96	4.76	1.28	7.46	7.35	2.90	2.18	3.71	4.05	1.36	45.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	इटून्दा देवा का खेड़ा	ग्रा.स.–7	6	1.03	0.76	1.36	0.14	0.16	—	—	0.53	0.56	0.05	4.59
2.	सम्पर्क सड़क पण्डेर	ग्रा.स. 11	1	1.13	—	0.02	—	0.21	—	—	—	0.20	0.03	1.59
3.	सरसिया मेडीया रोड	ग्रा.स. 23	11.20	0.36	0.07	0.20	0.89	0.47	0.52	0.76	1.32	1.10	0.04	5.73
4.	अमरवासी इटून्दा वाया लुहारीकलां	ग्रा.स. 49	14.20	0.11	0.31	0.43	0.40	0.15	0.37	—	0.89	3.03	0.02	8.71
5.	जहाजपुर घाटारानी रोड	ग्रा.स. 58	10	0.08	0.25	1.59	0.25	0.29	0.18	0.62	—	0.45	0.01	3.52
6.	खजूरी आमलदा रोड	ग्रा.स. 68	11.2	—	—	0.02	—	0.03	—	—	—	—	—	0.05
7.	खजूरी बाकरा टीटोडा	ग्रा.स. 69	7.2	0.03	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	0.05
8.	नाथून इटूनखा रोड	ग्रा.स. 70	14	0.26	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	0.36
9.	सम्पर्क सड़क कुचलवाड़ा	ग्रा.स. 71	3	0.24	0.14	0.18	0.08	0.11	0.08	0.01	—	0.61	0.01	1.46
10.	धांधोला धुवाला रोड	ग्रा.स. 74	3	—	—	0.01	—	0.18	0.02	—	—	—	—	0.21
11.	बिहाड़ा से अजमेर जिला सीमा तक	ग्रा.स. 182	11	0.01	0.04	0.22	0.82	—	0.01	—	—	—	0.53	1.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	शकरपुरा जामोली रोड	ग्रा.स. 225	5	—	—	0.17	0.25	0.05	0.01	—	—	—	—	0.48
13.	सम्पर्क सड़क धोड	ग्रा.स. 264	1	—	0.04	—	—	—	0.03	—	—	—	—	0.07
14.	सम्पर्क सड़क बिजेठा	ग्रा.स. 265	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01
15.	भोपालपुरा टिटोडा रोड	ग्रा.स. 268	3	—	0.01	0.13	0.35	—	0.06	—	—	0.42	—	0.97
		योग	203.20	37.70	22.31	28.85	31.57	21.45	22.81	23.90	26.77	27.44	10.59	252.99

परिशिष्ट ''ख''

जहाजपुर तहसील कोटड़ी की विभागीय सड़कों का नवीनीकरण एवं साधारण मरम्मत का कुल व्यय (व्यय रुपये लाखों में)

क्र.स.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-2001	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	भीलवाड़ा कोबड़ी पडेर सड़क किमी 35/0—6/40	मुख्य जिला सडक—56	21.4	4.27	9.87	7.15	1.85	4.28	5.10	10.10	3.43	0.75	—	46.80
2.	शाहपुरा कोटड़ी सड़क किमी. 12/0—24/0	ग्रा.स.—24	12.00	10.0 [?]	0.73	0.70	0.59	4.29	3.87	5.84	3.59	0.06	1.48	22.15
3.	पारोली बिसनिया आमेली सड़क	ग्रा.स.—30	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.	पारोली बाछोड़ा सड़क	ग्रा.स.—65	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	कोटड़ी घेवरिया आमोला	ग्रा.स.—73	19.75	—	—	0.19	—	—	—	0.15	—	—	—	0.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	दांतड़ा बिसनिया	ग्रा.स.224	11	–	–	0.12	–	0.05	0.11	0.24	0.53	–	–	0.65
7.	संगतपुरिया बीरधोल	ग्रा.स. 227	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	सम्पर्क सड़क पारोली	ग्रा.स. 290	1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	छापड़ेल आसोप बोरड़ा	ग्रा.स. 307	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	सम्पर्क सड़क सांखाड़ा	ग्रा.स. 321	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.01	0.01
11.	सम्पर्क सड़क बांटी	ग्रा.स. 328	7	—	–	–	–	–	–	–	0.01	–	0.02	0.03
		योग	97.65	5.27	10.60	8.16	2.44	8.62	9.08	16.33	7.16	0.81	1.51	69.98

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-930 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

राहत कार्या का विवरण जिन पर सामग्री व्यय की सूचना

क्र.स.	ग्रेवल सड़क का नाम	खान का नाम	मात्रा ग्रेवल/क्वारी रबिश
1	2	3	4
1.	ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य श्रीरामपुरा से मातेड़ा वाया मंडपी	श्रीरामपुरा (स्थायी क्यारी)	355.00 घ.मीटर
2.	त्योद से सिनोदिया	तियासर	264.00 घ.मीटर
3.	बेगस रोड से बोबास वाया ढाकावाला	आसलपुरा	200.00 घ.मीटर
4.	बिचून से नया बास	बासड़ा क्वारी	51.69 घ.मीटर
5.	रामपुरा वाडिया स्कूल से बोराज	आसलपुर रेल्वे क्वारी	64.48 घ.मीटर
6.	बालोदिया की ढाणी से गुढ़ा बैरसल	आसलपुर रेल्वे क्वारी	52.00 घ.मीटर

		खान/सड़क जहां	सामग्री	मात्रा
1.	जयरामपुरा से जाहोता	सड़क पर	ग्रेवल	76.92 क्यू.मी.
2.	कांकरेल सड़क	खान पर	ओएसएम	136.70 क्यू.मी.
3.	गोठ की पट्टी दौसा रोड वाया खराना	खान पर	ओएसएम	58.41 क्यू.मी.
4.	सामोद चूरू धारा सड़क	खान पर	पत्थर	35.06 क्यू.मी.

1	2	3		4
5.	खादरा पहाड़ी पर (देवन बाडोदिया सड़क पर पेच रिपेयर कार्य)	खान पर	हैड ब्रोकर बेलास्ट	32.63 क्यू. मी.
6.	मण्डा से राजनोता ग्रेवल सड़क	खान पर	ग्रेवल	32.00 क्यू. मी.
7.	टसकोला से पावटा बूचारा	खान पर	ग्रेवल	30.75 क्यू. मी.

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-934 की सूची)

परिशिष्ट''अ''

ग्राम इटावा में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की सूची

क्र.सं.	आ.केन्द्र का नाम	कार्यकर्ता का नाम	सहायिका का नाम
1.	ईटावा–I	श्रीमती गायत्री शर्मा	श्रीमती ममता शर्मा
2.	ईटावा–II	श्रीमती नन्द कंवर शर्मा	श्रीमती कान्ती बाई
3.	ईटावा–III	श्रीमती मूली बाई	श्रीमती गीता बाई
4.	ईटावा–4	श्रीमती हेमलता	श्रीमती रामजानकी
5.	ईटावा–5	श्रीमती संतोष ग्रोवर	श्रीमती शकुन्तला हुरडा
6.	ईटावा–6	श्रीमती अनुराधा विजय	श्रीमती इन्द्रा खटीक
7.	ईटावा–7	श्रीमती रामस्वरूपी बाई ग्रोवर	श्रीमती मंजू बाला
8.	ईटावा–8	श्रीमती मीरा बाई मीणा	श्रीमती मोहना बाई